सप्तम माला, खंड 21, अंक 6, सोमवार, 30 नवम्बर, 1981/9 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 52(1)
Date 30.4.82

लोक सभा सचिवालय,

नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 6, सोमवार, 30 नवम्बर, 1981/9 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 103 से 106, 108, 109 और 111	2—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101, 102, 110, 112 से 117, 119 और 120	20—30
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1157, 1159 से 1181, 1183 से 1202, 1204 से 1248, 1250 से 1300, 1302 से 1325, 1327 से 1357, 1359 से 1375 और 1377 से 1380	30—229
	230—231
सभा पटल पर रखे गए पत्र	231—234
विधेयक—पुरः स्थापित	
(1) अफ्रीकी विकास निधि विधेयक	234
(2) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक	234
नियम 377 के अधीन मामले	235—23
(एक) सौर ऊर्जा के विकास के लिए और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता श्री पी० राजगोपाल नायडू	235
(दो) आगामी अर्धकुम्भ मेले को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए इलाहाबाद में एक दूरदर्शन केन्द्र खोलने की मांग श्री कृष्णप्रकाश तिवारी	235
(तीन) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही क्षेत्र में कालीन उद्योग में संकट श्री उमाकान्त मिश्र	236
(चार) रत्नगिरि स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण दूरी को बढ़ाने की आवश्यकता श्री बापूसाहिब परुलेकर	236
(पांच) नाशी जीवों और सूखा के कारण फसलों को हुई हानि के लिए किसानों को मुआवजा देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता श्री सत्यगोपाल मिश्र	237

*किसी नाम पर अंकित चिह्न *इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(छः) बिन्नी गार्मेंट फैक्टरी, बंगलौर का प्रबन्ध इसके कर्मचारियों द्वारा अपने हाथ में लिए जाने हेतु केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता श्री जार्ज फर्नान्डीस	237
(सात) पश्चिम बंगाल को गेहूं और चावल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई श्रीमती गीता मुखर्जी	239
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक	239—257
खण्ड 2 से 62 और 1 पास करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	240
श्री रामावतार शास्त्री	252
श्री सुधीर गिरि	254
श्री नाथूराम मिर्धा	255
चीनी उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) संशोधन विधेयक	258—292
राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
राव बीरेन्द्र सिंह	258
श्री जायनल अबेदिन	258
श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल	259
श्री झारखण्डे राय	260
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	265
श्री हरिकेश बहादुर	267
श्रीमती कृष्णा साही	269
श्री एन० सेलबाराजू	271
श्री चित्त वसु	274
श्री मूलचन्द डागा	277
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	278
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	279
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	282
खण्ड 2 और 1 पास करने का प्रस्ताव	
राव बीरेन्द्र सिंह	288
श्री मनीराम बागड़ी	288
प्रो० एन० जी० रंगा	290

विषय	पृष्ठ
रामपुर रजा लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक	292—305
राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
श्री मल्लिकार्जुन	292
श्री सुधीर गिरि	293
श्री मूलचन्द डागा	295
डा० वसन्त कुमार पण्डित	298
श्री झारखण्डे राय	299
श्री जी०एस० बनातवाला	300
श्री हरिकेश बहादुर	302
खण्ड 2 और 1 पास करने का प्रस्ताव	
श्री मल्लिकार्जुन	304
खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक	306—309
राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
श्री मल्लिकार्जुन	306
श्री सत्यगोपाल मिश्र	307
श्री मूलचन्द डागा	307
आधे घण्टे की चर्चा	309—322
पक्षियों के शिकार पर प्रतिबन्ध	
श्री आर०पी० गायकवाड़	309
राव बीरेन्द्र सिंह	312
श्री जनार्दन पुजारी	316
श्री रामावतार शास्त्री	317
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	318
श्री मूलचन्द डागा	319
डा० वसन्त कुमार पण्डित	319

लोक सभा

सोमवार, 30 नवम्बर, 1981/9 अग्रहायण 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 388 के अन्तर्गत आपसे अनुमति चाही है, मेहता चौक में गुरुद्वारे के अन्दर जो विस्फोट हुआ है·····(व्यवधान)

मैं अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूं, आपसे तो नहीं कर रहा हूं। आप इस तरीके से मत किया करें। राष्ट्र की बात को समझने की कोशिश किया करें, मजाक मत किया करें।

अध्यक्ष महोदय : आपस में मैम्बर्स बात न करें तो अच्छा है।

श्री मनीराम बागड़ी : आप सुन लिया करें बात को।

अध्यक्ष महोदय बात बहुत सीरियस है, संजीदा बात है। क्या हालत देश की हो रही है, यह आपसे छिपी हुई नहीं है। आप इसको समझ लें, आपका प्रान्त है।····· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, मैंने आपको सूचित कर दिया था कि यह 388 की 'सस्पेंशन नहीं होगी।' आपकी भावनाओं की वैसे भी इस बात के लिए मै कद्र करता हूं लेकिन इसको खास ढंग से करेंगे क्योंकि मैं भी उसी प्रान्त का हूं, मुझे भी कष्ट है। किसी धर्मस्था को किसी प्रकार से अपवित्र किया जाय, उसका दुरुपयोग किया जाय, कैसे यह वहाँ होता है ? वह तो भाई चारे का और सद्भावना का एक प्रतीक होता है जो भी धर्म-स्थान होता है, गुरुद्वारा हो, मन्दिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो। इस प्रकार मेरे ख्याल से यह कुठाराघात है देश की संस्कृति पर भी, प्यार पर भी और भाईचारे पर भी। हमारे ऋषि, मुनि और गुरु जितने भी हैं सभी ने एक ही पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक के सन्देश में भाईचारा ही भाईचारा है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। गुरु गोविन्द सिंह जी ने कहा है "मानष की बात सब एक ही पहचानबो"। हमारे यहां 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया" कहा गया है। इस्लाम में रब्बुल आलमीन की बात करते हैं। क्रिश्चियेनिटी में ब्रदरहुड आफ मेन की बात कही जाती है। एक पवित्र स्थान पर अगर ऐसा काम शुरू हो

जाए तो यह बहुत घृणित है। मैं आपसे और इस सदन से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बड़ी गम्भीर समस्या है और सभी को इससे सजग रहना चाहिए। मेरे खयाल में कल जो मैंने आपका मोशन रखा है, खालिस्तान के सिलसिले में, उसमें सरकार भी तैयार होकर आए कि क्या छान-बीन हुई है। मैं समझता हूं सभी लोग चाहेंगे कि इसकी पूरी छान-बीन होनी चाहिए और पूरी जानकारी होनी चाहिए और जो भी अपराधी हैं उनको पूरी तौर से सजा मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में मेरी यही मंशा है जिससे मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्य प्राप्त कर लेने दें। तब हम देखेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

*103. **श्री आर०पी० गायकवाड़ :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और विशेष रूप से उस पर होने वाले व्यय का अध्ययन करने का विचार है; और

(ख) सरकार का विचार कार्य दक्षता बढ़ाने, व्यय कम करने तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की सेवा हेतु बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण से संबंधित विभिन्न पक्षों की निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है, जो इस प्रणाली का विस्तार करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। कई राज्य सरकारों ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों की स्थापना की है। मार्च, 1980 से स्थापित की गई अतिरिक्त उचित दर की दुकानों में से 80 प्रतिशत से अधिक दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है कि वे लोगों को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

श्री आर०पी० गायकवाड़ : मैंने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में विशेष रूप से यह पूछा है कि सार्वजनिक प्रणाली की आगे सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही

करना चाहती है । मन्त्री महोदय के उत्तर में इसका उल्लेख नहीं किया गया है । इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस सार्वजनिक प्रणाली की ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सफलता के लिए कोई कार्यवाही करना चाहती है, क्या उन्होंने इस मामले पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है अथवा क्या वे इस विशेष मामले पर राज्य सरकारों के साथ कोई बैठक करना चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसाकि पहले बताया जा चुका है, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने की आवश्यकता से अवगत है । पिछले लगभग दो वर्षों के दौरान जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है, लगभग 63,000 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और देश में कुल 2.98 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । इसके अलावा, देश की पूरी जनता की सेवा करने के उद्देश्य से हम इस प्रणाली में सुधार लाने के बारे में निरन्तर सोचते रहते हैं । योजना आयोग ने इस वर्ष एक अन्तर-मन्त्रालय कार्यकारी दल गठित किया है । उसके प्रतिवेदन की भी प्रतीक्षा की जा रही है । इस पर हम भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद में भी अध्ययन करा रहे है; इस बारे में और क्या किया जा सकता है इसका अध्ययन करने के लिए हम पर्याप्त धन व्यय कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानना चाहता हूं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गायकवाड़ दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें दूसरा प्रश्न नहीं पूछना ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मैं उन्हें अवसर देना चाहता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को पता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यचालन के बारे में भारी असंतोष व्याप्त है तथा क्या उन्हें पता है कि जनता शासन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए एक प्रस्ताव मार्च, 1979 में संसद में तथा जनता के समक्ष रखा गया था, परन्तु दुर्भाग्य से उसे हम क्रियान्वित नहीं कर पाए—हमें उम्मीद है कि जब हम अगली बार सत्ता में आते हैं तो उसे क्रियान्वित करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : कभी नहीं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है और क्या उन्हें पता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि उसे बनाए रखने के लिए जो आर्थिक सहायता आवश्यक है उसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए आश्वासनों के अनुसार समाप्त करना पड़ेगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस बात के अलावा कि जनता शासन के दौरान की गई गड़बड़ी को काफी हद तक सुधारने में हम सफल रहे हैं—पूरी प्रणाली ठप्प हो गई थी—हमने देश

में बहुत सी उचित मूल्य की नई दुकानें खोलीं हैं तथा कुछ आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सुधार किया है। जनता शासन के 2.1/2 वर्षों के दौरान अनाज का वार्षिक वितरण 100 — 110 लाख टन था। हमने पिछले वर्ष केवल अनाज के वितरण को बढ़ाकर 140—150 लाख टन कर दिया। हमने आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए आश्वासन के अंतर्गत आर्थिक सहायता को समाप्त किए जाने की क्या स्थिति है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : भले ही सरकार ने बहुत-सी दुकानें खोली हैं परन्तु वितरण प्रणाली राज्य सरकारों के हाथ में है। सरकार कुछ भी करे अंततः पूर्ति का दायित्व राज्य सरकारों का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच कोई समन्वय है कि जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध है वह उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जनता को पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उचित मूल्य की दुकानों का संचालन अत्यन्त गम्भीर मामला है और इसीलिए सरकार की बदनामी हो रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण अत्यावश्यक कार्य है। इस बात की संतुष्टि करने के लिए कि राज्यों के साथ हमारा निकट संपर्क बना रहे, अनाज का वितरण राज्य सरकारों की मांगों के अनुसार किया जाता है। मिट्टी का तेल, डीजल आयल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा उसके अनुसार ही आवंटन किया जाता है तथा हमारा सदा प्रयत्न रहता है कि राज्य सरकारें हमारे द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार पूर्ति कार्य करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री दौलत राम सारण।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे अत्यावश्यक वस्तुएं कौन-कौन सी हैं, जिनको आप दुकानों के द्वारा वितरण कर रहे हैं ? खास तौर से मैं देहाती क्षेत्रों के बारे में जानना चाहता हूं। क्या यह सही है कि दिल्ली प्रदेश की राजधानी और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और गांवों में वितरण की अलग-अलग मात्राएं निश्चित हैं और खास तौर से गाँवों को सबसे कम चीनी और गेहूं दिया जाता है तथा जहां तक चावल का सवाल है, वह भी सबसे कम मात्रा में दिया जाता है ?

दूसरी बात यह कि जो आपने और एसेंशियल कामोडिटीज तैयार कर रखी हैं, उनमें से कोई भी चीज गांवों में नहीं दी जाती है और फेयर प्राइस शाप आपने गाँवों में कितनी खोल रखी हैं ? क्या आपको इस सम्बन्ध में भी जानकारी है कि जहां कहीं भी फेयर प्राइस शाप गाँवों में चल रही हैं, वहां उन फेयर प्राइस शाप्स द्वारा आवश्यक वस्तुएं

वितरित नहीं की जा रही हैं, इसकी जानकारी करके क्या आप आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जनाब, 20.98 लाख फेयर प्राइस शाप्स हैं, जिनमें 80 प्रतिशत यानी 2 लाख 40 हजार गावों के अन्दर हैं । वे चल रही हैं, तभी तो दुकानें हैं, अगर बन्द होतीं तो दुकानें कहाँ रहतीं ? ज्यादातर चीजें गांवों और शहरों के लिए बराबर वितरण की जाती हैं । चीनी की मात्रा आम तौर पर 425 ग्राम फी-कस फी-महीना है, यह गांव वालों के लिए है, गांव की दुकानों पर शहर के लोग खरीदने नहीं जाते हैं, वहां गांवों के लोग ही खरीदते हैं ।

इन्होंने पूछा है कि क्या-क्या चीजें तकसीम होती हैं—इसमें हमारी तरफ से ज्यादा जरूरी चीजें फूड-आइटम्स हैं, जैसे गेहूं, चावल, चीनी । बहुत-सी स्टेट्स में माचिस तकसीम की जाती हैं, मोटा कपड़ा, कैरोसीन आयल तकसीम की जाती हैं । ये वे चीजें हैं जो इन दुकानों के जरिए दी जाती हैं, कहीं पर 8 आइटम्स हैं, कहीं पर 10 आइटम्स हैं ।

देश में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रहन बीमा, योजना

*104. **श्री हरिहर सोरन :**

श्री बी०वी० देसाई : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार देश में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रहन बीमा योजना आरम्भ करने का है;

(ख) क्या उक्त योजना प्रयोगात्मक आधार पर और किन्हीं चुने हुए स्थानों पर आरम्भ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक चुना गया है;

(घ) खरीददार के लिए क्या शर्तें होंगी; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) तक : यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं ।

श्री हरिहर सोरन : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि तथा-कथित रहन-बीमा योजना पिछले तीन वर्ष से सरकार के विचाराधीन है तथा आवास मन्त्रालय ने अभी भी उसे अन्तिम रूप देना है और यदि हाँ, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : विलम्ब का कोई प्रश्न ही नहीं है। कार्यकारी दल की सिफारिशें हमें इसी महीने प्राप्त हुई हैं तथा उन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

'इन्क्रीज इन प्लांट डिसीज वरीज फार्मर्स' शीर्षक से समाचार

*105. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्टूबर, 1981 के 'स्टेट्समैन' में इन्क्रीज इन प्लांट डिसीज वरीज फर्मर्स' (पौधों में बढ़ती बीमारी पर किसानों में चिन्ता) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या हाल ही में करनाल में हुए प्रथम राष्ट्रीय पौधा-उत्पादक कांग्रेस (नेशनल काँग्रेस आफ प्लांट ब्रीडर्स) की बैठक में यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि करनाल-बंट नाम का घातक पौधा-रोग बढ़ रहा है जो सोनालिका, जो गेहूं की फसल में 80 प्रतिशत होती है, नामक गेहूं जैसी अधिक उपज देने वाली किस्मों को भी लग जाता है;

(ग) इस कांग्रेस में चर्चित अन्य विषय और सुझाव क्या थे; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यद्यपि सरकार के पास अभी तक दि० 12 से 15 अक्तूबर, 1981 को करनाल में हुई पौध प्रजनकों की राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही नहीं है, तथापि इस काँग्रेस के संयोजक के अनुसार करनाल बंट का विषय इस काँग्रेस में विचार विमर्श के लिए नहीं उठा, जिसमें सोनालिका जैसी अधिक उपज देने वाली किस्मों पर इसका प्रभाव भी सम्मिलित है।

(ग) इस कांग्रेस के संयोजक के अनुसार इस फोरम पर जिन मदों पर विचार-विमर्श हुआ, वे थी :—

1. आनुवंशिकी, पौध प्रजनन और रोग रोधिता पर अधिक मौलिक अनुसंधान के द्वारा अधिक उपज देने वाली किस्मों की नई पीढ़ियों का विकास।
2. फसल से अधिक उपज लेने के लिए सौर्य ऊर्जा, पानी और उर्वरकों जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधनों के अधिक कुशल उपयोग से बेहतर पौधों की प्रकारें।
3. शुष्क खेती के क्षेत्र, लवणीय और सोडा मिट्टियाँ और पानी भरने की स्थितियों जैसे समस्या क्षेत्रों और कठिन वातावरणों के लिए फसलों की किस्में विकसित करना।

(घ) सरकार पूरी तरह से इन समस्याओं को समझती है और बारानी क्षेत्रों और लवणीय सोड़ा की मिट्टियों जैसे कठिन वातावरणों के लिए उपयुक्त किस्मों और रोग के फैलाव को रोकने के लिए बाधा के रूप में काम आने योग्य विस्तृत आनुवंशिक आधार सहित रोग रोधी तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए सुदृढ़ अनुसंधान केन्द्र संगठित किए हैं। पहले से की गई अनुसंधानों पर आधारित, फसलों के लिए सुधरी प्रौद्योगिकी बहुत मात्रा में शुरू की जा चुकी है जो अब किसानों तक पहुंचाई जा रही है। तथापि, इन क्षेत्रों को अनुसंधान की सहायता जारी रखने की आवश्यकता के प्रति सरकार जागरूक है और तदनुसार, अनुसंधान को गहन बनाने के लिए अपनी भावी युक्तियों की योजना बनाई है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस रोग का पहली बार पता चौथे दशक में चला; क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का गेहूं निदेशालय इस बीमारी तथा कई और बीमारियों को रोक पाने में पूर्णतः विफल रहा है; तथा क्या यह भी सच है कि इस बीमारी के कारण देश के गेहूं के उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है जैसाकि अक्तबर में हुई पौध-प्रजनकों की राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कहा गया था।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह सच है कि इस बीमारी का सबसे पहले पता 1931 में चला था, जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है। तब से उस पर काबू पाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जाते रहे हैं। इसमें भी सन्देह नहीं है कि इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के गंगानगर जिले जैसे हिस्सों तथा अन्य स्थानों में बढ़ता जा रहा है। परन्तु हम इस बीमारी पर विभिन्न प्रकार से नियन्त्रण करने का यत्न करते रहे हैं। परन्तु मुख्य रूप से नई गेहूं की बीमारी रोधक किस्मों का विकास करने पर बल देते रहे हैं। यह कार्य हो रहा है। कुछ किस्में पहले ही खोज निकाली गई हैं तथा इन किस्मों का प्रयोग हम अधिक क्षेत्रों में कर रहे हैं।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : पचास वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हम गेहूं की ऐसी किस्म नहीं ला पाए जो इस रोग की रोधक हो। बहुत से और सामान्य रोग भी हैं जो कि गेहूं की फसल पर बुरा असर डालते हैं तथा हम उस बारे में कुछ नहीं कर पाए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस बारे में कौन-सी ठोस कार्यवाही कर रही है। दूसरा प्रश्न मिश्र-किस्म की दालों तथा तिलहनों के बारे में है। इस क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया गया। इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : सभी रोगों के बारे में यह अति सामान्य प्रश्न है। एक विशेष बीमारी के बारे में मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि हम उस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। उसी तरह के कई अन्य रोग भी हैं। मलेरिया के मामले में भी, जिससे मनुष्य सैकड़ों वर्षों से कष्ट उठाते रहे हैं, हम उसकी पूरी तरह रोकथाम नहीं कर पाए हैं। अतः उस पर नियंत्रण पाने के यत्न किए जा रहे हैं।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : दालों तथा तिलहनों की मिश्र किस्मों के विकास की क्या स्थिति है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने मूंगफली, सोयाबीन की कुछ अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा कम अवधि में पैदा होने वाली दालों की कुछ किस्में विकसित की हैं। अतः इस बारे में बहुत उपयोगी अनुसंधान कार्य हुआ है।

श्री मलिक एम०एम०ए० खां : अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि एसीव्हीट वैराइटीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें डीजीज को रेसिस्ट करने की ताकत हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो दवाएं आई०सी०ए० और आप की दूसरी इंस्टीट्यूशन्स ने डैवलप की थीं बीमारी को मारने के लिए, वे शुरू में तो इफेक्टिव रहीं लेकिन आज उन डीजीजेज के लिए वे दवाएं इनइफेक्टिव हैं, जिससे पता लगता है कि वे दवाएं सब-स्टैन्डर्ड हैं।

अध्यक्ष महोदय : दवाएं नहीं बल्कि उन दवाओं को बनाने वालों की नीयत सब-स्टैन्डर्ड हो गई है।

श्री मलिक एम०एम०ए० खां : आप सही फरमा रहे हैं। हर किसान की नालिज में यह बात होगी कि जो स्प्रेइंग पहले आम पर इफेक्टिव थी, आज वह स्प्रेइंग उसी आम पर इफेक्टिव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि बजाय ऐसे बीज पैदा करने के क्या आप इस बात की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी कन्ट्रोल हो और दवाएं स्टेन्डर्ड की बनें ताकि वे इफेक्टिव हों और डीजीज को मारा जा सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : दोनों बातें ठीक हैं। दवाएं भी घटिया मिलने लगी हैं और उनमें मिलावट हुई है पीछे। आपको मालूम है कि हमने पीछे 5 टीमें बनाई थीं और सारे मुल्क का एक सर्वे कराया था 5 जोन बनाकर ताकि सब-स्टैन्डर्ड दवाओं का पता लग सके मैनूफैक्चर के लेबिल पर, फार्मूलेशन के स्टेज के ऊपर और बिक्री के टाइम पर रिटेल तक। इनका काम यह पता लगाना था कि कितनी-कितनी मिलावट कहां-कहाँ पर होती है। हमने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि लेबोरेट्रीज और ज्यादा कायम करें। सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी और नई लेबोरेट्रीज बनाना चाह रही है। एक रीजनल सेन्टर बनाकर एन्फोर्समेंट स्टाफ और ज्यादा मुकर्रिर करना चाह रही है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद दे सकें और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कड़ी निगाह रख सकें।

अध्यक्ष महोदय : एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा गया था, उस को फांसी होगी या नहीं ?

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एशियाई प्रशान्त खरपतवार विज्ञान समिति के अभी हाल में हुए 8वें सम्मेलन की ओर दिला सकता हूं जिसमें 17 देशों के खरपतवार वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन में यह कहा गया था कि भारत में फसल का लगभग एक तिहाई भाग खरपतवार से नष्ट हो जाता है।

मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बड़ा ही सामान्य प्रकार का है। खरपतवार के कारण खाद्यान्न में हानि से बचने के लिए विशेष सुधारात्मक उपाय करने के लिए क्या सरकार एक राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संकाय की स्थापना पर विचार कर रही है ताकि हम एक विशेष प्रकार का खरपतवार-नाशक तैयार कर सकें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : फसलों विशेष के लिए प्रभावी विशेष प्रकार के खरपतवार-नाशक होते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा तथा विभिन्न संस्थानों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा काफी कार्य किया जा रहा है। किन्तु यह भी तथ्य है कि अभी भी हमारी फसल का काफी बड़ा भाग बचाया जा सकता है यदि हम खरपतवार को बिल्कुल समाप्त कर दें ?

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या आपने राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस अनुसंधान के लिए हमारे देश में केन्द्र स्थापित हैं। तथापि हमारी फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवारों के विभिन्नों पत्तों पर कार्य के लिए एक राष्ट्रीय खरपतवार केन्द्र की स्थापना विचाराधीन है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, कृषि प्रधान प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब जो हैं उनमें फसलों को कीड़ा लग रहा है और यह बात सबको मालूम है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जो प्रान्तीय सरकारें कीड़े के प्रकोप की रोकथाम नहीं कर सकती है क्या भारत सरकार जैसे पहले एरियल स्प्रे किया करती थी, क्या वह अब भी करने का विचार रखती है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : एरियल स्प्रे की स्कीम अब भी हमारी है। अब भी हमारे पास एग्रीकल्चरल एवियेशन विंग है जिसके पास हवाई जहाज है। जिस स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत होती है वहाँ हम सैन्टर की एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के हवाई जहाज स्प्रे के लिए भेजते हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : बिहार में तो यह हुआ नहीं है। वहाँ पूरी फसल कीड़ा खा गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री केयूर भूषण।

बरुका उदवहन सिंचाई परियोजना

*106. **श्री केयूर भूषण :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में प्रस्तावित बरुका उदवहन सिंचाई परियोजना के बारे में प्रस्ताव केन्द्र के विचारार्थ भेज दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण परियोजना को तत्काल क्रियान्वित किया जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्र के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने यह परियोजना अभी तक तैयार नहीं की है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री केयूर भूषण : यह जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है उससे यह मालूम नहीं होता कि छत्तीसगढ़ का जो मध्य प्रदेश का पिछड़ा इलाका है वह 20-25 वर्षों से अकाल-ग्रस्त रहता आ रहा है उसके लिए क्या किया जा रहा है । रायपुर और दुर्ग ये दो जिले हैं जहाँ पर कि सिंचाई के बहुत स्रोत हैं । इस बारुका बांध से ये दोनों जिले लाभान्वित होंगे । अगर इस बांध के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई सिफारिश नहीं आई है तो भी केन्द्रीय सरकार को इस ओर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए । वहाँ पर सूखे की वजह से हजारों लोग वहां से पलायन करते हैं और पूरे देश के अन्दर फैले हैं । वह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है । ऐसी स्थिति में अगर मध्यप्रदेश शासन कुछ नहीं कर पा रहा है, अगर वहाँ से कोई प्रपोजल नहीं आया तो क्या वहां की स्थिति को देखते हुए क्या यह जरूरी नहीं है कि केन्द्रीय शासन उस पर ध्यान दे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय स्पीकर साहब, जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का तालुक है, मैंने यह तो अर्ज कर दिया है कि भारत सरकार के पास कोई स्कीम स्टेट सरकार से नहीं आई है । दो हजार हेक्टेअर तक भूमि की सिंचाई के लिए जितनी स्कीमें होती हैं उनको स्टेट सरकारें भारत सरकार को नहीं भेजती हैं । उनको स्टेट सरकार अपने आप ही मंजूर कर लेती हैं ।

जहाँ तक रायपुर जिले का ताल्लुक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई के साधन रायपुर जिले में हैं । मध्यप्रदेश में औसतन जितना सिंचाई का रकबा है उसका 23 प्रतिशत रायपुर जिले में है । इसलिए आनरेबल मेम्बर की इस बात को मैं ठीक नहीं समझता कि रायपुर में सिंचाई के साधन कम हैं ।

श्री केयूर भूषण : यह धान का इलाका है और धान के इलाके में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है । उसके साथ ही यह एक फसली इलाका भी है । इसलिए रायपुर जिले की तरफ देखने का दृष्टिकोण जो है वह सही दृष्टिकोण नहीं मालूम होता है क्योंकि धान के इलाके में पानी की अधिक व्यवस्था करनी पड़ती है । रायपुर जिले में सूखा होने और एक फसली इलाका होने के कारण से वहाँ पानी की अधिक आवश्यकता है । उस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है जिसकी वजह से रायपुर का इलाका अभी भी अकालग्रस्त है । वहाँ

के लोग वहां से प्लायन कर रहे हैं। इस बांध से उस इलाके में 3 लाख 30 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है।

यह प्रदेश के अन्दर जांच के लिए पड़ी हुई है, इसके बिना पलायन और अकाल नहीं रुक सकता। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय शासन इस पर ध्यान दे।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि हमें इस स्कीम की जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम जानकारी राज्य सरकार से लेकर उनको बता देंगे, लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उस बात को दो तरफ से देखा जा सकता है। इनका कहना है कि रायपुर में धान ज्यादा होती है, इसलिए पानी की ज्यादा जरूरत है और मैंने बताया कि रायपुर जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई के साधन मुहैया हैं और धान भी इसीलिए ज्यादा पैदा होती है।

श्री केयूर भूषण : मेरा कहना यह है कि जहां पर सिंचाई नहीं है वहां पर पूरी तरह से अकाल की स्थिति है।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : छत्तीसगढ़ क्षेत्र की अन्य योजनाएं भी केन्द्र के पास लम्बित पड़ी हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्हें योजनाओं को स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसका स्पष्ट उत्तर देने के लिए मुझे एक पृथक नोटिस की आवश्यकता है।

न्यू सर्विस नीडिड टू सेव हिमालायाज शीर्षक समाचार

*108. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1981 के टाइम्स आफ इंडिया में 'न्यू सर्विस नीडिड टू सेव हिमालायाज' हिमालय की रक्षा के लिए एक नई सेवा की आवश्यकता शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बाँधों में बढ़ती जा रही गाद की समस्या और भू-कटाव को बचाने के उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भू-कटाव को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इस बात की पहले ही चिन्ता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मृदाक्षरण और भूमि अपकर्षण की गम्भीर समस्या है जिसके परिणामस्वरूप जलाशयों में गाद भर

जाती है तथा बार-बार बाढ़ें आती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मृदा और जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण और वन रोपण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय सहायता से निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

1. हिमालय की पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण तथा उसे बहाल रखने के उद्देश्य से पाँचवी योजना के आरम्भ से "हिमालय में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू है।
2. जलाशयों के गाद और स्रवण क्षेत्रों के अपकर्षण में कमी लाने के लिए तीसरी योजना के आरम्भ से 'नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण योजना' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है।
3. बार-बार आने वाली बाढ़ों के खतरों और अवसादन को रोकने और स्रवण क्षेत्रों की धारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 1980-81 से 'सिन्ध-गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवरण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जल स्रवण प्रबन्ध नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है।
4. उत्तर-पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों में झूम-खेती के नियंत्रण के लिए, पांचवीं योजना से एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना चल रही है।

राज्य क्षेत्र में, सम्बद्ध राज्यों द्वारा अपनी ही योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत मृदा-संरक्षण सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं।

हाल ही में केन्द्रीय पर्यावरण विभाग ने देश की विषम पारिस्थितिकीय प्रणाली, विशेष तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में, का पता लगाने और एक समेकित ढंग से पारिस्थितिकीय परिरक्षण के लिए परियोजनाओं के परिचालन की रूप रेखा तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों से एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड की स्थापना की है। यह बोर्ड राज्यों के साथ निकट सहयोग/परामर्श से एक बहु-उद्देशीय नीति अपनाएगा, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की सहायता से पारिस्थितिकी-विकास कार्य दलों के गठन तथा युवा शक्ति का समर्थन जुटाने के लिए पारिस्थितिकी-विकास शिविरों के आयोजन सम्बन्धी कार्य शामिल किए जाएंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, हिमालय में बनाए बांध हमारे संयुक्त प्रयास का परिणाम है किन्तु जल स्रवण प्रबन्ध देश के लिए एक अति गम्भीर समस्या बना हुआ है। यह समस्या इतनी गम्भीर होती जा रही है कि अभियन्ताओं द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, राम गंगा बांध में अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुमानों से अधिक 450 प्रतिशत की दर से गाद भर रही है। इसी प्रकार, शारदा सागर बांध के बारे में अभियन्ताओं द्वारा अनुमानित डिजाइन दर से

200 प्रतिशत अधिक दर पर गाद भर रही है। और इसी प्रकार, भाखड़ा बांध के सम्बन्ध में भी गाद की समस्या बनी हुई है जो कि गम्भीर होती जा रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने लम्बे वक्तव्य में जिन अभिकरणों का उल्लेख किया है उन सभी ने कौन से समायोजित प्रयास किए हैं ? उनके परिणाम क्या रहे ? हमें इस सम्बन्ध में परिणामों के बारे में जानना ही चाहिए क्योंकि यह समस्या बड़ी गम्भीर है और अभियन्ताओं के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने जिन अभिकरणों का उल्लेख किया है और जिन अन्य अभिकरणों का उल्लेख नहीं किया है, इन सब में समन्वय है। यह सभी अभिकरण गाद की दर में कमी करने के उद्देश्य से कार्यरत हैं। यह कहा जा सकता है कि गाद भरने की दर में वृद्धि हुई है जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है। इसका कारण हमारे पहाड़ों पर जंगलों की कटाई और स्रवण क्षेत्रों में वन क्षेत्रों के आकर्षण हैं। किन्तु हम इस समस्या का समाधान अनेक तरीकों से कर रहे हैं। जैसेकि माननीय सदस्यों को पता है अभी हाल में हमने वन-क्षेत्रों को गैर-वन क्षेत्रों में परिवर्तन करने के बारे में बड़ी कड़ाई बरती है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित एक और व्यापक विधेयक के माध्यम से हम इस सम्बन्ध में और प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं ताकि भू-संरक्षण की समस्या को अच्छी तरह सुलझाया जा सके।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : सरकार हिमालय के उच्चतम स्तर पर छोटे-छोटे जलाशय कब स्थापित करने पर विचार करेगी तथा हमें यह भी बताया जाए कि क्या वनरोपण सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति है ? राज्य भी वहीं कर रहे हैं। क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोई तालमेल है ? क्या आप 10,000 फुट के उच्चतम स्तर पर छोटे-छोटे जलाशय बना रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : राज्यों और केन्द्र के बीच वन-रोपण के मामले में पूर्ण समायोजन है क्योंकि भारत सरकार की नीतियों का राज्यों के माध्यम से कार्यान्वयन होता है। जैसाकि सभा इस बात से भली भाँति अवगत है कि प्रधान मन्त्री की वन-रोपण में गहरी रुचि है। राज्य सरकारों से बार-बार कहा गया है कि वे न केवल वृक्ष-रोपण अपितु वृक्ष संरक्षण सम्बन्धी लक्ष्यों में वृद्धि करें। यहां तक कि भारत के बाहर नदियों के स्रवण क्षेत्र, जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, के लिए भी बहुत बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। उदाहरण के तौर पर हमने नैपाल सरकार के माध्यम से वनरोपण कार्य आरम्भ किया है।

हिमालय श्रृंखला के ऊंचे क्षेत्रों में जलाशयों के निर्माण सम्बन्धी माननीय सदस्य की बात को मैं नहीं समझ सका हूं। जब तक वे क्षेत्रों के बारे में न बताएं मैं उसका उत्तर कैसे दूं ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं 10,000 फुट की ऊंचाई के बारे में कह रहा था।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सम्भाव्यता का भी प्रश्न है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैंने तीन बाँधों और जलाशयों के नाम बताए हैं।

श्री पी० नामग्याल : भू-संरक्षण के लिए हमे पहाड़ी जनता का, विशेष रूप से हिमालय में रहने वाली पहाड़ी जनता का सहयोग लेना होगा। श्री सुन्दर लाल बहुगुणा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, पिछले कई वर्षों से हिमालय में काश्मीर से नेफा तक भ्रमण करते रहे हैं। वे वहां की जनता को अपने "चिपको आन्दोलन" के माध्यम से वन-रक्षा और वृक्षों के गिराने के बारे में शिक्षित करते रहे हैं। क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहती है जो देश की बड़ी उत्तम सामाजिक सेवा कर रहे हैं ताकि भू-संरक्षण और वृक्ष संरक्षण हो सके और देश को वर्तमान सम्भावी विनाश से बचाया जा सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जैसे व्यक्तियों के प्रयासों की बड़ी सराहना करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के अपने अभिकरण इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामगोपाल रेड्डी।

कुछ माननीय सदस्य : उनका नाम सूची में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह श्री भाटिया की तरह ही इसमें गहरी रुचि ले रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। जितना आप कर रहे हैं उतने ही हमारे रिजर्वायर्स सिल्ट से भर रहे हैं। जो रिजर्वायर्स 100 साल के लिए बनाए गए हैं वह 50 साल में ही भरते जा रहे हैं। यही नहीं नदियाँ भी सिल्ट से भरती जा रही हैं और इसीलिए फ्लड्स आ रहे हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं आपके प्लान्स जरूर अच्छे होंगे, आपका काम जो हो रहा है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है ? जैसा माननीय भाटिया जी ने कहा ऊपर एक छोटा प्रोजेक्ट भी बना दीजिए ताकि सिल्ट को रोका जा सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं क्या बताऊं यहां हाउस में क्या दिखाऊं कि आफोरेस्टेशन का काम कैसा हो रहा है। मैं आनरेबल मेम्बर को ले जाकर दिखा दूंगा।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर छोटा प्रोजेक्ट बना देंगे सिल्ट रोकने के लिए तो अच्छा रहेगा जैसाकि आंध्र प्रदेश में हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय रेड्डी जी अफोरेस्टेशन से ही बात बनेगी यहां तक कि हिमालय पहाड़ भी पिघल रहे हैं। हमें इसका ध्यान रखना होगा, न केवक एक पहाड़ी का, बल्कि समूचे हिमालय पहाड़ पर ध्यान देना होगा।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घरों पर दूध पहुंचाने की व्यवस्था

*109. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के डिपुओं पर लम्बी-लम्बी कतारों में खड़े हजारों निर्धन लोगों के दूध के लिए प्रतीक्षारत रहते हुए भी घरों पर दूध पहुंचाने की व्यवस्था आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं मंत्री द्वारा दिए जा रहे लापरवाह किस्म के उत्तर के लिए आपका संरक्षण चाहती हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर है "जी नहीं, प्रश्न ही नहीं होता।" मेरा प्रश्न है :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने हजारों निर्धन लोगों के दूध के लिए प्रतीक्षारत रहते हुए भी दूध घरों पर पहुंचाने की प्रणाली आरम्भ कर दी है···

इसके लिए उनका उत्तर है, "जी, नहीं"। क्या "जी, नहीं" "दूध घरों पर पहुंचाने की प्रणाली" के साथ-साथ 'गरीब लोगों' के लिए भी है ? तथ्य यह है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने केवल कुछ समय पूर्व किंचित हेर-फेर करके घरों पर दूध पहुंचाने की एक प्रणाली आरम्भ की है। अतः 'जी, नहीं' ठीक उत्तर नहीं है।

दूसरे, यदि उनकी यह धारणा है कि निर्धन लोगों को इस प्रणाली द्वारा वंचित नहीं किया जा रहा है, तो मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि घरों पर दूध पहुंचाने की प्रणाली निर्धन लोगों की कीमत पर नहीं है, उन्हें कुछ आंकड़े देने चाहिएं। पिछली गर्मी में बजट सत्र के दौरान मैंने स्वयं देखा था कि दूध के डिपुओं पर लम्बी लाइनें लगी थीं और लोग बिना दूध के वापस जा रहे थे। अतः मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह 'जी, नहीं" घरों पर दूध पहुंचाने की परिशोधित प्रणाली पर भी लागू होता है या केवल गरीब लोगों की कीमत पर ही लागू होता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री माननीय सदस्या को विश्वास दिलाएं।

श्री आर०वी० स्वामीनाथन : मैं माननीय सदस्या को बता दूं कि यह सच है कि घरों पर दूध पहुंचाने की प्रणाली चल रही है परन्तु यह प्रणाली केवल वही है जहां पर उपभोक्ताओं को डिपुओं से दूध नहीं दिया जाता है। जहां पर उपभोक्ताओं को डिपुओं से दूध दिया जाता है वहां पर यह प्रणाली लागू नहीं है। इसलिए निर्धन लोगों के लम्बी लाइनों में खड़े रहने के बावजूद घरों पर दूध पहुंचाने की प्रणाली लागू की गई है, यह प्रश्न ही नहीं होता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह पहले कहा जाना चाहिए था कि घरों पर दूध पहुंचाने की प्रणाली केवल उन स्थानों पर है जहां पर दूध का कोई भी डिपु नहीं है।

अब मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है कि वे कौन से स्थान हैं जहां पर घरों पर दूध पहुंचाने की प्रणाली लागू की गई है, घरों पर पहुंचाने के लिए कितना दूध दिया जाता है और डिपुओं के माध्यम से कितना दूध दिया जाता है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : अभी भी कार्डों और टोकनों पर उपभोक्ताओं को दूध वितरित करने के लिए सुबह के एक हजार से अधिक दूध के डिपू हैं और 500 से थोड़े कम शाम के डिपू हैं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया, घरों पर दूध पहुंचाने की व्यवस्था उन क्षेत्रों में लागू की गई है जहां यह महसूस किया गया कि लोगों के पास वितरण केन्द्र, डिपू तक दूध लेने के लिए जाने का समय नहीं है। इस योजना से बेरोजगार लोगों, विधवाओं, कमजोर वर्ग के लोगों, बेरोजगार स्नातकों आदि को रोजगार देने में भी सहायता मिली है। एक सीमा निर्धारित की गई है कि एक व्यक्ति को 80 बोतलों से अधिक दूध नहीं दिया जाएगा। यह केवल गरीब परिवारों और कमजोर वर्गों की आय बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे एक परिवार को 150 रुपए से 200 रुपए तक की अतिरिक्त आय हो जाती है। इससे हमारी सामान्य वितरण प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह रोजगार प्राप्त करने तथा स्वयं माननीय सदस्या जैसे लोगों को राहत पहुंचाने में लाभप्रद सिद्ध हुआ है, जो डिपुओं से दूध की बोतलें एकत्र करना पसंद नहीं करते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं पसंद करती हूं। परन्तु यह बिल्कुल अलग मामला है।

महोदय, जैसाकि आप देखेंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह नहीं पूछा है कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। मैंने पूछा है, वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर घरों पर दूध पहुंचाने की प्रणाली लागू की गई है, इस प्रणाली के माध्यम से कितना दूध वितरित किया जाता है और डिपुओं के माध्यम से कितना दूध वितरित किया जाता है। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप इसे एकत्र करके माननीया सदस्या को भेज सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं जानकारी दे सकता हूं। सुबह डिपुओं के माध्यम से 1,75,000 लिटर दूध प्रतिदिन वितरित किया जाता है और शाम को इसकी मात्रा प्रतिदिन 62,000 लिटर है। मैंने दूध के डिपुओं की संख्या पहले ही दे दी है। सुबह 1096 डिपु काम करते हैं। घरों पर दूध पहुंचाने वाले एजेंटों की संख्या 1301 है। उनमें से प्रत्येक को एक दिन में 80 बोतल से अधिक दूध नहीं दिया जाता है। वे हिसाब लगा सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : घरों पर दूध पहुंचाने की प्रणाली से कितना दूध सप्लाई

किया जाता है ? जहां तक दूध के डिपुओं और घरों पर दूध पहुंचाने की प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली दूध की मात्रा का संबंध है, मुझे उनके आंकड़े नहीं मिले हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने पहले ही बताया है कि घरों पर दूध पहुंचाने वाले एजेंटों की संख्या 1301 है। वे 47,800 लिटर दूध सप्लाई करते हैं और डिपुओं से 2,37,000 लिटर दूध सप्लाई किया जाता है । मैंने उनके लिए हिसाब लगा दिया है ।

एक माननीय सदस्य : क्षेत्र कौन से है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आपके लिए पुस्तक छापने की जरूरत पड़ेगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या हमें उन क्षेत्रों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह एक पुस्तक छापें और दिल्ली के लोगों की जानकारी के लिए इसे सप्लाई करें । इसे सभा पटल पर रखा जाये ।

यह मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है । मन्त्री ने कहा है कि दुग्ध डिपो पर पर्याप्त मात्रा में दूध वितरित किया जा रहा है । परन्तु यह सत्य है कि गर्मी के दिनों में, जैसाकि स्वयं आपको भी पता होगा, दूध की पूर्ति, कम होती जा रही है । गर्मी के दिनों में दूध की पूर्ति सामान्य और पर्याप्त नहीं होती ।

सारा का सारा दूध, अधिकांशतः इसका 90 प्रतिशत विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है चाहे वह बोतल का दूध है या दुग्ध-पाउडर । समझौते के अनुसार, डबल टोन्ड दूध लोगों को दिया जाना है ताकि जनसंख्या का सबसे गरीब वर्ग लाभान्वित हो सके । इसके बावजूद दूध की पूर्ति पर्याप्त नहीं है ।

इसका अधिकांश भाग डबल-टोन्ड भी नहीं है । अतः गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं उनको विश्व खाद्य कार्यक्रम का वास्तव में लाभ नहीं हो रहा है । इस प्रकार विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य समाप्त हो जाता है और अधिक साधन सम्पन्न व्यक्ति ही लाभान्वित हो पाते हैं क्योंकि केवल वे लोग ही इस दूध को खरीद पाते हैं जिसमें अधिक वसा तत्व होता है ।

यह स्थिति होते हुए क्या माननीय मन्त्री यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक डबल टोन्ड गए दूध की पूर्ति करके विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो ताकि गरीब लोग लाभान्वित हों ?

सभापति महोदय : यह बहुत ही लम्बा प्रश्न है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस समय बहुत ही कम मात्रा में डबल टोन्ड दूध का उत्पादन किया जा रहा है । जहां तक मुझे जानकारी है जितने भी डबल टोन्ड दूध का उत्पादन

किया जा रहा है उसकी पूर्ति संस्थाओं के माध्यम से गरीब लोगों के लिए तथा स्थानीय निकायों के द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए की जाती है ।

चीनी का उत्पादन

*111. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मौसम में देश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा थी और यदि हां, तो कितना उत्पादन होने की;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान आन्तरिक खपत कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) फालतू चीनी की बिक्री के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पिछले मौसम (अर्थात् अक्तूबर, 1980 से सितम्बर, 1981 तक) में चीनी का उत्पादन 51.43 लाख मीटरी टन हुआ था जबकि 1979-80 मौसम में उत्पादन 38 59 लाख मीटरी टन हुआ था । तथापि, 1980-81 मौसम में 51.43 लाख मीटरी टन का हुआ उपर्युक्त उत्पादन 1977-78 में 64.62 लाख मीटरी टन के हुए रिकार्ड उत्पादन और 1978-79 में 58.44 लाख मीटरी टन के हुए उत्पादन की तुलना में कम था ।

(ख) और (ग) 1980-81 मौसम के प्रारम्भ में 6.82 लाख मीटरी टन का पिछला बचा स्टाक होने से तथा उक्त मौसम में 51.43 लाख मीटरी टन का उत्पादन होने और 2.14 लाख मीटरी टन का आयात करने से चीनी वर्ष 1980-81 में कुल उपलब्धता केवल 60.39 लाख मीटरी टन थी, जोकि 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में क्रमश: 80.86 लाख मीटरी टन, 91.80 लाख मीटरी टन और 61.75 लाख मीटरी टन की उपलब्धता से कम थी । कुल मिलाकर चीनी वर्ष 1980-81 में चीनी की कम उपलब्धता होने के कारण और उसके सन्दर्भ में सूझ-बूझ के साथ चीनी की मासिक निर्मुक्ति करने से उक्त वर्ष में चीनी की आन्तरिक खपत कुछ हद तक कम हुई थी अर्थात् 49.80 लाख मीटरी टन हुई थी जबकि चीनी वर्ष 1979-80 में खपत 52.03 लाख मीटरी टन हुई थी ।

(घ) 1.10.1981 को चीनी फैक्ट्रियों के पास पिछले बचे समस्त स्टाक और आयातित चीनी के प्रमुख भाग को अक्तूबर और नवम्बर, 1981 के दौरान आन्तरिक खपत के लिए पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है । आयातित चीनी की लगभग 39400 मीटरी टन की शेष मामूली मात्रा को दिसम्बर, 1981 के लिए आन्तरिक खपत के लिए भी निर्मुक्त किया गया था ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह वास्तव में एक व्यापक उत्तर है। मैं माननीय सदस्य को जनता शासन के दौरान 38 टन के उत्पादन को बढ़ाकर एक वर्ष में 52 टन करने के लिए बधाई देता हूं, इस वर्ष हम लगभग 70 लाख टन के उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। जबकि हमारी वास्तविक खपत केवल लगभग 52 लाख टन है और इस वर्ष हमारा उत्पादन 70 लाख टन से ज्यादा होगा तो मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त चीनी का वह क्या करने जा रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमें अतिरिक्त चीनी का निर्यात करने तथा सुरक्षित भण्डार में रखने में बड़ी खुशी होगी तथा मुक्त बाजार में अधिक मात्रा में चीनी की पूर्ति की जाएगी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : इस वर्ष वास्तव में ही उत्पादन बहुत अधिक होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह चीनी मिलों तथा गन्ना उत्पादकों को गिरते हुए मूल्यों से सुरक्षा देने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। यदि चीनी की निकासी अविवेकपूर्ण हुई तो गन्ना उत्पादकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि चीनी की निकासी के बारे में क्या नीति है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : चीनी की निकासी की नीति पिछले वर्ष जैसी ही रहेगी। हमें आशा है कि निकाली जाने वाली लेवी चीनी की मात्रा हाल की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुसार बढ़ जाएगी। मुझे आशा है कि यह जानकर सदस्यों को खुशी होगी तथा मुक्त बिक्री की मात्रा बाजार की प्रवृत्ति के अनुसार विनियमित की जाएगी। हम मूल्यों को अधिक ऊपर नहीं जाने देंगे और न ही मूल्यों को इतना गिरने देंगे कि मिलों को हानि हो।

श्री जनार्दन पुजारी : गत वर्ष 21.36 लाख टन का बचा हुआ भंडार था। इस वर्ष यह केवल 6.6 लाख टन है। आयातों सहित सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए क्या कदम उठ ए गए हैं ? तस्करी को रोकने अर्थात् चीनी को देश के बाहर पाकिस्तान ले जाए जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि माननीय सदस्य देश के किसी भी छोर से हो रही तस्करी के विषय में कोई विशेष सूचना दें तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूंगा।

केवल छः लाख टन का पिछला भंडार होने का कारण यह था कि पिछले वर्षों में कम उत्पादन हुआ।

माननीय सदस्य को मालूम है कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, स्थिति में सुधार हो रहा है। इस वर्ष हमें गन्ने की अच्छी फसल होने व चीनी का भारी उत्पादन होने की आशा है।

श्री जनार्दन पुजारी : आयातों के बारे में क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आयात क्यों ? यदि अतरिक्त चीनी फालतू हुई तो हम इसका निर्यात करेंगे ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, चीनी के उत्पादन में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहा है और होता रहेगा । इसका सम्बन्ध गन्ना से भी है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह जो उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है, कभी इम्पोर्ट की बात आती है, कभी किसान का आन्दोलन चलने लगता है, इसको देखते हुए क्या सरकार ने भविष्य के लिए कोई ऐसी योजना या कार्यक्रम तैयार किया है जिससे इसके उत्पादन में भी और दाम में भी एकरूपता रहे और गन्ना और चीनी दोनों का विवाद खत्म हो सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : लोकदल लीडर ने उतार चढ़ाव की वजह से जो सबक हमें सिखाया वह हमेशा याद रहेगा । उससे हम फायदा उठाएंगे और हम वह हालत नहीं होने देंगे ।

श्री राम विलास पासवान : यह लोकदल की बात नहीं है और न प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के किसान रैली की बात है । मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमें यह सुनिश्चित करने का पूरा ख्याल है कि भविष्य में गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलें ताकि गन्ने की उपज पुनः इतनी कम न हो जाए जितनी कि पिछले दो-तीन वर्षों में हो गई थी । अतः माननीय सदस्य का भय बिल्कुल निराधार है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

समुद्री तूफान में फसलों को क्षति

*101. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री डी०एम० पुत्ते गौडा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से गुजरात में हाल के समुद्री तूफान से फसलों को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ख) तूफान से प्रभावित किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्रसिंह) (क) भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तेज तूफानी हवाओं वाले भयंकर समुद्री तूफान

ने 1 नवम्बर की लगभग आधी रात को मंगरोल के पास सौराष्ट्र के समुद्री तट को प्रभावित किया तथा 2 नवम्बर की प्रातः यह पोरबन्दर व जामनगर के बीच समुद्री तूफान के रूप में केन्द्रित रहा। इसके बाद यह कमजोर पड़ गया तथा इसका दवाब कम हो गया और राजस्थान को पार करता हुआ यह तेजी से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ा और 4 नवम्बर, 19.1 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में समाप्त हो गया। गुजरात सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में इस समुद्री तूफान से हुई क्षति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

प्रभावित जनसंख्या	54 लाख
मृतक व्यक्तियों की संख्या	14
मृत पशुओं की संख्या	13,942
प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	11,84,900 हैक्टर
ढह गयीं झोंपड़ियों की संख्या	1128
क्षतिग्रस्त झोंपड़ियों की संख्या	8686
ढह गए मकानों की संख्या	677
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	6034
मछुआरों की नौकाओं, जालों, साल्ट पैन आदि की क्षति	56.38 लाख रुपए
सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे सड़कों, सिंचाई के निर्माण कार्यों, सरकारी भवनों आदि का अनुमानित मूल्य	783.63 लाख रुपए

देश के अन्य भागों से क्षति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) गुजरात सरकार से क्षति एवं वांछित केन्द्रीय सहायता के बारे में विस्तृत ज्ञापन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार क्षति व स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु वहां एक केन्द्रीय दल भेज सके।

गुजरात सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने हाल ही में 5 करोड़ रुपए की साधनोपाद अग्रिम राशि मंजूर की। इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार को कृषकों हेतु कृषि आदानों के क्रय व वितरण के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में 8 करोड़ रुपए (खरीफ के लिए 5 करोड़ रुपए तथा रबी के लिए 3 करोड़ रुपए) की राशि भी मंजूर की गई है।

राजस्थान में रेगिस्तान के फैलाव की रोकथाम

*102. **आचार्य भगवान देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशान्त तथा एशियाई देशों सम्बन्धी आर्थिक और सामाजिक संगठन द्वारा

हाल में जोधपुर (राजस्थान) में आयोजित वर्कशाप में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए क्या निर्णय लिए गए;

(ख) क्या यह सच है कि चार वर्ष पूर्व ऐसी ही वर्कशाप में लिए गए निर्णय अभी तक लागू नहीं किए गए;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने राजस्थान में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा दिसम्बर, 1974 में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में, वर्ष 1977 में नैरोबी में मरुक्षेत्र के बढ़ने पर एक सम्मेलन किया गया था जहां पर मरुक्षेत्र के फैलाव से लड़ने के लिए एक समग्र और समन्वित वैश्विक कार्य योजना तैयार की गई थी। बाद की कार्यवाही के तौर पर प्रशांत और एशियाई देशों में आर्थिक और सामाजिक संगठन की सहायता से यह क्षेत्रीय कार्यशाला नैरोबी सम्मेलन द्वारा संस्तुत कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा भावी कार्यक्रमों का सुझाव देने के लिए दि० 20-23 अक्तूबर, 1981 को जोधपुर (राजस्थान) में आयोजित की गई।

इस क्षेत्रीय कार्यशाला की प्रारूप कार्यवाही और सिफारिशें अन्तिम रूप दिए जाने के लिए बैंकाक, थाईलैण्ड स्थित "प्रशान्त और एशियाई देशों में आर्थिक और सामाजिक संगठन" के मुख्यालय में अनिर्णीत पड़ी हैं। प्रमुख निष्कर्षों में सम्मिलित हैं—मरुक्षेत्र के फैलाव का सर्वेक्षण और निदान, प्रत्येक परिस्थिति के लिए अलग-अलग उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास, अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का संचालन और मूल्यांकन और देश के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय समितियों की स्थापना। प्रौद्योगिकी की विदों को प्रशिक्षण देने तथा क्षेत्र के देशों से सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों की पहचान की भी सिफारिश की गई है। इसका भी समर्थन किया गया है कि अनुपंगी कार्यक्रमों से सम्बन्ध रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से निकट सम्पर्क स्थापित किया जाय।

इस कार्यशाला ने यह भी सुझाव दिया है कि क्षेत्र में आने वाले देश, विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से उपलब्ध सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, वर्ष 1977 में हुए मरुक्षेत्र के फैलाव पर राष्ट्र संघ के सम्मेलन द्वारा की गई मरुक्षेत्र के फैलाव को रोकने की अधिकांश प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) मरुक्षेत्र के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे प्रमुख पगों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जोधपुर में, केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है जो देश के मरुक्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तैयार करने पर गहन अनुसंधान चला रहा है।

   —विगत ढाई दशक के दौरान, केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने, न केवल मरू दशाओं को नियन्त्रित करने पर बल्कि इनका फिर से इस प्रकार से सुधार करने के लिए अनेक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जिससे उत्पादकता बढ़े और इन भूमियों की उर्वरता फिर से उत्पन्न हो।

2. ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय भी एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और एक मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें सिंचाई विकास, भूमि संरक्षण, वन रोपण और चरागाह विकास आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। पहला कार्यक्रम 1970-71 से तथा दूसरा 1978 से चालू है।

   — बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत, सिंचाई, भूमि संरक्षण, वन-रोपण और चरागाह विकास में क्रमशः 0.50 लाख, 20 लाख तथा ,075 लाख हैक्टर क्षेत्र लिए गए हैं।

   —मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 तक मरुक्षेत्रीय टीबों के स्थिरीकरण का कार्य लगभग 2000 हैक्टर पर, चरागाह विकास लगभग 4000 हैक्टर पर तथा वन रोपण लगभग 12000 हैक्टर पर किया गया है।

खाद्य तेल का आयात

*110. **श्रीमती संयोगिता राणे :**

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनस्पति उत्पादक एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातित तेलों की कितनी आवश्यकता है;

(ख) खाद्य तेल के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई तथा देश में खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार देश में वनस्पति एककों की उत्पादन क्षमता किस प्रकार बढ़ाएगी और इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्रसिंह) (क) वनस्पति उद्योग के लिए अपेक्षित आयातित खाद्य तेलों की मात्रा कई एक बातों पर निर्भर करती है, जिनमें देश में खाद्य तेलों का उत्पादन तथा उनकी उपलभ्यता और आयातित तेलों के मूल्य तथा उनकी उपलभ्यता आदि भी शामिल है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान खाद्य तेलों का आयात करने पर 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। सरकार ने देश में खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए निम्नांकित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं :

1. तिलहनों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना तथा खाद्य तेलों के गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करनेके लिए सुनियोजित प्रयास करना।
2. खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक आयातित तेल निर्मुक्त करना।
4. वनस्पति का उत्पादन निरन्तर बनाए रखना।
5. भण्डारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य कानूनों को सख्ती से लागू करना।

(ग) देश में वनस्पति उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रश्न, देश में वनस्पति बनाने के काम आने वाले खाद्य तेलों, विशेषकर गैर-पारस्परिक तेलों, की उपलभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। तथापि, वर्तमान स्थिति की बाध्यताओं के भीतर नई क्षमता सृजित करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

लेवी चीनी का निर्गम मूल्य

*12. श्री चित्त बसु :

श्री विजय कुमार यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेवी चीनी का निर्गम मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने 5 जोनों में लेवी चीनी का कारखाना द्वार मूल्य कम करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो वे जोन कौन-कौन से हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इसके [illegible] क्यों बना हुआ है; और

(च) क्या यह भी सच है कि खाद्य विभाग ने भी लेवी चीनी का कारखाना द्वार मूल्य कम करने का निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) लेवी चीनी के अखिल भारत औसत निकासी मूल्य में वृद्धि होने, उसके फलस्वरूप उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने और चीनी पर विकास उप-कर लगाने के कारण 15 नवम्बर, 1981 से लेवी चीनी के निर्गम मूल्य को 3.50 रुपए से बढ़ाकर 3.65 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है।

(ग) और (घ) छः जोनों अर्थात् पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा नागालैंड के संगठित जोन के बारे में 1981-82 के लिए लेवी चीनी के आंके गए निकासी मूल्य 1980-81 में इन्हीं जोनों के लिए निर्धारित किए गए संबंधित मूल्यों से कम हैं।

मूल्यों में कमी करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) जी हाँ, जहां तक इसका 8.5 प्रतिशत की रिकवरी से सम्बन्ध है।

(च) जी नहीं।

नांगौर (उड़ीसा) में मत्स्य पत्तन का निर्माण

113. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उड़ीसा में नागौर (अस्टांरग) में मत्स्य पत्तन के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रस्ताव समेकित मत्स्यग्रहण परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है;

(ग) उपरोक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में अनुमानतः कितना समय लगेगा; और

(ङ) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ। द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत।

(ग) मात्स्यकी पत्तन की अनुमानित लागत 254 लाख रुपए है।

(घ) परियोजना की स्वीकृति की तारीख से लगभग तीन वर्ष के अन्दर निर्माण-कार्य के पूरे हो जाने की संभावना है।

(ङ) परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव यूनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों को सितम्बर, 1981 में उनकी मंजूरी के लिए भेजे गए थे । यू०के० सरकार ने अब शीघ्र ही एक मिशन को भेजने का विचार किया है ।

सरकारी क्वार्टरों का उचित रख-रखाव

*114. **डा० ए०यू० आजमी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्वार्टरों का उचित और संतोषजनक ढंग से रख-रखाव करने के लिए आबंटित धनराशि का प्रयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप कई वर्षों तक सभी बड़े काम न करने के मुख्य कारण और परिस्थितियां क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सुधार करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह मान लेना उचित नहीं है कि सरकारी क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए आबंटित निधियों का उपयोग उचित तथा संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा रहा है । सरकारी क्वार्टरों का रख रखाव संसाधनों के नियंत्रण के भीतर किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी आवास पर अवैध कब्जा

*115. **श्री नेहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ क्वार्टरों पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन घरों में बिजली और पानी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) पुनर्विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्वार्टरों को गिराने के लिए खाली करवाया गया था । खाली करवाने के समय, पानी और बिजली के मीटर तथा फिटिंगों को हटवा दिया गया था । इन क्वार्टरों में से कुछ क्वार्टरों के दखलकारों ने बिजली/पानी के कनैक्शन ले लिए हैं । इन अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है ।

वैगनों से माल को विलम्ब से उतारने के कारण हुई हानि

*116. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री० जी०वाई० कृष्णन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साल्ट कोटर्स गुड्स यार्ड मद्रास में चावल से लदे वैगनों से माल उतारने और उन्हें खाली करने में विलम्ब करने से चावल के क्षतिग्रस्त होने के साथ भारतीय खाद्य निगम को भारी हानि उठानी पड़ी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस चूक के कारण भारतीय खाद्य निगम को कितनी हानि हुई है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) यह सही है कि 27 और 29 अक्तूबर, 1981 को साल्ट कोटर्स मद्रास में वैगनों से चावल का स्टाक उतारने और उन्हें खाली करने में विलम्ब हुआ था। तथापि, चावल के स्टाक को कोई क्षति नहीं पहुंची थी।

(ख) इस कारण से भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

1.	डेमरेज	11,185/- रुपये
2.	वारफेज	33,728/- रुपये
3.	अतिरिक्त हैण्डलिंग और परिवहन प्रभार	19,537/- रुपये
	जोड़	64,450/- रुपये

साल्ट कोटर्स गुड्स शेड में वैगनों से माल उतारने और बाद में उतारे गए स्टाक को सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को भेजने का कार्य शहर में भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों में भण्डारण स्थान उपलब्ध न होने के कारण सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के ठेकेदार को सौंपा गया था। वैगनों से माल उतारने तथा अनुमेय मुक्त समय के अन्दर-अन्दर रेलवे परिसरों के स्टाक को उठाने में हैण्डलिंग और परिवहन ठेकेदार के असफल रहने के कारण हानि उठानी पड़ी थी। ठेकेदार के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के ठेकेदार से हानि की राशि वसूल करने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य तेल का उत्पादन

*117. श्री अर्जुन सेठी :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल वर्ष 1980-81 के दौरान खाद्य तेलों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य तेलों की अल्पावधि उपलब्धता और दीर्घावधि में उच्चतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। 1979-80 के 24.4 लाख मीटरी टन की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन 25 लाख मीटरी टन से अधिक होने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में खाद्य तेलों की उपलभ्यता में सुधार लाने तथा इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कई अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

1. खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना;
2. आयातित तेलों की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी रखना;
3. कुछ मानदण्डों के अनुसार वनस्पति उद्योग को आयातित तेल की सप्लाई जारी रखना;
4. भण्डारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य सम्बन्धित कानूनों को कड़ाई से लागू करना;
5. पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक तिलहनों तथा तेलों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना;
6. अब तक प्रयोग में न लाए गए तिलहनों, जो पहले से ही उपलब्ध हैं, के उपयोग द्वारा तेल के उत्पादन को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए सुनियोजित प्रयास करना;
7. देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कई स्कीमें शामिल की गई हैं। इनमें सोयाबीन संसाधन की सुविधाएं तैयार करने, आदिवासी

क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों का विकास तथा संसाधन करना, आधुनिक तेल उद्योग समूहों की स्थापना करना आदि ।

कृषि सेवा केन्द्र योजना

*119. **प्रो० मधु दण्डवते :**

श्री हरि नाथ मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 1971 में चलाई गई 'कृषि सेवा केन्द्र योजना' प्रभावी तौर से कार्यान्वित नहीं की गई है जिससे इस योजना के संभावित लाभों से छोटे और सीमांत किसान, भूतपूर्व सैनिक कृषि स्नातक और इंजीनियर वंचित रह गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या ठोस और समयबद्ध उपाए किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

गुजरात की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

*120. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र को भेजी गई सिंचाई परियोजनाओ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा किसी परियोजना पर स्वीकृति दी गई है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गुजरात राज्य के विकास के लिए इन पर कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात सरकार से 28 सिंचाई परियोजनाएं (12 वृहद और 16 मध्यम) योजना आयोग को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थीं । उनमें से 11 परियोजनाएं (एक वृहद और 10 मध्यम) योजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं । एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया

है जिसमें इन 28 परियोजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—2974/81]

शेष 17 परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और लागत कार्यसाधकता सिद्ध हो जाने और अन्तर्राज्यिक पहलुओं के संतोषजनक ढंग से हल हो जाने के बाद ही उन्हें स्वीकृति दी जा सकती है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

1151. **श्री के०ए० राजन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के पास विकलांग वर्ष में विकलांगों के पुनर्वास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि नई दिल्ली नगर पालिका के पास विकलांगों को दुकानों/कुदकों के आवेदन हेतु आवेदन-पत्र काफी समय से लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आवेदकों को बुलाने और दुकानों का आबंटन कर उनको पुनर्वास में मदद करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके पास पुनर्वास की ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, विकलांगों को रोजगार, रिहायश आवास तथा कियास्क/स्टालों इत्यादि के आवंटन के मामले में विभिन्न लाभ मंजूर किए गए हैं।

(ख) ये लाभ ये हैं :

1. विभिन्न पदों की भर्ती के लिए 3 प्रतिशत का आरक्षण
2. रिहायशी आवास का तदर्थ आवंटन
3. मार्गों के किनारे के कियास्क तथा स्टालों के आबंटन में 5 प्रतिशत का आरक्षण
4. विकलांग व्यक्तियों को आवंटन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका की भूमि पर टेलीफोन बूथों का निर्माण।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उप-राज्यपाल

द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार कियास्क इत्यादि के आवंटन के लिए विकलांग व्यक्तियों से प्राप्त हुए सभी प्रार्थना पत्रों की जांच एक राज्य स्तर की समिति द्वारा की जानी है तथा इस समिति की सिफारिशों पर आवंटन किए जाएंगे ।

स्वतन्त्रता आंदोलन के शहीदों के लिए स्मारक

1152. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के शहीदों के स्मारक का निर्माण करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार यह निर्माण कब से शुरू करने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) 1857 से 1947 तक की अवधि में स्वतन्त्रता संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में विलिंगडन क्रिसेन्ट, नई दिल्ली में एक शहीद स्मारक स्थापित किया जा रहा है ।

स्मारक में 11 प्रतिमाएं हैं जिनको स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए गाँधी जी के नेतृत्व में मार्च करते हुए दिखाया गया है ।

(ग) स्मारक स्थापित करने का कार्य पहले ही प्रगति पर है ।

मछली पकड़ने के लिए उपयोग में लाए जा रहे बन्दरगाह

1153. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मछली पकड़ने के लिए उपयोग में आने वाले बन्दरगाहों के नाम क्या हैं;

(ख) मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) बन्दरगाहों में मछुआरों को दी जा रही अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में मत्स्य पत्तनों के रूप में और पत्तनों का विकास करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) निम्नलिखित स्थानों पर मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण किया गया है अथवा के निर्माणधीन हैं :

1. गुजरात
   - वेरावल
   - मंगरौल
   - पोरबन्दर
2. महाराष्ट्र
   - सासुन बन्दरगाह (बड़ा बन्दरगाह)
   - रत्नागिरी
3. कर्नाटक
   - माल्पे
   - होन्नावर
   - मंगलौर
4. केरल
   - कोचीन (बड़ा बन्दरगाह)
   - विझिजम (प्रथम चरण)
   - नीडाकर
5. तमिलनाडु
   - मद्रास (बड़ा बन्दरगाह)
   - टुटीकोर्न
6. आंध्र प्रदेश
   - विशाखापटनम (बड़ा बन्दरगाह)
   - काकीनाड़ा
   - निजामपटनम
   - भावनापडु
7. उड़ीसा
   - धामरा
8. पश्चिम बंगाल
   - राय चौक (बड़ा बन्दरगाह)
9. अन्दमान व निकोबार
   - पोर्ट ब्लेयर

ये परम्परागत मत्स्यन केन्द्र हैं जहां मत्स्यन नौकाएं परिचालित होती हैं।

इसके अतिरिक्त, मछली उतारने के बहुत से स्थलों पर मछली उतारने के छोटे केन्द्रों की व्यवस्था की गई है।

(ख) तथा (ग) मत्स्य पत्तनों में आमतौर पर ये सुविधाएं मुहैय्या होती हैं :

माल उतारने के प्लेटफार्म की सुविधाएं जैसे जैट्टी/घाट, मरम्मत की सुविधाएं, नीलामी हाल, वर्फ तथा शीतागार, जल तथा इंधन की आपूर्ति तथा अन्य तटीय व्यवस्था।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) निम्नलिखित केन्द्रों पर सर्वेक्षण किया गया है :

महाराष्ट्र
अगरडांडा
सतपति
कर्नाटक
कारवार (दूसरा चरण)
टंड्री
केरल
विझिंगम (दूसरा चरण) 5 आगे संसाधन संबंधी सर्वेक्षण किया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश
कृष्णपटनम
उड़ीसा
अस्ट्रांग (नौगर)
पश्चिम बंगाल
दिघा
तमिलनाडु
वल्लीनोक्कम
चिनामुट्टम
पझियार
टोंडी
संघ राज्य क्षेत्र
पोर्ट ब्लेयर (दूसरा चरण)
केम्बैल की खाड़ी
कन करनजलम

इन परियोजनाओं को मंजूर करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श करके जाँच की जाती है।

बड़े तथा छोटे पत्तनों पर उपर्युक्त बड़े बन्दरगाहों के अतिरिक्त, माल उतारने की छोटी-मोटी सुविधाएं दी जा रही हैं।

दिल्ली और इटावा के बीच जमुना नदी में जल प्रदूषण

1154. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमुना नदी का पानी प्रदूषित किया जा रहा है और दिल्ली तथा इटावा के बीच यह पानी इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि अब पीने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने पानी के शुद्धीकरण को उचित ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ, अशोधित अवस्था में ।

(ख) दिल्ली, मथुरा और आगरा के शहरों से अशोधित घरेलू आशिष्ट और गंदले का बहाया जाना इस नदी के जल प्रदूषण के मूलभूत कारण हैं ।

(ग) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड तथा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड सम्बन्धित नगर प्राधिकरणों को मल तथा गन्दले का शोधन या रोकने के लिए तथा बिना उचित शोधन के इसको नालों द्वारा यमुना में न बहाए जाने के लिए कह रहे हैं ।

गन्दले को रोकने, मल निर्यास प्रबन्धों की व्यवस्था करने और मल शोधन संयंत्रों की शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा कई अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय किए जा रहे हैं जिनके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 60 60 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

महाराष्ट्र में फालतू जमीन का पता लगाना

1155. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में (क्षेत्रवार) अब तक कुल कितनी फालतू जमीन का पता लगाया गया है और कुल कितनी जमीन का कब्जा लिया गया है;

(ख) राज्य में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को अब तक कुल कितनी जमीन बांटी गई है; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के भूमि-हीन मजदूरों को कुल कितनी जमीन बांटी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) 31.5.1981 तक महाराष्ट्र के संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानून के अन्तर्गत लगभग 3.7 लाख एकड़ क्षेत्र को फालतू घोषित किया गया था। लगभग 2 82 लाख क्षेत्र को कब्जे में लिया गया तथा वितरित किया गया था। सूचना राज्यवार एकत्र की जाती है न कि राज्यों के अन्तर्गत प्रदेश अथवा क्षेत्रवार।

(ग) वितरित की गई अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के कुल क्षेत्र में से 92,294 एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों से संबंधित भूमिहीन श्रमिकों, 51,072 एकड़ भूमि अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित भूमिहीन श्रमिकों तथा 1,38,220 एकड़ भूमि अन्य लोगों जिनमें पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी शामिल हैं, में वितरित की गई।

उड़ीसा को मत्स्य नौकाएं खरीदने के लिए राशि

1156. **श्री आनादिचरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मन्त्रालय ने पिछले पाँच सालों में उड़ीसा सरकार की मत्स्य नौकाएं खरीदने के लिए कितनी राशि दी है;

(ख) उड़ीसा ने इस अवधि में कुल कितनी मत्स्य नौकाएं खरीदीं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय के पास तटीय राज्यों में मछली पकड़ने को सुचारू बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय के पास उड़ीसा को चालू वर्ष के दौरान मत्स्य नौकाएं खरीदने के लिए अतिरिक्त धन देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) उड़ीसा सरकार को मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद करने के लिए 31.30 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रकार के नावों के प्रचालन क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए कानून बनाने हेतु एक माडल विधेयक की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से सिफारिश की थी इसके आधार पर केरल, गोवा तथा महाराष्ट्र की सरकारों ने अपेक्षित कानून पारित किया है। उड़ीसा सरकार ने विधेयक की प्रवण समिति को भेजा है। अन्य समुद्र तटीय राज्य सरकारें विधेयक बनाने के लिए कदम उठा रही हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

तीन वर्षीय ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम

1157. **श्री मन मोहन टुडु** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर करने के लिए तीन वर्षीय ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम लागू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या सभी राज्यों में ऐसा तीन वर्षीय ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम लागू करने का विचार है; और

(ग) यह कार्यक्रम कब तक लागू किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) छठी योजना (1980-85) में गरीबी को दूर करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक मुख्य कार्यक्रम है जिसे 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी विकास खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 15.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है और इसका उद्देश्य छठी योजना अवधि के दौरान 15 मिलियन से अधिक परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर आय स्तर प्राप्त करने में सहायता पहुंचाना है। सहायता पहुंचाए जाने वाले परिवारों में कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से लिए जाएंगे। यह कार्यक्रम पहले ही सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और यह सम्पूर्ण छठी योजना अवधि के दौरान जारी रहेगा।

चन्दन की लकड़ी का बीमारी से बचाव

1159. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मयूर के चन्दन की लकड़ी के भंडारों को बड़ी तेजी से फैल रही किसी बीमारी से खतरा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चन्दन की लकड़ी को बीमारी से बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या तामिलनाडु में चित्तेरी के चन्दन की लकड़ी के भंडार के लिए भी ऐसा कोई खतरा है; और

(घ) भारत में चन्दन की लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और 1978 से इस मद पर वर्ष-वार कुल कितना खर्च किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क

1160. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क कहां और किन नामों से बनाए हैं और अब तक उनके विकास में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : अभी तक राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों के भागों में एक राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क बनाया गया है। पार्क से सम्बन्धित व्यय को मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा किया गया है जिसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर निधियां जुटाई जाती हैं। पार्क पर जून, 1981 तक लगभग 29 लाख रुपये का व्यय हुआ था।

न्यू आजादपुर के फलों की और सब्जी के बाजार के कामगारों के लिए राशन कार्ड

1161. **प्रो० नारायण चंद पराशर :** क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि न्यू आजादपुर की फलों और सब्जी मण्डी के कुछ कामगारों को दिल्ली प्रशासन ने राशन कार्ड नहीं दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) कुछ समय पहले कृषि उत्पाद विपणन समिति के प्रशासक द्वारा न्यू आजादपुर फल और सब्जी मण्डी, दिल्ली के कुछ कामगारों का खाद्य कार्डों का अनुरोध दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के ध्यान में लाया गया था। अब तक दिल्ली प्रशासन द्वारा इन कामगारों को 159 अस्थायी खाद्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 53 को स्थायी खाद्य कार्डों के रूप में बदला जा चुका है। मण्डी के शेष कामगारों को कृषि उत्पाद विपणन समिति के सत्यापन पर खाद्य कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं।

धनबाद में चल रही सिंचाई परियोजनाएं

1162. **श्री ए०के० राय :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1981 को बिहार के धनबाद जिले में कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चल रहीं थीं उनके नामों और स्थानों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ग) कितनी स्वीकृत परियोजनाओं पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है;

(घ) ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो क्षेत्रीय संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावित की गई परन्तु लम्बित है; और

(ङ) निर्धारित समय के कार्यक्रम के अन्तर्गत धनबाद जिले को सिंचाई योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) धनबाद जिले में केवल खुडिया वीयर स्कीम (मध्यम) ही परिचालित की जा रही है । इस स्कीम से 4130 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की योजना बनाई गई थी, परन्तु उसकी तुलना में 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध हुई है ।

(ख) केवल एक स्कीम-गोवाई बराज परियोजना (मध्यम) विचाराधीन है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	अनुमानित लागत	213.30 लाख रुपये
2.	लाभ	5000 हैक्टेयर
3.	3/80 तक हुआ खर्च	193.30 लाख रुपये
4.	6/80 तक सृजित की गई क्षमता	4000 हैक्टेयर

(ग) ऐसी कोई स्कीम नहीं है ।

(घ) राज्य सरकार ने ऐसी किसी स्कीम के बारे में केन्द्र को सूचित नहीं किया है ।

(ङ) 'सिंचाई' राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा स्वयं तैयार, क्रियान्वित और वित्त-पोषित की जाती है । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय करना राज्य सरकार का काम है ।

भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थल

1163. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छठी योजना अवधि के अन्त तक भूमिहीन मजदूरों के लिए होने वाली आवास स्थलों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए कोई कार्यवाही की है, यदि हाँ, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में मुक्त दिए गए आवास स्थलों की प्रगति दर क्या है और आबंटित जमीन का मकान बनाने के लिए वास्तव में कितना उपयोग हुआ है; और

(ग) राज्यों को भूमिहीनों को अपना मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और यदि हाँ, तो वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान उड़ीसा को कितनी सहायता दी गई और इस अवधि में कितने मकान बनाए गए ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 1985 तक जिन ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवास सहायता की आवश्यकता होगी और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30 6.81 तक जिन परिवारों को आवास स्थल दिए गए हैं उनके राज्य-वार ब्यौरे **संलग्न विवरण** में दिए गए हैं।

(ग) राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी एक क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं होती है। राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा अग्रताओं को देखते हुए इस सहायता का उपयोग करने में सक्षम है।

उड़ीसा में आवास स्थल व आवास निर्माण सहायता योजना के अंतर्गत 30.6.81 तक उड़ीसा में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को दिए गए मकानों की संख्या 13,891 है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1985 तक भूमिहीन परिवारों की संख्या (हजारो में)	30.6.81 तक आवास स्थल आबंटित परिवारों की संख्या (हजारों में)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1,960	1,268
2. असम	280	41
3. बिहार	2,400	35 730 (क)
4. गुजरात	610	445
5. हरियाणा	320	224
6. हिमाचल प्रदेश	नगण्य	5
7. जम्मू और कश्मीर	20	6
8. कर्नाटक	1,200	911
9. केरल	270	43
10. मध्य प्रदेश	1,110	757
11. महाराष्ट्र	450	399

1	2	3
12. उड़ीसा	510	198
13. पंजाब	350	295
14. राजस्थान	1,040	854
15. तामिलनाडु	1,840	839
16. त्रिपुरा	50	38
17. उत्तर प्रदेश	1,610	1,237
18. पश्चिम बंगाल	340	283
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	10	1.3
चंडीगढ़	—	0.05
दादर तथा नागर हवेली	—	0.715
दिल्ली	10	12
गोवा, दमन तथा दीव	10	1.5
पांडीचेरी	10	12

(क) वास-स्थल किराया अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमणों के नियमितीकरण से।

टिप्पणी :—मणीपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्कम और अरुणचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना नहीं चल रही है।

दल-दल के क्षेत्र में धान उगाने पर शोध

1164. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सुन्दर बन के केनिंग टाउन के सेलाइन रिसर्च इन्स्टीट्यूट में दल-दल के क्षेत्र में चल रहे धान उगाने के शोध के क्या परिणाम निकले; और

(ख) इस बारे में इन्स्टीट्यूट की उपलब्धियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या उपाय किया गया है अथवा किया जा रहा है ताकि वे अपने खेतों में इसका प्रयोग करके धान के उत्पादन को बढ़ा सकें ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) विगत कुछ वर्षों के दौरान, केनिंग टाउन अनुसंधान केन्द्र (केन्द्रीय मृद लवणता अनुसंधान संस्थान का उप-केन्द्र) के विज्ञानियों ने सुन्दरबनों के कुछ भागों में मृद और भूमि-जल की विशेषताओं का अध्ययन किया है। लवणता को बढ़ने से रोकने के लिए इसने उपयुक्त पद्धतियों का भी विकास किया है, जैसे कि 1) मिट्टी की प्राकृतिक विशेषताओं में सुधार लाने के लिए घासपात का उपयोग, पानी और लवण का दो भिन्न प्रणालि२

में संचालन, 2) बहाव के लिए जल-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधानें और 3) धान की सफल फसल उत्पन्न करने के लिए सस्य विज्ञान और कृषि विज्ञान सम्बन्धी पद्धतियाँ।

क्योंकि सुन्दर बनों की मुख्य फसल धान है अतः केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान केन्द्र कैनिंग ने धान की लवण-सह प्रजातियों की छानबीन करने और इनका विकास करने में अधिक ध्यान दिया है। छानबीन के इस आधार पर, कुछ लवण-सह जनन रूपों (जीनोटाइप) की पहचान की है जिनके नाम हैं :—दामोदर, दासल, गेतू, लालरानी, ए०आर०सी० 10399, सदामोटा और नानसेल। तीन जननरूपों, अर्थात् दामोदर (सी०एस०आर०-1), दासल (सी०एस०आर०-2) और गेतू (सी०एस०आर०-3) के परीक्षण केनिंग के अतिरिक्त केशपुर (उड़ीसा), पनवेल (महाराष्ट्र) और डीगाड (राजस्थान) में भी किए गए और वे पर्याप्त आशाजनक पाये गए।

तमिलनाडु के कृषि विभाग द्वारा इन किस्मों को स्थानीय किस्म "पर 0-1" से अधिक अच्छा पाया गया।

इस संस्थान ने लवण-सहनशीलता और अधिक उपज क्षमता हेतु उत्प्रेरक प्रजनन किया और कल्टीवार आई०आर०-8 के दो चावल मुटंटों का पता लगाया जो 20-25 दिन पहले पकते हैं।

धान के उर्वरक अध्ययनों ने पोटाश को आधार में लगाने से किसी प्रतिक्रिया को नहीं दर्शाया। 66 प्रतिशत नेत्रजन जुताई के समय तथा शेष पत्तियों के कूथते समय लगाना लाभदायक है। पौधे के 15 सेन्टीमीटर × 15 सेन्टीमीटर फासले की तथा पूरी फसल के दौरान 15 सेन्टीमीटर पानी खड़े रहने की सिफारिश की गई है।

(ख) अनुसंधान केन्द्र, कैनिंग ने गोसाबा में एक परिचालन अनुसंधान प्रायोजना चलाई है जहां किसानों के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया है।

इस केन्द्र के विज्ञानीगण, जिला के स्तर के अधिकारियों को चावल उत्पादन का प्रशिक्षण देने तथा अगला विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपेक्षित मृदा, जल विज्ञान, जलवायु और फसलों से सम्बन्धित आंकड़े प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

सिद्ध प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए लोक शिक्षा परिषद, रामाकृष्ण मिशन आश्रम और बिधान चन्द्र राय कृषि विश्व-विद्यालय के साथ सहयोग किया जा रहा है।

तटीय लवणी मृदा के लिए उपयुक्त प्रबन्ध पद्धतियों में अपने एप्रेंटिसों को प्रशिक्षण देकर यह अनुसंधान केन्द्र सुन्दरबन विकास निगम के साथ सहयोग कर रहा है।

वन क्षेत्रों में रह रही जनसंख्या का रिकार्ड

1165. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वन क्षेत्रों में रह रही जनसंख्या के सांख्यकीय आंकड़ों का रिकार्ड रखा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वनों और पर्वतीय क्षेत्रों का आज तक राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनकी कुल जनसंख्या कितनी है;

(ग) उनके मंत्रालय ने काटे गए वनों के पुनः वनीकरण, और उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं और उन लोगों को बचाने के लिए क्या आवश्यक उपाय किए हैं, जिनका दैनिक जीवन वनों पर आधारित है, और

(घ) राज्यों ने जंगलों को कटाव से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है और जंगलों तथा जंगलों के आस-पास रहने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य-वार वन क्षेत्रों की सूचना, जो कि रखी जाती है, संलग्न विवरण में दी गई है । पहाड़ी क्षेत्रों और जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) तथा (घ) वनों का प्रबन्ध राज्यों द्वारा किया जाता है और उनका संरक्षण भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है । कुछ राज्यों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 से अलग अपने खुद के वन अधिनियम हैं । 1977 में "वनों" को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के पश्चात, भारत सरकार सारे देश में समान रूप से लागू होने वाला एक व्यापक वन कानून लागू करने के बारे में विचार कर रही है । इसी बीच 1980 में संसद ने वानिकी भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने पर राज्य सरकारों पर रोक लगाने वाला वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 पास किया । अधिनियम के अनुसार ऐसे विचलन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है । 1951-52 से 1979-80 के अन्त तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वनों के संरक्षण पर 7.79 करोड़ रुपए व्यय किए गए । छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु इस कार्य के लिए 19.81 करोड़ रुपए रख गए हैं ।

पुनर्वनीकरण और पेड़ लगाने के लिए 1951-52 से 1979-80 के बीच 241.02 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 356 लाख हैक्टार क्षेत्र में पेड़ लगाए गए । छठी पंचवर्षीय योजना में, 215 लाख हैक्टार क्षेत्र में पेड़ लगाने के लिए 452.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

जो लोग वनों में या उसके आस-पास रहते हैं और अपनी दैनिक जीविका के लिए वनों पर निर्भर करते हैं, अधिकांशतः आदिवासी हैं । वनों पर उनके परम्परागत अधिकार

और रियायतों को भली प्रकार माना गया है और एतत्सम्बन्धी रक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त वनों में विकासात्मक कार्यकलाप उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं।

लोगों की भावी आवश्यकताएं सुरक्षित रहें, इसके लिए बाहरी मदद से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ऐसी परियोजनाएं गुजरात और उत्तर प्रदेश में पहले से ही क्रियान्वित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक परियोजना अन्तिम रूप से स्वीकार की गई है और पश्चिम बंगाल के लिए परियोजना अन्तिम चरण में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर और हरियाणा के लिए भी परियोजनाएं तैयार की गई हैं, जो तैयारी के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 100 चुने हुए जिलों में, जो कि जलावन की लकड़ी की कमी से बुरी तरह ग्रस्त हैं, ग्रामीण जलावन की लकड़ी वाले वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी की एक योजना शुरू की है। केन्द्र के 50 करोड़ रुपए के योगदान से यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। राज्य इतनी ही राशि का योगदान देंगे।

विवरण

राज्य वन विभागों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वनों के तहत राज्य-वार क्षेत्र

राज्य	वर्ष 1980	(हजार हैक्टार)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		6409.2
असम		3070.8
बिहार		2923.2
गुजरात		1952.5
हरियाणा		163.7
हिमाचल प्रदेश		2119.0
जम्मू व कश्मीर		2188.6
कर्नाटक		3786.6
केरल		1112.0
मध्य प्रदेश		16389.0
महाराष्ट्र		6407.8
मणिपुर		1515.4
मेघालय		854.8
नागालैंड		287.6

1	2	3
उड़ीसा		6767.3
पंजाब		242.8
राजस्थान		3491.3
सिक्किम		260.0
तमिलनाडु		2179.1
त्रिपुरा		593.2
उत्तर प्रदेश		5139.2
पश्चिम बंगाल		1183.7
संघ राज्य क्षेत्र		
अण्दमान व निकोबार द्वीप समूह		714.5
दादरा और नगर हवेली		19.9
अरुणाचल प्रदेश		5154.0
दिल्ली		नगण्य
गोवा, दमन और द्वीव		105.3
मिजोरम		712.7*
		74,743.2

*केवल आरक्षित वन क्षेत्र

गेहुं की नई किस्म डी०डब्ल्यू० एल० 5023

1166. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की नई किस्म डी०डब्ल्यू०एल० 5023 को राज्य में उगाने की मंजूरी दी है जिसमें करनाल बंट के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप-मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) यह कठुआ गेहूं की किस्म उच्च उपज संभावना युक्त है तथा सोनालिका, डब्ल्यू० एल० 711, अर्जुन जैसी व्यापारिक किस्मों की अपेक्षा पीले भूरे रतुए तथा करनाल बंट के प्रति अधिक मात्रा में रोग रोधिता रखती है। यह जम्मू, पंजाब, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, पूर्वी हरियाणा तथा राजस्थान और दिल्ली के भागों में समय पर बुवाई, सिंचित तथा उर्वर दशाओं में व्यापारिक खेती के लिए उपयुक्त है ।

उत्तर पूर्वी राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

1167. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए भूमि का अधिग्रहण हो गया है; और

(ग) इन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कितने क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) शिलांग, कोहिमा, अगरतला तथा इम्फाल में पहले ही भूमि प्राप्त की जा चुकी है ।

(ग) निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित क्वार्टरों की संख्या निम्न प्रकार है :

	टाइप 'ए'	टाइप 'बी'	टाइप 'सी'
शिलांग	20	32	24
कोहिमा	8	16	40
अगरतल्ला	40	12	16
इम्फाल	4	16	16

भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को फालतू जमीन का वितरण

1168. **प्रोफेसर रूप चन्द पाल :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के नवीनतम अध्ययन से यह पता चला है कि विभिन्न राज्यों में पता लगाई गई फालतू भूमि में से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बहुत कम फालतू जमीन बांटी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य की फालतू जमीन और वितरित की गई जमीन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में लगभग 15.74

लाख हेक्टेयर (39.35 लाख एकड़) फालतू घोषित भूमि में से केवल 6.79 लाख हेक्टेयर (16.96 लाख एकड़) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण का उल्लेख किया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अंतर्गत वितरित क्षेत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	9,80,767	3,00,703
असम	5,80,140	3,16,784
बिहार	2,31,618	1,37,003
गुजरात	1,17,906	5,190
हरियाणा	27,355	17,956
हिमाचल प्रदेश	1,35,915	3,417
जम्मू तथा काश्मीर	—	—
कर्नाटक	1,36,321	52,477
केरल	1,18,272	52,311
मध्य प्रदेश	2,53,039	78,749
महाराष्ट्र	3,70,193	2,81,586
मणिपुर	1,029	—
उड़ीसा	1'40,505	1,00,931
पंजाब	49,324	12,511
राजस्थान	2,46,495	1,22,230
तमिलनाडु	78,149	56,934
त्रिपुरा	1,929	947
उत्तर प्रदेश	2,80,874	2,30,183
पश्चिम बंगाल	1,52,658	56,542
दादरा तथा नगर हवेली	8,958	3,406
दिल्ली	780	—
पांडिचेरी	2,527	837
	39,14,754	18,30,967

रोहिणी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजे का भुगतान

1169. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई जमीन के लिए किसानों को 2.40 रुपए प्रति गज की दर से मुआवजा दिया गया था;

(ख) क्या उपर्युक्त गांव की ही जमीन विकास करने के बाद नीलामी में 1300.00 रुपए प्रति गज की दर से बेची गई;

(ग) यदि हां, तो मूल्यों में इतने अन्तर के क्या कारण हैं;

(घ) कृषि योग्य भूमि का आवासीय भूमि में विकास करने पर क्या खर्च आता है;

(ङ) उपर्युक्त दर से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितना मुनाफा कमाया, और

(च) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूमि का अभी भी विकास किया जा रहा है और अब तक इसमें से कुछ भी नहीं बेचा गया है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विकास कार्य पूरी तरह से अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ङ) तथा (च) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिमलीपाल वन (उड़ीसा) में जलाने की लकड़ी के लिए पेड़ों की बिक्री

1170. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सिमलीपाल वन क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पेड़ काटे गए और जलाने की लकड़ी के बतौर उसे बेचे गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र की वन सम्पदा को बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गेहूं (राज्यवार) का उत्पादन और वसूली

1171. श्री अरुण कुमार नेहरू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन सालों में प्रत्येक राज्य के गेहूं के पैदावार और सरकारी वसूली के आंकड़े क्या हैं;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) गत तीन वर्षों के लिए गेहूं का राज्यवार उत्पादन तथा अधिप्राप्ति विवरण में दिया गया है।]

विवरण

गेहूं का उत्पादन तथा अधिप्राप्ति

(हजार मीटरी टन)

	उत्पादन			अधिप्राप्ति**		
	1978-79	1979-80	1980-81 (अन्तिम)	1978-79	1979-80*	1980-81* (31.11.81 को स्थिति)
असम	69	92	118	—	—	—
बिहार	2502	1884	2825	88	9	13
गुजरात	1192	1215	1298	नगण्य	—	—
हरियाणा	3398	3283	3600	1389	1003	1120
हिमाचल प्रदेश	398	273	283	2	नगण्य	नगण्य
जम्मू तथा कश्मीर	204	206	206	22	28	20
मध्य प्रदेश	3523	2155	3056	100	नगण्य	162
महाराष्ट्र	951	1006	931	—	—	—
पंजाब	7423	7896	7700	4200	4269	3761
राजस्थान	2874	2701	2390	301	17	10
उत्तर प्रदेश	11458	9895	13134	1883	522	1494
प० बंगाल	998	768	473	3	—	—
दिल्ली	116	118	118	12	4	—
अन्य	402	338	328	—	—	—
अखिल भारत	35508	31830	36460	8000	5852	6580

*अस्थायी **फसल वर्ष के अनुसार नगण्य = 500 मीटरी टन से नीचे

दिल्ली में खोली जाने वाली प्रस्तावित उचित मूल्य की दुकानें

1172. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में दिल्ली में खोले जाने वाली प्रस्तावित उचित मूल्य की दुकानों की जोन-वार संख्या क्या है जिसके लिए दिल्ली प्रशासन के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने आवेदन पत्र मांगे थे;

(ख) खाद्य जोन 21 और 39 में क्रमशः आबंटित/खोली जाने वाली और वास्तव में खोली गई दुकानों की संख्या कितनी है;

(ग) शेष दुकानों को आबंटित न करने के क्या कारण हैं; और तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) शेष दुकानें कब तक आवंटित की जाएंगी ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) वर्ष 1981 में दिल्ली में खोली जाने वाली प्रस्तावित उचित दर की दुकानों की जोन-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) व (ग) मण्डल संख्या 21 और 39 में आवंटित की गई और खोली गई दुकानों का ब्यौरा इस प्रकार है :

मण्डल सं०	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	खोली गई दुकानों की संख्या	शेष
21	39	22	17
39	20	16	4

मंडल संख्या 21 की 17 शेष रिक्तियों में से 11 रिक्तियों को पुनः अधिसूचित किया जा रहा है क्योंकि इस सम्बन्ध में पहले बहुत कम आवेदन प्राप्त हुए थे और दूसरी 6 रिक्तियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं । मण्डल संख्या 39 में 2 रिक्तियां समाप्त कर दी गई हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में अनाज के यूनिट पर्याप्त नहीं थे । जहां तक शेष 2 रिक्तियों का सम्बन्ध है, एक के बारे में प्राधिकार दिया जा चुका है, लेकिन लाइसेंसधारी के बीमार होने के कारण उचित दर की दुकान खोली नहीं जा सकी है । एक रिक्ति के मामले में, बार-बार विज्ञापन देने के बावजूद भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) मण्डल संख्या 21 की 6 रिक्तियों के प्रस्तावों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा । इन मंडलों की पुनः अधिसूचित की गई/पुनः अधिसूचित की जाने वाली

रिक्तियों के मामले में उचित दर की दुकानों का आवंटन आवेदन करने वाले आवेदकों, परिसरों की उपयुक्तता और उन आवेदकों द्वारा अन्य अपेक्षित शर्तों के पूरा किए जाने पर निर्भर करेगा ।

विवरण

मंडल/जोन सख्या	इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	वर्ष 1981 के दौरान अधिसूचित रिक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	भोलानाथ नगर, शाहदरा विश्वास नगर, विवेक विहार, झिलमिल कालोनी, आदि	52
2. तथा 43	रोहतास नगर, नवीन शाहदरा, जे०जे० कालोनी, सीलमपुर, ब्रह्मपुरी, गोकुलपुरी, करवल नगर आदि	67
3.	कैलाश नगर, गाँधी नगर, रघुवरपुरा I तथा II, गीता कालोनी, सीलमपुर गांव आदि ।	42
4.	राजगढ़ कालोनी, झील कुरंजा, कृष्णा नगर, शिवपुरी, रशीद मार्किट, अनारकली आदि ।	22
5.	राधेश्याम पार्क, शास्त्री नगर, शकरपुर, पटपड़गंज, गुरुनानक नगर, प्रीत नगर, दालुपुरा आदि ।	29
6.	सिविल लाईन्स, राजपुर रोड, कश्मीरी गेट, नया बाजार, श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग आदि ।	18
7.	रोशनारा रोड, पुल बंगश, आजाद मार्किट, पहाड़ी धीरज, तेलीवाड़ा और कुतुब रोड आदि ।	6
8.	सदर थाना रोड, शीदीपुरा, बस्ती हरफूल सिंह, कसाबपुरा, सराय खलील आदि ।	13
9.	इन्द्रलोक, शास्त्री नगर, मोती बाग, गुलाबी बाग, प्रताप नगर, पदम नगर, किशनगंज आदि ।	28
10.	शक्ति नगर, कमला नगर, रूप नगर, मौरिस नगर, चन्द्रावल, शोरा कोठी आदि ।	6

1	2	3
11.	तिमारपुर, पुराना सचिवालय, वजीराबाद, जगतपुर, किंगजवे कैम्प, निरंकारी कालोनी, विश्वविद्यालय क्षेत्र आदि ।	16
12. तथा 44	राणा प्रताप बाग, सी०सी० कालोनी, आजादपुर, भालसुआ, बुराड़ी, जहाँगीरपुर, आदर्श नगर, माडल टाउन, विजय नगर आदि ।	52
13.	अशोक विहार, भारत नगर, प्रेम नगर, नारंग कालोनी, लारेंस रोड क्षेत्र, रामपुरा आदि ।	29
14. तथा 42	बदरपुर, लिबासपुर, खेड़ाकलां, मुखमेलपुर, हिरंकी, भक्तावर पुर, पाला, अलीपुर, सिंधु, नरेला आदि ।	13
15.	हैदरपुर, रिठाला, शाहबाद, दौलतपुर, बवाना, करावा, लामपुर, खोर पंजाब, मंगोल पुर कला आदि ।	6
16.	गोल्डन पार्क, पंजाबी बाग, मादीपुर, पश्चिमपुरी, शकूरपुर गाँव, शकूरबस्ती आदि ।	27
17.	नांगलोई जाट, पथकलां, बकरबाला, टीकरी कलां, कंजावाला, मंगोलपुरी आदि ।	24
18.	गोमनहेडा, गालीबपुर, वंसा, सारंगपुर, बकरपुर, नजफगढ़, जरोदाकलां, खेड़ा, दीनापुर आदि ।	13
19.	बिजवासन, नांगली, मौहम्मदपुर, कुतुबपुर, ताजपुर, खुर्द, पीपरावत, हसनपुर, बदखेड़ा आदि ।	18
20.	टैगोर गार्डन, जे०जे० कालोनी, विष्णु गार्डन, मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, कृष्णा पार्क, जे०जे० कालोनी हस्तसल आदि ।	24
21.	राजौरी गार्डन, हरी नगर, प्रताप नगर, सेन्ट्रल जेल, जनकपुरी, अजय एंक्लेव, उत्तम नगर आदि ।	39
22.	औद्योगिक क्षेत्र नजफगढ़, मोती नगर, बसईदारापुर, राजा गार्डन, कीर्ति नगर, नारायणा, मानसरोवर पार्क, रमेश नगर आदि ।	30
23.	शादीपुर डिपू, प्रेम नगर, पश्चिम पटेल नगर, थानसिंह नगर, आनन्द पर्वत, न्यू रोहतक रोड का औद्योगिक क्षेत्र आदि ।	11

1	2	3
24.	सन नगर, बापा नगर, देव नगर, रैंगरपुरा, बीडनपुरा वेस्ट आदि	14
25.	मोतिया खान, झंडेवालान, नाईवाला, देशबन्धु गुप्ता मार्ग, प्रहलाद मार्किट, रामजस रोड, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, आदि ।	8
26.	पहाड़गंज, रामनगर, मुल्तानी डांडा, नबीकरीम, अराकश रोड आदि ।	18
27.	एस्प्लेनेड रोड, दरीबाकलां, नई सड़क, बल्ली मारान, पहाड़ी भुजला, चर्खेवालांन आदि ।	19
28.	राउज एवेन्यू, इर्विन अस्पताल, मिंटो रोड, आसफ अली रोड अजमेरी गेट, जी०बी० रोड, फराशखाना आदि ।	21
29.	इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, राजघाट, अंसारी रोड, दरियागंज, बोट बृज, कूंजा चेलान, दिल्ली गेट, सूई बालांन आदि ।	14
30.	कनाट प्लेस, मन्दिर मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, बंगाली मार्किट आदि ।	9
31.	मनलाइट कालोनी, भगवान नगर, हरी नगर, लोधी कालोनी, जोर बाग, जंगपुरा, भोगल और निजामुद्दीन आदि ।	6
32.	लाजपत नगर, ईस्ट आफ कैलाश, श्रीनिवासपुरी, फ्रेंडस कालोनी, महारानी बाग, भारत नगर, जामामिलिया कालोनी आदि ।	28
33.	मदनपुर खादर, सराय रोहिल्ला, मौलर बैंड, बदरपुर, तुगलकाबाद, ग्रेटर कैलाश, गोबिन्दपुरी, कालकाजी, ओखला इन्डस्ट्रीयल एस्टेट आदि ।	56
34.	डिफेंस कालोनी, सेवा नगर, आई०एन०ए० कालोनी, गौतम नगर, हौज खास, पंचशील कालोनी, एन०डी०एस० ई०पार्ट-i तथा ii आदि ।	31
35.	चिराग दिल्ली, मालवीय नगर, सर्वोदय एन्कलेव, महरौली, खानपुर सतबाड़ी, फतहपुर बहरी याहया नगर, गीतोरनी आदि ।	29

1	2	3
36.	आर०के० पुरम (सेक्टर-13 को छोड़कर), मोती बाग-ii, आनन्द निकेतन, शांति निकेतन, वसन्त विहार, महीपालपुर, समालका, रजोकड़ी आदि ।	38
37.	सुन्दर नगर, सुजानसिंह पार्क, लोधी एस्टेट, खान मार्किट, पंडारा रोड, मोती बाग-i, बापूधाम आदि ।	15
38.	लक्ष्मीबाई नगर, सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, आर०के० पुरम सेक्टर-13, नौरोजी नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, ग्रीन-पार्क, यूसूफ सराय आदि ।	24
39.	दिल्ली छावनी क्षेत्र, मायापुरी-औद्योगिक क्षेत्र, लाजवंती गार्डन, नांगल राय, नासीरपुर पालम आदि ।	20
40.	राजिन्द्रनगर, ओल्ड तथा न्यू, पूसा इन्स्टीट्यूट, इन्द्रपुरी, डी०टी०सी० कालोनी, खेमपुर, साउथ पटेल नगर, रणजीत नगर, नरायणा इन्डस्ट्रीयल एरिया आदि ।	17
	कुल योग	953

गेहूं और चीनी के मूल्यों को आयातित गेहूं और चीनी के मूल्यों के बराबर तय करना

1173. **श्री राम लाल राही** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देसी गेहूं और चीनी के मूल्यों को विदेशों से आयात किए गए गेहूं और चीनी के मूल्यों के बराबर निर्धारित न करने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : आयातित गेहूं के सी०आई०एफ० मूल्यों के अनुरूप गेहूं के घरेलू मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है । अन्य जिन्सों की तुलना में कृषि जिन्सों के सापेक्ष मूल्य, उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिस सीमा तक राजसहायता दी जा सकती है, को ध्यान में रखकर घरेलू मूल्य निर्धारित किए जाते हैं । इसके अलावा, विश्व की मंडियों में मांग और पूर्ति पर निर्भर करते हुए गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में व्यापक रूप से घट-बढ़ होती है । गेहूं के घरेलू समर्थन मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ सम्बद्ध करना सम्भव नहीं है ।

चीनी के बारे में, चीनी जिस मूल्य पर आयात की जाती है वह वाणिज्यिक सौदों और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में चल रहे मूल्यों पर निर्भर करता है । जहाँ तक स्थानीय रूप से उत्पादित चीनी का सम्बन्ध है यह दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के साथ आंशिक नियंत्रण

नीति के अधीन आती है। उत्पादित चीनी के मुक्त बिक्री के भाग को खुले बाजार में बेचा जाता है और यह पूर्ति और माँग की बाजार में चल रही शक्तियों द्वारा शासित होती है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए आवश्यक लेवी चीनी का सम्बन्ध है, इसका मूल्य गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है जोकि राजसहायता सुलभ करने के लिए मूल्य निर्धारित करने का फार्मूला है। अतः चीनी के मामले में भी घरेलू मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ सम्बद्ध करना व्यवहार्य नहीं है।

कल्लड सिंचाई परियोजना, केरल

1174. **श्री ए०ए० रहीम** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कल्लड़ सिंचाई परियोजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना को कब तक पूरा किया जाना है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) चिनाई बांध निर्माण की प्रोन्नत अवस्था में है और उसका लगभग 55 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जल-कपाटों को ऊपर उठाने की व्यवस्था को छोड़कर, ओट्टाकल बीयर पूरी हो चुकी है। वितरण प्रणाली सहित, दाएं तट की मुख्य नहर का विभिन्न भागों में निर्माण किया जा रहा है। बाएं तट की मुख्य नहर के कुछ भागों में भी हाल ही में कार्य शुरू कर दिया गया है। 163.37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में, मार्च, 1981 तक 44.45 करोड़ का व्यय हुआ है।

(ख) परियोजना को सातवीं योजना में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। तथापि, जून, 1982 से आंशिक लाभ उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा जनकपुरी नई दिल्ली में बनाई गई दुकानें

1175. **श्री केशव राम पारथी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने कम्यूनिटी शापिंग सेन्टर, जनकपुरी (शिव नगर) नई दिल्ली में कुछ खुले स्टालों का निर्माण किया है;

(ख) क्या इन दुकानों के आबंटियों को स्टाल की दुकानों को छत के स्तर तक ऊंचा उठाने और अपनी लागत पर उन पर शटर लगाने की अनुमति है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन स्टालों में ताले लगाने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) आबंटियों के हितों के संरक्षण के लिए अन्य किन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सी०एस०सी० शिवनगर में बनाए गए तथा बेचे गए स्टालों में ऊपर एक छत, पीछे एक दीवार है परन्तु इधर-उधर दीवारें नहीं हैं । स्टाल के एक भाग में एक काउंटर है और काउंटरों के साथ-साथ एक बंद बरामदा भी है । चूंकि इन्हें खुला स्टालों के रूप में बेचा गया था इसलिए सामने से शटर लगाने या दीवारों की ऊंचाई बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) चूंकि काउन्टर को स्टाल के एक भाग के रूप में बनाया गया है इसलिए जो आवन्टी/मालिक शटर या ताला लगाना चाहता हो वह इसे काउन्टर के नीचे शैल्फ में लगवा सकता है ।

मध्य प्रदेश को चीनी, खाद्य तेल तथा कपड़ा

1176. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1981 के दौरान उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को चीनी, खाद्य तेलों, कपड़ तथा सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के किए गए मासिक आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य सरकारों को उनकी कितनी मासिक मात्रा प्राप्त हुई ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) वर्ष 1981 के दौरान मध्य प्रदेश को चीनी, खाद्य तेलों, कपड़ा, गेहूं और चावल का किया गया मासिक आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

वर्ष 1981 के दौरान चीनी, खाद्य तेल, कपड़ा, गेहूं और चावल के किए गए मासिक आबंटन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

मास	चीनी (मीटरी टनों में)	खाद्य तेल (मी० टन)	कपड़ा (गांठें)	गेहूं (हजार मी० टन)	चावल (हजार मी० टन में)
1	2	3	4	5	6
जनवरी, 1981	20855.5	3400	मध्य प्रदेश के लिए	25.0 सा० वि० 5.0 मिल्स	60.0
फरवरी, 1981	20845.5	—	नियंत्रित कपड़े का	25.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80.0
मार्च, 1981	20845.5	3000	मासिक कोटा 1691 गाँठें हैं।	26.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80:0
अप्रैल, 1981	20855.5	500		25.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80.0
मई, 1981	20845.5	500		25.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80.0
जून, 1981	20845.5	1000		25.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80.0

1	2	3	4	5	6
जुलाई, 1981	20855.5	3000		25.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80.0
अगस्त, 1981	20845.3	1500		25.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80.0
सितम्बर, 1981	20845.3	2950		25.0 सा०वि० तथा 6.0 मिल्स	80.0
अक्टूबर, 1981	20855.3			25.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80.0
नवम्बर, 1981	20845.3	1600		28.0 सा०वि० तथा 5.0 मिल्स	80.0

सा०वि० = सार्वजनिक वितरण

सिंचाई के अधीन लाई जाने वाली कृषि भूमि

1177. **श्री के० प्रधानी :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में कुल कितने एकड़ कृषि भूमि है, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाना है;

(ख) उड़ीसा राज्य में कुल कितने एकड़ कृषि भूमि पिछले दो वर्षों के दौरान सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई; और

(ग) ऐसी कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत है और कितनी भूमि चालू वित्तीय वर्ष में अलग-अलग बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजना के अधीन लाई जाएगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) देश में, 1981-82 के दौरान सिंचाई (अतिरिक्त सिंचाई क्षमता) के अन्तर्गत लाई जाने वाली कृषि भूमि का राज्य-वार कुल क्षेत्रफल **संलग्न विवरण** में दिया गया है ।

(ख) 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा में सृजित कुल सिंचाई क्षमता 2,04,000 हैक्टेयर थी ।

(ग) 1980-81 तक उडीसा में सृजित संचयी सिंचाई क्षमता 220, 100 हैक्टेयर थी । चालू वर्ष के दौरान 122,000 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (42,000 हैक्टेयर वृहद तथा मध्यम और 80,000 हैक्टेयर लघु सिंचाई स्कीमों से) सृजित किए जाने का प्रस्ताव है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1981-82 के दौरान सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता (लक्ष्य) (हजार हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आँध्र प्रदेश	174
2.	असम	45
3.	बिहार	313
4.	गुजरात	58
5.	हरियाणा	50
6.	हिमाचल प्रदेश	5
7.	जम्मू और कश्मीर	16

1	2	3
8.	कर्नाटक	131
9.	केरल	45
10.	मध्य प्रदेश	225
11.	महाराष्ट्र	177
12.	मणिपुर	16
13.	मेघालय	2
14.	नागालैंड	2
15.	उड़ीसा	122
16.	पंजाब	62
17.	राजस्थान	107
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	38
20.	त्रिपुरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	956
22.	पश्चिम बगाल	123
	उप-जोड़	2570
	संघ राज्य क्षेत्र	7
	कुल जोड़	2677

दिल्ली छावनी में वनस्पति घी के लिए लाइसेंस

1178. **श्री शिबु सोरेन :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि नागरिक पूर्ति विभाग के नियमों/विनियमों के अनुसार वनस्पति घी के थोक लाइसेंसधारी के पास ऐसी दुकान/गोदाम होना चाहिए जो सामने के मुख्य प्रवेश द्वार के अतिरिक्त सभी तरफ से बन्द हो; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का दिल्ली छावनी और विशेष रूप से सदर बाजार, दिल्ली छावनी के वनस्पति घी के ऐसे थोक व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है जिन्होंने समय-बेसमय काला बाजारी के उद्देश्य से दुकान एवं निवास के बीच एक दरवाजा रखा हुआ है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार वनस्पति का थोक लाइसेंस दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण)

आदेश, 1977 के उपबंधों के तहत दिया जाता है । इस आदेश में यह शर्त नहीं रखी गई है कि वनस्पति घी के लाइसेंसधारी के पास ऐसी दुकान/गोदाम होना चाहिए, जो सामने के मुख्य प्रवेश द्वार के अतिरिक्त सभी तरफ से बन्द हो ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा थोक लाइसेंसधारियों की समय-समय पर जांच की जाती है । दिल्ली छावनी के सदर बाजार क्षेत्र में वनस्पति के थोक लाइसेंसधारियों की जांच के दौरान दिल्ली प्रशासन के ध्यान में कोई अनियमितताएं नहीं आई हैं ।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों के पिछवाड़े में उगाए गए पेड़

1179. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली के निवासियों ने उनकी आबंटित क्वार्टरों के पिछवाड़े में बिना फल वाले पेड़ लगाए हैं और वे पेड़ बड़े आकार के होकर ऊपर की मंजिल में ऊंचे हो गए हैं;

(ख) इन पेड़ों के कारण पिछवाड़े में सूर्य की रोशनी पहुंचने में रुकावट आती है और इसके अतिरिक्त ऊपर क्वार्टरों में अंधेरा रहता है तथा ये पेड़ पड़ोसियों में मनमुटाव का कारण है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन बिना फल वाले पेड़ों की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विंग द्वारा तत्काल छंटाई नहीं की जानी चाहिए जिससे कि निवासियों को होने वाली असुविधा से बचा जा सके, तथापि फलदार पेड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कुछ मामलों में पेड़ों से पिछवाड़े की धूप रुकती है और इसमें से ऊपर की मंजिल के मकानों में अंधेरा होता है ।

(ग) निवासियों के अनुरोध पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का बागवानी स्कन्ध समय-समय पर पेड़ों की छंटाई करता है ।

भारतीय मानक संस्था को लाइसेंस जारी करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र

1180. **श्री अशोक गहलोत :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक संस्था को पिछले तीन वर्षों में लाइसेंस जारी करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर कितने लाइसेंस जारी किए गये;

(ख) संस्था द्वारा अब तक कितने मानकों का निर्धारण किया गया है और तत्सम्बन्धी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय मानक संस्था द्वारा कितने ऐसे उद्योगों को लाइसेंस जारी नहीं किए गए जिन्होंने अपना उत्पादन बन्द कर दिया है अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं कर रहे हैं और संस्थान को अब तक इस बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मानक संस्था को मिले आवेदनों की संख्या तथा उन पर जारी किए गए लाइसेन्सों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न लाइसेंस की मंजूरी के लिए प्राप्त आवेदन	आवेदनों पर 20 नवम्बर, 1981 तक मंजूर किए लाइसेंस
1978-79	1196	710
1979-80	1379	773
1980-81	1381	656

(ख) 31 अक्तूबर, 1981 की स्थिति के अनुसार लागू मानकों की संख्या 10980 थी। ये मानक बहुत से विषयों के बारे में हैं, जैसेकि बहुत से कृषि एवं खाद्य उत्पाद, रसायन, सिविल इन्जीनियरी, उपभोक्ता उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रानिक तथा दूर-संचारण और विद्युत प्रौद्योगिकी उपकरण, जहाजरानी, भारवाहन और पेकेजबन्दी, यांत्रिक इन्जीनियरी, पेट्रोलियम, कोयला तथा सम्बद्ध उत्पाद, प्रकाशन, प्रलेखन और पुस्तकालय, सांख्यिकी, गुणवत्ता नियंत्रण, संरचना तथा धातु आदि।

(ग) और (घ) भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस उस दशा में वापस ले लिए जाते हैं, जब यह पाया जाए कि विनिर्माता विशिष्टियों के अनुरूप माल तैयार नहीं कर रहा है या कोई फैक्ट्री काफी समय से बन्द है अथवा विनिर्माता लाइसेन्स को जारी रखने का इच्छुक न हो आदि। आई०एस०आई० लाइसेन्स के वापस ले लिए जाने के बाद भारतीय मानक संस्था संबंधित पार्टियों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता की परिवीक्षा नहीं करती है। तथापि, भारतीय मानक संस्था का फील्ड स्टाफ यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है कि सम्बन्धित विनिर्माता द्वारा आई०एस०आई० चिह्न का उपयोग न किया जाए। भूतपूर्व लाइसेन्सधारियों तथा अन्यों द्वारा आई०एस०आई० चिह्न के अनधिकृत उपयोग किए

जाने पर भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के उपबन्धों के अधीन उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मानक संस्था द्वारा वापस लिए गए लाइसेन्सों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	वापस लिए गए लाइसेन्सों की संख्या
1978-79	52
1979-80	18
1980-81	—

प्रश्नाधीन अवधि के दौरान जिन पार्टियों के लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं उनके द्वारा आई०एस०आई० चिह्न के प्रयोग के बारे में संस्था को अन्य स्रोतों से कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, अन्य आम शिकायतें मिली थीं और उनकी समुचित जांच करने के बाद, जहां आवश्यक हुआ उचित कार्रवाई की गई।

बिजली के घरेलू उपकरणों की निर्माण के लिए विशिष्टियां

1181. **श्री के०टी० कोसलराम** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के घरेलू उपकरणों के निर्माण में संलग्न लघु एककों को भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्टियों को कार्यान्वित करने में आर्थिक दृष्टि से दिक्कतें आती हैं;

(ख) क्या इन विद्युत उपकरणों के परिक्षण के लिए भारतीय मानक संस्था द्वारा ली जाने वाली दरें भी बहुत अधिक हैं जिसके परिणामस्वरूप बिजली के घटिया घरेलू उपकरणों का निर्माण होता है; और

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि बिजली के सभी घरेलू उपकरणों का निर्माण भारतीय मानक संस्था की विशिष्टयों के अनुसार हो और जनता को बेचे जाने वाले से पूर्व उनका परिक्षण भी किया जाए ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) बिजली के घरेलू उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1976, जो जनवरी, 1978 से लागू हुआ है, की शर्तों के अनुसार ऐसे उपकरणों का विनिर्माण भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप करना होता है। राज्यों सरकारों को विनिर्दिष्ट मानकों की शर्तों के अनुसार बिजली के घरेलू उपकरणों की गुणवत्ता की जांच हेतु परीक्षण करने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं। इसका निर्धारण परीक्षण के पूर्ण प्रबन्धों की संस्थापना करने में लघु स्तर के एककों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसलिए लघु स्तर के एककों द्वारा बिजली

के घरेलू उपकरणों के विनिर्माण में न्यूनतम आई०एस०आई० मानकों को लागू करने में आर्थिक दृष्टि से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

जहां तक भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले लाइसेन्सों का सम्बन्ध है, विनिर्माताओं को उन नमूनों के परीक्षण की लागत अदा करनी पड़ती है, जिनका विश्लेषण लाइसेन्स की मन्जूरी के उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए भारतीय मानक संस्था द्वारा अपनी प्रयोगशालाओं में अथवा कहीं और किया जाता है। भारतीय मानक संस्था उन नमूनों के परीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लेती है, जिन्हें वह इस बात की पड़ताल करने के लिए लेती है कि लाइसेन्सधारियों द्वारा भा तीय मानक संस्था चिह्न का उचित प्रयोग किया जा रहा है। निर्माताओं को न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अथवा उनके उत्पादन की कुल मात्रा के आधार पर निकाला गया शुल्क अथवा जो भी अधिक हो, देना होता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय मानक संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का बिजली के घटिया घरेलू उपकरणों के विनिर्माण से कोई सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना स्वैच्छिक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को आबंटित राशियां

1183. **श्री जैनुल बशर :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश को आबंटित राशियां अभी तक विभिन्न जिलों तक नहीं पहुंची हैं जिसके परिणामस्वरूप उक्त कार्यक्रम के अधीन कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लिज्जत पापड़ का निर्यात

1184. **श्री बापूसाहेब परुलेकर :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी आयोग ने महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ द्वारा निर्मित पापड़ों का (उनके निर्मित विभाग के सहयोग के साथ) निर्यात करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) क्या श्री महिलागृह उद्योग लिज्जत पापड़ के साझीदारों तथा कर्मचारियों ने निर्यात से होने वाली आय में अपने हिस्से के लिए खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग को अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप-मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ को इसके उत्पादन तथा विपणन कार्यक्रम, जिसमें पापड़ का निर्यात भी शामिल है, में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता पहुंचाई जाती है । तथापि, निर्यात का प्रबन्ध संस्थान द्वारा विभिन्न निर्यातकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है । निर्यात के माध्यम से होने वाली आमदनी को संस्थान की कुल आमदनी में मिला दिया जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को इस यूनिट के साझीदारों तथा कर्मचारियों से निर्यात के माध्यम से हुई आमदनी में उनके हिस्से के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

1185. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए चंडीगढ़ में 40 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) चण्डीगढ़ प्रशासन ने बताया है कि वह इस मामले पर आगे कार्रवाई कर रहा है ।

डेयरी संयंत्रों में तरल दुग्ध के लिए अधिष्ठापित क्षमता

1186. **श्री नारायण चौबे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में दुग्ध उत्पाद कारखानों सहित विभिन्न डेयरी संयंत्रों की तरल दुग्ध के लिए अधिष्ठापित क्षमता का वास्तविक उपयोग बहुत ही असन्तोषजनक रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो संयंत्र-वायु अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है और 1979 तथा 1980 वर्षों के दौरान अधिष्ठापित क्षमता का वास्तविक उपयोग कितना रहा और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार वर्तमान संयंत्रों की कम क्षमता के उपयोग के कारणों की जांच के लिए कुछ विख्यात डेयरी विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति नियुक्त करेगी और नए संयंत्रों की मंजूरी देने से पूर्व इस प्रकार की संविक्षा की जाती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

दिल्ली में जमीन के बाजार भाव

1187. **श्री रशीद मसूद :**
श्री मूल चन्द डागा :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री भीकू राम जैन : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रिहायशी और वाणिज्यिक दोनों प्रयोजनों के लिए जमीन के बाजार भाव बढ़ा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दिल्ली में पिछले वर्ष के दौरान जमीन भाव क्या थे और बढ़ाए गए भाव क्या हैं; और

(ग) बढ़ाए गए भावों से दिल्ली में जमीन की कीमतों में अटकलबाजी किस प्रकार रुकेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार ने पट्टे पर दी गई भूमि का प्रबन्ध करने के प्रयोजन के लिए अर्थात पट्टे वाली सम्पत्ति की बिक्री, हरजानों की वसूली, जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई है उसको बदलने की मन्जूरी देने, आदि पर पट्टे की शर्तों के अनुसार अर्नजित वृद्धि की वसूली के लिए रिहायशी और वाणिज्यिक भूमि के लिए बाजार भाव की अनुसूची को 1.4.1981 से संशोशित किया है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यह आशा है कि पट्टे की भूमि की बिक्री पर पट्टाकर्त्ता की अर्नजित वृद्धि के अंश के भुगतान का प्रावधान भूमि की पूर्ण पट्टाकर्त्ता के अन्तरण में निवारक का कार्य करेगा।

विवरण

समूह	रिहायशी		वाणिज्यिक	
	1.4.79 से 31.3.81 तक (रुपए प्रति वर्ग मीटर)	1.4.81 से 31.3.83 तक	1.4.79 से 31.3.81 तक (रुपए प्रति वर्ग मीटर)	1.4.81 से 31.3.83 तक
1	2	3	4	5
समूह-एक (कनाट प्लेस)	720	2000	4800	13000
समूह-दो कनाट सर्कस, बाराखम्बा रोड, कर्जन रोड, हनुमान रोड, जनपथ से विंसडर प्लेस तक बेयर्ड रोड, मन्दिर मार्ग, आदि ।	720	2000	3600	10500
समूह-तीन अजमल खां रोड, खान मार्कीट मिन्टो रोड, डिप्लोमैटिक एन्कलेव, गोल्फ लिंक, पंच-कुईयां रोड, डिफेन्स कालोनी, कमला नगर, करोल बाग, भगतसिंह मार्कीट आदि ।	720	2000	2160	6000
समूह-चार पूर्वी/पश्चिमी/दक्षिणी पटेल नगर, राजेन्द्र नगर, लाजपत राय मार्कीट, निजामुद्दीन,	600	1600	1200	4800
समूह-पांच जंगपुरा एक्सटेंशन, लाजपत नगर, आजाद पुर, जवाहर नगर, माल रोड, रोहतक रोड, अलीपुर रोड, कालका जी, मालवीय नगर, राजपुर रोड, मलकागंज	480	1200	960	2400

1	2	3	4	5
समूह-छः अलीगंज, अंसारी मार्कीट, देशबन्धु गुप्ता मार्कीट, गोखले मार्कीट, खुर्शीद मार्कीट, खन्ना मार्कीट, तेलीवाड़ा, विजय नगर, आजाद मार्कीट, मोती नगर आदि	360	1000	720	2000
समूह-सात बस स्टेण्ड एरिया एक्सटेंशन, भरत नगर, गुलाबी बाग, किंग्जवे कैम्प, सेवा नगर, रमेश नगर, तिमार पुर, इन्दिरा नगर, झील खुरन्जा आदि	240	800	480	1600
समूह-आठ नरेला और अन्य बाहरी बस्तियां	120	400	240	800

टिप्पणी :

(क) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बाजार भाव समूह 1 और दो के लिए 250 का फर्शी क्षेत्र अनुपात पर, समूह-तीन के लिए 150 का फर्शी क्षेत्र अनुपात पर और अन्य समूहों के लिए मौजूदा फर्शी क्षेत्र अनुपातों पर आधारित हैं।

(ख) रिहायशी दरें विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित मौजूदा फर्शी क्षेत्र अनुपात पर आधारित हैं।

फर्शी क्षेत्र अनुपात में घटाने या बढ़ाने के लिए ये दरें आनुपातिक रूप से घटाई या बढ़ाई जाएंगी।

2. जहाँ तक होटल और सिनेमा स्थलों का संबंध है, प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

3. पट्टाकर्त्ता के अनर्जित वृद्धि के अंश का परिकलन करने और वसूली के प्रयोजनार्थ, 100 वर्ग गज (83.613 वर्ग मीटर) या कम के रिहायशी पट्टों के बारे में विक्रय अनुमतियाँ देते समय, 1.4.79 से 31.3.81 तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई भूमि की दरें लागू होंगी।

4. जो स्थान अनुसूची में नहीं है उसके लिए, तुलनीय क्षेत्रों के लिए दरें लागू की जाएंगी ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण समर्थन

1188. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अधिकतम ऋण समर्थन दिया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस बारे में पत्र भेजकर बल दिया गया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि निश्चित रूप से एक ऋण कार्यक्रम है, की सफलता ऋण जुटाने पर निर्भर करेगी;

(ग) यदि हां तो केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा अपने पत्र में अन्य किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं और कितने राज्य इसमें दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने को सहमत हो गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) व (घ) राज्य सरकारों से निम्नलिखित सुझावों पर कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है :

1. कमजोर वर्गों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास तथा अन्य कार्यक्रमों हेतु ऋण आवश्यकताओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर पर एक अलग निकाय का गठन किया जाए जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं;
2. तलवाड़ समिति की सिफारिशों तथा अनुवर्ती मुद्दों को कार्यान्वित करने हेतु उठाए गए कदमों पर विचार किया जाए;
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता सुलभ करने में आई विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिला तथा खण्ड स्तरों पर साहूकारों तथा सरकारी अधिकारियों की छोटी-छोटी समितियों का गठन किया जाए; और

4. बैंक कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि उनमें अधिक से अधिक लोगों के भाग लेने हेतु प्रोत्साहन मिल सके और उनकी प्रेरणा को सुदृढ़ बनाया जा सके। मन्त्रालय द्वारा दिए गए सुझावों की अनुपालना करने के लिए मोटे तौर पर सभी राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं।

सरकारी आवास का रखरखाव

1189. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी आवासों में लगाए गए छत के पंखे कमरे में सभी दिशाओं में पूरी तरह हवा करने के लिए बहुत छोटे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थान पर बड़े पंखे लगाने अथवा एक कमरे में एक अतिरिक्त पंखा लगाने की व्यवस्था करने का विचार है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी आवासों तथा कार्यालयों में पंखों रेगुलेटरों तथा बिजली की अन्य फिटिंग को देखने में सुन्दर बनाने के लिए उन पर नियमित अन्तराल के बाद स्प्रे-पेंटिंग न करने, टिन के लैम्प शेडों के स्थान पर शीशे के फैन्सी शेड न लगाने फ्रिज और टेलीविजन के लिए बिजली और पावर के फालतू अलग पोइन्ट की व्यवस्था न करने बिजली के पुराने और गंदे ब्रेकटों के स्थान पर पीतल के नये ब्रेकेट न लगाने और दरवाजों, खिड़कियों, आलमारियों आदि के शटरों जैसे लकड़ी के ढाँचे पर रोगन न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये सामान्य वार्षिक विशेषताएं नहीं हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सभी सरकारी आवासों में बिजली लगाने से बचने के लिए 'अर्थ' की व्यवस्था की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनको 'अर्थ' करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकारी मकानों में लगाए गए पंखे आमतौर पर यथेष्ट के हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पंखों तथा बिजली की दूसरी फिटिंगों पर समय-समय पर स्प्रे रंग किया जाता है जो कि इस आशय के लिए बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। मकान के टाइप को ध्यान में रखते हुए लैम्प शेडों को उनकी

उपयोगिता के आधार पर लगाया जाता है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सरकारी मकानों में लाइट तथा पावर पलग प्वाइंट लगाए जाते हैं। तथापि, सरकारी कार्यालयों में ये प्वाइन्ट प्रयोग करने वाले विभाग की आवश्यकतानुसार लगाए जाते हैं। पीतल के ब्रेकटों सहित बिजली की फिटिंग उनके ऊंची लागत होने के कारण नहीं लगाई जाती है। निधारित कार्यक्रम के अनुसार लकड़ी के दरवाजों, खिड़कियों और आलमारियों पर केन्द्री लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर रंग किया जाता है।

(घ) तथा (ङ) रंग रोगन सामान्य वार्षिक विशेषता है, जबकि प्रतिस्थापन सामान्य वार्षिक विशेषता नहीं है।

(च) जी, हां।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम के अधीन पश्चिम बंगाल को गेहूं का आबंटन

1190. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री नीरेन घोष : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम का नाम दिए गए काम के लिए अनाज कार्यक्रम के अधीन पश्चिम बंगाल को गेहूं के केन्द्रीय आबंटन में कटौती की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी मात्रा की मांग की और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा की सप्लाई की गई;

(घ) पश्चिम बंगाल को गेहूं तथा नकद सहायता की अनियमित सप्लाई के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार के पास खाद्यान्नों के स्टाक की तंग स्थिति होने के कारण चालू वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों को खाद्यान्न प्रति श्रमिक 1 किलोग्राम प्रतिदिन की दर से आबंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की किसी विशिष्ट मात्रा की मांग नहीं की है। राज्य सरकार को बंटित चावल की 11.250 मीटरी टन की मात्रा तथा गत वर्ष के उठाए

न गए खाद्यान्नों के मुकाबले में पुनर्वंध की गई मात्रा के मुकाबले में आपूर्ति की जा रही है। निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु श्रमिकों को मजदूरी के शेष अंश का भुगतान करने हेतु पर्याप्त नकद निधियाँ उपलब्ध की गई हैं।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना

1191. **श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि निर्माणाधीन बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को जो पिछले 15-20 वर्षों से खटाई में पड़ी है, तेजी से पूरा किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण इनके लागत में वृद्धि हुई है और सिंचाई क्षमता को भी हानि हुई है;

(ग) ऐसी कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जिन पर काम 15-20 वर्ष पूर्व पूरा किया गया था और जिनको अभी पूरा किया जाना है; और

(घ) ये परियोजनाएं क्या हैं और किन राज्यों में हैं तथा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के क्रियान्वयन में देरी होना, लागत में वृद्धि और सिंचाई क्षमता में कमी होने का एक कारण है।

(ग) और (घ) एक **विवरण** संलग्न है। राज्य सरकारों को इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और उनकी प्रगति की मानीटरिंग करने की सलाह दी गई है। देश की चुनी हुई बृहद सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में एक मानीटरिंग यूनिट की स्थापना की गई है।

विवरण

15 वर्ष से अधिक समय से निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	नागार्जुनसागर दाएं तट और बाएं तट से नहरें
2.	पोचमपाद (श्री राम सागर) चरण-एक

1	2
बिहार	
3.	मंडक
4.	कोसी बराज और पूर्वी नहर
5.	राजपुर
6.	पश्चिमी कोसी नहर
हरियाणा	
7.	ब्यास एकक-एक और इसका विस्तार
8.	ब्यास एकक-दो और इसका विस्तार
कर्नाटक	
9.	भद्रा
10.	मालाप्रभा
11.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो
केरल	
12.	पेरियार घाटी
मध्य प्रदेश	
13.	तवा
महाराष्ट्र	
14.	भीमा
15.	जयकवाडी चरण-एक
16.	खड़गवासला
17.	मूला
18.	वरना
उड़ीसा	
19.	महानदी डेल्टा
पंजाब	
20.	चम्बल चरण-एक
21.	गुड़गांव नहर
उत्तर प्रदेश	
22.	पूर्वी बेगुल जलाशय
23.	मण्डक
पश्चिम बंगाल	
24.	दामोदर घाटी निगम सिंचाई
25.	कंगसबती

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिजली के उपकरणों के छोटे एककों से पट्टे की राशि की वसूली

1192. **श्री के० राममूर्ति :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के "नान-कन्फर्मिंग" क्षेत्रों में स्थित बिजली के उपकरणों के छोटे एककों से बहुत अधिक दर पर पट्टे की राशि वसूल की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बिना ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में बाढ़ के कारण क्षति

1193. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1980-81 के दौरान बाढ़ के कारण हानि का अनुमान क्या है;

(ख) केन्द्र द्वारा राहत कार्यों के लिए केरल को कितनी राशि दी जा चुकी है; और

(ग) पूरी राशि कब तक रीलीज की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) केरल सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980-81 में उक्त राज्य में बाढ़ के दौरान हुई अनुमानित क्षति निम्नलिखित है :

1.	सत्यगत क्षेत्र को हुई क्षति	0.61
2.	मृत व्यक्तियों की संख्या	42
3.	मृत मवेशियों की संख्या	56
4.	क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए मकानों की संख्या	36,811
5.	सार्वजनिक सम्पत्तियों को हुई क्षति का अनुमानित मूल्य (लाख रुपए)	1862.20

(ख) 909.42 लाख रुपए की स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा में से 1980-81

के दौरान केरल सरकार को 400,00 लाख रुपए की राशि गैर योजना अनुदान के रूप में पूर्णत: तदर्थ तथा अस्थायी आधार पर निर्मुक्त की गई थी जो राज्य सरकार से व्यय के ब्यौरे मिलने पर समायोजित की जाएगी ।

(ग) राज्य सरकार ने व्यय का ब्यौरा सितम्बर, 1981 के महीने में भेजा है । इस सम्बन्ध में और ब्यौरा मांगा गया है । उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि, यदि कोई देय होगी, राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली और सामग्री/सूचना की जांच करने के पश्चात केरल सरकार को निर्मुक्त कर दी जाएगी ।

विभिन्न राज्यों में खाद्य तेलों की कीमत

1194. **श्री ए०टी० पाटिल :** क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1981 के दौरान बम्बई, दिल्ली कलकत्ता और मद्रास के बाजारों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य तेलों के अधिकतम मूल्य (खुदरा) क्या थे; और

(ख) सरकार ने उक्त वस्तु की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) 6.11.1981 तथा 13.11.1981 को समाप्त सप्ताहों के दौरान खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य **संलग्न विवरण** में दिए गए हैं ।

(ख) सरकार ने देश में खाद्य तेलों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए कई दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उपाय किए हैं । उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय **इस** प्रकार हैं :

1. तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए सुनियोजित प्रयास करना, ताकि तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम किया जा सके;
2. खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना;
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तेल की अधिक मात्रा निर्मुक्त करना;
4. वनस्पति उद्योग द्वारा स्वेच्छिक आधार पर मूल्य नियंत्रण बरतना;
5. वनस्पति का उत्पादन निरन्तर बनाए रखना;
6. बिनोले के तेल के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना;
7. राज्य सरकारों से भण्डारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य कानूनों को लागू करने का अनुरोध करना ।

विवरण

खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य

(मूल्य कि०ग्रा० में)

निम्नलिखित तारीख को समाप्त सप्ताह

		6.11.81	13.11.1981
मूंगफली का तेल			
	बम्बई	15.50	15.50
	दिल्ली	16.50	16.50
	मद्रास	13.50	अप्राप्य
जिंजली का तेल			
	बम्बई	17.00	17.00
	दिल्ली	16.00	16.00
	मद्रास	13.50	अप्राप्य
सरसों का तेल			
	बम्बई	17.00	17.00
	दिल्ली	14.60	14.60
	मद्रास	19.00	अप्राप्य
नारियल का तेल			
	बम्बई	18.00	18.00
	दिल्ली	19.00	19.00
	मद्रास	18.50	अप्राप्य
वनस्पति			
	बम्बई	15 00	15.00
	दिल्ली	12.60	12.60
	मद्रास	15.50	अप्राप्य

टिप्पणी : 1. कलकत्ता बाजार के बारे में इसी प्रकार की सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

रायल सीमा को पानी की सप्लाई

1195. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायलसीमा को महानदी और बैंगइ ग्रिड से पानी की सप्लाई के बारे में जाँच के आदेश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना कार्य किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली पर बहुमंजिला होटल परियोजना

1196. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री एन०के० शेजवलकर : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लाट संख्या 15, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर एक बहुमंजिला होटल परियोजना के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व नई दिल्ली नगर पालिका ने दिल्ली नगरीय कला आयोग से तथा पुरातत्व विभाग से उसकी ऊंचाई के सामान्य रूप से एवं "जन्तर मन्तर" पर विशेष रूप से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के सम्बन्ध में "अनापत्ति प्रमाणपत्रों" पर विचार किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्लाट पर इमारत गिराने के कार्य में सुरक्षा उपायों के अभाव में वहां काम करने वाले अनेक मजदूरों के मरने की दुर्घटनाएं हुई; यदि हाँ, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) हताहत होने वालों के रिश्तेदारों को क्या मुआवजा दिया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली नगर कला आयोग ने भारतीय पुरातन सर्वेक्षण के परामर्श से जन्तर मन्तर के पश्चिम की ओर से एक होटल के निर्माण के लिए पार्टी द्वारा पेश किए गए नक्शों की जांच की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को देखते हुए इस आयोग ने नई दिल्ली नगर पालिका को सूचित किया है कि जन्तर मन्तर के पश्चिम में 120 फुट की प्रतिबन्धित ऊंचाई के भीतर होटल परियोजना पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तथापि नई दिल्ली नगर पालिका ने पार्टी को नक्शे रिलीज नहीं किए हैं क्योंकि इस

पार्टी द्वारा बहुमंजिली होटल परियोजना के निर्माण के लिए पट्टाकर्त्ता से अनुमोदन प्राप्त करना जैसी कतिपय अन्य औपचारिकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि फसलों का उत्पादन

1197. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी फसलों के कृषि उत्पादन में ह्रास हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1979-80 के दौरान तिलहनों के भूक्षेत्र उपज और उत्पादन में भी कमी हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो देश में फसलों के उत्पादन में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) जी, नहीं।

(ख) फसल वर्ष 1979-80 के दौरान देश के अधिकांश भागों में व्यापक सूखा पड़ा तथा वर्ष के दौरान तिलहनों सहित लगभग सभी फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट आयी।

(ग) देश में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :

1. बीजों, उर्वरकों तथा सिंचाई के लिए बिजली तथा डीजल जैसे आदानों को समय से तथा पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करना;
2. कृषि विस्तार सम्बन्धी प्रयासों का तीव्रीकरण;
3. सिंचित क्षेत्र का विस्तार;
4. बीच की फसल तथा अन्तरवर्ती फसल के माध्यम से जल्दी पकने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना;
5. संस्थागत ऋणों की सप्लाई में वृद्धि; और
6. कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य।

कर्नाटक में सप्लाई की गई चीनी

1198. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कर्नाटक को कितनी चीनी का आवंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार को इस राज्य द्वारा बढ़ती हुई मांग विशेषकर बंगलौर की मांग को पूरा करने के लिए चीनी के अतिरिक्त कोटे के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था; और

(ग) क्या सरकार नई मांग को पूरा करने के लिए चीनी का अतिरिक्त कोटा देगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) कर्नाटक सरकार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए चीनी वर्ष 1980-81 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 1,70,580 मीटरी टन लेवी चीनी और चीनी वर्ष 1981-82 (अर्थात् अक्तूबर से दिसम्बर, 1981) के दौरान 42,645 मीटरी टन लेवी चीनी आबंटित की गई है।

(ख) कर्नाटक सरकार ने उनके लेवी चीनी के मासिक कोटे को 14,215 मीटरी टन से बढ़ाकर 20,000 मीटरी टन करने के लिए अनुरोध किया था ताकि जनसंख्या में वृद्धि होने और त्यौहारों के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके।

(ग) कर्नाटक सरकार को लेवी चीनी का मासिक कोटा आबंटित किया जा रहा है (अर्थात् 14,215 मीटरी टन), जो कि 1.4.1978 को परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता पर आधारित है। लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता होने के कारण उनके मासिक कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना

1199. **श्री रामलाल राही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) छठी योजना के अन्त तक अर्थात् (1984-85 तक) खाद्यान्नों की कुल मांग का अनुमान 1506 लाख टन लगाया गया है। इसकी तुलना में 1984-85 में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए 1536 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किए जा रहे कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. धान्यों व कदन्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र का विस्तार करना;

2. उर्वरकों का अधिक तथा कुशल ढंग से उपयोग करना;

3. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना;

4. अच्छी किस्म के बीजों के वितरण में वृद्धि करना;

5. आवश्यकता के अनुसार वनस्पति रक्षण उपाय करना;

6. मृदा एवं जल संरक्षण उपायों व शुष्क खेती के विकसित तरीकों पर अधिक बल देना;

7. प्रशिक्षण एवं दारों की नई विस्तार प्रणाली के माध्यम से प्रोद्यौगिकी का प्रचार करना।

8. कृषकों व विस्तार कर्मचारियों को उत्पादन सम्बन्धी नवीनतम प्रोद्यौगिक के विषय में प्रशिक्षित करना और

9. अनुसंधान आदि के कार्यों को तेज करना।

अनधिकृत निर्माणों में पानी और बिजली की सुविधाओं की व्यवस्था

1200. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनधिकृत रूप में बनाए गए मकानों में बिजली तथा पानी के कनैक्शन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे मकानों की कुल संख्या क्या है जिन्हें बिजली तथा पानी के कनैक्शन दिए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे कनैक्शन दिए जाने से पूर्व पर्याप्त जांच नहीं की जाती; और

(घ) यदि जांच की गई है तो ये कनैक्शन कैसे दिए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि समय-समय पर संशोधित दिल्ली विद्युत नियंत्रण आदेश, 1959 के उपबन्धों के अनुसार विगत समय में गैर मंजूर/अनधिकृत कालोनियों/क्षेत्रों में बिजली-के कनेक्शन दिए गए हैं। दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने कहा है कि वह इस विषय पर अपनी नीति के अनुसार लाभ भोगियों से विकास प्रभारों के भुगतान करने पर नियमित और अनधिकृत कालोनियों में सेवाओं की व्यवस्था करता आ रहा है। इसमें विशेष अनुबन्ध यह है कि इससे अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण कर न लगाया जाय। ऐसे उन मकानों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है जिन्हें बिजली-पानी के कनैक्शन दिए गए। तथापि, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिनांक 3.11.81 को निम्नलिखित मामलों में बिजली-पानी के कनेक्शन न देने के आदेश जारी किए गए हैं :

1. जहाँ कहीं भी अनधिकृत निर्माण किया गया है वहां पानी/बिजली के कनेक्शन को देने के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे निर्माण की वैध मंजूरी प्रस्तुत नहीं की जाती है ।

2. नये निर्माणों के सम्बन्ध में पानी/बिजली देने के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि मालिक/कब्जेदार द्वारा सम्पूर्ण प्रमाण पत्र या कब्जे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

3. उन मामलों में जहां वैधानिक उपबन्धों के उल्लंघन से किसी भी निर्माण/भवन या भूमि का उपयोग रिहायश से अन्यथा बदला जाता है तो पानी/बिजली देने के नए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा तथा रिहायशी के अलावा अन्य प्रयोजनों के उपयोग में लाए जा रहे वर्तमान पानी/बिजली के कनेक्शनों को काटने की भी कार्यवाही की जाएगी ।

(घ) ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

एशियाड परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब

1201. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत अनेक एशियाई परियोजनाओं को, उनके पूरा होने के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य से काफी पीछे कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा, इनके पूरा होने के मूल लक्ष्य, इसके पूरा होने हेतु बढ़ाई गई तिथि क्या है, क्या मूल परियोजना के डिजाइन और निर्माण में कोई परिवर्तन किया गया है, और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) उनके मन्त्रालय की परियोजनाओं के निर्माण, डिजाइन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से दोषपूर्ण होने तथा लागत के मूल प्राक्कलनों से अधिक हो जाने के सम्बन्ध में प्रैस द्वारा हाल में की गई आलोचना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एशियाड 1982 के लिए बनाए जा रहे स्टेडियमों में कोई दोष नहीं है । भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि के तथा अन्य कई घटकों के कारण कुछ स्टेडियमों की निर्माण लागत बढ़ने की सम्भावना है ।

एशियाड के लिए बनाए गए भवनों का एशियाई खेल समाप्त होने पर आबंटन

1202. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एशियाड, 1982 के सम्बन्ध में बनाए जा रहे भवनों को, एशियाई खेलों के काम आने के बाद आबंटित किए जाने के लिए क्या कोई आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जा रहे हैं;

(ख) दिल्ली में एशियाई खेलों के प्रयोजनार्थ बनाई गई और बन रही आवासीय यूनिटों की क्षेत्रवार संख्या क्या है तथा खेलों के बाद उनमें से कितनी यूनिटों के आबंटन उपलब्ध होने की सम्भावना है; और

(ग) आबंटन की प्रस्तावित शर्तें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) एशियाड 1982 के लिए बनाए जा रहे रिहायशी एककों को इन खेलों के समाप्त होने के बाद बेंचने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) एशियाड खेल ग्राम में कुल 853 रिहायशी एकक बनाए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय जल आयोग, सिक्किम में वर्क चार्जड स्टाफ को स्थाई किया जाना

1204. **श्री आनन्द पाठक :**
श्री सुबोध सेन : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्थाई वर्क चार्जड पदों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आदेश को सिक्किम स्थित केन्द्रीय जल आयोग में क्रियान्वित किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, औद्योगिक श्रेणियों से सम्बन्धित ऐसे कार्य-प्रभारित केवल (वर्क-चार्जड) पद, जो 3 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है और जिनके दीर्घावधि तक बने रहने की संभावना होती है, स्थायी पदों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। केन्द्रीय जल आयोग के सिक्किम स्थित कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को लोअर लग्यप जल-विद्युत परियोजना में, जो एक समयबद्ध परियोजना है, काम पर लगाया गया है। इन कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं की इस परियोजना के पूरा हो जाने तक आवश्यकता है, न कि दीर्घावधि के आधार पर। अतः अस्थायी कार्य-प्रभारित पदों को स्थाई पदों में परिवर्तित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मंजूरी के लिए लम्बित हरियाणा को सिंचाई योजनाएं

1205. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा सरकार द्वारा जनवरी, 1978 से कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए भेजा गया है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से ऐसी सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर अनुमानतः कितना व्यय आएगा और उनसे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जनवरी, 1978 के पश्चात् हरियाणा सरकार से मध्यम सिंचाई परियोजना की कोई रिपोर्ट तकनीकी संवेक्षा और योजना आयोग को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों के वितरण की दर में कमी

1206. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए गए 9.2 मिलियन टन खाद्यान्नों की तुलना में वर्ष 1981 के पहले सात महीनों में 7.4 मिलियन टन खाद्यान्नों की सप्लाई की गई; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 में उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की इस कम सप्लाई के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981 के पहले सात महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 72.81 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था जबकि 1980 में उसी अवधि में 96.72 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था।

(ख) जुलाई, 1979-जून, 1980 के दौरान देश के बड़े भाग में कमी और सूखे की स्थिति बनी रहने से उत्पादन में भारी गिरावट आई थी जबकि दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निकासी पर दबाव बढ़ा था जिसके स्टाक में कमी हुई थी। स्टाक, विशेषतया गेहूं के स्टाक को बचाकर रखने के उद्देश्य से अगस्त, 1980 में सार्वजनिक वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा रोलर आटा मिलों को गेहूं के आबंटनों का युक्तियुक्तकरण कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप राज्यों के आबंटनों में कमी हो गई थी, जो कि 1981 में चलती रहीं। पिछले वर्षों की तुलना में खरीफ और रबी की फसलें बेहतर हुई थीं और इसलिए बहुत से राज्यों ने कम मात्रा में अनाज उठाया था।

पालीपैक में दूध की सप्लाई का बन्द किया जाना

1207. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदर डेयरी संगठन ने पालीपैक में दूध की सप्लाई को पहले ही बन्द कर दिया है, और

(ख) क्या पालीपैक में दूध की सप्लाई को पुनः चालू किया जाएगा और यदि हाँ, तो कब ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्यामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) पालीपैक में दूध की सप्लाई पुनः चालू करने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नारियल विकास बोर्ड द्वारा योजना का क्रियान्वयन

1208. **श्री ई० बालानन्दन :**

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल विकास बोर्ड से क्रियान्वयन हेतु योजनाएं प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन योजनाओं का सुझाव दिया है,

(ग) क्या सरकार ने उनके क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दे दी है, और

(घ) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : जी, हाँ।

(ख) 21.9.1981 को योजना आयोग की बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा भेजी गई संशोधित योजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. नारियल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि करना;
2. उड़ीसा राज्य में नहरों के किनारे नारियल का वृक्षारोपण करना;
3. अच्छी कोटि के नारियल के पौधों का उत्पादन करना;
4. तमिलनाडु में संकर बीज के बागान तथा मार्गदर्शी संकर बीज परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना;
5. नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना करना।

(ग) तथा (घ) नारियल विकास बोर्ड से संशोधित योजनाएं विचारार्थ 21.11.1981 को प्राप्त हुई और उनकी जांच की जा रही है।

कोसी नदी पर बांध

1209. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी और बड़ा क्षेत्र नदी पर बहुउद्देशीय बांध की अद्यतन सम्भाव्यता रिपोर्ट को लाभ आदि के बंटवारे के बारे में उनके विचार कराने हेतु नेपाल सरकार को भेजे जाने के लिए काठमाण्डु स्थित भारतीय राजदूतावास को भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या बड़ा क्षेत्र बांध के अलावा कमला नदी के ऊपर सोसापानी पर कोसी बांध तथा बागमती नदी पर नंथार की सहायक नदियों पर भी और बांधों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 4074 करोड़ रुपए है और इसमें 10.9 मिलियन एकड़ फुट के सकल जल-संचयन तथा 3300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की

प्रतिष्ठापित क्षमता की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इससे बाढ़ और गाद के नियंत्रण आदि के अन्य लाभों के अलावा, नैपाल में 5.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में और भारत में 9.76 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इस परियोजना पर नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भारत और नेपाल, दोनों देशों में बहने वाली सभी नदियों के लिए, जिनमें कमला और बागमती भी शामिल हैं, जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए परियोजना के अन्वेषण संयुक्त रूप से शुरू करने के बारे में नेपाल सरकार को सुझाव दिया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार में गन्ना उत्पादकों को दिया गया मूल्य

1210. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 13 रु० प्रति क्विंटल घोषित किए जाने के विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के गन्ना उत्पादकों को 22 रु० से 32 रु० प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया;

(ख) क्या उन दिनों के दौरान किसानों को बुवाई के लिए उच्च मूल्य पर गन्ना खरीदना पडा; यदि हां, तो ऐसे किसानों की संख्या क्या है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा 13 रु० प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने के कारण हानि उठानी पड़ेगी और यह हानि कितनी होगी;

(ग) क्या किसानों की क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर वी० स्वामीनाथन) : (क) चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को पिछले वर्ष के दौरान गन्ने का वास्तव में दिया गया मूल्य 22 00 रुपए से 28.00 रुपए प्रति क्विंटल के बीच था जबकि 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर गन्ने का अधिसूचित मूल्य 13 रु० प्रति क्विंटल था।

(ख) गन्ने के 13.00 रुपए प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में न केवल गन्ने की लागत जिसमें गन्ना बीज की लागत शामिल है, बल्कि किसानों के लिए कुछ लाभ की भी व्यवस्था होती है। तथापि पिछले वर्षों की तरह चालू वर्ष के दौरान गन्ने का वास्तव में दिया जाने वाला मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से बहुत अधिक होने की सम्भावना है। इसलिए किसानों को कोई नुकसान उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

वन संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में तथाकथित विफलता

1211. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 या तो राज्य सरकारों द्वारा अथवा गैर-सरकारी लोगों द्वारा वनों को नष्ट होने से बचाने के अपने उद्देश्य में विफल हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो वनों को बचाने, नियमित करने तथा उगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

नागरिक पूर्ति निगम को हानि

1212. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागरिक पूर्ति निगम, दिल्ली को इस वर्ष दक्षिण भारत से चीनी खरीदने पर 70-80 लाख रु० की भारी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस मद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां चीनी की अनेक मिलें विद्यमान हैं, न खरीदे जाने के कारणों सहित इस कदम के उठाए जाने का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निगम के कार्य क्या हैं, और किन उद्देश्यों से इसकी स्थापना की गई थी;

(घ) क्या इसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है और क्या यह इन उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रहा है; और

(ङ) इसे कितना वित्तीय आबंटन किया गया है और हानि आदि के रूप में अब तक इसने कितनी राशि बर्बाद की है और इसके पास कुल कितना धन शेष है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम को इस वर्ष तमिलनाडु से चीनी खरीदने पर 26.35 लाख रुपए की हानि हुई है, न कि 70-80 लाख रुपए की। दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने तमिलनाडु नागरिक पूर्ति निगम के माध्यम से तमिलनाडु सहकारी चीनी मिलों से 715.6 मी० टन चीनी खरीदी। यह मात्रा तब खरीदी गई थी जब उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी

कारखाना संघ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों से 2136.9 मी० टन चीनी खरीदी जा चुकी थी तथा उत्तर प्रदेश से और चीनी मिल सकने की संभावनाएं नहीं रही थीं और बम्बई में चल रहे मूल्यों को ध्यान में ले लिया गया था ।

(ग) दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना 1980 में की गई थी । इसके उद्देश्य ये हैं :—खाद्य सामग्री, सीमेंट, कोयले, इमारती लकड़ी, भवन निर्माण सामग्री, पेय पदार्थों, औषधियों, पेट्रोलियम उत्पादों, स्प्रिट तथा अन्य आवश्यक एवं उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन, खरीद, वसूली, संसाधन, संचलन, ढुलाई, आयात, निर्यात, वितरण और विक्रय का काम करना, इन कार्यों को बढ़ावा देना, इन्हें विकसित करना, इनमें सुधार लाना, इनके बारे में सलाह देना और इनके लिए वित्त की व्यवस्था करना ।

(घ) अपने कार्य के पिछले एक वर्ष के दौरान निगम अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में उत्तरोत्तर रूप से बढ़ा है ।

(ङ) निगम की अधिकृत अंश-पूंजी 200 लाख रुपए है, जिसमें से निगम को 1,40,92,344/- रु० 20 नवम्बर, 1981 तक अंश पूंजी के रूप में दे दिए गए हैं, निगम की लाभ व हानि की स्थिति का पता इसके लेखाओं की लेखा परीक्षा होने तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के मिलने के बाद लगेगा ।

बिहार में भूमिगत संसाधनों की खोज

1213. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गया जिले के छः खण्ड तथा बोध गया, शेरघाटी, आमास, गुरुवा, बराछत्ती और बिहार का फतेहपुर सूखे की चपेट में है और वहाँ पेय-जल तथा सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है; और

(ख) क्या भारत सरकार का केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूमिगत जल संसाधनों के स्थाई हल हेतु इन क्षेत्रों का अन्वेषण कराने का है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बिहार सरकार से अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सामान्यतः राज्य सरकारों की सलाह से अथवा उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में भूगत जल के बारे में अन्वेषण करता है । बिहार सरकार ने बोर्ड से गया जिले के छः ब्लाकों, नामशः बोध गया, शेर-घाटी, अमस, गुरुवा, बाराछत्ती और फतेहपुर में भूगत जल अन्वेषण करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया है ।

पारादीप (उड़ीसा) में मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण

1214. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1970 में उड़ीसा के पारादीप में एक मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण करने का निर्णय किया था,

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) पारादीप में उपर्युक्त मत्स्य बन्दरगाह का शीघ्र निर्माण करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) पारादीप बन्दरगाह न्यास ने एक संभाव्यता संबंधी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दी थी । नवीनतम स्थिति यह है कि मत्स्यन जलयानों और वाणिज्यिक जलयानों दोनों के लिए आम प्रवेश चैनल होने के कारण मत्स्यन बन्दरगाह के लिए चुनी हुई जगह को जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्रालय ने स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) वैकल्पिक स्थान पर विचार करने के लिए जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्रालय में 13.11.81 को एक बैठक हुई थी । बन्दरगाह न्यास को ऐसे स्थलों की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु जांच करनी है जिन्हें व्यापारिक जलयानों और मत्स्यन जलयानों दोनों द्वारा आम चैनल के रूप में उपयोग में न लाया जा सके ।

पंचशीलवर, करनाली और राप्ती में प्राकृतिक जलाशय

1215. **श्री एन०ई० होरो :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए सीमा पर पंचशीलवर, करनाली और राप्ती में प्राकृतिक जलाशय का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने नेपाल से कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थिति, जिनसे अन्य लाभों के साथ-साथ, बाढ़ नियंत्रण लाभ भी मिल सकते हैं, निम्न प्रकार हैं :

1. **पंचेश्वर परियोजना** : नेपाल सरकार के साथ हुए एक करार के आधार पर, पंचेश्वर बहुप्रयोजनी परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत अन्वेषण शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है ।

2. **करनाली परियोजना** : नेपाल सरकार के साथ इस बात पर सहमति हो गई है कि दोनों देशों के संयुक्त पर्यवेक्षण के अन्तर्गत इस परियोजना का व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन प्रारम्भ किया जाएगा और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

3. **राप्ती परियोजना** : राप्ती नदी पर एक बहुप्रयोजनी परियोजना के संयुक्त रूप से अन्वेषण करने के सम्बन्ध में नेपाल सरकार के साथ मामला उठाया जा रहा है ।

मक्खन, पनीर और घी के मूल्य

1216. **डा० कृपा सिंधु भोई** : **क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में दूध के मूल्यों में कोई परिवर्तन न होने के बावजूद भी मक्खन, पनीर और घी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दूध तथा उत्पादों के मूल्य में समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) मक्खन, पनीर और घी के मूल्य विभिन्न आदानों तथा कच्चे माल की लागतों में वृद्धि होने से प्रभावित होते हैं, इसमें उक्त उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाने वाला ताजा दूध भी शामिल है। मूल्य ग्रीष्म के महीनों के दौरान कच्चे दूध की उपलब्धि में मौसमी कमी होने तथा खाद्य तेलों के मूल्यों की प्रवृत्ति से भी प्रभावित होते हैं। इन उत्पादों पर मूल्य नियंत्रण नहीं है ।

दिल्ली के बेगमपुर गांव में धोखाधड़ी से भूमि की खरीद

1217. **श्री राजेश कुमार सिंह** : **क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बेगमपुर गाँव में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए डी०डी०ए० की लगभग 50 एकड़ भूमि को एक व्यक्ति द्वारा इसके मूल स्वामियों से धोखाधड़ी करके खरीद लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कावेरी जलविवाद

1218. **श्री वी०एस० विजयराववन :**

श्री के० मालन्ना : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी जल विवाद को हल करने के लिए कोई वार्ता चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र ने इस सम्बन्ध में कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकारियों और मुख्य मंत्रियों के स्तर पर पिछले दिनों में कई बैठकें की गई हैं, पिछली बैठक दिसम्बर, 1980 में हुई थी । कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों ने 14 और 15 अक्तूबर, 1981 को बंगलौर में विचार-विमर्श किया था । दोनों राज्यों ने कावेरी के जल के बारे मे अपनी-अपनी दलील को दोहराया और वे विचार-विमर्श आगे जारी रखने पर सहमत हुए । कावेरी बेसिन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक उन सभी के लिए सुविधाजनक तारीख को बुलाई जाएगी ।

चीनी मिलों द्वारा खण्डसारी के स्टाक की घोषणा करने के बारे में निदेश

1219. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्डसारी उत्पादकों को अपने खण्डसारी भण्डार की घोषणा करने को कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस निदेश का पालन करने वाले तथा पालन न करने वाले उत्पादकों की संख्या क्या है और घोषित किए गए स्टाक की मात्रा क्या है;

(ग) इस निदेश का पालन न करने वाले उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) खण्डसारी के उत्पादन पर अभी हाल में लगाए गए प्रतिबन्ध का स्वरूप क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ। उन्हें 24.9.1981 को निदेश दिए गए थे कि वे सितम्बर, 198' तक अपने मासिक स्टाक की घोषणा करें।

(ख) और (ग) हालांकि उपर्युक्त आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था क्योंकि यह काम उन्हें ही सौंपा गया है। स्टाक घोषित करने और उसका निपटान करने विषयक कार्य की न तो केन्द्रीय सरकार द्वारा देख-रेख की जा रही है और न ही ऐसा करना सम्भव है क्योंकि देश में लगभग 7,000 खण्डसारी उत्पादक हैं।

(घ) पहली अक्तूबर, 1981 से प्रारम्भ वर्तमान चीनी मौसम के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा खण्डसारी के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

लक्ष्मी नगर और शकरपुर, दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

1220. **श्री कमल नाथ** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में पता चला है कि जमुना पार क्षेत्र के लक्ष्मी नगर तथा शकरपुर में विकास मार्ग के साथ अनधिकृत निर्माण बन गए हैं और अब भी बन रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) लोग सीमेंट आदि नियंत्रित भवन निर्माण सामग्री कैसे प्राप्त कर रहे हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि लक्ष्मी नगर तथा शक्करपुर क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण का पता चला है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत 504 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। 457 मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनधिकृत निर्माणों को गिराने के नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ अनधिकृत निर्माणों को गिराया भी जा चुका है।

(ग) खाद्य तथा सम्भरण विभाग, दिल्ली ने बताया है कि, इसके कार्यान्वयन अभिकरणों तथा विशेष सैल, अपराध शाखा दिल्ली पुलिस द्वारा की गई रिपोर्टों तथा खोजों से पता चला है कि अनधिकृत निर्माण के लिए उपयोग में लाया गया सीमेन्ट अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त किया जाता है।

शालीमार बाग फ्लैटों में घटिया स्तर की सामग्री का प्रयोग

1221. **श्री सत्य देव सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि शालीमार बाग के पाकेट एन० के फ्लैटों के निर्माण में ठेकेदारों ने घटिया स्तर की भवन निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है, और यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या वहाँ निम्न आय श्रेणी और मध्यम आय श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ठेकेदारों को कोई विशिष्ट हिदायतें दी थीं, और यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है कि इन विशिष्ट हिदायतों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है; यदि हां, तो जांच का स्वरूप क्या है और उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या फ्लैटों के निर्माण में इस्तेमाल की गई भवन-निर्माण सामग्री के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण सन्तुष्ट है, यदि नहीं, तो घटिया स्तर की भवन निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) शालीमार बाग के पाकेट "एन०" के एक फ्लैट के निर्माण में दोष की एक शिकायत प्राप्त हुई थी तथा उचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा गया है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विशिष्टियों के अनुसार फ्लैटों का निर्माण किया जाता है और उन फ्लैटों के निर्माण में प्रयोग की गई निर्माण सामग्री से वे सन्तुष्ट हैं। इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जाँच के कोई आदेश नहीं दिए।

खाद्य तथा कृषि निगम का रोम में अधिवेशन

1222. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन का 21वां द्विवर्षीय अधिवेशन रोम में नवम्बर के प्रथम सप्ताह में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य और कृषि संगठन के अधिवेशन में किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) हमारे देश में कृषि सुधार तथा ग्रामीण विकास के लिए इस संगठन का क्या योगदान रहा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) सत्र में विचार किए गए मदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) खाद्य तथा कृषि क्षेत्र में सरकारों को सहायता देने की परियोजनाओं हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की कार्यकारी एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त करने वालों में भारत भी है। कृषि क्षेत्र में खाद्य तथा कृषि संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को काफी प्रशिक्षण सुविधाएं तथा विशेषज्ञ दिए हैं। खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत सरकार को अपने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम निधि से 18,06,740 अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा निष्पादित न्यास निधि परियोजनाओं के जरिए कृषि विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन ने बहुपक्षीय एजेंसियों तथा दाता देशों के स्रोतों को जुटाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। खाद्य तथा कृषि संगठन विभिन्न विषयों पर अपने प्रकाशनों, पत्रिकाओं आदि की निःशुल्क सप्लाई भी करता है। खाद्य तथा कृषि संगठन ने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक भारतीय अधिकारियों को अपने खर्चे पर विदेशों में प्रशिक्षण प्रदान किया है। भारत के सहयोग से खाद्य तथा कृषि संगठन ने कई बैठकों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की।

विवरण

वे मदें जिन पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के 21वें सत्र में विचार किया गया।

प्रस्तावना—सत्र की प्रक्रिया

1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन।
2. सामान्य समिति तथा प्रत्यायक समिति की नियुक्ति।
3. कार्य-सूची की स्वीकृति।
4. सत्र हेतु व्यवस्था तथा कार्य-सूची की मदों का आवंटन।
5. प्रेक्षकों का प्रवेश।

भाग 1—खाद्य तथा कृषि के सम्बन्ध में प्रमुख प्रवृत्तियां तथा नीतियां।

6. विश्व में खाद्य तथा कृषि की स्थिति, जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :

6. 1 खाद्य तथा कृषि की स्थिति ।

6. 2 विश्व खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कार्य योजना के क्रियान्वयन में प्रगति ।

7. विश्व में खाद्य तथा कृषि विकास की नीति जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :

7. 1 तृतीय विकास दशक के लिए संयुक्त राष्ट्र अतर्राष्ट्रीय विकास नीति ।

7. 2 क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय विकास नीतियां ।

8. कृषि तथा ग्रामीण विकास में ऊर्जा ।

भाग 2—संगठन की गतिविधियां तथा कार्यक्रम

9. 1982-83 हेतु बजट तथा कार्य का कार्यक्रम ।

10. विकासशील देशों में कृषि अनुसंधान सहित मध्यम अवधि के लक्ष्य ।

11. नियमित कार्यक्रम की समीक्षा ।

12. फील्ड कार्यक्रमों की समीक्षा, जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :

12. 1 खाद्य उत्पादन तथा ग्रामीण विकास हेतु कृषि निवेश तथा विकास सहायता ।

12. 2 साहाय्य लागत ।

13. डब्ल्यू०सी०ए०आर०आर०डी० पर अनुवर्ती कार्रवाई ।

14. संयुक्त राष्ट्र/खाद्य तथा कृषि संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम ।

15. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से परामर्श तथा सम्बन्ध, जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :

15. 1 खाद्य तथा कृषि संगठन के हित के लिए संयुक्त राष्ट्र पद्धति की हाल ही की गतिविधियाँ ।

15.2 अन्तःसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों से सम्बन्ध ।

भाग 3—**संवैधानिक तथा प्रशासकीय मामले**

क) **संवैधानिक तथा कानूनी मामले**

16. सभाओं व करारों तथा उनमें हुए संशोधनों की स्थिति पर सांविधिक रिपोर्ट ।

17. अन्य संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न ।

ख) **प्रशासकीय तथा वित्तीय मामले**

18. लेखा परीक्षित खाते ।

19. 1982-83 में अंशदानों का स्वरूप ।

20. अन्य वित्तीय तथा प्रशासकीय प्रश्न, जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :

20.1 विशेष सुरक्षित खाते के उपबन्धों में संशोधन ।

20.2 मुख्य कार्यालय का स्थान ।

20.3 निकट पूर्व के लिए क्षेत्रीय कार्यालय ।

20.4 लेखा परीक्षित अन्तरिम लेखों की समाप्ति ।

भाग 4—नियुक्तियां तथा निर्वाचन

21. संगठन में सदस्यता हेतु आवेदन-पत्र

—भूटान

—इक्वेटोरियल गिनी

—सेंट विसेंट तथा ग्रेनेडीनेस

—टोंगा

—जिम्बाब्वे

22. परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन

23. नियुक्तियां—

23. 1 महानिदेशक की नियुक्ति ।

23. 2 परिषद के पृथक सभापति की नियुक्ति ।

23. 3 कर्मचारी पेंशन समिति में सदस्य सरकारों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति ।

पशुपालन और डेरी विकास के लिए समेकित कार्यक्रम

1223. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पशु पालन और डेरी विकास करने तथा श्वेत क्रान्ति लाने के लिए एक समेकित कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड-दो नामक एक समेकित पशु एवं डेरी विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और दुग्ध परिसंस्करण और परिरक्षण सम्बन्धी अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन करना है। इसका उद्देश्य 100 लाख फार्म परिवारों को लाभ पहुंचाना और लगभग 150 लाख संकर गायों और उन्नत भैंसों के एक राष्ट्रीय दुग्ध क्षेत्र की व्यवस्था करना है।

(ख) प्रस्तावित परिव्यय, दुग्ध उत्पादन में लक्षित वृद्धि तथा परिसंस्करण संबंधी सुविधाओं की जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आपरेशन फ्लड-दो के अन्तर्गत प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन में वृद्धि परिसंस्करण सुविधाओं और परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

	राज्य	दुग्ध उत्पादन में लक्षित वृद्धि (प्रति दिन लाख लिटर)	परिसंस्करण सुविधाओं को तैयार करने में प्रस्तावित वृद्धि (प्रति दिन लाख लिटर)	परियोजना का कुल प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश (*)	12.9	11.50	76.82
2.	असम	1.6	0.60	6.65
3.	बिहार (**)	—	—	—
4.	गुजरात	12.00	14.35	53.2
5.	हरियाणा	14.00	4.80	26.92
6.	हिमाचल प्रदेश	0.91	—	3.30
7.	जम्मू और कश्मीर	0.42	0.60	6.85
8.	कर्नाटक (**)	—	—	—
9.	केरल	5.70	4.60	19.37
10.	मध्य प्रदेश	0.05	6.80	53.26
11.	मणिपुर (**)	—	—	—
12.	महाराष्ट्र (**)	(*)	—	—
13.	मेघालय (**)	—	—	—
14.	नागालैंड (**)	—	—	—
15.	उड़ीसा	1.00	1.10	9.65
16.	पंजाब	27.49	14.50	58.32
17.	राजस्थान (**)	—	—	—
18.	सिक्कम	0.13	0.10	0.93
19.	तमिलनाडु	12.00	7.17	31.96
20.	त्रिपुरा	0.09	0.50	0.56
21.	उत्तर प्रदेश (**)	—	—	—
22.	पश्चिम बंगाल	4.60	4.50	33.20

(*) योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है।

(**) रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है।

पंजाब में "कीवी" फल

1224. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में "कीवी" नामक फल, जो बड़ा स्वादिष्ट होता है, उगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पूर्ण निर्धारण तथा मूल्यांकन कर लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पौध प्रतिस्थापन प्रभाग (जिसे अब राष्ट्रीय पौध जननिक संसाधन ब्यूरो कहा जाता है) ने 1963 में "किवी" वृक्ष का विकास किया था। न्यूजीलैण्ड से 'एलीसन' किस्म प्राप्त की गई थी तथा उन्हें उसने शिमला के अपने क्षेत्रीय केन्द्र में रोपित किया था, जहां से पंजाब कृषि विश्व विद्यालय, लुधियाना ने प्रयोग एवं जांच के लिए कुछ पौधे लिए थे।

(ग) जी, नहीं। सामग्री की अभी भी जांच की जा रही है।

गन्ना उत्पादन

1225. **श्री जार्ज फर्नाडीज :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के सीजन में कितना गन्ना उपलब्ध होने की आशा है;

(ख) क्या गन्ने की मात्रा में वृद्धि अधिक भूमि में गन्ना उगाने या अन्य कारणों से हुई है;

(ग) क्या गन्ने के उत्पादन में वृद्धि से इसके मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) 1981-82 के मौसम के लिए गन्ने के क्षेत्र तथा उत्पादन संबंधी अनुमान अभी राज्य सरकारों से प्राप्त होने हैं। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर प्रारम्भिक संकेतों के अनुसार, गन्ने के अन्तर्गत लगभग 30 लाख हैक्टार क्षेत्र हो सकता है और गन्ना उत्पादन 1980-81 के दौरान प्राप्त 1505 लाख मीटरी टन के स्तर से काफी अधिक हो सकता है। क्षेत्र और उपज दोनों में ही वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि

हो सकती है । इसके परिणामस्वरूप, पेराई के लिए उपलब्ध गन्ने की मात्रा में वृद्धि होने की आशा है ।

(ग) तथा (घ) सांविधिक न्यूनतम गन्ने का मूल्य—जिसमें उत्पादन की लागत और उचित लाभ की मात्रा सम्मिलित है—पिछले वर्ष के समान हैं, और मूल्यों को न्यूनतम मूल्य स्तर से नीचे गिरने से रोकने में मदद करता है । वास्तव में, लगभग सभी क्षेत्रों से आशा की जाती है कि वे न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य अदा करें, हालांकि, मांग और पूर्ति के कारण कुछ मामलों में कीमतों का स्तर पिछले वर्ष के स्तर के समान नहीं रह सकता ।

वामनपुरम सिंचाई परियोजना

1226. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल की बामनपुरम सिंचाई परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बामनपुरम सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट पर योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा नवम्बर, 1980 में विचार किया गया था । समिति ने कहा था कि परियोजना की लागत और लाभों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है । केरल सरकार से संशोधित परियोजना रिपोर्ट हाल में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है । उसकी आयोग में जांच की गई है और उसे सलाहकार समिति द्वारा विचार करने के लिए योजना आयोग को भेज दिया गया है ।

संशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, वामनपुरम सिंचाई परियोजना में काल्लार नदी पर वालायकी के स्थान पर 324 मीटर लम्बे और 72 मीटर ऊंचे एक चिनाई बांध और बाएं तट पर 44.5 किलोमीटर लम्बी एक मुख्य नहर के निर्माण की परिकल्पना की गई है । परियोजना पर 36.40 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इससे 18014 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई परिकल्पित है ।

मत्स्य पालन का विकास

1227. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में विभिन्न राज्यों में मत्स्य पालन के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ख) मत्स्य पत्तनों पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और उन पत्तनों के नाम क्या हैं; और

(ग) संत्रीकृत नौकाओं से मछली पकड़ने पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी तथा यंत्रीकरण नौकाओं का स्वरूप क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न राज्यों के वर्ष 1982-83 के योजना प्रस्तावों पर योजना आयोग में विचार विमर्श किया जा रहा है, अतः मात्स्यकी विकास के सम्बन्ध में वर्ष 1982-83 के बजट आवंटन से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) निर्माणाधीन स्वतः पूर्ण मत्स्यन बन्दरगाहों के नाम **विवरण** में दिए गए हैं ।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में उल्लेख किया गया है, सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

निर्माणाधीन मत्स्यन बन्दरगाहों (स्वतः पूर्ण) की सूची

क) **बड़े पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाह :**

1) मद्रास (तमिलनाडु)
2) बिजाग – द्वितीय चरण (आंध्र प्रदेश)
3) कोचीन (केरल)
4) राय चौक (पश्चिम बंगाल)
5) सासून बन्दरगाह (महाराष्ट्र)

ख) **छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाह :**

क) **गुजरात :**

1) वेरावल
2) मंगरोल
3) पोरबंदर

ख) **महाराष्ट्र**

1) रत्नागिरी

ग) **कर्नाटक**

1) माल्पे
2) मंगलोर

घ) **केरल**

नीडाकर

ङ) आंध्र प्रदेश

1) काकीनाडा
2) निजामपटनम
3) बावनापड्डु

टिप्पणी : उपरोक्त के अलावा, विभिन्न केन्द्रों पर माल उतारने तथा जहाज ठहराने की थोड़ी बहुत सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं।

कृषि क्षेत्र में उगाँडा की सहायता

1228. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगाँडा सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहायता माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) सिंचित कृषि, कृषि पर आधारित उद्योगों, धान्य तथा बागवानी फसलों का उत्पादन तथा परिसंस्करण आदि, वानिकी तथा काष्ठ संसाधनों, चीनी उद्योग; पशु संशाधनों वायो गैस के विकास तथा विस्तार और विकास तथा अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों में तकनीकी सहायता तथा विशेषज्ञता के प्रावधान के लिए सहायता मांगी गई है।

भूमि सुधार योजना का क्रियान्वयन

1229. **श्री चित्त महाटा :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित किया है कि उन्होंने भूमि सुधार योजना को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया है कि नहीं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) भूमि सुधार योजना का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है तथा अड़चनों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन के स्वरूप को असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। चूंकि भूमि सुधार में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ की आसानी से गिनती नहीं की जा सकती है, अतः पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। तथापि, कुछ मुख्य सूचक नीचे दिए जाते हैं :

1. व्यावहारिक रूप से सभी बिचौलिया काश्तकारियों का पूरी तरह से उन्मूलन;
2. संशोधन से पूर्व अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत लगभग 19 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण तथा वितरण तथा संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत भूमिहीनों को 18.28 लाख एकड़ भूमि का वितरण ।
3. काश्तकारों द्वारा भुगतान योग्य अधिकांश किराए का नियमन; तथा
4. अधिकांश काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1230. **श्री सत्येन्द्र नारायन सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में खाद्यान्नों का उत्पादन कितना था;

(ख) क्या ये आँकड़े अस्थाई अनुमान से भिन्न हैं; और

(ग) इन आंकड़ों का अस्थाई अनुमान इतना अधिक भिन्न होने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1979-80 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 1097 लाख मीटरी टन था तथा वर्ष 1980-81 के लिए यह 1299 लाख मीटरी टन है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जब क्षेत्र या उपज या दोंनों के अन्तिम आंकड़े पहले के या अन्तिम अनुमानों से भिन्न होते हैं । सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसे घटकों के कारण प्रभावित क्षेत्रों में सम्भावित उत्पादन में भारी कमी आती है । अखिल-भारतीय स्तर पर समग्र उत्पादने में आमतौर पर बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है ।

खाद्य तिलहन का उत्पादन

1231. **श्री जगपाल सिंह :**
श्री त्रिलोक चन्द :
प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में खाद्य तिलहन का अनुमानित उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो खाद्य तिलहन का अपने देश में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कितना कम होने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार मांग और पूर्ति के अन्तर को आयात द्वारा किस सीमा तक पूरा करने का है तथा इससे तिलहनों के मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष के दौरान खाद्य तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य से कितनी मात्रा में भिन्न होगा अभी यह बताना संभव नहीं है ।

(ग) चालू तेल वर्ष के दौरान आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा, खाद्य तेलों के देशी उत्पादन, समय-समय पर राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली मांग, खाद्य तेलों की आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृति, विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं पर निर्भर होगी ।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास

1232. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी प्रस्तावित परिषद का गठन, उद्देश्य, कार्य संरचना और वित्तीय व्यवस्था संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : परिषद अभी गठन की अवस्था से है तथा इसके संविधान और गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । छठी योजना अवधि (1980-85) हेतु इस परिषद के लिए 90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है । परिषद के प्रस्तावित कार्यों/उद्देश्यों को विवरण में दिया गया है ।

विवरण

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद के कार्य, उद्देश्य ।

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके सहयोगी निकायों के अन्तर्गत लिए गए क्षेत्रों के अलावा, अन्य सभी क्षेत्रों के लिए विकास के समस्त प्रयासों के समन्वय तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के संविरण हेतु राष्ट्रीय माडल केन्द्र के रूप में कार्य करना;
2. ग्रामीण लोगों द्वारा अनुभव की गई विशिष्ट समस्याओं का पता लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रोद्योगिकी के विकास हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना तथा विभिन्न संगठनों द्वारा अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के लिए निधियां जुटाना;

3. अनुसंधान की वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना अथवा संस्थाओं को विकसित या स्थापित करना ताकि उन मामलों जो पूर्णत: अथवा अधिकांशत: ग्रामीण हित के हैं, से सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को गठित करना;

4. सूचना गृह तथा आंकड़े उपलब्ध करने वाले बैंक के रूप में कार्य करना;

5. मशीनें, औजारों, उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों के विनिर्माताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देना ताकि निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में तकनीकी रूप से सुधरी मशीनरी आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके;

6. सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा जनता के सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु चैनल के रूप में कार्य करना;

7. प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित अथवा प्रायोजित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभभोगियों तक सुधरी प्रौद्योगिकी पहुंचाई जा सके;

8. उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में अनुसंधान अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना ।

चीनी नीति को व्यवस्थित करना

1233. **श्री राजेश पायलट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ने की कोटि और मात्रा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस वर्ष गन्ने की अधिक प्राप्ति करने; उसकी सुचारू रूप से खरीद करने और चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी की नीति व्यवस्थित बनाने और चीनी के अधिक उत्पादन और निर्यात की दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति या आयोग नियुक्त करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन): (क) और (ख) : अधिकांशत: खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी होने और सूखे की स्थिति होने के कारण 1979-80 में गन्ने का उत्पादन गिरकर 1280 लाख मीटरी टन पहुंच गया। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि कर, गन्ने के अच्छे किस्म के बीज का उत्पादन और वितरण कर उर्वरकों का पर्याप्त और दक्ष इस्तेमाल कर, पेड़ी का उपयुक्त प्रबन्ध कर, पौध संरक्षण अम्ब्रेला का विस्तार कर तथा सघन विस्तार उपाय कर 1980-81 में विशेष उपाय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष गन्ने का उत्पादन बढ़कर

1.05 लाख मीटरी टन हो गया। 1981-82 के दौरान इन प्रयासों को और तेज कर दिया गया था। आशा है कि इस वर्ष के दौरान गन्ने का प्रत्याशित उत्पादन 1980-81 की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक होगा।

वर्तमान मौसम 1981-82 के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने शीघ्र पिराई करने लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट के रूप में चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। आशा है कि 1981-82 में चीनी का कुल उत्पादन 65 से 67 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाएगा जबकि 1980-81 में उत्पादन 51.43 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ग) : जी नहीं।

"टू वर्ल्ड-फर्स्टसा बाई०डी०डी० ए०" शीर्षक से समाचार

1234. **प्रो० बी० डी० सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "टू वर्ल्ड-फर्स्टस बाई०डी०डी०ए०" (दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे दो कार्य जो विश्व में पहली बार हुए हैं) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जिन पंजीकृत लोगों के लिए शेखसराय में मकानों का निर्माण किया जा रहा है उनकी श्रेणी कौन सी है, और क्या हुडको के लिए पंजीकृत लोगों को भी ये मकान मिलेंगे और यदि नहीं, तो उन्हें भी इसमें शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) शेखसराय परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाया जाना

1235. **श्री निहालसिंह** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में 5000 नलकूप लगाने और 1400 नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिए कुछ धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक यह धनराशि कैसे और कब तक देगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) :(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है, मई, 1980 में हस्ताक्षरित करार के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना (चरण-एक) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 500 राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए 18 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इस परियोजना के मार्च, 1982 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश सरकार से 185·16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4420 सरकारी नलकूपों के निर्माण की एक परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक की सहायता के लिए प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत कुछ वर्तमान नलकूपों का आधुनिकीकरण के लिए शामिल करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश नलकूप, चरण-एक, परियोजना के लिए विश्व बैंक से समय-समय पर हुए वास्तविक व्यय के अनुसार प्रतिपूर्ति की मांग की जाती है।

शहरी जनसंख्या का सर्वेक्षण

1236. **श्री जी० दाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि पिछले दस वर्षों में प्रथम श्रेणी के नगर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जिसके कारण शहरी जनसंख्या बहुत बढ़ी है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य-वार या शहर-वार कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जनसंख्या की दरों की अपेक्षित प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : जनगणना के महा पंजीकार ने ग्रामीण तथा शहरी अनन्तिम जनसंख्या योगों जिसका पता 1981 की जनगणना से चला है, को प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकाशन से यह पता चला है कि प्रथम श्रेणी के शहरों की संख्या 1971 में 145 से 1981 में 216 तक बढ़ गई है और इन शहरों की जनसंख्या वृद्धि दर 1961-71 के 52.67 प्रतिशत से 1971-81 में 56.83 प्रतिशत तक बढ़ गई है। प्रथम श्रेणी के शहरों की शहरी जनसंख्या 1971 के 56.21 प्रतिशत से 1981 में 60.37 प्रतिशत बढ़ गयी है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से ऋण

1237. **श्री निहाल सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के लिए एक परियोजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत कुल मंजूर किए गए 3366 गोदामों में 525 पूरे हो चुके है और 686 निर्माणाधीन हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि किन शर्तों पर दी जाती है तथा इस ऋण को देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। विश्व बैंक एक सहकारी भण्डारण परियोजना को क्रियान्वित करने में सहायता दे रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तैयार की गई है। 31 अक्तूबर, 198 तक 3368 ग्रामीण गोदामों के लिए मंजूरी दी गई थी जिसमें से 770 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है और 625 गोदाम निर्माणाधीन हैं।

(ख) विश्व बैंक ने राज्य में ग्रामीण गोदाम परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 13.67 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की है जिसमें कुल 29.14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा 4600 गोदामों तथा उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सहकारी संघ द्वारा 35 विपणन गोदामों का निर्माण शामिल है। परियोजना की शेष लागत के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्य सरकार और सम्बन्धित समितियों द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

परियोजना के अन्तर्गत सहायता का पात्र होने लिए किसी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को आत्मक्षम/सम्भावित रूप से आत्मक्षम होना चाहिए और उसमें गैर-ऋण सम्बन्धी कार्यों जैसे कृषि उत्पादों के विपणन, उर्वरकों सहित कृषि आदानों की सप्लाई और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए ताकि प्रस्तावित गोदाम की आर्थिक व्यवहार्यता का औचित्य सिद्ध हो सके। गोदाम की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में सन्तुष्ट हो जाने पर, राज्य सहकारी बैंक किसी समिति विशेष को गोदाम के लिए मंजूरी प्रदान करता है और उक्त कार्य के लिए दो बराबर किश्तों में ऋण सहायता सुलभ करायी जाती है। समिति द्वारा प्रस्तावित गोदाम के लिए भूमि का अधिग्रहण किये जाने के बाद बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण सहायता के 50 प्रतिशत की पहली किश्त-निर्मुक्त कर दी जाती है। दूसरी किश्त राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित-शेयर पूंजी निर्मुक्त करने तथा गोदाम का निर्माण कार्य कुर्सी-स्तर तक पहुंचने के बाद निर्मुक्त की जाती है।

सिंचित क्षेत्र में अरहर, मूंग और गेहूं की फसल

1238. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत धान तथा तिलहन की तरह सिंचित क्षेत्र में अरहर, मूंग और गेहूं बोने का नया तरीका शुरू किया जाना है ताकि उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके और इस तरीके को लोकप्रिय बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, उन किस्मों के नाम क्या हैं जो हाल ही में सरकार द्वारा अविकसित की गई है तथा जो कम समय में पक जाती हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :(क) जी हां। सरकार सिंचित क्षेत्रों में अरहर, गेहूं/(अरहर+मूंग)—गेहूं व गेहूं मूंग बोने के नये चक्र को शुरू करने व लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है।

(ख) अरहर व मूंग की जल्दी पकने वाली निम्न लिखित किस्मों का विकास किया गया है :

अरहर : टी 21, प्रभात, अगेती यू०पी० ए० एस० 120, पंत ए—1, पंत ए—3, डी० एल० 74 व पूसा 84 आदि।

मूंग : टी—1, टी—44, पूसा बैशाखी, के० 851, पी० एस० 16, जी० 65 आदि।

छठी पंचवर्षीय योजना के अधीन दिए जाने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

1239. **श्री हरिहर सोरन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितने फ्लैट आबंटित किए जाने की संभावना है;

(ख) नई दिल्ली/दिल्ली के किन क्षेत्रों में ये फ्लैट बनाए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्रधिकरण के फ्लैटों की प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(घ) क्या नई दिल्ली में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आवंटन हेतु निर्माणाधीन क्वार्टरों में भी वृद्धि की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शहरी भूमि के मूल्यों में वृद्धि

1240. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर राजधानियों में शहरी भूमि तथा भवनों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और बम्बई में पिछले तीन वर्षों में वर्षवार शहरी भूमि और भवनों के मूल्यों वृद्धि संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने मूल्यों पर रोक लगाने तथा मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाएं हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

समुद्री खाद्य पदार्थ तथा मछली का प्राप्त किया जाना

1241. **श्रीमती सयोगिता राणे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय समुद्री खाद्य पदार्थों तथा मछलियां कितनी मात्रा में समुद्र से निकाली जाती है; और

(ख) अधिक मछली तथा समुद्री खाद्य पदार्थ निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) 1980 में भारत में समुद्री तथा अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन के अनन्तिम अनुमान क्रमशः 15.48 लाख मीटरी टन तथा 8.75 लाख मीटरी टन हैं ।

(ख) देश में मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए अनेक उपायों में प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) पोतों का देश में विनिर्माण करके व मछली पकड़ने हेतु विदेशी पोतों को चार्टर करके मत्स्यन बेडे को बढ़ाना । मत्स्यन पोतों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए सरकार ने पोत की लागत पर 33 प्रतिशत की राज सहायता की मंजूरी दी है । मत्स्यन पोत करने के लिए जहाजरानी निधि विकास समिति के माध्यम से 4-1/2 प्रतिशत ब्याज की दर पर आसान

ऋणदिया गया है। चार्टर नीति की घोषणा की गई है ताकि मत्स्यन स्रोतों का पता लगाने के लिए इच्छुक पार्टिया बिदेशी मत्स्यन पोतों को चार्टर कर सके।

(2) राज्य सरकारों ने समुद्री तट पर मछली पकड़ने के लिए चुनींदा क्षेत्रों में अतिरिक्त छोटी नौकाएं लगाने से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार किए हैं।

(3) हमारे जल क्षेत्र में चोरी छुपे मछली पकड़ने वाली विदेशी मत्स्यन पोतों को रोकने के लिए "मैरीटाइम जोन आफ इंण्डिया (रेगुलेशन आफ फिशिंग बाई फारन वैसल्स) एक्ट 1981" पास किया गया है। यह 2 नवम्बर, 1981 से लागू हो गया है।

(4) संरक्षण, मत्स्यत विनियमन, उन्नत गियरों से काम लेना तथा मछुआ सहकारी समितियों का गठन करना।

(5) अन्तर्देशीय मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मछुआ विकास एजेंसी स्कीमों के तहत डिम्पौना उत्पादन को बढ़ाने, आदानों की व्यवस्था, सुधार राज सहायता अनुदान, विस्तार/अनुसंधान समर्थन तथा मछुओं को प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाए जा रहें हैं।

संयुक्त अरब अमीरात से नर्मदा परियोजना के लिए सहायता

1242. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब अमीरात में गुजरात में नर्मदा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक बातचीत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारत सरकार को संयुक्त अरब अमीरात से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राज्यों में रबी की फसल के लिए बिजली की सप्लाई

1243. **श्री अनादिचरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी रबी की फसल के सिंचाई कार्यक्रम के लिए कुछ राज्यों में बिजली की सप्लाई के संकट का स्थल पर ही अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस केन्द्रीय दल ने किन-किन राज्यों का दौरा किया;

(ग) उक्त केन्द्रीय दल ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां, केन्द्रीय दलों ने लम्बे समय तक सूखे से प्रभावित हुए राज्यों पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अक्तूबर, 1981 में दौरा किया था। दलों ने "हाथिया" वर्षा न होने के कारण सूखे से प्रभावित हुए राज्य बिहार का भी नवम्बर, 1981 में दौरा किया था। इन दौरों का उद्देश्य बिजली, डिजल तथा नहरों में पानी की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करना था ताकि इन राज्यों में रबी की व्यापक ढंग से बुआई हो सके।

(ग) तथा (घ) दलों का मत था कि इन राज्यों में बिजली की सप्लाई पर्याप्त नहीं है। अतः मुख्य सचिवों, कृषि उत्पादन आयुक्तों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों से अनुरोध किया गया कि वे सिंचाई करने के लिए हर रोज कम से कम 12 घण्टे किसानों को बिजली सप्लाई करें ताकि रबी की बुआई हो सके। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि हर रोज कम से कम 12 घण्टे बिजली सप्लाई करने के कार्यक्रम को कम से कम 15 दिसम्बर, 1981 तक जारी रखा जाए ताकि इन राज्यों में रबी की बुआई की जरूरतें पूरी हो सकें। कहीं भी डिजल की उपलब्धि की समस्या नहीं है। नहरों में पानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे रबी की फसलों को बोने के लिए नहरों में पर्याप्त पानी छोड़ने के कार्य को सुनिश्चित करें। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कृषि के लिए बिजली देने तथा नहरों में पानी की सप्लाई करने की दिशा में सुधार हुआ है।

पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हाथियों की संख्या

1244. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हाथियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्लभ पशुओं को समाप्त प्रायः होने से बचाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या प्रयास किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा में विगत की तुलना में जंगली हाथियों की संख्या में निश्चित रूप से काफी कमी हुई है। तथापि, हाल ही के वर्षों में किए गए संरक्षणात्मक उपायों के फलस्वरूप इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर लिया गया है।

(ख) इस कमी का प्रमुख कारण प्राकृतिक वास-स्थलों का समाप्त होना तथा हाथी दांत का व्यापार करना है ।

(ग) जंगली हाथियों को समाप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्न प्रकार हैं :

1. "भारतीय हाथी" को वन्य प्राणि (संरक्षण)अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो गया है ।
2. भारत सरकार की निर्यात नीति के तहत भारतीय हाथियों व इनके उत्पादों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण है । विशेष रूप से भारतीय हाथी दाँत के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध है ।
3. भारत, वन्य जीव जन्तुओं तथा वनस्पतियों की खतरे में पड़ी हुई किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित कन्वेन्शन का सदस्य है जिसके अंतर्गत "भारतीय हाथी" को परिशिष्ट-1 में शामिल किया गया है ।
4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार किसी भी वन क्षेत्र को गैर वानिकी कार्यों के लिए प्रयोग में लाना वर्जित है । इस प्रकार जीव जन्तुओं की खतरे में पड़ी हुई किस्मों जैसे भारतीय हाथी के प्राकृतिक वास-स्थलों को इससे कानूनी संरक्षण मिलता है ।
5. जहां-जहाँ हाथी पाए जाते हैं, उनमें से अधिकांश क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय स्थलों की स्थापना करके हाथियों के प्राकृतिक वास-स्थलों को संरक्षण प्रदान किया गया है ।
6. आई०यू०सी०एन० के प्रजातीय अनुजीवन आयोग का एशियाई हाथी विशेषज्ञ दल इस समय भारतीय हाथी की संख्या व प्राकृतिक वास-स्थलों से सम्बन्धित पारिस्थितकी अध्ययन कर रहा है और आशा है कि यह दल अपनी अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगा । यह भारतीय हाथी के लिए दीर्घावधि प्रभावी संरक्षण कार्यक्रम बनाने का आधार होगा ।

राजस्थान नहर में पानी छोड़ना

1245. **आचार्य भगवान देव :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर को दिए जाने के लिए पानी की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस नहर को प्रति वर्ष पानी की कितनी मात्रा दी गई ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान नहर को दी गई जल की मात्रा रावी और व्यास नदियों के प्रवाह में जल की उपलब्धता के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। राजस्थान राज्य का पूरा हिस्सा, अर्थात् 8 मिलियन एकड़ फुट, रावी नदी पर संचयन जलाशय के निर्मित हो जाने के बाद ही उपलब्ध होगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान नहर को दी गई वर्ष-वार जल की मात्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष 78-79	4.7 मिलियन एकड़ फुट
वर्ष 79-80	3.7 मिलियन एकड़ फुट
वर्ष 80-81	3.9 मिलियन एकड़ फुट

कर्नाटक में ग्रामीण बेघरों के लिए मकानों की आवश्यकता

1246. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गरीब बेघरों के लिए कितने मकानों की आवश्यकता है;

(ख) कर्नाटक राज्य की उक्त समस्या को हल करने के लिए छठी योजना में कितना नियतन किया गया है; और

(ग) वर्ष 1981-82 में इस प्रयोजन के लिए कितना नियतन किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) राज्य सरकार द्वारा 30.10.81 को लगाए गए अनुमान के अनुसार ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास स्थल व गृह निर्माण सहायता के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या 10,60,852 है। इसमें से 9,11,018 परिवारों को पहले ही आवास स्थल और 2,59,543 परिवारों को निर्माण सहायता/मकान दिए गए हैं।

(ख) 55 करोड़ रुपये।

(ग) 14.50 करोड़।

केनरा, कर्नाटक में बाढ़

1247. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के उत्तर केनरा में आई हाल ही की बाढ़ से कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार सिंचाई योजनाओं के लिए बाढ़ से पानी का उपयोग करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दक्षिण तथा उत्तर केनरा में क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और बाढ़ को रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) : कर्नाटक सरकार ने बाढ़ सहायता और राज्य में हुई क्षति के जीर्णोद्धार के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अपने अनुरोध के साथ एक ज्ञापन भेजा है।

बाढ़ सहायता के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने और बाढ़ स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक केन्द्रीय दल द्वारा बहुत जल्दी राज्य का दौरा करने का कार्यक्रम है।

राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार, उत्तर कन्नड़ जिले में दो सी०डी० वर्क्स और 30 सड़क सम्बन्धी वर्क्स तथा 2 टैंकों को बाढ़ से 14.37 लाख रुपये की क्षति हुई है।

राज्य सरकार ने उत्तर कन्नड और दक्षिण कन्नड जिलों में बाढ़ नियंत्रण उपायों के बारे में सलाह देने के लिए केन्द्रीय दल को भेजने का अनुरोध नहीं किया है।

कर्नाटक सरकार ने राज्य की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर निर्मित की जाने वाली बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमें अभी तक केन्द्रीय जल आयोग को जांच के लिए नहीं भेजी हैं।

भारतीय खाद्य निगम की अम्बिकापुर शाखा को हुई हानि

1248. **श्री केयूर भूषण** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की अम्बिकापुर शाखा को हाल ही में 25 लाख रुपए की हानि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 17.5 लाख रुपये मूल्य का गेहूं रेलवे स्टेशन पर ही पड़े-पड़े खराब हो गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम ने मात्र विलम्ब शुल्क के रूप में ही रेलवे को लगभग तीन लाख रुपये अदा किए;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सितम्बर, 1981 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम द्वारा फिरोजपुर से गेहूं के 40 वैगन भेजे गए थे जो कि विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर प्राप्त हुए थे। यह

स्टेशन भारतीय खाद्य निगम के अम्बिकापुर डिपो का रेल छोर है। इनमें से गेहूं के 20 वैगन शुष्क क्षतिग्रस्त अनाज के प्राप्त हुए। गेहूं को हुई क्षति का अन्दाजा लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और अन्तिम रूप से मूल्यांकन, श्रेणीकरण और स्टाक के अन्ततः निपटान के बाद ही वास्तविक क्षतिग्रस्त मात्रा का पता लगेगा।

इस अवधि के दौरान निपाद से बिश्रामपुर में चीनी के 23 वैगन प्राप्त हुए थे। इन वैगनों में से चीनी की कुछ बोरियां हैण्डलिंग और परिवहन ठेकेदार की असफलता के कारण और विभाग की ओर से माल उतारते और उसे भेजते समय बिश्रामपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर गीली होने से क्षतिग्रस्त हो गयीं थीं।

(ग) से (ङ) हैण्डलिंग तथा परिवहन ठेकेदार द्वारा वैगनों से माल न उतारने और फिर स्टाक को तत्परता से गोदामों में न भेजने के कारण सितम्बर, 1981 के दौरान बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर उक्त वैगनों को काफी समय के लिए रोके रखने के कारण रेलवे ने डेमरेज प्रभार के रूप में 3,40,431.60 रुपए की राशि का दावा किया है। तथापि, रेलवे की इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने इस राशि को माफ करने के लिए रेलवे के पास अपील दायर की है। इस सम्बन्ध में रेलवे का निर्णय मालूम होते ही यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैण्डलिंग तथा परिवहन ठेकेदार से इस राशि को वसूल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

धनबाद, बिहार में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

1250. **श्री ए०के० राय :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद जिला बिहार में बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकारी संस्थानों को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रिहायशी मकान बनाने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बारे में बिहार राज्य सरकार से कोई जानकारी मिली है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार धनबाद जिले में "अपना मकान बनाओ" कार्यक्रम में राज्य सरकार के साथ एक संयुक्त क्षेत्र बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी और कब ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) निधियों की कमी के कारण छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए "सामान्य पूल" रिहायशी मकान बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

ताड़, कपास तथा गन्ने के लिए बीज उत्पादन फार्म की स्थापना

1251. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जिला ठानकेनाल की सब-डिवीजन कामाविह्या में कन्काडा आदिवासी विकास खण्ड में रमेयाल मध्यम सिंचाई परियोजना और डोमसल सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत कमान क्षेत्र में काफी भूमि पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि उपलब्ध है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास इस क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या की सहायता के लिए वहां ताड़, कपास तथा गन्ने का एक उत्पादन फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) कृषि तथा सहकारिता विभाग का निकट भविष्य में ताड़, कपास और गन्ने के लिए बीज वर्धन फार्म स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

बुलन्दशहर में चीनी मिलों की स्थापना

1252. **श्री निहाल सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गन्ने का 45 प्रतिशत उत्पादन होता है, जबकि इसके पास कुल चीनी उत्पादन क्षमता की केवल 25 प्रतिशत लाइसेंस क्षमता है;

(ख) क्या सरकार ने माठ (मथुरा) सैदपुर—परतापुर (बुलन्दशहर) बहजोई — भरतपुर (मुरादाबाद) और अकबरपुर (फैजाबाद) में चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उत्तर प्रदेश में 1980-81 के दौरान गन्ने की पैदावार 642 4 लाख मीटरी टन हुई थी जबकि भारत में कुल उत्पादन 1505.2 लाख मीटरी टन हुआ था जोकि 42.68 प्रतिशत बैठता है । चीनी वर्ष 1980-81 के दौरान उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों की लाइसेंसशुदा क्षमता 19.194 लाख मीटरी टन थी जबकि देश में कुल लाइसेंसशुदा क्षमता 77.089 लाख मीटरी टन थी जो कि 24.89 प्रतिशत बैठती है ।

(ख) और (ग) माठ (मथुरा), सैयदपुर—परतापुर (बुलन्दशहर), बहजोई—भरतपुर (मुरादाबाद) और अकबरपुर (फैजाबाद) में नई चीनी मिलें लगाने के लिए

अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन पर सरकार ने विचार किया था। इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि इन फैक्ट्रियों के प्रस्तावित स्थानों में पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं था।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दुकानों/स्टालों का आबंटन

1253. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** दिल्ली में दुकानों/स्टालों के आबंटन के बारे में 24 अगस्त 1981 के अतारांकित, प्रश्न संख्या 1123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी, 1978 से 15 जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान आबंटित किए गए मकानों, दुकानों और स्टालों के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जानकारी एकत्रित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना निम्न प्रकार है :

नई दिल्ली नगर पालिका

दुकानें	415
स्टाल	70

दिल्ली नगर निगम

स्टाल स्थल	466

दिल्ली विकास प्राधिकरण

फ्लैट	26505
गंदी बस्ती टेनामेंट	632
झुग्गी झोंपड़ी टेनामेंट	11
वाणिज्यिक दुकानें तथा स्टाल	1574
गंदी बस्ती योजना/ झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत फल तथा सब्जी के प्लेट फार्म	246

नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि 1978 से 15 जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी कोई दुकान/स्टाल आबंटित नहीं किए।

दिल्ली नगर निगम द्वारा इस अवधि के दौरान जिन 47 भूतपूर्व सैनिकों को स्टाल स्थल आबंटित किए गए हैं उनके नाम अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं। इन भूतपूर्व सैनिकों के पद नाम तथा सेवा निवृत की तारीख उनके पास उपलब्ध नहीं है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2975/81]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना अनुलग्नक-दो से पांच में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2975/81]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुन्दर वन में बाघ परियोजना

1254. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्रों में बाघ परियोजना को आरम्भ करने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : सुन्दर बन बाघ आश्रय स्थल को 1973-74 में कुल 2585 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में, जिसमें 1330 वर्ग किलो मीटर अभ्यन्तर क्षेत्र हैं, "बाघ परियोजना" के तहत स्थापित किया गया था। अभ्यन्तर क्षेत्र आबादी और वानिकी कार्यों से मुक्त है और इसे वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आश्रय स्थल घोषित किया गया है।

गहन संरक्षण और वास स्थलों के विकास सम्बन्धी उपायों से पर्यावरण में पुन: सुधार हुआ है और इसके परिणामस्वरूप वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस समय आश्रय स्थल में बाघों की संख्या 205 है जो कि 1972 की तुलना में दुगनी से भी अधिक वृद्धि दर्शाती है।

1973-74 से 1980-81 तक बाघ आश्रय स्थल पर 65.61 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है।

शांति निकेतन कालोनी, नई दिल्ली में सड़कों/गलियों का रख-रखाव

1255. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** नई दिल्ली स्थित शांति-निकेतन कालोनी के रख-रखाव के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांति निकेतन कालोनी में बची रह गई सड़कों तथा गलियों की मरम्मत

के लिए निधियों का नियोजन करने हेतु दिल्ली नगर निगम ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कालोनी के अधिग्रहण के बाद से, वहाँ की गलियों विशेषतया स्ट्रीट नम्बर-2 में आवास संख्या 2/23 शांतिनिकेतन तथा इसके आगें के आवासों के बीच की गलियों में पक्की सड़क बनाने का काम कभी भी हाथ में नहीं लिया गया और यहाँ तक की वहां पर उगी हुई जंगली झाड़ियों को कभी हटाया और साफ नहीं किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके बजट में प्रत्येक कालोनी के लिए निधियां अलग से उद्दिष्ट नहीं की जाती हैं। वर्ष 1981-82 के संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 1982-83 के बजट अनुमान का अभी निगम द्वारा अनुमोदन किया जाना है। निधियों की उपलब्धता की स्थिति का पता बजट के अनुमोदन के बाद चल सकता है।

(ख) जी, हाँ। निगम ने सूचित किया है कि जैसे ही निधियां उपलब्ध हो जाएंगी वैसे ही उक्त भाग को पक्का तथा इसमें पूर्व मिश्रित तारकोल बिछाया जाएगा। निगम ने आगे सूचित किया है कि लेनों में कोई जंगली घास या झाड़ियां नहीं उगी हैं। तथापि इधर-उधर उगी घास को काट दिया गया है।

(ग) जैसे कि उपर्युक्त भाग (ख) में उत्तर दिया गया है।

राजधानी में सहकारी आवास निर्माण संस्थाओं को बेची गई भूमि का राष्ट्रीय मूल्य

1256. **श्री सनत कुमार मण्डल**: क्या निर्माण और आवास मन्त्री दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की सहकारी आवास निर्माण संस्थाओं से संबंधित भूमि का राष्ट्रीय मूल्य निश्चित करने के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2134 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी में विभिन्न सहकारी आवास निर्माण संस्थाओं को पट्टे के आधार पर बेची गई भूमि का राष्ट्रीय मूल्य अधिसूचित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रश्न के (ग) में उल्लिखित कालोनियों में भूमि का प्रति मीटर मूल्य यदि बढ़ा दिया गया है तो अब कितना निश्चित किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)। (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूतपूर्व मंत्रियों और संसद सदस्यों को और सरकारी आवास के किराए की बकाया राशि

1257. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व मंत्रियों तथा संसद सदस्यों की और सरकारी आवास के किराए की राशि अभी भी बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किराए की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या और उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी०डी०ए० द्वारा मकानों का निर्माण

1258. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिए एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस-किस श्रेणी के लोगों को इन नए मकानों का आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट आय वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिए जो नवीनतम योजना बनाई थी वह हुडको पद्धति पर बनाए गए फ्लैटों के लिए थी।

(ख) तथा (ग) यह योजना, नई पंजीकरण योजना, 1979 के नाम से जानी जाती है और मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा जनता वर्ग और इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्ति इसमें मकानों के लिए पात्र होंगे।

राज्यों में वन विकास निगम

1259. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने यहाँ वन विकास निगम की स्थापना कर दी है तथा इन निगमों की स्थापना का प्रयोजन क्या है;

(ख) वन विकास में इन निगमों की विकासात्मक गतिविधियां क्या हैं,

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने औद्योगिक तथा लाभप्रद वृक्षारोपण किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और राज्यवार किन-किन क्षेत्रों को वृक्षारोपण हेतु चुना गया है;

(ङ) क्या इन राज्यों ने इन वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए उनके मंत्रालय से सम्पर्क किया है तथा वित्तीय सहायता मांगी है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों ने वन विकास निगमों का गठन कर दिया है। जिन प्रयोजनों के लिए निगमों का गठन किया गया, वे इस प्रकार हैं :

संस्थागत वित्त लेकर औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपयोगों के लिए वन रोपण करने, वन के लघु उत्पादों को एकत्र करने, वन पर आधारित उद्योगों की स्थापना तथा विकास करने, रेजिन की निकासी तथा उसके परिसंस्करण का राष्ट्रीयकरण करने, इमारती लकड़ी काटने, मूल्यवान प्रजातियों के रोपण द्वारा विद्यमान विकास का प्रतिस्थापन करने, गहन प्रबन्ध द्वारा वनों का विकास करने, वन उत्पादों का उपयोग करने, इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों आदि का विपणन करने।

(ख) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई सिंचाई परियोजनायें

1260. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा निष्पादन हेतु छठी योजना में शामिल की गई मध्यम तथा मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) चल रही परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजनाओं तथा छठी योजना में क्या राशि रखे जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीमों के नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	1979-80 के अन्त तक हुआ खर्च	1.4.1980 को आगे ले जाई गई	कार्यकारी दल द्वारा जिन परिव्ययों की सिफारिश की गई है		
					1980-85	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5	6	7	8
क)	छठी योजना-पूर्व की स्कीमें						
एक—	बहुप्रयोजना और बृहद परियोजनाएं						
1.	रेंगाली						
	(क) बांध भाग	2400.00	993.79	1406.21	1406	340	400
	(ख) सिंचाई	32000.00	620.56	31379.44	4000+ 8200 ख	800	900+ 500 ख
2.	अपर कोलाब						
	(क) बांध भाग	2895.13	517.58	2377.55	2378	300	400
	(ख) सिंचाई	6774.85	528.79	6246.06	1000	200	200

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अपर इन्द्रावती						
	(क) बांध भाग	4640.00	199.00	4441.00	2470)	600	700
	(ख) सिंचाई	5844.00	64.10	5779.90	1050)		
4.	महानदी डेल्टा	6950.00	6668.89	281.11	281	202	79
5.	सालन्दी	1630.00	1613.53	16.47	16	5	1
6.	आनन्दपुर	965.00	515.17	449.83	450	150	170
7.	महानदी बिरुपा बराज	7391.00	60.86	7330.14	7200	100	450
	उप जोड़ क—एक	71489.98	11782.27	59701.11	20251+ 8200 ख	2997	3300+ 500 ख
दो—मध्यम							
	विश्व बैंक से भिन्न						
1.	ओंग	1860.00	575.83	1224.17)			
2.	दहुका	150.00	141.59	8.41)			
3.	सुन्दर	450.00	258.80	91.20)			
4.	साईपाले	206.00	205.00	1.00)			
5.	काला	560.00	516.73	143.27)			
6.	दादराघाटी	479.00	386.62	92.38)			

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	खडकई	570.00	552.71	17.29)	2550	348	637
8.	रामानन्दी	90.00	84.46	5.54)			
9.	नेसा	142.00	132.05	9.95)			
10.	औनली	120.00	64.39	55.61)			
11.	अपर सुकतेल	236.00	15.00	221.00)			
12.	बघुआ, चरण-दो	475.00	18.45	456.55)			
13.	बोंदा पिघली	470.00	146.45	323.55)			
	विश्व बैंक						
14.	रमियाला	1154.16	659.78	494.38)			
15.	रेमाल	520.46	298.47	221.99)			
16.	दाहा	759.00	482.18	276.82)			
17.	पीलासल्की	501.00	300.93	200.07)			
	विश्व बैंक						
18.	डुमेर बहल	349.00	222.43	126.57)			
19.	गोहिरा	1086.00	486.21	599.79)			
20.	सुनेल	986.00	340.82	645.18)	9065	2217	2320
21.	क्यानरिया	661.00	346.97	314.03)			
22.	घरबन्ध	228.54	93.61	134.93)			

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सराफगढ़	380.91	129.79	251.12)			
24.	तलासारा	518.26	190.09	328.17)			
25.	हरभागी	1557.00	34.84	1522.19)			
26.	कंझारी	1269.00	59.15	1209.85)			
27.	हरिहर जोरे	1479.00	69.47	1409.53)	9065	2217	2320
28.	बारासुआर	330.00	1.50	328.50)			
29.	कंसाबहल	677.00	1.50	675.50)			
30.	अपर जौक	990.00	3.09	986.91)			
31.	बकाबाल	960.00	3.01	956.99)			
	जोड़ क—दो	20150.33	6921.89	13228.44	11615	2565	2993
	जोड़—क	91640.31	18704.16	72936.15	31866+ 8200 ख	5262	6293+ 500 ख

1	2	3	4	5	6	7	8
	ख—छठी योजना की नई स्कीमें						
	एक—बहुप्रयोजनी और बृहद परियोजनाएं						
1.	ओंग चरण दो	3000.00	5.02	2994.98	500	—)	
2.	इन्द्रा बांध	3000.00	2.93	2997.07	400	—)	300
3.	समकोई	1876.00	—	1876.00	900	—)	
4.	सुवधरिखा	10000.00	—	10000.00	45.00(ख)	—	500(ख)
5.	लोअर इन्द्रावती	10000.00	—	10000.00	—		
6.	कानपुर	3800.00	—	3800.00)			
7.	इब	13000.00	—	13000.00)			
8.	महानदी चत्रोपटोला सिंचाई परियोजनाएं	2000.00	—	2000.00)			
9.	लोअर जोंक	7000.00	—	7000.00)			
10.	तेल उच्च स्तरीय नहर	50000.00	—	50000.00)			
11.	हीराकुंड लिफ्ट	15000.00	—	15000.00)			
12.	हीराकुंड बाई नहर का विस्तार	7000.00	—	7000.00)			
13.	हीराकुंड बांध का अतिरिक्त उमड़ मार्ग	2000.00	—	2000.00)			
14.	रुषिकुल्या बांध	3000.00	—	3000.00)			
	उप जोड़ ख—एक	130676.00	7.95	130668.05	2400+ 4600 ख	—	300+ 500 ख

1	2	3	4	5	6	7	8
	मध्यम						
1.	मंदिरा नहरें	1500.00	—	1500)			
2.	बड़ाजोर	341.00	—	341)			
3.	खेरीबंधम	1500.00	—	1500)			
4.	देव	1500.00	—	1500)			
5.	कटरा	1100.00	—	1100		)	
6.	महेन्द्र तनेया	1300.00	—	1300		)	
7.	लिलिबाड़ी कानजोड़ो	720.00	—	720		)	10 —
8.	हातीपुडा	1000.00	—	1000	1050	)	
9.	बड़ानाना (विश्व बैंक)	1295.00	—	1295		50	200
10.	अनिर्धारित स्कीमें	—	—	—			
	उप जोड़ ख —दो	10256.00	—	18256	1521	60	200
	जोड़—ख	140932.00	7.95	140924.05	3921 + 4600 ख	60	500+ 500 ख

1	2	3	4	5	6	7	8
	ग—आधुनिकीकरण स्कीमें						
	एक—निर्माणाधीन स्कीमें						
1.	रुपिकुल्या प्रणाली का आधुनिकीकरण	133.17	72.11	161.06	61	40	41
2.	एच०डी०पी० का सुधार और विस्तार	34.91	26.44	8.47	8	8	—
3.	बल्दिया का आधुनिकीकरण	25.00	6.04	18.96	20	10	15
	उप-जोड़ ग—एक	193.08	104.59	88.49	89	58	56
	दो—नई स्कीमें						
1.	दराज का आधुनिकीकरण	306.34	—	306.34)			
2.	सालिया का आधुनिकीकरण	60.00	—	60.00)	366	—	50
3.	अन्य स्कीमों का आधुनिकीकरण	1000.00	—	1000.00)			
	उप जोड़ ग—दो	1366.34	—	1366.34	366	—	50
	जोड़—ग	1559.42	104.59	1454.83	455	58	106

1	2	3	4	5	6	7	8
	घ—जल विकास सेवाएं	—	348.75	)			
	(सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा			)	508	70	101
	अनुसंधान)			)			
	सी०सी०सी० का ऋण पुंजी	—		)			
	जोड़—घ		348.75		508	70	101
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	234131.73	19165.45	214685.00	36750+ 12800(ख)	5450	7000+ 1000(ख)

टिप्पणी 'ख'--बशर्ते कि धन उपलब्ध हो जाए।

डी०डी०ए० द्वारा फ्लैटों के आबंटन हेतु पंजीकृत विकलांग

1261. **श्री के० मालन्ना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिहायशी मकानों, जैसे निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के मकानों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत विकलांग लोगों की संख्या क्या है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें कालोनी-वार कितने मकान उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1979 में सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अथवा कोटा निर्धारित किया गया था और क्या उस कोटे अथवा पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सामान्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है। यह भी बताया है कि नई पद्धति पंजीकरण योजना 1979 (हुडको), के अंतर्गत शारीरिक रूप से अपंग तथा दूसरे वर्गों, जिनके लिए आरक्षण है, से योजना के अंतर्गत उनके लिए आरक्षित कोटे में से फ्लैटों के आबंटन के लिए कुछ समय पूर्व आवेदन पत्र मांगे गए थे। चूंकि आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है इसलिए विशिष्ट ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस वर्ष के दौरान शारीरिक रूप से अपंग लोगों को उनके लिए आरक्षित एक प्रतिशत कोटे में से 19 मध्यम आय वर्ग और 12 निम्न आय वर्ग के फ़्लैटों का आबंटन किया गया है। कालोनी वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

योजना का नाम	फ्लैटों की संख्या	
	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
शालीमार बाग	9	3
राजौरी गार्डन	3	2
त्रिलोकपुरी	2	—
दिलशाद गार्डन	2	—
लारेन्स रोड	2	—
अशोक विहार	1	1
शेख सराय	—	3
वजीरपुर	—	2
पश्चिमपुरी	—	1
	19	12

इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान विकलांगों को अनुकम्पा के आधार पर 3 मध्यम आय वर्ग और 4 निम्न आय वर्ग के फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इन फ्लैटों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

योजना का नाम	फ्लैटों की संख्या	
	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
त्रिलोकपुरी	1	3
विकासपुरी	1	—
साकेत	1	—
राजौरी गार्डन	—	1
	3	4

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे बताया है कि वह उन शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों का कोई रिकार्ड नहीं रखता जिन्होंने सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत अपनी वरीयता के आधार पर फ्लैट का आवंटन प्राप्त किया है।

(ग) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 1979 में एक प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया था और तब से उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी आवासों का निर्माण

1262. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली/ दिल्ली के उन क्षेत्रों अथवा कालोनियों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मकानों का निर्माण तथा रखरखाव कार्य शुरू किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ मकानों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(घ) नई दिल्ली में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों/कालोनियों में कितने मकानों का आबंटन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन मकानों का निर्माण कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेल का आयात

1263. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-सितम्बर, 1981 के दौरान कितने तथा किस-किस किस्म के खाद्य तेलों का आयात किया गया और किस मूल्य पर;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वनस्पति उत्पादकों को खाद्य तेल की कितनी सप्लाई की गई और किस दर पर;

(ग) क्या वनस्पति की नियंत्रित मूल्य पर सप्लाई के लिए वनस्पति उत्पादकों के साथ कोई करार किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 1981 के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा तथा किस्में नीचे दी गयी हैं :

	मात्रा मीटरी टनों में
सोयाबीन का तेल	3,25,354
न्यूट्रलाइज्ड ताड़ का तेल	68,677
रेपसीड तेल	77,284
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	38,812
आर०बी०डी० पापोलीन	75,600
	5,85,727

खाद्य तेलों की दरों में काफी अधिक और बार-बार उतार-चढ़ाव होता रहता है। अतः आयात की गई मात्रा के लिए कोई निश्चित दर बताना संभव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान वनस्पति उद्योग को 7,210 रु० प्रति मीटरी टन की दर से कुल 3,05,000 मीटरी टन की मात्रा आबंटित की गयी थी।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा वनस्पति उत्पादकों के साथ शुरू की गई बातचीत के फलस्वरूप, वनस्पति उद्योग 11.4.81 से 31.10.81 तक स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण बरतने को सहमत हो गया था, जिसके अन्तर्गत उद्योग द्वारा वनस्पति के 16.5 किलो ग्राम टीन का अधिकतम कारखाना मूल्य 192 रु० (उत्पादन शुल्क सहित) पर स्थिर रखा जाना था। छोटे पैंकों के मूल्य 16.5 कि०ग्रा० के टीन के मूल्य के ही अनुरूप रखे जाने थे। उद्योग ने इस मूल्य नियंत्रण का पालन 31.10.81 से आगे भी करने का अनुरोध किया गया है।

देसी घी का मूल्य

1264. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देसी घी के मूल्य 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक बढ़ गए हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना का घी बाजार में उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इसे बाजारों में भी बेचने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना को कोई अनुदेश जारी करेगी जिससे कि अन्य ब्रांड के घी के मूल्य गिर जाएं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : दूध के उत्पादन में बतायी गयी कमी से दूध के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण, अप्रैल, 1981 से देसी घी के मूल्य में वृद्धि हुई है ।

(ग) से (ङ) : दिल्ली दुग्ध योजना उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से तरल दूध की सप्लाई करती है तथा उपलब्ध शेष चिकनाई में से सीमित मात्रा में घी का विनिर्माण करती है । इस वर्ष मई, 1981 से राज्य एजेंसियों द्वारा की जा रही कच्चे दूध की कम सप्लाई को देखते हुए, दिल्ली दुग्ध योजना के लिए घी का सामान्य स्तर पर विनिर्माण व विपणन करना सम्भव नहीं है । दिल्ली दुग्ध योजना चालू प्रचुर अवधि के दौरान कच्चे दूध की अधिप्राप्ति में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है तथा तरल दूध की मांगों को पूरा करने के बाद, शेष चिकनाई की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए अधिक घी का विनिर्माण किया जा सकता है ।

सुपर बाजारों में बटर आयल का न मिलना

1265. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार तथा अन्य एजेंसियों में बटर-आयल के उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन एजेंसियों को बटर आयल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप बटर आयल की उपलब्धि के अन्तर्गत दूध में पुनर्मिश्रण के लिए तरल दूध के संयंत्रों की मांग पूरा करने के बाद, खाना पकाने के माध्यम के रूप में बिक्री के लिए अधिशेष बटर आयल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बटर आयल की बिक्री तब तक पुनः शुरू नहीं की जा सकती है जब तक पकाने के माध्यम के रूप में निपटान के लिए अधिशेष बटर आयल उपलब्ध नहीं होता।

भूमिहीनों को कृषि भूमि

1266. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री के० प्रधानी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने एकड़ फालतू कृषि भूमि है; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितने एकड़ भूमि को अधिकार में लिया गया तथा उसे भूमिहीनों में बांटा गया तथा प्रत्येक राज्य में उसका कितने लोगों को लाभ मिला ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) विवरण—एक संलग्न है।

(ख) विवरण—दो संलग्न है।

विवरण—एक

(एकड़ में)

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	9,80,767	31.8.81
2.	असम	5,80,140	30.6.81
3.	बिहार	2,31,618	31.5.81
4.	गुजरात	1,17,906	30.9.81
5.	हरियाणा	27,355	30.9.81
6.	हिमाचल प्रदेश	1,35,912	31.3.81

1	2	3	4
7.	जम्मू तथा काश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	1,36,321	31 8.81
9.	केरल	1,18,272	30.9.81
10.	मध्य प्रदेश	2,53,039	31.8.81
11.	महाराष्ट्र	3,70,192	31.5.81
12.	मणिपुर	1,029	31.7.81
13.	उड़ीसा	1,40,505	30.6.81
14.	पंजाब	49,324	31.8.81
15.	राजस्थान	2,46,495	30.6.81
16.	तमिलनाडु	78,149	30.9.81
17.	त्रिपुरा	1,929	30.6.81
18.	उत्तर प्रदेश	2,80,874	30.6.81
19.	पश्चिम बंगाल	1,52,658	30.6.81
20.	दादरा तथा नगर हवेली	8,958	31.8.81
21.	दिल्ली	780	31.7.81
22.	पाण्डिचेरी	2,527	30.6.81
	योग	39,14,754	

विवरण दो

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम भूमिसीमा कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में लिया गया क्षेत्र	संशोधित अधिकतम भूमिसीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित क्षेत्र	लाभ भोगियों की संख्या	अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,10,561	84,703	59,203	1.1.79 से 31.8.81
2.	असम	7,657*	13,032	6,034	1.8.78 से 30.6.81
3.	बिहार	18,545	11,401	5,799	1.1-78 से 31.5.81
4.	गुजरात	34,731	5,190	1,699	1.1.79 से 30.9.81
5.	हरियाणा	11,653	15,781	4,579	1.1.79 से 30.9.81
6.	हिमाचल प्रदेश	43,609	—	—	1.2.79 से 31.3.81
7.	जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	38,084	15,444	3,886	1.1.79 से 31.8.81
9.	केरल	10,050	7,313	15,440	1.1.79 से 30.9.81
10.	मध्य प्रदेश	2,800	22,984	9,077	1.1.79 से 31.8.81
11.	महाराष्ट्र	5,780	5,780	1,819	1.2.79 से 31.5.81

*सूचना 1.1.79 से 30.6.1981 की अवधि से सम्बन्धित है।

1	2	3	4	5	6
12.	मणिपुर	36	—	—	1.1.79 से 31.7.81
13.	उड़ीसा	10,657	6,270	6,540	1.1.79 से 30.6.81
14.	पंजाब	6,174	3,157	644	1.1.79 से 31.8.81
15.	राजस्थान	488	2,824	641	1.4.79 से 30.6.81
16.	तमिलनाडु	35,551	25,716	14,838	1.1.79 से 30.9.81
17.	त्रिपुरा	450	489	411	1.1.79 से 30.6.81
18.	उत्तर प्रदेश	19,134	36,087	21,974	1.1.79 से 30.6.81
19.	पश्चिम बंगाल	24,592	20,446	84,304	1.1.79 से 30.6.81
20.	दादरा तथा नगर हवेली	198	214	100	1.1.79 से 31.8.81
21.	दिल्ली	7	—	—	1.1.79 से 31.7.81
22.	पाण्डिचेरी	25	46	58	1.1.79 से 30.6.81
	योग	3,80,782	2,76,877	2,36,546	

दिल्ली चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों की जातियां

1267. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित चिड़ियाघर में जिराफ आदि जैसे वन्य प्राणियों की सभी जातियां नहीं हैं जैसे कि कलकत्ता चिड़ियाघर में हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय दिल्ली चिड़ियाघर में जिराफ पिंक, सांप, शेर आदि की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में अन्य चिड़ियाघरों की तुलना में दिल्ली चिड़ियाघर में पक्षी अधिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) : इस समय दिल्ली चिड़ियाघर में लगभग 1600 स्तनपायी प्राणी, पक्षी और सरीसृप हैं। इसमें 76 प्रजातियों के 420 स्तनपायी जीव, 95 प्रजातियों के 1175 पक्षी और 3 प्रजातियों के 31 सरीसृप जीव शामिल हैं। तथापि, दिल्ली चिड़ियाघर में इस समय कोई जिराफ, सांप और पिंक नहीं हैं। शेरों की संख्या छः है।

(ग) तथा (घ) : दिल्ली चिड़ियाघर के परिसर में इस समय तालाबों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के अतिरिक्त 1175 पक्षियाँ हैं। देश में शायद कोई अन्य चिड़ियाघर इतने अधिक प्रवासी पक्षियों को आकर्षित नहीं करता।

मत्स्य बन्दरगाहों के सुधार के लिए पी० ई० ओ० का सुझाव

1268. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे मध्यम स्तर के मछेरों के हित के लिए मत्स्य बन्दरगाहों के लिए योजना तैयार करने, निर्माण करने, देखभाल करने और उन्हें चलाने के लिए एक पृथक प्रशासनिक प्राधिकरण स्थापित करके कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए "प्रोग्राम ईवैल्युएशन आर्गेनाइजेशन" ने कुछ उपाय सुझाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन संगठन से कहा गया था कि वह पहले से शुरू किए गए मत्स्यन पत्तनों का मूल्यांकन करे। उन्होंने पहले से ही निर्मित पाँच मत्स्यन पत्तनों का मूल्यांकन किया। अध्ययन के फलस्वरूप, उन्होंने नये मत्स्यन पत्तनों की योजना तैयार करते समय अपनाये जाने वाले कुछ उपाय सुझाए हैं।

(ख) नये मत्स्यन पत्तनों की योजना तैयार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

ग्रामीण तथा नगरीय निर्धन व्यक्तियों के लिये मकान बनाने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति तैयार करना

1269. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर गन्दी बस्तियों में रहने वाले ग्राणीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान बनाने के लिए कोई राष्ट्रीय आवास नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसी नीति तैयार करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ग) : आवास नीति, नितान्त आश्रयहीन लोगों की पर्याप्त संख्या में कमी लाने की आवश्यकता और दूसरों के लिए उनके आवास के वातावरण के सुधार पर बल देती है । इसकी उपलब्धि के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीनों द्वारा बनाये जाने वाले मकानों के लिए आवास स्थल व निर्माण सहायता के प्रावधान को उच्च प्राथमिकता दी गई है । शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के लिए सीधी सार्वजनिक क्षेत्र सहायता का प्रस्ताव है । जहाँ तक शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों का सम्बन्ध है योजना का उद्देश्य गन्दी बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरणीय सुधार पर पूंजीनिवेश में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना है । इसके अतिरिक्त योजना का प्रस्ताव हुडको की 25 करोड़ रुपए की वर्तमान साम्यपूंजी को 75 करोड़ रुपए तक ही बढ़ाना है । ऋणों की वसूली को शामिल करके हुडको विभिन्न आवास कार्यक्रमों में अगले 5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए व्यय कर सकेगा । जिसका 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिए होगा ।

बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में गैरिजों का निर्माण

1270. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबा खड़गसिंह मार्ग पर एम० एस० सरकारी फ्लैटों (टाइप 3) के ग्राऊंड फ्लोर के आबंटियों के लिये गैरिज के निर्माण के संबंध में उस क्षेत्र की वैलफेयर एसोसियेशन ने अनुरोध किया था;

(ख) क्या उस अनुरोध को इसलिए नहीं माना गया था क्योंकि गैरिजों के निर्माण के लिए सुझाई गई जगह (प्रत्येक ब्लाक की बालकानी के नीचे खाली स्थान) उस ब्लाक के निवासियों द्वारा संयुक्त रूप से दिन में वाहन खड़े करने के लिए थी;

(ग) क्या हाल में अक्तूबर, 1981 के महीने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग ने इस खाली स्थान में कुछ पौधे लगा दिये है जिससे अधिकृत निवासी उस स्थान का वहां दिन में अपने वाहन खड़े करने की सुविधा से वंचित हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी; हां ।

(ख) मूल नक्शों में प्रथम तथा ऊपर की मंजिलों में रहने वाले निवासियों के लिये स्कूटर गैराजों का प्रावधान था । दिन के समय गाड़ियों को खड़ा करने का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उठाऊ सिंचाई क्षेत्र में बिजली और डीजल का बरबाद होना

1271. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है उठाऊ सिंचाई क्षेत्र में भारी मात्रा में बिजली और डीजल बरबाद हो रहे हैं क्योंकि पम्पसैटों की क्षमता सिंचाई आवश्यकता के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : मोटर और पम्प सैटों तथा फुट वाल्व और पाइप लाइनों जैसे अन्य उपकरणों का चुनाव किसान द्वारा स्वयं किया जा । है । सुव्यवस्थित परामर्श और विस्तार तथा अन्य विभिन्न घटकों के अभाव में पम्पिग प्रणालियों के प्रतिष्ठापन बहुत बेमेल हुए हैं । मौजूदा पम्प-सैटों की कमियों के बारे में विभिन्न शैक्षिक और प्रबंध संस्थानों द्वारा नमूने के आधार पर किए गए अध्ययनों से घटिया प्रचालन-कुशलता का पता चला है । उनके निष्कर्षों का मोटे तौर पर ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) फुट-वाल्व, सक्शन और डिलिवरी पाइपों आदि सहित, इंजनों, मोटरों और पम्पों का अनुपयुक्त चुनाव और मेल ।

(2) पम्प-सैट तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे ।

(3) फीडरों और उपभोक्ता स्थलों पर, उपयुक्त वोल्टता नियामकों के अभाव में, कम वोल्टता और वोल्टता में उतार-चढ़ाव से पम्पों के कार्य-करण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(4) पम्पों की अपर्याप्त मरम्मत और रख-रखाव ।

इन सभी कारणों से कार्य-कुशलता में कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप डीजल और विद्युत ऊर्जा की अधिक खपत हुई ।

इन अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए स्थिति में सुधार करने के लिए राज्यों की एजेन्सियों को आवश्यक मार्गदर्शन और अनुदेश दिए गए हैं ।

दिल्ली में निजी रिहायशी मकानों की कमी

1272. **श्री भीकूराम जैन :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गैर सरकारी रिहायशी मकानों की भारी कमी है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और अन्य सम्बद्ध प्राधिकरणों के उपनियमों और विनियमों में एक विशेष ऊंचाई से अधिक ऊंचे रिहायशी मकान बनाने की अनुमति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन नियमों में ढील दिये जाने तथा वर्तमान अनुमान सीमा से ऊपर एक मंजिल और बनाने की अनुमति दिए जाने की उपयुक्तता पर विचार किया है; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार अन्य क्या उपाय करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में फिलहाल सरकार के पास कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) दिल्ली के आवास स्टाक को बढ़ाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण पहले ही बहुत बड़ी संख्या में रिहायशी एककों का निर्माण कर रहा है । सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, सहकारी आवास समितियों द्वारा भी मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सभी सम्भावित उपाय कर रही है।

दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का अन्तरण

1273. श्री भीकू राम जैन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से कुछ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अन्तरित करने की उपयुक्तता पर विचार किया है जिससे महानगरीय मूल ढांचे और सेवाओं पर भार में कमी की जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

ग्रामीण उत्थान में सहायता के लिए सर्वेक्षण

1274. श्री डी० पी० जडेजा : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उत्थान में सहायता करने के लिए सर्वेक्षण करने का विचार है;

(ख) क्या उक्त सर्वेक्षण किए जाने की संभावना है; और

(ग) प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य करने का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम)। (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों को वित्तीय सहायता सुलभ करने हेतु उनका चयन करने के लिए पारिवारिक सर्वेक्षण करना एक अनिवार्य कदम है। रोजगार हेतु क्षेत्र आयोजना सम्बन्धी स्कीम जिसे 1978-79 में शुरू किया गया था, के अन्तर्गत प्रतिखण्ड 60,000 रुपए की दर से आधार सर्वेक्षण करने के लिए प्रावधान किया गया था। 1978-79 में राज्यों को उस वर्ष चुने 297 खण्डों में ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए निधियां बंटित की गई थी। 1979-80 में, राज्यों को उस वर्ष चुने 302 अतिरिक्त खण्डों में इसी प्रकार के सर्वेक्षण करने के लिए निधियाँ बंटित की गई थीं।

2 अक्तूबर, 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को निर्धन ग्रामीण परिवारों के उत्थान के लिए देश के सभी विकास खण्डों में शुरू किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष में एक खंड में औसतन 600 परिवारों तथा

छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान एक खण्ड में 3,000 परिवारों को लाए जाने का लक्ष्य है। चूंकि किसी एक खण्ड में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या आमतौर पर वित्तीय सहायता सुलभ करने के लिए लक्षित परिवारों से काफी अधिक होगी अतः सर्वेक्षण को प्रत्येक खण्ड में चुने क्षेत्रों तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। इस पद्धति से सामूहिक गांवों जहां समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है, का प्रति वर्ष सर्वेक्षण किया जायेगा तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता सुलभ करने के लिए परिवारों का चयन किया जायेगा। ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए प्रति वर्ष प्रति खण्ड 10,000 रुपए के व्यय की अनुमति है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पर्यवेक्षण में ग्राम सेवकों, राजस्व कार्यकर्त्ताओं, विद्यालयों के अध्यापकों आदि द्वारा सर्वेक्षण किए जाते हैं।

राजस्थान में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा सर्वेक्षण

1275. **आचार्य भगवान देव :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने हाल में राजस्थान में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

खरीफ की फसल का उत्पादन और चावल का निर्यात

1276. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू खरीफ के मौसम के दौरान खरीफ के खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या खरीफ की अच्छी फसल को देखते हुए सरकार का विचार 200 लाख टन का संचित भण्डार बनाने का है;

(ग) चावल का वर्तमान भण्डार क्या है; और

(घ) 1981-82 के दौरान कितने चावल का निर्यात किए जाने का विचार है तथा कितनी मात्रा को वस्तुविनिमय, नकद और उधार में निर्यात किया जायेगा तथा उन देशों के नाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981-82 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों की सम्भावनाएं संतोषजनक दिखायी देती हैं और चालू वर्ष के दौरान कुल उत्पादन पिछले वर्ष के 774.3 लाख मीटरी टन के उत्पादन के स्तर से अधिक या कम हो सकता है।

(ख) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित बफर स्टाक के स्तर और उसे चलाने के तौर-तरीकों की जांच इस समय तकनीकी ग्रुप द्वारा की जा रही है।

(ग) सभी सरकारी एजेंसियों के पास चावल का स्टाक अस्थायी गणना के अनुसार पहली नवम्बर, 1981 को 41·9 लाख मीटरी टन था।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान बासमती चावल जोकि खुले सामान्य लाइसेंस पर है, के अलावा, निर्यात के लिए प्रस्तावित चावल की मात्रा 6 लाख मीटरी टन है। चालू वर्ष के दौरान, 5 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई करने के लिए सोवियत रूस के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे (जिसमें 1·5 लाख मीटरी टन बासमती चावल शामिल हैं) इसकी सुपुर्दगी जुलाई, 1981 से जून, 1982 के दौरान दी जानी है। यह सप्लाई सोवियत रूस से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त मात्राओं की सप्लाई के प्रति की जानी है। जहां तक उधार या वाणिज्यक आधार पर चावल के निर्यात का सबम्बन्ध है, पिछले वर्ष के पूर्व के ठेकों की बची मात्राओं के निर्यात की अनुमति दी गई है।

विदेशों में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के निर्माणाधीन परियोजनाएं

1277. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के अधीने इस समय कुल कितने भारतीय श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) इन देशों में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के निर्माणाधीन परियोजनाओं की देशवार संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजनाओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को कुल कितने मूल्य का ठेका मिला है; और

(घ) उपर्युक्त (क) में से ठेके के उल्लंघन के लिए कुल किनने श्रमिकों को देश भेज दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 19-11-1931 तक 2488 (लिबिया में 1921 और ईराक में 567)।

(ख) लीबिया में 14 और ईराक में 4

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(घ) गत 2 वर्षों के दौरान लीबिया में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के 39 श्रमिकों को ठेके के उल्लंघन के लिए स्वदेश भेज दिया गया था।

विवरण

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विदेशों में निष्पादमाधीन परियोजनाएं एवं उनका ठेका मूल्य

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	ठेके का मूल्य दिनार मिलियनों में	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
लीबिया में परियोजनाएं			
1.	बैनीवालिद, लीबिया में 1,000 मकानों का निर्माण।	12.850	34.82
2.	बैनीवालिद, लीबिया में सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के लिए निर्माण कार्य	3.670	9.95
3.	बैनीवालिद, लीबिया में पी०एस० एस०आई० कार्यों का निर्माण तथा डिजाईन बनाना	1.525	4.13
4.	बैनीवालिद, लीबिया में दस स्कूल भवनों का निर्माण कार्य	3.160	8.56
5.	घाट, लीबिया में 120 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	7.294	19.77
6.	घाट, लीबिया में 433 मकानों का निर्माण कार्य	9.756	26.44
7.	घाट, लीबिया में 2 स्कूल भवनों तथा होस्टल का निर्माण कार्य	2.150	5.84
8.	घाट, लीबिया में पी०एस०एस० आई० कार्यों का निर्माण तथा डिजाईन का कार्य।	1.242	3.36
9.	घाट, लीबिया में 22 किलोमीटर सड़क सहित हवाई अड्डे का निर्माण कार्य	12.641	34.26
10.	घाट, लीबिया में वायु सेना कैम्प का निर्माण कार्य	2.174	5.89

1	2	3	4
1.	लीबिया में टर्मिनल भवन का निर्माण	1.270	3.44
12.	लीबिया में ब्राक हवाई अड्डे का निर्माण कार्य	7.632	20.68
13.	बैनीबालिद, लीबिया में विद्युतीकरण का कार्य	1.482	4.00
14.	लीबिया में एल०—ओरबन कस्बे की योजना तथा डिजाइन का कार्य	0.650	1.76
	लीबिया की योजनाओं का कुल मूल्य	67.426	182.90
	ईराक में परियोजनाएं		
1.	ईराक, बगदाद में 2 फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य	2.000	5.42
2.	ईराक में बगदाद विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य	2.100	5.70
3.	पौसुल, ईराक में 4 तारा होटल का निर्माण कार्य	8.750	23.71
4.	दोकन, ईराक में 3 तारा होटल का निर्माण	2.650	7.18
	ईराक की परियोजनाओं का कुल मूल्य	15.500 मिलियन दिनार	42.01 करोड़ रुपये
	लीबिया और ईराक की परियोजनाओं का कुल मूल्य		224.91 करोड़ रुपये

सरकारी कर्मचारियों को मकान का पुनः बेचा जाना

1278. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी कर्मचारी दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार जैसे प्राधिकरणों से ही नये तथा जिनमें कोई रहा न हो ऐसे मकान खरीद सकते हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि ऐसे नये तथा जिनमें कोई न रहा हो,

ऐसे मकानों के मालिक लगभग तीन वर्ष की निर्धारित अवधि से पहले अपनी सम्पत्ति को बेच नहीं सकते; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अपने ऐसे मकानों को उनका निर्माण कार्य पूरा होने के तुरन्त पश्चात् सरकारी कर्मचारियों को बेचने की अनुमति देने का है जिसके अभाव में इस सुविधा का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि सरकारी कर्मचारी ऐसे नये और अप्रयुक्त मकान कभी खरीद ही नहीं सकते ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी किसी विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड से तथा प्राइवेट पार्टियों से भी नये बने तथा जिनमें कोई रहा न हो मकानों की खरीद के लिए गृह निर्माण अग्रिम के पात्र हैं। उक्त सम्पत्ति भारत के राष्ट्रपति के पास प्रतिभू के रूप में रेहन रखी जाती है और ऋणी द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की राशि और उस पर ब्याज अदा करने के पश्चात् ही इसे पुनः हस्तान्तरित किया जा सकता है।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण

1279. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय चार आवश्यक वस्तुओं के वितरण को अपने नियंत्रण में लाने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं। खाद्यान्न, चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल जैसी चुनी आवश्यक वस्तुएं पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरित की जा रही हैं। ये वस्तुएं केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा की गयी व्यवस्था के माध्यम से अधिप्राप्त की जा रही हैं तथा राज्य सरकारों को सप्लाई की जा रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना के घी की सप्लाई

1280. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **कृषि मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में और नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के कितने स्टालों पर

डी० एम० एस० घी बेचा जा रहा है तथा वे किन-किन स्थायों पर स्थित है;

(ख) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1981 के महीनों में उनमें से प्रत्येक स्टाल पर 1 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा० और 4 कि० ग्रा० के टिनों में कितना घी सप्लाई किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले महीनों की तुलना में उनमें सप्लाई बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन स्टालों पर सप्लाई सामान्य करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी अथवा उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) तथा (ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना तरल दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सिर्फ फालतू वसा से ही घी का विनिर्माण करता है । चालू प्रचुर अवधि के दौरान कच्चे दूध की अधिकतम मात्रा की वसूली करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यदि अधिशेष वसा उपलब्ध हो तो उसे घी बनाने से लिए प्रयोग में लाया जा सके ।

विवरण

सितम्बर, 1981 से नवम्बर, 1981 (23.11.1981 तक) तक की अवधि के दौरान सारे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों पर विभिन्न पैंकिंग में सफाई की गई थी घी की कुल मात्रा को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	सारे दिन खुले रहने वाले दूध के स्टाल का नाम	सितम्बर, 1981				अक्तूबर, 1981				नवम्बर, 1981			
		1 कि०ग्राम	2 कि०ग्राम	4 कि०ग्राम	योग (कि० ग्राम में)	1 कि०ग्राम	2 कि०ग्राम	4 कि०ग्राम	योग (कि० ग्राम में)	1 कि०ग्रा०	2 कि०ग्रा०	4 कि०ग्राम	योग (कि० ग्राम में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	केन्द्रीय डेरी	5693	—	83	6025	3625	—	112	4073	180	—	270	860
2.	मिल्क बार (संसद)	4130	—	80	4457	1410	—	—	1410	115	—	230	1035
3.	संसद भवन	4130	—	220	5010	1590	—	—	1590	368	—	351	1772
4.	नार्थ ब्लाक	180	—	—	180	60	—	—	60	—		—	—
5.	उद्योग भवन	170	—	—	170	60	—	—	60	—		—	—
6.	कृषि भवन	260	—	—	260	220	—	—	220	—		—	—
7.	योजना भवन	100	—	—	100	60	—	—	60	—		—	—
8.	डाक तथा तार	100	—	—	100	60	—	—	60	—		—	—
9.	इस्टर्न कोट	90	—	—	90	50	—	—	50	—		—	—
10.	महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व	90	—	—	90	50	—	—	50	—		—	—
11.	टाउन हाल	60	—	—	60	40	—	—	40	—		—	—
12.	पुराना सचिवालय	70	—	—	70	40	—	—	40	...		—	—
13.	राम कृष्ण पुरम	70	...	...	70	40	...	...	40	...		—	—

खाद्य तेलों की कमी और अधिक मूल्य

1281. **श्री एम० राममोपाल रेड्डी :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवाली और दशहरा के पिछले त्यौहारों के मौसम में खाद्य तेलों की भारी कमी थी तथा इससे जनता को बहुत असुविधा हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि खाद्य तेलों के मूल्य असाधारण रूप से अधिक थे और यदि हां, तो सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान इनके मूल्यों की तुलना में मुख्य खाद्य तेलों के मूल्य क्या थे; और

(घ) मूल्यों को कम करने तथा इन्हें आम जनता के लिए प्राप्य बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) (क) व (ख) : दिवाली तथा दशहरे के त्यौहार के मौसम के दौरान खाद्य तेलों की उपलब्धता की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक थी। तथापि, स्थानीय स्वरूप की कमियों की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि त्यौहार के मौसम के दौरान खाद्य तेलों के मूल्य असाधारण रूप से ऊंचे थे। खाद्य तेलों का थोक मूल्य सूचकांक सितम्बर, 1981 के 274·0 से गिरकर 7.11.1981 को 260·2 पर आ गया। सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1980 और सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1981 (7-11-1981) के दौरान प्रमुख खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने देश में खाद्य तेलों के मूल्यों को स्थिर करने तथा इन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कई एक दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उपाय किये हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए नियोजित प्रयास करना, ताकि तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम किया जा सके;

(2) खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना;

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक आयातित तेल निर्मुक्त करना ;

(4) वनस्पति उद्योग द्वारा स्वेच्छिक आधार पर मूल्य नियंत्रण बरतना;

(5) वनस्पति का उत्पादन निरन्तर बनाये रखना;

(6) बिनौले के तेल के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना;

(7) राज्य सरकारों से भण्डारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य कानूनों को लागू करने का अनुरोध करना।

विवरण

खाद्य तेलों के थोक मूल्यों के सूचकांक

	थोक मूल्यों का मासिक सूचकांक					निम्नलिखित तारीख को समाप्त सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक
	सितम्बर, 80	अक्तूबर, 80	नवम्बर, 80	सितंबर, 81	अक्तूबर, 81	7.11.1981
वनस्पति	204.8	204.1	208.2	232.1	231.6	231.6
मूंगफली का तेल	209.4	211.1	217.0	311.1	295.3	283.5
सरसों का तेल	258.2	265.9	276.3	277.0	277.0	274.8
नारियल का तेल	227.0	239.4	261.5	205.8	204.7	199.7
जजली का तेल	222.2	219.0	221.3	262.4	255.7	247.3
करड़ी का तेल	221.0	222.0	228.3	327.3	316.4	315.1
बिनौले का तेल	193.1	190.2	204.4	289.4	290.9	286.4
खाद्य तेल	219.6	221.6	229.8	274.0	267.0	260.2

श्रीसेलम लैफ्ट बैंक नहर के लिए एक रैंगूलेटर का निर्माण

1282. **श्री एस० रामगोपाल रेड्डी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने श्रीसेलम लैफ्ट बैंक नहर योजना के लिए एक रैंगूलेटर के निर्माण के बारे में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री को एक पत्र लिखा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना को केन्द्र द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उसे कब मंजूर किया जाएगा; और

(घ) क्या यह भी सच है कि रैंगूलेटर का निर्माण अनिवार्य तथा अविलम्बनीय है क्योंकि जून, 1982 तक स्थल पानी में डूब जाएगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से अक्तूबर, 1981 में एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया था कि सिविल निर्माण-कार्यों के पूरा हो जाने के कारण श्रीसैलम बाँध अब भर रहा है और बाएं तट पर एक नियामक का निर्माण किया जाना है क्योंकि यह स्थल जून, 1982 तक जलमग्न हो जाएगा ।

श्रीसैलम वाम तट नहर स्कीम की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार से अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है । परियोजना रिपोर्ट जांच के लिए आयोग में प्राप्त हो जाने के बाद ही श्रीसैलम वाम तट नहर स्कीम के लिए नियामक के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश में पाइन बागान परियोजना का पुनरीक्षण

1283. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में विश्व बैंक सहायता प्राप्त पाइन बागान परियोजना का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश में इस समय विश्व बैंक की सहायता प्राप्त पाइन बागान की कोई परियोजना नहीं है । तथापि, विश्व बैंक "मध्य प्रदेश वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना बस्तर" नामक परियोजना की सहायता कर रहा है । इस परियोजना के मुख्य घटकों में एक घटक उष्ण कटिबंधीय पाइन पर बल देते हुए शीघ्र बढ़ने वाली किस्मों का अनुसंधान परीक्षण तथा मार्गदर्शी रोपण करना है । परियोजना के दिसम्बर, 1981 में पूरा होने की संभावना है ।

आर०के० पुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों में सफेदी और रोगन किया जाना

1284. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर०के० पुरम, नई दिल्ली में 1 अप्रैल, से 15 अक्तूबर, 1981 के दौरान टाइपवार, महीनेवार और सैक्टरवार कितने क्वार्टरों में सफेदी की गई;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए सफेदी का ठेका कब दिया गया था; ठेके की दर क्या है, ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है उनके ठेके की शर्तें क्या हैं; क्या यह निर्धारित दरों से कम है यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्वार्टरों में इतनी देरी से सफेदी आरम्भ करने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत पाँच वर्षों में कितने क्वार्टरों में (टाइपवार) लकड़ी पर रोगन किया गया था, तथा सभी क्वार्टरों पर सुव्यस्थित रूप से रोगन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी। क्वार्टरों पर सफेदी प्रत्येक एकांतर वर्ष में की जाती है। इसलिए प्रतिवर्ष कुल मकानों के आधे क्वार्टरों पर सफेदी की जाती है।

(ग) सामान्यतः बरसात समाप्त होने पर क्वार्टरों में सफेदी शुरू की जाती है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी। सरकारी क्वार्टरों में लकड़ी के काम पर हर तीसरे वर्ष रंग किया जाता है।

"सिटीजन्स वायस नैग्लैक्टेड कालोनी" शीर्षक से समाचार

1285. **डा० ए०य० आजमी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 1981 के इंडियन एक्सप्रैस में "सिटीजन्स वायस नैग्लैक्टेड कालोनी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसे क्या उपाय किए जाने का विचार है जिससे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खराब कार्यकरण को सुधारा जा सके तथा वर्तमान कमियों को पूरा किया जा सके; और

(घ) क्या उल्लिखित कालोनी ही एक ऐसी नहीं है वरन् लगभग सभी बस्तियां जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं, उपेक्षित है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कालोनी के विन्यास नक्शों में मार्किट काम्पलैक्स समाज सदन और खेल के मैदान जिनका कि बाद में विकास किया जाना है, जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था है । कालोनियों के निवासियों को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिए जाने वाले पानी की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण पालिका के जल को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नलकूपों के जल में मिला कर निवासियों को सप्लाई किया जाता है । नलकूपों के पानी का समय-समय पर परीक्षण किया जाता है और सप्लाई किए जाने से पहले इसके पीने योग्य होने के बारे में सुनिश्चित किया जाता है। इस पानी में क्लोरीन भी मिलाया जाता है । कालोनियों में सड़कों तथा लेनों में पूर्व मिश्रित तारकोल बिछाया गया है और नियमित रूप से उनकी सफाई की जाती है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विशिष्ट सेवाओं को नई दिल्ली नगर पालिका को अन्तरण करने के लिए जोर दे रहा है ।

(ग) तथा (घ) यह धारणा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम में गिरावट आ रही है, सही नहीं है । सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों में सुविधाओं की व्यवस्था संसाधनों के नियंत्रण के भीतर की जाती है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बारी-बारी दिल्ली से बाहर तबादला

1286. **डा० ए०यू० आजमी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ऐसे अधिकारियों का दिल्ली से बाहर बारी-बारी तबादला करने का विचार है जिनकी दिल्ली में नियुक्ति की सामान्य कालावधि पूरी हो गई जिससे नए कर्मचारियों/अधिकारियों को चाहे उनका कोई पद हो अर्थात् जूनियर इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर, अवसर मिल सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का बारीबार एक स्थान से सरे स्थान पर स्थानान्तरण इस बात को देखते हुए फिलहाल रोक दिया गया है कि वित्त मन्त्रालय ने मितव्ययिता के उपाय के रूप में ऐसे स्थानान्तरणों पर रोक लगाई हुई है ।

सरकारी आवास का बदलना

1287. **डा० ए०ए० आजमी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह सरकारी आवास के अलाटियों में मधुर पड़ौसी सम्बन्ध के बारे में दिनांक 4 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवश होकर जैसे पड़ौसियों के साथ मनमुटाव तथा अत्यधिक लड़ाई झगड़ा होने के स्थिति में लोगों द्वारा आवास बदले जाने हेतु नए अनुरोध को मुख्य कल्याण अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना नहीं माना जाता, जिसमें काफी लम्बा समय लग जाता है जिससे स्थिति और अधिक खराब हो जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त किस का कोई मामला आर०के० पुरम, वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा सम्पदा निदेश की जानकारी में लाया गया है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई और उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आमतौर पर मुख्य कल्याण अधिकारी की सिफारिशों के प्राप्त होने के पश्चात ही तनाव पूर्ण सम्बन्धों के आधार पर वास की बदली के मामलों पर निर्णय किया जाता है । तथापि, अपवाद परिस्थितियों में वास की बदली के मामलों पर गुणावगुण के आधार पर मुख्य कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही विचार किया जा सकता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"साल फारेस्ट्स फेस डिन्यूडेशन थिरेट" शीर्षक समाचार

1288. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **ऋषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अक्तूबर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "साल फारेस्ट्स फेस डिन्यूडेशन थिरेट" शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा वन के इस मुख्य वृक्ष को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। सरकार ने प्रकाशन के लिए संदर्भित समाचार नहीं भेजा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) उड़ीसा राज्य में साल के वनों को काटने की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है। अत: इस स्थिति में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में परिवार नियोजन प्रोत्साहन

1289. **श्री राम विलास पासवान**: क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के विचार से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1976 में यह आदेश जारी किए कि उन कर्मचारियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी जो दो बच्चों के पश्चात् नसबन्दी आपरेशन कराएंगे;

(ख) क्या जिन कर्मचारियों ने कथित आदेशानुसार नसबन्दी आपरेशन करवाया या उन्हें अब तक कोई भी सुविधा नहीं दी गई है;

(ग) इस चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) कर्मचारियों को कब तक सुविधाएं दे दी जाएंगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दो बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन करवाने के लिए उनके कर्मचारियों को वर्ष 1976 में दी गई सुविधाओं को जुलाई, 1977 में वापिस ले लिया गया था।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एशियाड के लिए शुरू की गई परियोजनाएं

1290. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 1982 के सम्बन्ध में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा होने के बारे में क्या संभावनाएं हैं;

(ख) क्या विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को शुरू किए

गए कार्य को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए पर्याप्त चेतावनी दे दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने गत कुछ महीनों के दौरान किन्हीं दोषी ठेकेदारों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) क्या स्टेडियम अर्थात लोधी रोड में मुख्य खेलकूद स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम का नवीकरण, हौजखास में टेनिस स्टेडियम तथा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के लिए प्रगति मैदान में राज्य प्रदर्शनी काम्पलेक्स जिनका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, एशियाड-82 के शुरू होने से काफी पहले पूर्ण हो जाएंगे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में धान की फसल को क्षति

1291. **श्री नारायण चौबे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल में सूखे और कीड़ों के आक्रमण के कारण धान की फसल को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) इस प्रकार के आक्रमण से प्रभावित मुख्य जिले कौन से हैं;

(ग) इसके कारण धान के उत्पादम में कितनी हानि होगी;

(घ) इसका मुकाबला करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का है और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिमी बंगाल में खरीफ की धान की फसल 'राईस टुंग्रो वाईरस' नामक रोग से प्रभावित हुई थी । यह रोग प्रायः पैड़ी ग्रीन लीफ होपर आर स्टेम बेरर, गाल फलाई और ब्राऊन प्लांट होपर के माध्यम से फैलता है । सूखे से धान की फसल को हुई क्षति के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) कीटनाशियों के इस प्रकार के आक्रमण से प्रभावित मुख्य जिले निम्नलिखित

हैं : वर्दमान, मिदनापुर, नाडिया, बीरभूम, हुग्ली, हावड़ा, बंकुरा, मुर्शिदाबाद, पुलिया, माल्दा और 24-परगना ।

(ग) क्षति के सही अनुमानों के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत धान के प्रमुख कृमियों/रोगों के नियन्त्रण के लिए राज-सहायता उपलब्ध है । 1981-82 के लिए पश्चिमी बगाल को 6000 हैक्टार क्षेत्र में ब्राऊन प्लांट होपर के नियन्त्रण के लिए राज सहायता के केन्द्रीय अंश के रूप में 1,80 लाख रुपए की धनराशि की मंजूरी दी गई है जैसाकि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई थी । सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 1360.00 लाख रुपए की सीमांत धनराशि प्राप्त हुई है । भारत सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि आदानों के क्रय और वितरण के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में 14.50 करोड़ रुपए (खरीफ के लिए 5 करोड़ रुपए और रबी के लिए 9.50 करोड़ रुपए) की मंजूरी दी है ।

प्याज के मूल्यों में वृद्धि

1292. **श्री नारायण चौबे :**
श्री ए०टी० पाटिल :
श्री अनादि चरण दास :
श्री कृष्ण कुमार गोयल :
श्री के०ए० राजन :
श्री नारायण चन्द पराशर :
श्री त्रिलोक चन्द : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्याज के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) 1 अक्तूबर, 1981 को प्याज का औसत खुदरा मूल्य क्या था और अब यह मूल्य कितना है;

(ग) प्याज के मूल्यों में इस आकस्मिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) मूल्य वृद्धि रोकने और इससे सामान्य मूल्य पर लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अखिल भारतीय आधार पर इस वर्ष मार्च 1981 तक प्याज का थोक मूल्य सूचकांक गत वर्ष की तुलना में कम था । अप्रैल, 1981 में मूल्य सूचकांक लगभग बराबर था । मई 1981 से सूचकांक में 1980 के तदनुरूपी महीने की तुलना में वृद्धि होनी आरम्भ हुई । मूल्यों में यह वृद्धि नवम्बर, 1981 के पूर्वार्ध तक जारी रही । उसके बाद मूल्यों में गिरावट आई ।

(ख) दिल्ली में प्याज के फुटकर मूल्य निम्नलिखित हैं :

	(रुपए प्रति किलोग्राम)
2.80 रुपए—3.00 रुपए	(1.10.1981)
2.30 रुपए—2.60 रुपए	(26.11.1981)

(ग) मूल्य में वृद्धि होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. महाराष्ट्र तथा गुजरात में मानसून देर से आना, जिससे बुआई देरी से की गई और उसके कारण मण्डी में नई फसल देर से पहुंची ।

2. नवम्बर 1981 के पहले सप्ताह में मनमड में श्रमिकों की हड़ताल थी जिससे मुख्य उत्पादक केन्द्रों से खपत-वाले केन्द्रों को प्याज ले जाने में भी विलम्ब हुआ ।

(घ) जैसे ही प्याज के मूल्य में वृद्धि होनी आरम्भ हुई, सरकार ने नाफेड सुपर बाजार तथा दिल्ली प्रशासन के नागरिक आपूर्ति निगम से कहा कि वे बाजार में प्याज की बिक्री करें । वे 1.75 रुपए से 2.00 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेचते रहे हैं । नाफेड देश के 16 अन्य केन्द्रों को भी प्याज भेजता रहा है ।

मदर डेरी द्वारा टोंड दूध की बिक्री

1293. **श्री नारायण चौबे :**

श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल मदर डेरी टोंड दूध को बेच रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) कच्चे दूध का अधिप्राप्ति मूल्य अत्यधिक होने के कारण तथा उपभोक्ताओं के लिए 2.20 रुपए प्रति लिटर विक्रय मूल्य कायम रखने के लिए मदर डेरी ने 7.11.1981 से टोंड दूध बेचना शुरू किया ।

सहकारी ऋण की वसूली निराशाजनक

1294. **श्री एच०एन० तन्जे गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी ऋण समितियां जो कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की मुख्य संस्थागत एजेंसियां हैं, की वर्ष दर वर्ष ऋण प्राप्त करने वालों की ओर बढ़ती हुई बकाया राशि के कारण संकट का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत कम वसूली के कारण, चार या पाँच बड़े राज्यों को विश्व बैंक द्वारा कृषि पुनर्वित और विकास निगम को दिए गए ऋण के अपने हिस्से से वंचित होने का खतरा पैदा हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि प्राथमिक कृषिगत ऋण समितियों के मामले में बकाया राशि की तुलना में अधिक धन लेने की प्रतिशतता 44.3 है;

(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की स्थिति क्या है;

(ङ) किन राज्यों में सहकारी ऋणों की वसूली संतोषजनक है; और

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ ।

(ख) भूमि विकास बैंकिंग ढांचे में अत्यधिक बकाया राशि वाले राज्यों, जैसे कि बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त ऋण परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त के लिए इस शर्त पर शामिल कर लिया गया है कि वे अपने कार्य-निष्पादन और बकाया राशि की वसूली में सुधार के लिए पुनर्स्थापना कार्यक्रम चलाएंगे ।

(ग) तथा (घ) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 30 जून, 1980 को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के मामले में बकाया राशि की तुलना में अतिदेय की प्रतिशतता 44.3 थी ।

(ङ) 30 जून, 1979 को प्राथमिक कृषिगत ऋण समितियों के स्तर पर औसत वसूली की स्थिति केवल आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत से ऊपर थी ।

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं के संबंध में औसत वसूली की स्थिति केवल आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60 प्रतिशत से ऊपर थी ।

(च) सहकारी समितियां खुद ही और राज्य सरकारें, जो कि "सहकारिता" विषय के प्रभारी हैं, अतिदेय राशि की उगाही के लिए मुख्य रूप से कदम उठाने हेतु उत्तरदायी हैं । भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा सहकारी संस्थानों के लिए उपयुक्त पुनर्स्थापना संबंधी कार्यक्रमों की सिफारिश की गई है । मूल्य सूचकांकों और उनके नियंत्रण के अन्तर्गत सहकारी संस्थानों द्वारा इसका क्रियान्वयन की तुलना जानाये है । अप्रैल, 1981 में समस्त मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया गया था कि वे सहकारी समितियों द्वारा ऋणों की उगाही की स्थिति की समीक्षा करें और उगाही की स्थिति विशेषकर जानबूझकर की गई चूकों के मामले में सुधार के लिए सुनिश्चित उपाय करें ।

वनस्पति एककों से स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनुरोध

1295. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री पी०के० कोडियन : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वनस्पति उत्पादकों से मन्त्रालय के साथ आगे बातचीत होने तक स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण का प्रबन्ध बनाए रखने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या स्वेच्छिक प्रबन्ध अक्तूबर, 1981 के सप्ताहांत के पश्चात समाप्त हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा एक नया नीति निर्णय लिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके कब तक घोषित होने की संभावना है और उसकी मुख्य बातें क्या होंगी ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (घ) जी हाँ। तथापि, वनस्पति उद्योग से कहा गया है कि वे आगे बातचीत होने तक इस प्रबन्ध को बनाए रखें। नए प्रबन्ध की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।

सामान्य वस्तुओं के मूल्य में कमी के बावजूद खाद्यान्न के मूल्य सूचकांक में वृद्धि

1296. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर के दौरान वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में थोड़ी सी गिरावट आई परन्तु सरकार ने स्वीकार किया है कि खाद्य वस्तुओं के सूचकांक में अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण थे;

(ग) क्या इसमें कोई सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो किस सीमा तक और कृषि मूल्यों में बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर वी० स्वामीनाथन) : (क) 17.10.1981 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान खाद्य पदार्थों के सूचकांक में सीमान्त वृद्धि हुई जबकि समस्त जिन्सों के सूचकांक में गत सप्ताह की तुलना

में कुछ कमी आई । तथापि, इस एक सप्ताह को छोड़कर, अक्तूबर, 1981 के महीने के दौरान खाद्य पदार्थों तथा समस्त जिन्सों से सम्बन्धित सूचकांक में गिरावट आई ।

(ख) 17.10.1981 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान खाद्य पदार्थों के सूचकांक में वृद्धि होने का मुख्य कारण दूध, घी, मसालों, मसूर, उड़द, फल एवं सब्जियों, काफी, चाय तथा जौ के मूल्यों में वृद्धि होना था ।

(ग) तथा (घ) जी हाँ । खाद्य पदार्थों का 14.11.1981 का थोक मूल्य सूचकांक 238.2 था जो 17.10.81 के 240.9 मूल्य सूचकांक की तुलना में 1.1 प्रतिशत कम है । कृषि मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में ये शामिल हैं :—सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, कृषि जिन्सों के उत्पादन में वृद्धि करना; कम सप्लाई वाली आवश्यक जिन्सों का आयात करना तथा वित्तीय एवं मुद्रा सम्बन्धी समुचित उपाय करना । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें आवश्यक जिन्स अधिनियम तथा ऐसे अन्य कानूनों के प्रावधानों को लागू कर रही है ।

किसानों के लिए लाभकारी मूल्य

1297. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**
श्री एन०ई० होरो :
श्री सी० चिन्ना स्वामी :
श्री राम लाल राही : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि केन्द्र को 15 नवम्बर, 1981 तक कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य की घोषणा की जानी चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने धमकी दी है कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वे अपने निर्णय के समर्थन में आंदोलन छेड़ेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह भी मांग की है कि गेहूं और चीनी के सम्बन्ध में नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए; और

(घ) अन्य की गई मांगें क्या हैं और उनमें से कितनी मांगें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) चालू चीनी वर्ष के सम्बन्ध में, चीनी मिल कर्मचारियों, किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की ओर से अखिल भारतीय कृषक संघ से प्राप्त ज्ञापन में प्रधान मन्त्री से अपील की गई है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके चीनी के लिए उचित मूल्य निर्धारित करे तथा इस उद्योग को विनाश होने से बचाएं । उन्होंने यह भी मांग की है कि गन्ना उत्पादकों को 350 रुपए प्रति टन के हिसाब से मूल्य दिया जाए ताकि उन्हें

अधिक गन्ना पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके और चीनी उद्योग को विनाश होने से बचाया जा सके ।

इसके अलावा उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि :

1) 8.5 प्रतिशत की वसूली के लिए गन्ने का मूल्य करीब 25 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए तथा प्रधान मन्त्री से अपील की कि वह इस बात का सुनिश्चय करें कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले, और

2) अनुरोध किया कि लेवी की चीनी का मूल्य बढ़ाया जाए और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए ।

2. चीनी वर्ष 1981-82 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य घोषित हो चुका है । यह 8.5 प्रतिशत की वसूली से सम्बद्ध पिछले वर्ष के मूल्य अर्थात् 13 रुपए प्रति क्विंटल के समान स्तर पर ही रखा गया है । सरकार इसको पर्याप्त न्यूनतम मूल्य के रूप में मानती है जिसमें गन्ने की उत्पादन लागत और किसानों का उचित लाभ भी शामिल है । किसानों को दिया गया मूल्य सामान्यत: निर्धारित किए जा रहे सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक रहा है । इसके अलावा गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के तहत खुले बाजार में दी जाने वाली चीनी की बिक्री से प्राप्त अधिक वसूली को गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उत्पादकों के बीच बराबर बांटा जाता है ।

3. सभी अंचलों के बीच चालू वर्ष में लेवी की चीनी का फैक्ट्री मूल्य भी निश्चित तथा अधिसूचित कर दिया गया है । ये मूल्य चीनी के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य पर आधारित हैं ।

4. गन्ना उत्पादकों, चीनी उत्पादकों तथा चीनी उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लेवी की चीनी तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के बीच पिछले वर्ष के लिए निर्धारित किए गए अनुपात में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा मौजूदा समय में भी यह अनुपात 65:35 है ।

राम कृष्ण पुरम सेक्टर-1 नई दिल्ली मरम्मत कार्य

1298. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मंत्री नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में पहुंच मार्ग के बारे में 7 सितम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो मरम्मत के लायक नहीं हैं और जिन्हें दुबारा बनाने की आवश्यकता है जैसी कि एक सड़क राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली के सैक्टर-1 में मकान नम्बर 689-7016 के सामने है;

(ख) वहां इस प्रकार कितनी सड़कें हैं उत्तर दिए जाने से लेकर अब तक कितनी सड़कों को मरम्मत/सतह बिछाने का कार्य किया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चरणबद्ध कार्य कब तक होने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। कुछ सड़कों के टूटे-फूटे भागों का और कुछ स्थानों पर गड्ढों की मरम्मत करना और पूर्व मिश्रित तारकोल बिछाना अपेक्षित हैं।

(ख) तथा (ग) : रामकृष्ण पुरम के सैक्टर-1 में ऐसी तीन और सडकें हैं। इन सड़कों पर गड्ढे भरने का काम प्रगति पर है और इस कार्य का दिसम्बर, 1981 के पहले हफ्ते तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(घ) चरणबद्ध कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और यह संसाधनों के नियंत्रण के भीतर निष्पादित किया जाएगा।

दिल्ली क्लाथ मिल द्वारा दिल्ली में वायु तथा जल प्रदूषण

1299. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली क्लाथ मिल कैमिकल लिमिटेड त्रिनगर दिल्ली से गुजरने वाले नजफगढ़ नाले में गत कई वर्षों से निरन्तर रासायनिक अपशिष्ट बहा रहा है, जिससे वायु प्रदूषित होती है और लाखों लोगों का जीवन सोचनीय हो रहा है जिससे जमुना का जल प्रदूषित करने के अलावा स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम न करने के क्या कारण हैं; और इसके लिए मिल को आवासीय क्षेत्र से स्थानान्तरित करने को कहने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस प्रदूषण की पुनरावृत्ति न होती रहे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सही है कि दिल्ली में दिल्ली क्लाथ मिल्स कैमिकल्स लिमिटेट, काफी मात्रा में तरल औद्योगिक बहिसाव बहा रहा है और गैस छोड़ रहा है जिससे कुछ सीमा तक जल तथा वायु प्रदूषण होता है।

(ख) तथा (ग) : जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड ने इस मामले में दिल्ली क्लाथ मिल्स कैमिकल्स का ध्यान दिलाया है और उस संस्थान ने उनके औद्योगिक बहिसाव के साथ बाहर आने वाले ग्रीस तथा तेल की मात्रा का काफी भाग रोकने के उपायों को कार्यान्वित किया है। उनके वनस्पति संयंत्र के लिए और अधिक पूर्ण बहिसाव शोधन पद्धति का लगभग एक वर्ष में चालू हो जाने की आशा है।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के 16 मई 1981 से लागू होने से, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड उस संस्थान का चिमनी प्रबोधन करने की कार्यवाही आरम्भ कर रहा है और वह अध्ययन करने के पश्चात् उस उद्योग को गैस छोड़ने के लिए उचित उपाय अपनाने की सलाह देगा ।

खाद्य तेलों का स्टाक

1300. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एन० ई० होरो : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में वनस्पति उद्योग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों के लिए खाद्य तेलों का भंडार संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो मद-वार, खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का आयात किए जाने का विचार है; और

(ग) देश में वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां ।

(ख) चालू तेल वर्ष (नवम्बर 81-अक्तूबर 82) के दौरान खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मदवार संभावित मात्रा, इनकी मांग और देश में इनके उत्पादन के बीच के अन्तर, खाद्य तेलों के देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता और अन्य संबंधित बातों पर निर्भर करेगी ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तिलहनों का उत्पादन 1979-80 के 102.0 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1984-85 तक 131.0 लाख मीटरी टन तक लाने का विचार है । छठी योजना में इस क्षेत्र से सम्बन्धित नीति की प्रमुख बात यह है कि अपेक्षाकृत नए तथा कम प्रयोग में लाए गए स्रोतों जैसे सोयाबीन, चावल की भूसी आदि से खाद्य तेलों का अधिकतम उत्पादन किया जाएगा ।

टोंड दूध और क्रीम दूध के मूल्य और बटर आयल का आयात

1302. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी द्वारा टोंड दूध भी उसी दर पर बेचा जा रहा है जिस पर क्रीम युक्त दूध बेचा जाता था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बटर आयल के आयात पर भी रोक लगा दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) बटर आयल का कोई वाणिज्यिक आयात नहीं किया जाता है ।

केरल को चावल की सप्लाई

1303. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को सितम्बर और अक्तूबर के दौरान चावल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) क्या वहां की सरकार ने चावल के कोटे की मात्रा में नए आँकड़े आने के बाद वृद्धि करने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केरल को सितम्बर और अक्तूबर, 1981 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सप्लाई की गई चावल की मात्रा का विवरण नीचे दिया जाता है :

सितम्बर, 1981	...	106.9 हजार मीटरी टन
अक्तूबर, 1981	...	93.5 हजार मीटरी टन

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी तट पर समुद्री तूफान में जान माल का नुकसान

1304. **श्री ए० टी० पाटिल :**

श्री अनादि चरण दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट पर हाल के समुद्री तूफान से (क्षेत्र-वार) जान-माल का कितना नुकसान हुआ;

(ख) नुकसान से बचने के लिए भारत सरकार और सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए; और

(ग) उक्त उपाय करने के बावजूद किन कारणों से इतना भारी नुकसान हुआ ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तेज तूफानी हवाओं के भयंकर समुद्री तूफान ने 1 नवम्बर, को लगभग आधी रात को मंगरोल के पास सौराष्ट्र के समुद्री तट को प्रभावित किया । 2 नवम्बर को प्रातः यह प्रकोप पोरबन्दर व जामनगर के बीच समुद्री तूफान के

रूप में केन्द्रित रहा । उसके बाद यह कमजोर पड़ गया तथा इसका दवाब कम हो गया और राजस्थान को पार करता हुआ तेजी से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ा और 4 नवम्बर, 1981 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के पास समाप्त हो गया । गुजरात सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस समुद्री तूफान से गुजरात में हुई क्षति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

प्रभावित जनसंख्या	50 लाख
मृतक व्यक्तियों की संख्या	14
मृत पशुओं की संख्या	13,942
प्रभावित सस्य क्षेत्र	11,84,900 हैक्टार
ढह गई झोंपड़ियों की संख्या	1128
क्षतिग्रस्त झोंपड़ियों की संख्या	8686
ढह गए मकानों की संख्या	677
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	6034
मछुआरों की नौकाओं; जालों, साल्ट पेनों आदि की क्षति अनुमानित मूल्य	56.38 लाख रुपए
सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे सड़कों, सिंचाई कार्यों सरकारी भवनों आदि का अनुमानित मूल्य	783.63 लाख रुपए

देश के अन्य भागों से क्षति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सम्बन्धित लाभानुभोगियों को राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के माध्यम से मौसम विभाग द्वारा समुचित और समय पर चेतावनियां दी गयीं । आकाशवाणी के हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती के समाचारों में समुद्री तूफान सम्बन्धी चेतावनी बुलेटिन भी प्रसारित किए गए ।

भारतीय मौसम विभाग से सावधानी सम्बन्धी संकेत प्राप्त होने पर गुजरात सरकार ने प्रभावित होने वाले जिलों के सभी जिलाधीशों/प्राधिकारियों को चौकस कर दिया था और सभी उपचारात्मक उपाय किए गए । राज्य, जिला और तालुक स्तरों प नियन्त्रण कक्ष खोले गए । आकाशवाणी और अन्य माध्यमों से भी चेतावनी दी गई ।

मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री, कृषि मन्त्री और अन्य वरिष्ठ मन्त्रियों और अधिकारियोंरने समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की ।

10 गाँवों के 11,000 व्यक्तियों को हटाया गया ।

(ग) समुद्री तूफान के साथ चलने वाली तूफानी हवाओं और वायु के साथ आने वाली वर्षा से गुजरात के समुद्री तूफान प्रवण क्षेत्र में जान और माल को क्षति पहुंची ।

उपचारात्मक उपायों से समुद्री तूफानों से होने वाली क्षति कम हो सकती है, परन्तु पूर्णतयः समाप्त नहीं हो सकती ।

पीपल एक्शन डेवलपमेंट फार इण्डिया का पुनर्गठन

1305. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपल एक्शन डेवलपमेंट फार इण्डिया (पी०ए०डी०आई०) का पुनर्गठन किया जाने वाला है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सामाजिक कार्य करने में रुचि लेने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां । भारतीय विकास लोक कार्यक्रम की सामान्य निकाय का पुनर्गठन विचाराधीन है ।

(ख) जी हां ।

प्याज का उत्पादन और निर्यात

1306. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान, प्याज का अधिक उत्पादन हुआ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान प्याज कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान प्याज के उत्पादन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है । तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1980-81 में इसका उत्पादन वर्ष 1979-80 की तुलना में कम होने की संभावना है ।

(ख) इन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए प्याज की मात्रा नीचे दी गई है :

1979-80	27,957 मीटरी टन
1980-81	1,81,238 मीटरी टन

सौराष्ट्र तट पर समुद्री तूफान से हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय दल

1307. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समुद्री तूफान ने सौराष्ट्र तट पर दो दिन तक तबाही की;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तूफान से हुई हानि का मूल्यांकन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तेज तूफानी हवाओं वाले भयंकर समुद्री तूफान ने 1 नवम्बर, 1981 को लगभग आधी रात को मंगरोल के पास सौराष्ट्र के समुद्री तट को प्रभावित किया तथा 2 नवम्बर, 1981 की प्रातः यह पोरबन्दर और जामनगर के बीच समुद्री तूफान के रूप में केन्द्रित रहा। इससे जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, सुरेन्द्रनगर और कच्छ जिले प्रभावित हुए। जूनागढ़ सबसे अधिक प्रभावित हुआ।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार से विस्तृत ज्ञापन और प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत और पुनः स्थापना के लिए वांछित केन्द्रीय सहायता की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसके प्राप्त होने पर केन्द्रीय दल भेंजने के लिए आगे आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) 5 करोड़ रुपए की तदर्थ निर्मुक्ति के लिए गुजरात सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए की साधनोपाद अग्रिम राशि मंजूर की। राज्य सरकार को कृषि आदानों के क्रय और वितरण के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में 8 करोड़ रुपए (खरीफ के लिए 5 करोड़ रुपए और रबी के लिए 3 करोड़ रुपए) की राशि भी मन्जूर की गई है।

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

1308. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री एन०के० शेजवलकर : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में रेल लाइन के

निकट दो किलोमीटर लम्बी पट्टी पर हजारों झुग्गियों को बनाने दिया गया;

(ख) अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) झुग्गी वालों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) ये झुग्गियाँ रेल विभाग की भूमि में हैं और रेल मन्त्रालय ने सूचित किया है कि दिल्ली क्षेत्र में इसकी भूमि पर अनधिकृत झुग्गियों/झोंपड़ियों को हटाने के लिए उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण से सहायता मांगी है। जैसा कि मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन द्वारा बुलाई गई एक बैठक में निर्णय लिया गया है।

(ग) मार्च, 1977 में दिल्ली के अवशिष्ट क्षेत्रों में छोड़े गए अनधिवासियों को पुनर्वास सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक को चावल और चीनी की सप्लाई

1309. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को गत तीन वर्षों 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (छः महीनों के लिए) के दौरान चावल और चीनी की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान यह किस दर पर सप्लाई की गई;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि सप्लाई किए गए खाद्यान्नों का स्तर अच्छा नहीं था; और

(घ) क्या सरकार बढ़िया खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए कदम उठाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य को चावल तथा चीनी की निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई की गई थीं जिनकी दरें इस प्रकार हैं :

चावल

वर्ष	कर्नाटक राज्य को सप्लाई किए गए चावल की मात्रा (हजार टन में)	निर्गम की दरें (रुपए प्रति क्विंटल)					
		साधारण		बढ़िया		बहुत बढ़िया	
		कच्चा	सेला	कच्चा	सेला	कच्चा	सेला
1979-80	22.2	150	152	162	164	172	174
1980-81	71.7	165	165	177	177	192	192
1981-82 (सितम्बर तक)	103.6	175	175	187	187	202	202

चीनी

वर्ष	कर्नाटक राज्य को सप्लाई की गई चीनी की मात्रा (मी० टन में)	निर्गम की दर
1979-80	47886	2.85 रुपए प्रति किलो (17.12.1979 से)
1980-81	170580	3.50 रुपए प्रति किलो (1.12.1980 से)
1981-82 (सितम्बर तक)	127935	3.65 रुपए प्रति किलो (16.11.1981 से)

(ग) और (घ) जी हाँ। माननीय सदस्य ने हाल ही में यह मामला सरकार के नोटिस में लाया था कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से घटिया किस्म के खाद्यान्न सप्लाई किए जा रहे थे और उन्होंने यह भी कहा था कि बंगलौर शहर में खाद्यान्नों और चीनी की सप्लाई अनियमित थी। भारतीय खाद्य निगम और खाद्य विभाग का क्वालिटी कन्ट्रोल सैल इस मामले की जांच कर रहा है। राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य में उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों और चीनी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करें।

महानगरों में सब्जी बाजारों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव

1310. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के दल के सुझाव पर सरकार दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे कई महानगरों में सब्जी और फल बाजारों के राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। महानगरों में सब्जियों और फलों की मन्डियों के राष्ट्रीयकरण का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कृषि मन्त्रालय द्वारा गठित शीघ्र खराब हो जाने वाली कृषि जिन्सों से सम्बन्धित एक दल ने सिफारिश की है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता जैसे महानगरों में स्थित मन्डियों को "राष्ट्रीय हित की मण्डियों" का विशेष दर्जा दिया जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

खाड़ी के देशों को सेबों का निर्यात

1311. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेब के निर्यात में जिनकी खाड़ी के देशों और पश्चिमी एशिया के देशों में काफी मांग है सहायता करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या बन्द पैकिटों में निर्यात की अपर्याप्त सुविधाओं और देश में उन्हें बनाने के सामान की कमी के कारण निर्यातक गम्भीर हानि का सामना कर रहे हैं; और

(ग) सेब निर्यातकों को होने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानिर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) खाड़ी और पश्चिमी एशिया के देशों को एक सीमित मात्रा में सेब पहले से ही निर्यात किए जा रहे हैं।

(ख) जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए डिब्बाबंदी तथा परिसंस्करण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने जम्मू व कश्मीर में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना शुरू की है, जिसमें विपणन तथा परिसंस्करण की दोनों प्रकार की सुविधाएं शामिल हैं। सेबों के लिए डिब्बी बन्दी की सामग्री के बारे में कोई विशिष्ठ अथवा गम्भीर समस्या नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता। तथापि, विशिष्ठ कठिनाईयाँ सरकार के ध्यान में लाए जाने पर वह हर सम्भव सहायता देगी।

मत्स्यग्रहण बन्दरगाह के विकास के लिए मास्टर प्लान

1312. **श्री जगदीश टाईटलर :**

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मत्स्यग्रहण क्षेत्र की सीमाओं के भीतर और बाहर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए तट पर मत्स्यग्रहण बन्दरगाहों के विकास के लिए बनाई गई मास्टर प्लान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे तटीय राज्यों को केन्द्रीय सरकार की मास्टर प्लान में सम्मिलित किए जाने के लिए अपनी-अपनी मास्टर प्लान भेजने को कहा गया है;

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से उस पर क्या प्रतिक्रिया और उत्तर प्राप्त हुए हैं;

(घ) भीतरी प्रदेश तथा देश दोनों के लिए अपेक्षित सुधार का मुख्य ब्यौरा क्या है और इससे निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) क्या डिब्बाबन्दी आदि जैसे पर्याप्त सहायक उद्योग विकास पर भी प्लान में विचार किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) मत्स्यन बन्दरगाहों के भावी विकास के लिए विस्तृत स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। इस सम्बन्ध में बड़े और छोटे बन्दरगाहों तथा मछली उतारने वाले छोटे केन्द्रों के लिए मत्स्यन की तिहरी प्रणाली अपनाने की नीति है।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे नए मत्स्यन केन्द्रों के लिए अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करें।

(ग) सामान्यत: राज्य सरकारों ने कुछ और स्थानों को जोड़ने के प्रस्ताव किए हैं और कार्यकारी योजना के प्रक्षेपण पर बेड़े के आकार अथवा उनकी संख्या के बारे में भी टिप्पणी की है।

(घ) इन केन्द्रों की रूप रेखा इस प्रकार तैयार की गई है ताकि वे निर्दिष्ट केन्द्रों से अधिक से अधिक मछली पकड़ सकें और बढ़ते हुए मछली उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करके निर्यात में भी वृद्धि कर सकें।

(ङ) पकड़ी जाने वाली मछलियों के समुद्र तट पर ही परिसंस्करण हेतु पर्याप्त क्षेत्र का निर्धारण किया गया है।

रबी की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुपूरक कार्यक्रम

1313. **श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे रबी की फसल में होने वाले अनाजों, दालों और तिलहनों के उत्पादन वृद्धि हेतु अनुपूरक कार्यक्रम चलाने के लिए तुरन्त उपाय आरम्भ करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त तीनों राज्यों की अक्तूबर, 1981 में क्षेत्रीय बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अन्य राज्यों के सम्बन्ध में पहले की क्षेत्रीय कृषि बैठकें दिल्ली में हुई थीं,

(घ) यदि हाँ, तो क्या कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में श्रेष्ठतर उपज सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नीति के अंग के रूप में बंगलौर, शिलांग और भुवनेश्वर में और अधिक क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाने वाली हैं, और

(ङ) यदि हां, तो ये क्षेत्री बैठकें कहां तक उपयोगी सिद्ध हुई हैं तथा जिन लक्ष्यों के लिये ये बैठकें बुलाई गई थीं उनकी कहां तक प्राप्ति हुई है तथा अनाजों, दालों और तिलहनों के उत्पादन में कितना सुधार हुआ है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इससे पहले दो क्षेत्रीय बैठकें हुई थीं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में प्रथम क्षेत्रीय बैठक 26 व 27 सितम्बर, 1981 को नई दिल्ली में तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में द्वितीय बैठक 29 व 30 सितम्बर, 1981 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में हुई थी।

(घ) गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों के सम्बन्ध में 14 व 15 अक्तूबर, 1981 को गांधी नगर (गुजरात) में हुई। तीसरी क्षेत्रीय बैठक के बाद दो और बैठकें की गयीं।

इनमें से एक बैठक आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्यों के सम्बन्ध में 21 व 22 अक्तूबर, 1981 को बंगलौर में तथा दूसरी असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा व सिक्किम राज्यों के सम्बन्ध में 9 और 10 नवम्बर, 1981 को शिलांग में हुई थीं। बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल राज्यों के बारे में भुवनेश्वर में आयोजित की जाने वाली अन्तिम क्षेत्रीय बैठक की तारीखें अभी निश्चित की जानी है।

(ङ) ये बैठकें इनमें भाग लेने वाले राज्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं क्योंकि इन बैठकों में कृषि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पेश आने वाली समस्याओं तथा अवरोधों का पता लगाने व उनको दूर करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए प्रयत्न किया गया। धान्यों दलहनों व तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रमों पर गहराई से विचार किया गया तथा उपयुक्त नीतियाँ तैयार की गयीं। आशा है कि इन बैठकों में की गयी अनेक सिफारिशों के क्रियान्वयन से कृषि उत्पादन, जिसमें धान्य-दलहन तथा तिलहन भी शामिल हैं, में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण जल योजना के कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए एजेंसी

1314. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत समूचे देश में निर्माणाधीन ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए एकमात्र एजेंसी के रूप में नागपुर में औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद की

राष्ट्रीय प्रयोगशाला पर आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्बन्धी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय पर्यावरण सम्बन्धी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के शासी निकाय में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को निदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र की ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाओं का ब्यौरा निगरानी हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण सम्बन्धी इंजीन्यिरी अनुसंधान संस्थान को भेजे; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संस्थान ने ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए किस सीमा तक सहायता की है और इस बारे में नवीनतम प्रगति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य-तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये उपाय

1315. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पावधि में खाद्य तेलों की उपलब्धता और दीर्घावधि में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोई समेकित उपाय आरंभ किये हैं ताकि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत राज्यों में सोयाबीन की खेती का क्षेत्र 18 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने निर्णय किया था कि वह समूची लागत वहन करेगा,

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त परियोजना से सोयाबीन का 14.4 लाख टन उत्पादन होने और देश में खाद्य-तेल के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की सम्भावना है,

(ङ) क्या यह भी सच है कि "प्रोसेसिंग" सुविधाओं की व्यवस्था करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय अन्तर्मन्त्रालय समन्वय समिति गठित की गई है, और

(च) योजना की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) : जी हाँ। सम्भवत: यह प्रश्न पंचवर्षीय सोयाबीन परियोजना

(1981-86) के बारे में है, जिसे मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 1980-81 में सोयाबीन के अन्तर्गत लाए गए 4.50 लाख हैक्टार क्षेत्र को बढ़ाकर 1985-86 के अन्त तक 18 लाख हैक्टार करना है और इससे 14.40 लाख मीटरी टन उत्पादन होने की संभावना है। परियोजना के अन्तर्गत सोयाबीन की खेती का मुख्यतया परती भूमि में विस्तार करने का प्रस्ताव है। अन्य बातों के साथ साथ परियोजना में बीजों, प्रदर्शनों, राईजोबियम कल्चर, किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण तथा प्रचार इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। पाँच वर्षों की अवधि के लिए परियोजना की कुल अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए है जिसको पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ङ) जी हाँ।

(च) जैसा कि भाग (क) से (घ) के उत्तर में बताया गया है।

खाद्य तेलों के उत्पादन, वितरण और आयात पर नियंत्रण

1316. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने खाद्य तेलों के उत्पादन, वितरण और आयात को अपने नियंत्रण के अधीन लाने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर लम्बे समय से विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पर स्वीकृति नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या खाद्य तेलों के मूल्य अभी भी बढ़ रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो इस बारे में किस प्रकार का नियंत्रण रखे जाने पर विचार किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) : वनस्पति तिलहनों तथा तेलों के समन्वित प्रबंध के लिए एक राष्ट्र-स्तरीय संगठनात्मक ढाँचे की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। यह निर्णय किया गया है कि कृषि मंत्रालय के अधीन एक कामोडिटी बोर्ड की स्थापना की जाये।

(ङ) जी नहीं।

(च) खाद्य तेलों के मूल्यों में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर सरकार ने कई उपाय किये हैं। कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—

1. खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना;
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने तथा वनस्पति के लिए आयातित तेलों की सप्लाई जारी रखना;
3. वनस्पति उद्योग द्वारा स्वैच्छिक आधार पर मूल्य नियंत्रण बरतना;
4. भण्डारण नियंत्रण आदेशों और अन्य कानूनों को कड़ाई से लागू करना।

राज्यों में किसानों को विद्युत की सप्लाई

1317. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को निदेश दिया है कि वे किसानों को एक दिन में कम से कम 12 घंटे विद्युत प्रदान करें;

(ख) यदि हाँ, तो कब से और कितने समय के लिए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस निदेश को क्रियान्वित करना आरंभ कर दिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। केन्द्रीय दलों ने वर्षा न होने से सूखे से प्रभावित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बिहार का दौरा किया था, ताकि खरीफ की खड़ी फसलों को यथासंभव बचाने तथा रबी की फसलों की बुआई दोनों के लिए कृषकों को बिजली, डीजल तथा नहर के पानी की सप्लाई की जांच की जा सके। दलों की टिप्पणियों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने कृषकों को हर रोज कम से कम 12 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिए इन राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं।

(ख) राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे खरीफ की फसलों के फायदे के लिये सितम्बर तथा अक्तूबर 1981 के महीनों के दौरान तथा रबी की फसलों की बुआई के लिए नवम्बर के आरम्भ से लेकर कम से कम 15 दिसम्बर, 1981 तक बिजली की सप्लाई करें।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) राज्य सरकारों ने भारत सरकार की सलाह के अनुसार कार्य किया तथा सूखाग्रस्त राज्यों में कृषकों को बिजली की सप्लाई करने से संबंधित स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

1318. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माण तेजी से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर नियन्त्रण करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका ने इस बात का खण्डन किया है कि उनके क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण तेजी से हो रहा है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सितम्बर-नवम्बर, 1981 के दौरान उसके विकास क्षेत्र में 665 अनधिकृत निर्माणों का पता चला था।

(ख) तथा (ग) : दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि क्रमशः दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि 1-1-81 से 15-11-81 के मध्य 7753 अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को उसकी भूमि तथा उसके प्रबन्धाधीन भूमि से हटाए गए थे। दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित मामलों में पानी और बिजली के कनैक्शन न देने के लिए 3-11-81 को निदेश भी जारी कर दिए हैं :—

(1) जहाँ कहीं भी अनधिकृत निर्माण किया गया हो, वहाँ पानी/बिजली के कनैक्शन को देने के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे निर्माण की वैध मन्जूरी प्रस्तुत नहीं की जाती है।

(2) नये निर्माणों के सम्बन्ध में पानी/बिजली देने के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि मालिक/कब्जेदार द्वारा सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र या कब्जे का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(3) उन मामलों में जहाँ वैधानिक उपबन्धों के उल्लंघन से किसी भी निर्माण/भवन या भूमि का उपयोग रिहायश से अन्यथा बदला जाता है तो पानी/बिजल देने के नये अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा तथा रिहायश के अलावा अन्य प्रयोजनों से उपयोग में लाये जा रहे वर्तमान पानी/बिजली के कनैक्शनों को काटने की भी कार्यवाही की जायेगी।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा निजी पार्टी को विंडसर प्लेस, नई दिल्ली में भूमि के प्लाट की बिक्री

1319. **डा० बंसत कुमार पंडित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विंडसर प्लेस, रायगीना रोड पर स्थित सरकारी भूमि के एक बड़े प्लाट को नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा किसी निजी पार्टी को फाइव स्टार होटल बनाने के लिए बेच दिया गया है । पट्टे पर दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल और उस पर विद्यमान निर्माण/कोठियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्लाट में वह कोठी भी शामिल थी जहाँ संचार मन्त्री श्री सी० एम० स्टीफन रहते थे;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त कोठी का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया था और 5 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि की लागत पर एक नया 'एनेक्सी' बनाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस बहुमूल्य प्लाट की बिक्री/पट्टे के पीछे क्या कारण रहे हैं तथा उसकी क्या-क्या शर्तें हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : एक फाइव स्टार होटल के निर्माण के लिए रायसीना रोड और जनपथ के चौराहे पर विंडसर प्लेस में लगभग 4.5 एकड़ माप का एक होटल स्थल लाइसेन्स के आधार पर पहले नई दिल्ली नगर पालिका को आबंटित किया गया था । यह पता चला है कि नई दिल्ली नगर-पालिका ने इस स्थल पर एक फाइव स्टार होटल के निर्माण तथा इसे चलाने के लिए मैसर्ज प्योर ड्रिंकस (नई दिल्ली) के साथ एक लाइसेन्स करार किया है ।

उपर्युक्त स्थल पर पहले मकान सं० 7 से 10 विंडसर प्लेस तथा 9 रायसीना रोड और संलग्न नौकरों के क्वार्टर थे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वार्षिक मरम्मतों को छोड़ कर मकान सं० 9 रायसीना रोड में परिवर्धनों तथा परिवर्तनों और विशेष मरम्मतों पर तथा एक कार्यालय ब्लाक के निर्माण पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केवल 95,412 रुपये का व्यय किया गया था । नई दिल्ली नगर पालिका को इस प्लाट के आबंटन की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि नई दिल्ली नगर पालिका वर्तमान लागत में से मूल्यह्रास को निकाल कर स्थल पर वर्तमान संरचनाओं की कीमत अदा करेगा जिसके पिछले एक साल में विशेष मरम्मतों तथा परिवर्धनों/परिवर्तनों की लागत सहित संरचनाओं पर किये व्यय भी शामिल हैं ।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका को आबंटित यह स्थल क्षेत्रीय विकास योजना में एक होटल के लिए उद्दिष्ट है । एशियाई खेल 1982 के लिए फाइव स्टार होटल आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु इस स्थल का आबंटन किया गया था ।

यह प्लाट नई दिल्ली नगरपालिका को 8,400 रुपये प्रति वर्ग गज पर परिकलित जमानत के भुगतान तथा प्रतिभू की राशि पर 2·1/2 प्रतिशत की दर से वार्षिक लाइसेन्स फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्त किया गया था। 4.5 एकड़ भूमि के लिए 5,72,72,000 रुपये की प्रतिभूत की यह राशि पाँच बराबर वार्षिक किस्तों में वसूल की जानी थी। नई दिल्ली नगर पालिका को शेष राशि पर प्रति वर्ष 11.85 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा (वार्षिक लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त) किसी किस्त के न दिये जाने पर 2 प्र०श० की दर से अतिरिक्त ब्याज लगाया जायेगा।

स्वीकृति हेतु पड़ी मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

1320. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कितनी मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) केन्द्र ने अब तक किन-किन परियोजनाओं पर स्वीकृति दे दी है और प्रत्येक के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) शेष योजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या विशेष कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पिछले पांच वर्षों (1977 से 1981) के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 36 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तुत की गई थीं।

(ख) इनमें से 25 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। इन परियोजनाओं को अलग-अलग से प्रगति **संलग्न विवरण-एक** में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न **विवरण-दो** में दी गई है।

विवरण—एक

पिछले पाँच वर्षों (1977-81) के दौरान मध्य प्रदेश की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (लाख रु०)	मार्च, 1981 तक हुआ व्यय
1	2	3	4
1.	मजगांव टैंक*	159 00	160.00
2.	साहिलखेड़ो*	103.00	164.00
3.	ढोलावाड टैंक	164.00	138.00

1	2	3	4
4.	खानहारपाकुट	285.00	73.00
5.	नकटारा बाँध	78.00	70.00
6.	घोंघा जलाशय	436.00	88.00
7.	मतियारो टैंक	832.00	182.00
8.	अमकोई बाँध*	75.00	76.00
9.	चोराल	639.00	108.00
10.	बंको	323.00	165.00
11.	उर्मिल दायाँ तट नहर	640.70	28.00
12.	गोमुख	725.00	33.00
13.	दुधो टैंक	411.00	189.00
14.	बुन्दाला टैंक	298.00	10.00
15.	चन्दोरा टैंक	391.00	43.00
16.	तिल्लार बाँध	931.00	15.00
17.	दोराहा टैंक	372.00	43.00
18.	कालियासोटे सिंचाई	1296.00	27.00
19.	सागर सिंचाई	1063.11	2.00
20.	बाह सिंचाई	1398.00	1.00
21.	बुढाना नाला	316.00	14.00
22.	कुनवाहो लिफ्ट सिंचाई	103.00	—
23	चिरापानी	955.00	11.00
24.	कोलर टेडा	601 60	9.00
25.	लखुन्दर बाँध	599.00	—

* संशोधित अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण -- दो

मध्य प्रदेश की मध्यम सिंचाई स्कीमें उनकी जाँच की वर्तमान स्थिति/देर होने के कारण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग की जाँच की वर्तमान स्थिति
1.	बन्दिया नाला	() इन स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है और उन्हें सलाहकार समिति के विचारार्थ योजना आयोग को भेज दिया गया है।
2.	कन्हार गांव टैंक	()
		()
		()

क्रम सं०	परियोजना का नाम		केन्द्रीय जल आयोग की जांच के वर्तमान स्थिति
3.	बड़े चार नाला	()	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार के स्पष्टीकरण/उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
4.	रामपुरी पिकअप वीयर	()	
5.	बरनई टैंक	()	
6.	देजला देवादा	()	
7.	गेज टैंक	()	
8.	अरनिया बहादुरपुर टैंक	()	जल के उपयोग के लिए राजस्थान राज्य की सहमति आवश्यक है, क्योंकि ये स्कीमें चम्बल बेसिन में गांधी सागर बांध के प्रतिप्रवाह में प्रस्तावित हैं।
9.	चालदू टैंक	()	
10.	भानपुरा नहर	()	
		()	
11.	दोकरिया टैंक		केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

कृषि उत्पादों का भण्डारण

1321. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त किसानों को अन्तरिम राहत देने के साथ कृषि उत्पादों का भण्डारण करने की सुविधा मध्य प्रदेश राज्य पर लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981 की खरीफ मौसम के कितने कृषि उत्पादों का इस प्रकार भंडारण किया गया और कितना ऋण वितरित किया गया तथा कितने किसानों को इस प्रकार लाभ पहुंचा;

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश के उन पिछड़े जिलों, जहाँ भण्डारण क्षमता बहुत कम है, में गोदाम बनायेगी; यदि हां, तो मध्य प्रदेश के वे जिले कौन से हैं;

(घ) रायगढ़, गुना और विदिशा जिलों में उपरोक्त भाग (ख) में बनाये गये कितने कृषि उत्पादों का भण्डारण किया गया, इनमें से प्रत्येक जिले में क्या अन्तरिम लाभ दिया गया और कितने किसानों की इस प्रकार सहायता की गई; और

(ङ) वर्ष 1981-82 और 1982-83 से मध्य प्रदेश राज्य के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय जाल की स्थापना की योजना मध्य प्रदेश सहित सम्पूर्ण

देश में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत, किसान जिसमें लघु तथा सीमान्त कृषक भी शामिल हैं, गोदामों में उनके द्वारा जमा किए गए स्टाकों को धरोहर रखकर ऋण प्राप्त करते हैं।

(ख) शून्य। मध्य प्रदेश में 1981 की खरीफ की फसल की कटाई अभी शुरू हुई है।

(ग) राज्य सरकार की राज्य के सभी 45 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने की योजना है।

(घ) शून्य। गोदामों का निर्माण किया जा रहा है।

(ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है लेकिन 1981-82 में 81,000 मीटरी टन तथा 1982-83 में 1,00,000 मीटरी टन की अनंतिम क्षमता वाले गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है।

बोट क्लब, नई दिल्ली पर "कोप भवन" का निर्माण

1322. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विरुद्ध बढ़ते हुए रोष के कारण बोट क्लब, दिल्ली पर प्रतिदिन आयोजित किए जाने वाले धरने, भूख हड़ताल और प्रदर्शन बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि लोग ऐसे आन्दोलनों में बहुत बड़ी संख्या में भाग लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आन्दोलनकारियों की सुविधा के लिए बोट क्लब पर "कोप भवन" का निर्माण करने का है जैसाकि प्राचीन काल में बनाए जाते थे; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) बोट क्लब, नई दिल्ली के समीप की भूमि के इस्तेमाल के लिए अस्थाई अनुमति स्थानीय पुलिस द्वारा दी गई अनुमति को ध्यान में रखकर दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी भवन निर्माण समितियों के सदस्यों को मकान बनाने के लिए ऋण

1323. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे सरकारी कर्मचारी, जो दिल्ली में तथा अन्यत्र सहकारी भवन-निर्माण समितियों के सदस्य हैं, केन्द्रीय सरकार भवन-निर्माण ऋण योजना के अन्तर्गत इस आधार पर ऋण सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि उनको ऐसी कोई भूमि या अन्य परिसर आबंटित नहीं किया गया है, जिसे वे भारत के राष्ट्रपति के नाम अग्रिम रूप से गिरवी रख सकें; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसे कर्मचारी रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्राप्त कर सकें जैसी कि उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है, अग्रिम रूप से गिरवी रखने की इस शर्त को नियमों में संशोधन करके या अन्य प्रकार से समाप्त करने के लिए यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। सिवाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्यों के जहां कि अपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम बनाया गया है।

(ख) यह मामला जांच की प्रारम्भिक अवस्था में है।

कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को आबंटन हेतु विकसित भूमि

1324. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा फ्लैटों के निर्माण के लिए कितने क्षेत्रफल भूमि विकसित की गई है और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु ऐसा कितना और क्षेत्र उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है;

(ख) जिन कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को यह भूमि आबंटित की गई है और की जा रही है उनकी संख्या और ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) भिन्न-भिन्न सोसाइटियों को स्थल के आवंटन का मानदण्ड क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चालू वर्ष के दौरान आवंटन के लिए दिए जाने हेतु डी०डी०ए० के फ्लैट

1325. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की भिन्न-भिन्न लोकेलिटियों में चालू वर्ष के दौरान अब तक भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने रिहायशी मकान तैयार किए गए हैं;

(ख) दिल्ली के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चालू वर्ष के अन्त तक डी०डी०ए० के श्रेणीवार कितने और रिहायशी मकान आवंटन हेतु उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को श्रेणीवार प्रति मकान कितनी निर्माण लागत आई है और वे आवेदकों को किस दर पर दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1.4.81 से 120 जनता/सी०एस०पी० मकान, 288 निम्न आय वर्ग मकान, 125 मध्यम आय वर्ग मकान और स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत 488 मकान तैयार किए हैं।

(ख) भवन निर्माण की सामग्री अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध होने पर गन्दी बस्ती निवासियों के लिए 36 टेनामेंट, 4677 जनता/सी०एस०पी० मकान, 5828 निम्न आय वर्ग मकान, 2764 मध्यम आय वर्ग मकान और स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 1854 मकानों के 31.3.82 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए रिहायशी एककों की बिक्री उस विवरणिका में बताई गई कीमत पर की जाती है जिनके माध्यम से उन्हें बेचने की पेशकश की जाती है। एककों की कीमत में भिन्नता है जो कुर्सी क्षेत्र, आय वर्ग जिसके लिए यह बनाया गया है, उसकी मंजिल तथा स्थान के ऊपर निर्भर करता है। लागत निर्धारण प्रक्रिया में कमजोर वर्गों के लिए अन्तर्निर्मित सहायता तथा दिल्ली के समग्र नियोजित विकास के लिए समान घटक हैं। उस सूत्र जिसके आधार पर लागत निकाली जाती है, में एकरूपता और उनकें पूर्ण विश्लेषण में यह दिल्ली विकास प्राधिकरण का लाभ का साधन नहीं है। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत रिहायशी एककों के मामले में एककों के नियतन के समय एक अनुमानित लागत दी जाती है और वास्तविक मूल्य अन्तोतागत्वा मकानों के पूर्ण होने पर व्यय के आधार पर निर्धारित की जाती है।

थिरेशरों का मानकीकरण

1327. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रयोग में आ रहे विभिन्न प्रकार के थिरेशरों से श्रमिक घायल हो जाते हैं और कभी-कभी अपंग हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो थिरेशरों के उन मानकों का पालन करने, जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, तथा देश के विभिन्न भागों में थिरेशरों का काम करने वाले गरीब कृषि श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मानक संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए भरण यंत्र के स्वीकृत नमूनों के थिरेशरों के विनिर्माण तथा विक्रय को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत 16 अक्तूबर, 1981 को एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार बिना सुरक्षा यन्त्र के पावर थिरेशरों के विनिर्माण, भंडारण तथा बेचने पर निषेध लगा दिया गया है।

अच्छी नस्ल की दुधारू गायों और भैंसों की उपलब्धता

1328. **श्री जैनुल बशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिक दूध वाली अच्छी नस्ल की गाएं और भैंस न मिलने के कारण किसानों के लिए दुधारू पशु पालना लाभकर नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का है कि किसानों को बड़ी संख्या में अच्छी नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध हो जाएं; और

(ग) यदि इस बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अधिक दूध देने वाली अच्छी नस्ल की गायों व भैंसों की कमी है क्योंकि इनकी मांग अधिक है तथा ऐसे पशुओं को रखना लाभकारी होता है।

(ख) गोपशु एवं भैंस विकास से सम्बन्धित विभिन्न चालू कार्यक्रमों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषकों के लिए अच्छे दुधारू पशुओं की उपलब्धि में वृद्धि करना है।

(ग) उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

1. गहन पशु विकास परियोजनाएं तथा आधारभूत ग्राम योजना।

2. गोपशु एवं भैंस प्रजनन फार्मों की स्थापना ।
3. हिमित वीर्य सांड केन्द्रों/हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना ।
4. अच्छी किस्म के प्रजनक सांडा को पैदा करने के लिए संतति परीक्षण योजना,
5. विदेशी डेरी नस्लों के साथ गो-पशुओं का संकर प्रजनन तथा हिमित वीर्य तकनीक का प्रयोग करके भैंसों का उन्नयन करना,
6. द्विपक्षीय सहायता प्राप्त गोपशु विकास परियोजनाएं,
7. आपरेशन फ्लड-2 बड़े पैमाने का गोपशु एवं डेरी विकास कार्यक्रम,
8. दाने-चारे की गुणात्मक/मात्रात्मक साधन सम्पन्नता में सुधार करने के उपाय ।

ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत लाए जाने वाले उत्तर प्रदेश के गांवों की जिला-वार संख्या

1329. **श्री जैनुल बशर :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिलावार कितने गांवों को चालू वित्त वर्ष के अन्त तक ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है;

(ख) ऐसे गाँवों की जिलावार संख्या कितनी है जहाँ पेय जल की सुविधा प्रदान कर दी गई है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जल निगम लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति आश्वस्त है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

जिन ग्रामों में पेयजल पूर्ति सुविधा दी गई और दी जानी है, उनका जिलावार ब्यौरा ।

क्रम सं०	जिले का नाम	मार्च, 1981 तक योजना के अन्तर्गत लाए गए अभाव वाले ग्रामों की संख्या	वर्ष 198 -82 का लक्ष्य	-4-81 से 30.9 81 तक योजना के अंतर्गत लाए गए ग्रामों की संख्या ।
1	2	3	4	5
	1) पर्वतीय क्षेत्र			
1.	अल्मोड़ा	770	160	16
2.	उत्तरकांशी	246	48	16
3.	गढ़वाल	568	185	16
4.	चमोली	524	150	13
5.	देहरादून	391	33	12
6.	नैनीताल	1188	200	5
7.	पिथौरागढ़	733	130	9
8.	टेहरीगढ़वाल	366	94	18
	योग	4786	1000	105
	2) बुन्देलखण्ड क्षेत्र			
9.	झांसी)			
10.	ललितपुर)	348	65	—
11.	बांदा	307	120	2
12.	जलाओं	227	55	4
13.	हमीरपुर	35	140	—
	योग	917	380	6

1	2	3	4	5
	3) केन्द्रीय क्षेत्र			
14.	उन्नाव	10	5	—
15.	कानपुर	55	—	—
16.	फतेपुर	14	—	—
17.	बाराबंकी	4	—	—
18.	रायबरेली	33	129	22
19.	लखनऊ	—	—	—
20.	केहरी	—	90	—
21.	सीतापुर	—	3	—
22.	हरदोई	—	—	—
	योग	116	227	22
	4) पूर्वी क्षेत्र			
23.	आजमगढ़	64	29	29
24.	इलाहाबाद	713	80	34
25.	गाजीपुर	146	99	15
26.	गौण्डा	—	—	—
27.	गोरखपुर	35	—	—
28.	जौनपुर	289	91	7
29.	देवरिया	1	91	—
30.	प्रतापगढ़	33	—	—
31.	फैजाबाद	—	—	—
32.	बलिया	8	59	7
33.	बस्ती	1	—	—
34.	बहराईच	—	—	—
35.	मिर्जापुर	305	184	10
36.	वाराणसी	249	135	75
37.	सुल्तानपुर	25	—	—
	योग	1869	768	177

1	2	3	4	5
	5) पश्चिमी क्षेत्र			
38.	अलीगढ़	1	5	—
39.	इटावा	2	20	—
40.	एटा	1	—	—
41.	पीलीभीत	—	—	—
42.	फरुखाबाद	5	—	—
43.	बदायूं	2	—	—
44.	बरेली	1	—	—
45.	बुलन्दशहर	—	15	—
46.	बिजनौर	2	2	—
47.	मथुरा	25	65	1
48.	मुजफ्फर नगर	—	—	—
49.	मुरादाबाद	10	3	—
50.	मेरठ	—	—	—
51.	आगरा	71	215	—
52.	मैनपुरी	1	—	—
53.	रामपुर	1	—	—
54.	शाहजहाँपुर	1	—	—
55.	सहारनपुर	101	—	—
	योग	224	325	1
	कुल योग	7912	2700	311

गांवों में सार्वजनिक शौचालय

1330. **श्री जेनुल बशर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गाँवों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल के मूल्यों में वृद्धि

1331. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में अक्तूबर, 1981 की समाप्ति के समय चावल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मूल्यों में इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में सूखा

1332. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में बहुत से जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो केन्द्र द्वारा प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ जिले वर्ष प्रति वर्ष सूखे से प्रभावित रहते हैं और क्या ऐसे क्षेत्रों सें निपटने के लिए कोई केन्द्रीय योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार प्रत्येक सूखा-प्रभावित राज्य में से कम से कम 3 जिल का चयन करेगी और इस प्रकार सहायता देगी ताकि वह सूखे की आपदा से पीड़ित न हो और यदि हां, तो छठी योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश से किन जिलों को लिया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जून से सितम्बर, 1981 की मानसून अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 22 जिलों में अधिक/सामान्य वर्षा हुई थी और केवल एक जिला अर्थात नालगौण्डा में ही कुछ कम वर्षा (-33.3 प्रतिशत) हुई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में किसी प्रकार से सूखा पड़ने की सूचना नहीं दी है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 1981-82 के मानसून पूर्व अवधि के लिए सितम्बर, 1981 तक उपलब्ध 26.65 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृत अधिकतम सीमा मंजूर की है। आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास 8.58 करोड़ रुपए की मार्जिन धनराशि उपलब्ध है जिसमें से 3.00 करोड़ रुपए मानसून पूर्व सूखा और ओलावृष्टि के लिए रखे गए थे।

भारत सरकार ने किसानों के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण हेतु 19 करोड़ रुपए (खरीफ के लिए 10 करोड़ रुपए और रबी के लिए 9 करोड़ रुपए) अल्पावधि ऋण के रूप में स्वीकार किए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 1982 के दौरान, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 15,750 मीटरी टन खाद्यान्नों के आवंटन सहित किश्त के रूप में 948.00 लाख रुपए आवंटित किए थे।

(ग) आंध्र प्रदेश के सात जिलों अर्थात अनंतपुर, चित्तूर, कुडुपाह, महबूबनगर, कूर्नूल, नालगोण्डा और प्रकाशम के कुछ भाग सूखा प्रवण क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं और ये क्षेत्र चौथी पंचवर्षीय योजना से सूखा-ग्रस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए हैं।

(घ) देश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की व्यवस्था तथा उसकी रूप रेखा की समीक्षा करने के लिए एक कृतक दल गठित किया गया है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों और कार्यक्रम की जांच कृतक दल द्वारा की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समेकित ग्रामीण विकास योजना के साथ जोड़ना

1333. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की श्रेष्ठतर सेवा करने लायक बनाने के लिए इस प्रणाली को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाये;

(ख) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने इसके कार्यकरण के तरीकों का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) (क) व (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में सोफिया के साथ सहयोग

1334. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने अपनी सोफिया-यात्रा के दौरान कृषि के क्षेत्र में सोफिया के साथ सहयोग बढ़ाने की संभावना पर विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

हिन्दी के लिए श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के पद

1335. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी के लिए श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद नियमित रूप से भरे नहीं गए हैं;

(ख) स्वीकृत हिन्दी पदों पर नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं तथा इन पदों को लम्बे समय तक रिक्त रखने अथवा उन्हें तदर्थ आधार पर भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी तथा हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं के स्वीकृत पदो को नियमित रूप से भरने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामी नाथन) : (क) इस समय कृषि मन्त्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी के लिए ग्रुप-क (श्रेणी-1) के पांच तथा ग्रुप-ख (श्रेणी-2) के ग्यारह पद हैं। ग्रुप-क (श्रेणी-1) के चार तथा ग्रुप-ख (श्रेणी-2) के दस पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं की गई हैं ।

(ख) तथा (ग) ग्रुप-क (श्रेणी-1) तथा ग्रुप-ख (श्रेणी-2) के एक-एक पद को आस्थगित रखा गया है । ग्रुप-क (श्रेणी-1) का एक पद तथा ग्रुप-ख (श्रेणी-2) के दो पद केवल राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्टों के अनुवाद के लिए सृजित किए गए हैं इन्हें शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा । ग्रुप-क (श्रेणी-1) के शेष दो तथा ग्रुप-ख (श्रेणी-2) के सात पदों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संवर्ग में शामिल किया जाना है, जिसके गठन के लिए गृह मन्त्रालय, राजभाषा विभाग आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ।

मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को दिए गए मूल्य

1336. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश में ऋशर-मालिकों द्वारा गन्ना, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर खरीदा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गन्ना-उत्पादकों का शोषण न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (समर्थन मूल्य) केवल निर्वात पात्र चीनी फैक्ट्रियों के लिए लागू होते हैं। ये मूल्य अन्य ऋशर-मालिकों के लिए लागू नहीं होते हैं। इनमें से अधिकांश ग्रामीण तथा अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और बहुत से मामलों में गन्ना उत्पादक स्वयं पेराई कार्य करते हैं।

गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए (1) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में यह व्यवस्था की गई है कि गन्ने की सप्लाई के 14 दिन के बाद के भुगतानों पर ब्याज दिया जाएगा और (2) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 में गन्ना उत्पादकों की देय राशि का समय से भुगतान न करने पर चीनी फैक्ट्रियों के प्रबन्ध को अधिकार में लेने की व्यवस्था की गई है।

टमाटरों का भाव

1337. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में टमाटरों का भाव अत्यधिक बढ़ गया है और वह 5-6 रुपए किलो तक बिक रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा सामान्य रूप से आम आदमी को उचित भाव पर उसे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) 20 नवम्बर, 1981 तक शिमला किस्म के टमाटर के खुदरा मूल्य 4 रुपए प्रति किलोग्राम थे।

(ख) मौसम न होने से जुलाई से नवम्बर तक उत्तरी भारत में टमाटर की सीमित मात्रा उपलब्ध है। इनका उत्पादन उत्तर पश्चिमी भारत के पर्वतों में किया जाता है, इसलिए मैदानों के लिए यह बेमौसमी फसल है।

राज्य सरकारें अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में टमाटर सहित सब्जियों के विकास के लिए कदम उठा रही हैं। भारत सरकार ने छठी योजना के दौरान घरेलू खपत तथा निर्यात के लिए सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना का प्रस्ताव रखा है। स्कीमों के क्रियान्वयन से सामान्य लोगों को उचित मूल्य पर टमाटर सहित सब्जियों की उपलब्धि की स्थिति में सुधार होगा।

छोटे और सीमान्त किसानों की समस्या पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययन

1338. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिसमें छोटे और सीमांत किसानों की समस्या पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययन किए गए हैं;

(ख) क्या छोटे और सीमान्त किसानों की समस्या पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित ऐसा कोई अध्ययन उड़ीसा में भी किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो वहां किए गए अध्ययन के अनुसार उड़ीसा के इन किसानों की समस्याएं क्या हैं; और

(घ) अध्ययन दल ने छोटे और सीमान्त किसानों के विकास के लिए क्या सुझाव दिए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव

1339. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार का खाद्यान्न के कुल उत्पादन को और बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना अवधि के दौरान खाद्यान्न के कुल उत्पादन का राज्य-वार लक्ष्य क्या है; और

(ग) खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हाँ। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1979-80 में 1279.00 लाख मीटरी टन था। छठी योजना के 1984 85 तक इसे बढ़ाकर 1536.00 लाख मीटरी टन करने का प्रस्ताव है। राज्यवार लक्ष्य विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार तथा बाजरा की जल्दी पकने वाली किस्मों के क्षेत्र को बढ़ाना।
2. उर्वरकों का पर्याप्त तथा संतुलित मात्रा में उपयोग करना।
3. सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना।
4. बढ़ाए गए क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति रक्षण के उपाय करना।
5. अच्छे बीजों के वितरण में वृद्धि करना।
6. मृदा तथा जल संरक्षण के उपायों और बारानी खेती की उन्नत पद्धति पर अधिक जोर देना।
7. विस्तार कार्मिकों और कृषकों को विभिन्न फसलों की नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देना,
8. प्रशिक्षण व दौरों की पुनर्गठित विस्तार प्रणाली के माध्यम से प्रौद्योगिकी में विस्तार करना, व
9. अनुसंधान कार्यों को तेज करना।

विवरण

खाद्यान्नों के कुल उत्पादन के लक्ष्य (प्रचालनात्मक)

क्रम सं०	राज्य	1984-85 में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य (लाख मी० टन)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	120.00
2.	असम	35.30
3.	बिहार	128.00
4.	गुजरात	53.50
5.	हरियाणा	80.00
6.	हिमाचल	13.58

1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	17 30
8.	कर्नाटक	100.00
9.	केरल	16.54
10.	मध्य प्रदेश	141.00
11.	महाराष्ट्र	125.00
12.	मणिपुर	4.50
13.	मेघालय	2.12
14.	नागालैंड	1.65
15.	उड़ीसा	74.01
16.	पंजाब	150.00
17.	राजस्थान	113 00
18.	सिक्किम	0.80
19.	तमिलनाडु	106.86
20.	त्रिपुरा	5.05
21.	उत्तर प्रदेश	279.90
22.	पश्चिम बंगाल	120.00
	कुल	1688.11
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	7.33
	सकल योग	1695.44*

*अखिल भारतीय लक्ष्य 1536.00 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

उड़ीसा में रेंगाली बांध के लिए सहायता

1340. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिए उड़ीसा में रेंगाली बांध की बाढ़ नियंत्रण परियोजना हेतु विशेष सहायता की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने कुल कितनी धनराशि के लिए अनुरोध किय था तथा केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि दी है; और

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी परियोजनाओं को सहायता के रूप में कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है और उसमें से उड़ीसा का हिस्सा कितना होगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) रेंगाली बांध परियोजना के बाढ़ नियंत्रण संघटक के लिए उड़ीसा सरकार को 1973-74 से विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

उड़ीसा सरकार ने 1981-82 के लिए 526.70 लाख रुपए और 1982-83 के लिए 540 लाख रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की है। चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय बजट में 400 लाख रुपए की व्यवस्था है। वर्ष 1982-83 के प्रस्तावों को अभी तैयार नहीं किया गया है।

सदर बाजार, दिल्ली छावनी में मिट्टी के तेल की बिक्री

1341. **श्री चतुर्भुज** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार, दिल्ली छावनी में कार्डधारियों को मिट्टी का तेल सही वजन से नहीं दिया जा रहा और मिट्टी के तेल विक्रेता खुले बाजार में काला-बाजारी में बिक्री हेतु मिट्टी का तेल निकालने के लिए अन्य अनेपक्षित तौर-तरीकों को अपनाने के अलावा मिट्टी का तेल कम तोलते हैं जिससे काफी तेल बच जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन के बाट तथा माप विभाग ने खाद्य तथा आपूर्ति विभाग के सहयोग से दिल्ली छावनी के सदर बाजार क्षेत्र के मिट्टी के तेल के विक्रेताओं की जांच की थी और यह पाया था कि कार्ड-धारियों को मिट्टी का तेल सही मात्रा में दिया जा रहा है। तथापि, दिल्ली प्रशासन की जानकारी में एक मामला ऐसा आया था, जिसमें लाइसेन्सधारी ने अपनी बिक्री के रिकार्ड सही ढंग से नहीं रखे थे। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

राजधानी में पीने के पानी की कमी

1342. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी तीन वर्षों के दौरान राजधानी में पीने के पानी की भारी कमी हो जाएगी;

(ख) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान राजधानी में जनसंख्या वृद्धि की तुलना में पीने के पानी की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है और यदि हां, तो ऐसी जाँच का क्या निष्कर्ष रहा; और

(ग) क्या यमुना के पानी का भरपूर उपयोग करने के साथ-साथ यमुना को गंगा से जोड़कर पानी की सप्लाई को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि 1985 तक पानी की आवश्यकता 472 मिलियन गैलन होगी ।

(ग) इस संस्थान ने सूचित किया है कि अपर गंग नहर से 200 क्यूजेक पानी लाकर दिल्ली की जलपूर्ति को बढ़ाने की एक योजना निष्पादनाधीन है ।

छठी योजना के दौरान सिंचाई की क्षमता

1343. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के पहले वर्ष में ही सिंचाई सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रह गई है और सरकार ने चालू परियोजनाओं की केन्द्रीय स्तर पर देख-रेख करने का निर्णय लिया है;

(ख) (एक) यदि हां, ती ऐसी कौन-कौन सी और कितनी परियोजनाएं हैं;

(दो) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का जहाँ तक संबंध है, उसमें अब तक किए गए खर्च और वास्तविक रूप से हुए कार्य के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(तीन) पूर्वी कोसी नहर की सिंचाई क्षमता से सम्बन्धित नवीनतम समाचार क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितना काम हुआ है;

(ग) क्या चालू योजना अवधि में सिंचाई क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना कार्यक्रम निर्धारित समयानुसार कार्यान्वित होते हैं, सरकार का क्या उपाय करने का विचार है अथवा उसने क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 2.64 मिलियन हैक्टेयर के लक्ष्य में से 1980-81 के दौरान 2.44 मिलियन हैक्टेयर क्षमता प्राप्त कर ली

गई है । केन्द्रीय सरकार ने चुनी हुई बृहद सिंचाई परियोजनाओं की 1975 से मानीटरिंग प्रारम्भ की थी ।

(ख) (1) इस समय 66 बृहद सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरिंग की जा रही है । जिन परियोजनाओं की मानीटरिंग की जा रही है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(2) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पर 1980-81 तक कुल 2621.87 लाख रुपए का व्यय हुआ था । 1981-82 के दौरान होने वाला प्रत्याशित व्यय 1000 लाख रुपए है ।

अभी तक कोई सिंचाई क्षमता सृजित नहीं की गई है ।

(3) 1980-81 तक सृजित कुल सिंचाई क्षमता का अनुमान 350,000 हैक्टेयर लगाया गया है । पिछले तीन वर्षों के दौरान 21,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई है ।

(ग) और (घ) चूंकि चालू योजना को 1984-85 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) अनुसूची के अनुसार योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पहले से किए गए उपायों में से कुछ हैं—निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर देना, सिंचाई परियोजनाओं का मानीटरिंग करना तथा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित दुर्लभ सामग्रियों के नियतन को सुनिश्चित करना ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा मानीटर की जा रही बृहद सिंचाई परियोजनाएं

आंध्र प्रदेश

1. नागार्जुन सागर
2. श्रीराम सागर
3. गोदावरी बराज
4. तुंगाद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो
5. बम्सधारा
6. सोमसिला

बिहार

7. गंडक (बिहार और उत्तर प्रदेश)
8. कोसी

9. दुर्गावत्ती
10. बटेश्वरस्थान
11. डकरा नाला
12. उत्तरी कोईल
13. सुवर्णरेखा

गुजरात

14. पानम
15. दमनगंगा
16. साबरमती
17. कर्जन
18. सुखी

हरियाणा

19. नहरों का आधुनिकीकरण
20. सतलुज—यमुना लिंक

जम्मू और कश्मीर

21. रावी नहर

कर्नाटक

22. घटाप्रभा
23. मालप्रभा
24. अपर कृष्ण

केरल

25. पम्बा
26. काल्लाडा
27. कुट्टीयाडो
28. कन्हिरपुझा
29. पझस्सी

मध्य प्रदेश

30. हंसदेव बांगों
31. तवा
32. अपर वेनगंगा
33. महानदी जलाशय
34. बर्गे

35. कोलार

महाराष्ट्र

36. जयकवाडो
37. भीमा
38. कुकाडो
39. कृष्णा
40. वर्ना
41. खड़गवासला
42. मांजरा
43. सूर्य
44. पेंच

मणिपुर

45. थाऊबल

उड़ीसा

46. रेंगाली बांध
47. रेंगाली सिंचाई
48. अपर कोलाब
49. पोट्टेरू
50. सतीगुडा
51. महानदी—बिरुपा बराज

पंजाब

52. नहरों का आधुनिकीकरण

राजस्थान

53. राजस्थान नहर
54. माही वजाज सागर
55. जाखम

तमिलनाडु

56. परम्बीकुलम अलियार
57. पेरियार-बैग्गई प्रणाली का आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश

58. शारदा सहायक नहर

59. मध्य गंगा नहर
60. बायां तट घाघरा नहर
61. पूर्वी गंगा नहर

पश्चिम बंगाल

62. कंग्सवती
63. तोस्ता

अंतर्राज्यिक परियोजनाएं

64. राजघाट बाँध
65. राजघाट—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहरें
66. बाणसागर परियोजनाएं

असम में भारत-आस्ट्रेलियाई पशु प्रजनन परियोजना

1344. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में भारत-आस्ट्रेलियाई पशु प्रजनन परियोजना के विस्तार के लिए राज्य में एक प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है;

(ख) क्या आस्ट्रेलियाई सरकार ने परियोजना के बारे में अपने विचार प्रकट कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : आस्ट्रेलिया सरकार ने जानकारी दी है कि पशु प्रजनन परियोजना बारपेटा के लिए आस्ट्रेलियाई सहयोग के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असम सरकार अपने आप कार्रवाई करने की स्थिति में है । तथापि, गोहाटी स्थित गहरे हिमित वीर्य केन्द्र के संबंध में आस्ट्रेलिया के सहयोग से सम्बन्धित परियोजना का प्रस्ताव आस्ट्रेलिया सरकार के विचाराधीन है । इस प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए आस्ट्रेलिया से विशेषज्ञ अक्तूबर 1981 में असम आए थे ।

वर्क्स एण्ड हाऊसिंग एण्ड सप्लाई कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी को आबंटित भूमि का कब्जा दिया जाना

1345. **श्री कमल नाथ :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटपड़गंज रोड के पश्चिम की ओर निर्माण विहार से सटी हुई भूमि के एक बड़े भू-क्षेत्र को दिल्ली प्रशासन ने अधिगृहीत करके इसे मिनिस्ट्री आफ वर्क्स एण्ड हाऊसिंग एण्ड सप्लाई कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी को आबंटित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सोसाइटी को उक्त भू-क्षेत्र का कब्जा न सौंपने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस भूमि पर अनेक अनधिकृत पक्की दुकानें बन गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन निर्माणों को हटाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लेवी की चीनी का मूल्य निर्धारित करना

1346. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी की चीनी के मूल्य निर्धारित करते समय सरकार लेवी चीनी की ढुलाई, उत्पादन और भण्डारण संबंधी खर्च तथा तत्संबंधी अन्य व्यय पर विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर चीनी के लेवी मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। ये मूल्य फैक्ट्री के द्वार पर एक सीमा तक गन्ने की सुपुर्दगी करने पर देय हैं। अतः गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में इस सीमा तक कटाई और परिवहन प्रभार को हिसाब में लिया जाता है। इस सीमा से अधिक अतिरिक्त परिवहन लागत की विशेषज्ञ मूल्य निकायों द्वारा स्वीकृत हद तक भी अनुमति दी जाती है। कार्यचालन पूंजी पर ब्याज, जिसमें चीनी के भण्डारण पर ब्याज शामिल है, भी लेवी चीनी के मूल्य का एक भाग है।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (3 सी) के उपबन्धों के संदर्भ में और चीनी उद्योग उच्च स्तरीय समिति, जिसने अक्तूबर, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, द्वारा अभिस्तावित लागत अनुसूचियों तथा अन्य पैरामीटरों के आधार पर लेवी चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

चीनी का रक्षित भंडार

1347. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री कमल नाथ :

श्री हरिहर सोरन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस मौसम के उत्पादन से चीनी का पांच लाख टन का रक्षित भंडार बनाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार रुग्ण और कमजोर चीनी इकाइयों के आधुनिकीकरण और पुनस्थापिन के लिए कोष बनाने का भी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का विचार रक्षित भंडार से सम्बन्धित भंडारण, ब्याज और गोदाम सम्बन्धों प्रभारों की राशि को कैसे जुटाने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस वर्ष चीनी का निर्यात करने का भी है और यदि हां, तो कितनी मात्रा का ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने चीनी का बफर स्टाक बनाने के बारे में सिद्धान्त रूप में निर्णय किया है। बफर स्टाक की मात्रा और उसके परिचालन के तौर-तरीकों के बारे में अभी कोई हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग) चीनी मिलों का पुनर्वास और आधुनिकीकरण करने, गन्ने का विकास करने तथा अनुसंधान योजनाओं के लिए सहायता सुलभ करने के लिए सरकार ने विकास निधि का सृजन करने का निर्णय किया है।

(घ) जैसाकि प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में उल्लेख किया गया है, बफर स्टाक का परिचालन करने विषयक तौर-तरीके अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

(ङ) चीनी का निर्यात करने विषयक प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है। चीनी वर्ष के अन्त तक निर्यात की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन देश के लिए निर्धारित किए जाने वाले कोटे पर निर्भर करेगी।

कीट, कृमि और अन्य बीमारियों के कारण हुई फसल की हानि

1348. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कीट, कृमि और अन्य बीमारियों के कारण फसलों की भारी हानि हुई है;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान फसलों की कुल कितनी क्षति हुई; और

(ग) क्या हानि को कम से कम करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) देश में कीट, कृमि तथा वनस्पति रोगों के कारण फसल को हुई क्षति का सही सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । क्षति के विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं जो 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बैठती है । यह हानि कृमि या बीमारी के प्रकार, फसल की किस्में, प्रकोप की मात्रा तथा मौसम स्थितियों पर आधारित हैं ।

(ख) 1980-81 के दौरान फसल को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा है । 1980-81 के दौरान देश के अलग अलग भागों में विभिन्न फसलों पर बताए गए कीट तथा कृमि के प्रभाव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2970/81]

(ग) फसल क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाए गए हैं :

(1) ऐसी फसलों को वनस्पति रक्षण प्रदान करने में अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिनके लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर अवस्थापना सम्बंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(2) कृमि प्रबोधन अनुसंधान के आधार पर प्रमुख कृमियों पर नियंत्रण पाने हेतु कारगर तरीके निकाले गये हैं तथा इन्हें विस्तार शिक्षा प्रदर्शनों, प्रचार तथा प्रशिक्षण के जरिये लोकप्रिय बनाया गया है ।

(3) अपेक्षित कीटनाशी औषधियों तथा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की समय पर आपूर्ति करने के लिए समुचित प्रबन्ध किए गए हैं ।

(4) कृमि नियंत्रण संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिसमें कीटनाशी औषधियों की लागत तथा प्रचालन संबंधी शुल्क भी शामिल है; तथा

(5) भारतीय कृषि अनुसंधान एकक जैसे अनुसंधान संस्थान नई कृमि-प्रतिरोधी किस्मों के विकास तथा नये व कम लागत की वनस्पति रक्षण प्रौद्योगिकी/उपायों के विकास के कार्य में लगे हुए हैं ।

उड़ीसा में मूंगफली की खेती

1349. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में मूंगफली की सघन खेती के लिए कोई योजना भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"एस० सी० कालस फार स्टैप्स टू चैक थ्रेशर मिशहैप" शीर्षक से समाचार

1350. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1981 के अंग्रेजी दैनिक 'इण्डियन एक्सप्रैस' में "उच्चतम न्यायालय ने थ्रेशर से होने वाली दुर्घटनाएं रोकने के उपाय करने को कहा है" (एस० सी० कालस फार स्टैप्स टू चैक थिरेशरज मिशहेप) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है और अपेक्षा की है कि थिरेशर के अन्दर ही सुरक्षा के किसी यन्त्र को लगाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने जाने का विचार है और कब तक; और

(ग) क्या राज्य सरकारों, निर्माण-कर्त्ताओं और किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि अब के बाद कोई भी थिरेशर सुरक्षा यन्त्र के बिना प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : पावर थिरेशरों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार पहले ही कई कदम उठा चुकी है ।

थिरेशरों के सुरक्षित उपयोग के विषय में विभिन्न विस्तार एवं दृश्य-श्रव्य माध्यमों से कृषकों एवं कार्यकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे गहाई मौसम से पूर्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके "अपने हाथ बचाओ अभियान" आरम्भ करें ।

विभिन्न प्रकार के थिरेशरों के लिए सुरक्षित "फीडिंग औजार" तैयार एवं विकसित किए गए हैं । भारतीय मानक संस्थान ने इस सम्बन्ध में मानक तैयार किए है । इन औजारों के मानक डिजाइन से सम्बन्धित सूचना विनिर्माताओं को भेज दी गई है ताकि वे केवल मान्यता प्राप्त डिजाइन के थिरेशरों का ही विनिर्माण कर सकें ।

इसके अतिरिक्त, ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लि० के प्रस्तावित

बीमे के अन्तर्गत थिरेशर मालिकों को अपनी मशीनों का बीमा करवाने के लिए प्रेरित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

समस्या के स्वरूप का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे थिरेशरों से होने वाली दुर्घटनाओं, व दुर्घटनाओं की किस्मों से संबंधित आंकड़े एकत्र करें।

सरकार ने 'अनिवार्य जिन्स अधिनियम-1955' की धारा 3 के तहत उन पावर थिरेशरों के विनिर्माण, भण्डारण तथा विक्रय पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप न हों। इस आदेश को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शन जारी किए गए हैं।

उड़ीसा में सूखा

1351. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष मानसून के मौसम के बाद से उड़ीसा में पड़ रहे भारी सूखे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के किसानों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या राहत उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने सूखे से प्रभावित क्षेत्र में फसल हानि का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय दल को भेजने के बारे में विचार किया है; और

(घ) राहत-कार्य को, युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार से जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार को 8·71 करोड रुपए की मार्जिन राशि मिली है तथा राज्य सरकार राहत कार्य करने का व्यय वहन कर सकती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने कृषि आदानों की आपूर्ति के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में 5 करोड़ रुपए (3 करोड़ रुपए खरीफ की फसल के लिए तथा 2 करोड़ रुपए रबी की फसल के लिए) की राशि मंजूर की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत उड़ीसा सरकार को 410.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं, इसमें 7000 मीटरी टन खाद्यान्नों का नियतन भी शामिल है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए भी उपलब्ध है।

देश में सहकारी चीनी मिलें

1352. श्री आर० एन० राकेश : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी कितनी थी;

(ख) क्या सरकार विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों को सहकारी उद्योग के रूप में परिवर्तित करके नई सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना को बढ़ावा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या बताई गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान स्थापित सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की कुल संख्या के राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

(पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर तक)

क्रम संख्या	राज्य	स्थापित सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की कुल संख्या		
		1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	15	16	17
2.	बिहार	1	—	—
3.	पंजाब	4	4	4
4.	हरियाणा	4	4	4
5.	पश्चिमी बंगाल	—	—	—
6.	असम	1	1	1
7.	नागालैंड	—	—	—

1 2	3	4	5
8. राजस्थान	1	1	1
9. मध्य प्रदेश	1	1	2
10. उड़ीसा	2	2	2
11. महाराष्ट्र	59	60	68
12. गुजरात	13	13	14
13. गोआ	1	1	1
14. तमिल नाडु	9	9	10
15. कर्नाटक	11	13	13
16. पांडिचेरी	—	—	—
17. आन्ध्र प्रदेश	13	13	14
18. केरल	2	2	2
जोड़ अखिल भारत	137	140	153

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि

1353. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रत्येक बड़ी सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य ने इन सुविधाओं का कितना-कितना उपयोग किया है;

(ग) क्या यह सच है कि छोटे किसान इन सिंचाई सुविधाओं का इनकी अधिक लागत होने के कारण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में छोटे किसानों की सहायता के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आलू और प्याज के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश

1354. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से आलू और प्याज के समर्थन मूल्य के बारे में अपनी सिफारिश भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के बड़े नगरों और राजधानी में इस समय उनके विद्यमान मूल्य की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उनकी बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सरकार उन पर नियन्त्रण करने के लिए कुछ उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से वर्ष 1981-82 के मौसम के लिए आलू और प्याज के समर्थन मूल्य के बारे में अपनी सिफारिशें भेजने को नहीं कहा।

(ख) प्रमुख नगरों में आलू व प्याज के थोक मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

आलू के थोक मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)

(1) बम्बई 110.00 रुपए (13-11-1981)
(2) कलकत्ता 125.00 रुपए (6-11-1981)
(3) दिल्ली 62.50 रुपए से 90.00 रुपये (25-11-1981)
(4) फरुखाबाद 75.00 रुपए (13-11-1981)
(5) बंगलौर 120.00 रुपए (13-11-1981)

प्याज के थोक मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)

(1) बम्बई 185.00 रुपए (13-11-81)
(2) दिल्ली 150 रुपए से 237.50 रुपए तक (25-11-81)
(3) लासल गांव 135.00 रुपए (13-11-81)
(4) नासिक 175.00 रुपए (6-11-81)
(5) हैदराबाद 130.00 रुपए (13-11-81)

(ग) और (घ) : देश में आलू के चालू मूल्य उचित स्तर पर हैं।

जैसे ही प्याज के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति शुरू हुई, सरकार ने नेफेड, सुपर बाजार तथा दिल्ली प्रशासन के नागरिक आपूर्ति निगम को हस्तक्षेप करने के लिए कहा। वे 1.75 रुपए से 2.00 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रहे हैं। नेफेड भी देश के 16 अन्य केन्द्रों को प्याज भेज रहा है।

राज्यों को खाद्य माल की सप्लाई

1355. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में तथा 1981 में अक्तूबर तक महीने वार देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न की कितनी कितनी मात्रा सप्लाई की गई और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनका ध्यान विहार मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, कि इस वर्ष विहार को गेहूं की अपर्याप्त सप्लाई की गई; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान (अक्तूबर तक) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की मात्रा के मास-वार ब्यौरे क्रमश: अनुबन्ध-1 और अनुबन्ध-2 के रूप में संलग्न विवरणों में दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-2977/81]

(ख) और (ग) : जी हां । इसके परिणामस्वरूप गेहूं की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सितम्बर, 1981 मास के लिए विहार को उनके 12,000 मीटरी टन के सामान्य मासिक आवंटन से 3000 मीटरी टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया गया था । इस बढ़े आवंटन को अक्तूबर, 1981 मास में बनाए रखा गया था । इस राज्य की सहायता करने के लिए गेहूं के मासिक कोटे में नवम्बर, 1981 के लिए 2,000 मीटरी टन की और वृद्धि कर दी गई थी और इस प्रकार नवम्बर, 1981 के लिए कुल मात्रा 17,000 मीटरी टन हो गई थी । गेहूं के आवंटन में फिर और वृद्धि करके इसे दिसम्बर, 1981 मास के लिए 1 ,000 मीटरी टन कर दिया गया है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किया गया खाद्यान्न

1356. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार देश में सभी शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने के लिए गेहूं और चावल की कितनी-कितनी आवश्यकता थी और उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 तक तत्सम्बन्धी स्थिति क्या है;

(ग) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कितनी जनसंख्या को लाभ मिल रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों के अपर्याप्त सप्लाई के कारण देश के सभी भागों में सार्वजनिक-वितरण प्रणाली ढह रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी-नाथन) : (क) और (ख) : राज्यों को सप्लाई की गई खाद्यान्नों की मात्रा प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है । पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण के लिए केन्द्रीय भण्डार

से गेहूं और चावल की कुल सप्लाई की गई मात्रा और वर्ष 1981 में जनवरी से अक्तूबर तक सप्लाई की गई मात्रा इस प्रकार थीं :—

(मिलियन मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1976	2.10	4.53
1977	2.97	5.89
1978	2.09	6.64
1979	2.85	7.19
1980	5.19	8.66
1981 (अक्तूबर तक)	4.55	5.28

(ग) अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनसंख्या लगभग 63.56 करोड़ है ।

(घ) और (ङ) : जी नहीं । राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल का नियमित आवंटन अन्य तथ्यों के साथ-साथ केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, अतीत में माल उठाने की प्रवृत्ति और बाजार उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किया जा रहा है ।

चीनी का उत्पादन

1357. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान गन्ने का कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन दोनों वर्षों के दौरान चीनी की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ; और

(ग) इसमें से कितनी चीनी खुले बाजार में बेची गई और किस भाव पर बेची गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1979-80 और 1980-81 के चीनी वर्षों के दौरान क्रमशः 1288 लाख मीटरी टन और 1505 लाख मीटरी टन गन्ने का उत्पादन हुआ था ।

(ख) और (ग) 1979-80 और 1980-81 के चीनी वर्षों के दौरान कुल क्रमशः 38.59 लाख मीटरी टन और 51.43 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था और खुले बाजार में बिक्री करने के लिए क्रमशः 12.55 लाख मीटरी टन और 18.97 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गई थी ।

दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रमुख पाँच मण्डियों में 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के दौरान साप्ताहिक आधार पर मुक्त बिक्री की चीनी के थोक मूल्यों को बताने वाला एक विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2978/81]

दुग्ध चूर्ण संयंत्र

1359. **श्री पी०के० कोडियन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपरेशन फ्लड 1 के अन्तर्गत देश में नई डेरियों के साथ-साथ अनेक दुग्ध चूर्ण संयंत्र स्थापित किए गए थे;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात में स्थित चार संयंत्रों के अलावा इन संयंत्रों में से अधिकांश की क्षमता उपयोग वर्ष 1980 के दौरान 21 प्रतिशत कम था;

(ग) यदि हाँ, तो संयंत्र-वार संस्थापित क्षमता कितनी थी और वर्ष 1980 के दौरान इन संयंत्रों का क्षमता उपयोग कितना रहा;

(घ) क्या इन संयंत्रों के स्थान और क्षमता का निर्धारण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था और उसी ने, बिना उन निगमों से परामर्श किए जिसको ये सौंपे गए थे, इन संयंत्रों का डिजायन बनाया और इन्हें संस्थापित किया;

(ङ) यदि हाँ, तो भारतीय डेरी निगम ने, दुग्ध उपलब्धता के बारे में समुचित निश्चितता के बिना इन संयंत्रों के लिए धनराशि किन कारणों से मंजूर की; और

(च) क्या सरकार सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) तथा (ङ) यद्यपि भारतीय डेरी निगम आपरेशन फ्लड-1 के लिए वित्तीय सहायता देने वाली निकाय थी, परन्तु संयंत्रों आदि, के स्थान-निर्धारण तथा उनकी क्षमता सम्बन्धी मामलों पर निर्णय लेने का कार्य सम्बन्धित राज्य एजेंसियों को सौंपा गया था ।

(च) जी नहीं ।

कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के रक्षार्थ एक समझौता-सूत्र का बनाया जाना

1360. **श्री पी०के० कोडियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस महान्यायवादी

को, कृषि क्षेत्र के उद्यमियों की रक्षार्थ एक समझौता सूत्र तैयार करने का निर्देश दिया था जिन्होंने "कृषि सेवा केन्द्र" योजना के माध्यम से "स्वरोजगार" शीर्षक के अन्तर्गत ग्रामीण उत्थान का कार्य शुरू किया;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के 1981 में महान्यायवादी के माध्यम से कृषि क्षेत्र के उद्यमियों को राष्ट्रीयसंघ द्वारा प्रस्तुत की गई एक योजना प्राप्त हुई थी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रस्तावों की शीघ्रता से जांच करने के लिए और लम्बे समय से लम्बित पड़े विवादों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विवाद को निपटाने में हो रहे विलम्ब से उद्यमियों को भारी कठिनाई पैदा हो रही है; और ब्याज के जरिए बैंक प्रभार हर रोज लगभग 27,750 रुपए प्रतिदिन की दर से बढ़ते जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (च) कुछ उद्यमियों ने, जिन्होंने केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि सेवा केन्द्र योजना के अन्तर्गत कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए थे, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। फरवरी 1981 में उच्चतम न्यायालय ने भारत के महा-न्यायवादी को निदेश दिया था कि समझौते के लिए सम्बन्धित पक्षों के साथ मामले पर चर्चा करें। भारत के महान्यायवादी ने अगस्त, 1981 में याचिका दाताओं द्वारा अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किए गए कुछ प्रस्तावों को भेजा है तथा सरकार से कहा है कि वह ऐसे बैंकों, जिन्होंने इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, के हितों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित उद्यमियों के पुनर्वास के लिए एक योजना भेजे।

चूंकि मामला निर्णयाधीन है अतः प्रस्ताव का ब्यौरा प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

सरकार को ऋणों पर बढ़ने वाले ब्याज प्रभार के बारे में कोई लाभकारी नहीं है, क्योंकि यह मामला पूर्ण रूप से वित्त प्रदान करने वाले बैंकों व उद्यमियों के बीच का है।

रेगिस्तान में विकास कार्यक्रम

1361. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में

वनों के विकास और विस्तार के लिए बनाए गए रेगिस्तान विकास कार्यक्रम डी०पी०ए०पी० और अन्य वन विकास कार्यक्रमों के परिणाम नगण्य रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद निराशाजनक रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में उपर्युक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने का विचार है जिससे इन रेगिस्तानी क्षेत्रों की स्थितियों का रूपांतरण किया जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में केवल वनों का विकास तथा विस्तार ही शामिल नहीं है, हालांकि क्षेत्र के अत्यन्त सूखे को देखते हुए वानिकी क्षेत्र में भी उपलब्धि महत्वपूर्ण रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए और अधिक शक्तियां

1362. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बे समय से देश में विभिन्न राज्यों में अनेक अन्तर्राज्यीय जल विवाद लम्बित पड़े हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार चालू सत्र में महत्वपूर्ण संशोधन लाकर और अधिक शक्तियाँ प्राप्त करने और इन विवादों को शीघ्र निपटाने में सहायता करेगी जिससे सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्य को तेज किया जा सके ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। सोन, सुवर्णरेखा, चम्बल आदि जैसे कई अन्तर्राज्यिक जल विवाद या तो राज्यों द्वारा स्वयं आपसी बातचीत से अथवा केन्द्र की सहायता से पहले ही हल कर लिए गए हैं। अनिर्णीत पड़े मुख्य नदी जल-विवाद काबेरी, यमुना और रावी-व्यास के बेसिनों में जल के उपयोग के बारे में हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, वर्तमान सांविधानिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कानून बनाने के प्रस्तावों पर, राज्यों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है, ताकि केन्द्र अन्तर्राज्यिक नदियों के नियमन और विकास के काम में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को गेहूं का वितरण

1363. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मजदूर को दी जाने वाली गेहूं की मात्रा को कम करने और इस कम की गई मात्रा को भी उनमें न वितरित करने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम असफल सिद्ध हो रहा है;

(ख) क्या सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मजदूरों के लिए निर्धारित गेहूं की मात्रा को बढ़ाने और इसकी उन्हें समय पर सप्लाई करने के लिए तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम असफल सिद्ध नहीं हो रहा है। अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों के अतिरिक्त नकद धनराशि भी दी जाती है।

(ख) व (ग) कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों के अधिक आवंटन केन्द्र के पास खाद्यान्नों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर होंगे।

बाड़मेर और जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान

1364. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय मरु उद्यान (नेशनल डिजर्ट पार्क) सम्बन्धित कार्य में अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त योजना पर अत्यन्त ही धीमी गति से कार्य हो रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय मरु उद्यान में शुरू की गई कार्य की मुख्य मदें मरुस्थल आवास की सुरक्षा, मरुस्थल पौधों की पुन: उत्पत्ति, जल स्रोतों का विकास तथा जल संरक्षण, काष्ठ जीवाश्म पार्क की सुरक्षा तथा विकास और सेवाई भवनों के निर्माण से सम्बन्धित हैं। जून, 1981 तक उद्यान पर लगभग 29 लाख रुपए का व्यय किया गया है।

(ख) जी नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

1365. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय राजधानी और इसके उपनगरों के संतुलित विकास/विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है और साथ ही उपनगरों के क्या नाम हैं जिनको दिल्ली नगर पर पड़ने वाले जनसंख्या दबाव को हटाने के लिए विकसित करने की योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या पड़ौसी राज्यों से जमीन प्राप्त करने के लिए विधान लाने हेतु और परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु भी कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन, नई दिल्ली ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के राज्य नगर आयोजना विभागों के सहयोग से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना तैयार की थी जिसका अनुमोदन उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सन्तुलित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1973 में किया था।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना एक अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय योजना है जिसमें 1971 की जनगणना के अनुसार 140 लाख की अनुमानित जनसंख्या सहित लगभग 30,292 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दो जिले, हरियाणा के 3 जिले और 9 तहसील एवं राजस्थान की 3 तहसील आती हैं। यह विचार किया गया था कि गलियारों के साथ-साथ स्थित 18 क्षेत्रीय और आस-पास के कस्बों का वर्ष 1981 तक 310 लाख की मूल आबादी का ध्यान रखने के लिए रोजगार और निवायश के सन्दर्भ में स्वत: पूर्ण एककों के रूप में विकास किया जाएगा। इस योजना में दिल्ली से इस क्षेत्र के भीतर भिन्न-भिन्न केन्द्रों में विभिन्न गतिविधियों का विकेन्द्रीयकरण करने का भी प्रस्ताव है। आस-पास के निम्नलिखित कस्बों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास के लिए चुना गया है :

हरियाणा राज्य में	उत्तर प्रदेश राज्य में	राजस्थान राज्य में
1. पानीपत	1. गाजियाबाद	1. अलवर
2. रोहतक	2. मेरठ	2. खैरताल
3. रेवाड़ी	3. सिकन्दराबाद	
4. सोनीपत	4. मोदी नगर	
5. बहादुरगढ़	5. बुलन्दशहर	

6. गुड़गांव 6. खुर्जा
7. फरीदाबाद 7. हापुड़
8. बल्लभगढ़
9. पलवल

इन 18 कस्बों में से, 5 कस्बों अर्थात् मेरठ और हापुड़ (उत्तर प्रदेश में), गुड़गाँव और पानीपत (हरियाणा में) और अलवर (राजस्थान में) का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ऋण सहायता के माध्यम से अग्रता के आधार पर विकास किया जा रहा है।

(ग) अनुमोदित योजनाओं के लिए भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इसलिए इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कानून बनाने में पहल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चुने गए आस-पास के कस्बों के विकासार्थ सम्बन्धित राज्यों को ऋण सहायता के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई है जो लागत का 50 प्र०श० तक की सीमा तक होती है बशर्ते कि राज्य सरकारों की ओर से समान धनराशि की व्यवस्था हो।

ग्रामीण सहकारी/राज्य सहकारी/भूमि बन्धक बैंकों द्वारा भूमिहीनों/ समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सहायता

1366. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि ग्रामीण सहकारी/राज्य सहकारी/भूमि बंधक बैंकों ने गांवों में कृषि सम्बन्धी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भूमिहीनों अथवा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की किस सीमा तक सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) यदि नहीं तो क्या इस तरह का सर्वेक्षण कराया जाएगा और ग्रामीण सहकारी बैंकों के ढाँचे में संगठनात्मक परिवर्तन किए जाएंगे जिससे सामती हितों, जो इस समय हावी है, की तुलना में ये कमजोर वर्ग अपेक्षाकृत अधिक निर्णायक भूमिका प्राप्त कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो कब तक यह किए जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा कमजोर वर्गों को दी गई सहायता का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर सहकारी ऋण सम्बन्धी सांख्यिकीय आंकड़े प्रकाशित करता है जिसमें कर्जदारों की श्रेणियों के अनुसार अग्रिम राशि का वर्गीकरण शामिल होता है। 30 जून, 1979 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और भूमि विकास बैंकों की प्राथमिक एककों द्वारा दी गई कुल अग्रिम राशि का लगभग 40 प्रतिशत 2 हैक्टार से कम भूमि की जोत रखने वाले अथवा भूमिहीन सदस्यों के लिए था।

सहकारी समितियों से कमजोर वर्गों को अधिक ऋण सुनिश्चित करने के लिए नीति सम्बन्धी अनेक उपाय किए गए थे। सहकारी समितियों के प्रबन्ध मण्डलों में कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सर्वत्र सदस्यता और आरक्षण के लिए सहकारी समितियों के अधिनियमों और/अथवा उप-नियमों में प्रावधान किया गया था। कम अंश पूंजी का योगदान, पुनः भुगतान की लम्बी अवधि, सामूहिक ऋण और भूमि की जमानत के बगैर ऋण ब्याज की निम्न दरें इत्यादि भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें निर्धन ग्रामीणों को अधिक ऋण की सुविधा प्रदान करने हेतु अपनाया गया। भूमि विकास बैंकों के मामले में उनके कार्यों को नियंत्रित करने वाले कानून में जमानत के रूप में भूमि को गिरवी रखने अथवा राज्य सरकार की गारन्टी की आवश्यकता होती है। अतः राज्य सरकारों को सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने के लिए सलाह दी गई है ताकि भूमि की जमानत लिए बगैर ऋण दिए जा सकें।

चालू योजना में नीति सम्बन्धी उद्देश्य न केवल संस्थागत ऋण की उपलब्धि में वृद्धि करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कमजोर वर्गों को ऋण का कम से कम 50 प्रतिशत उपलब्ध हो।

नैय्यार ऊपरी बांध

1367. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :**

श्री ए० ए० रहीम : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने केरल सरकार से नैय्यार ऊपरी बांध की परियोजना रिपोर्ट मांगी है; और

(ख) यदि हां तो उसे केरल सरकार से क्या उत्तर मिला है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार, माननीय संसद सदस्य से अक्तूबर, 1980 में प्राप्त हुए एक अभ्यावेदन के सम्बन्ध में, जिसमें वर्तमान नैय्यार सिंचाई परियोजना से सम्बद्ध एक ऊपरी बांध के निर्माण का सुझाव दिया गया था, भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के विचार जानने के लिए उनको पत्र लिखा गया था। राज्य सरकार ने नवम्बर, 1980 में सूचित किया था कि उन्होंने इस सम्बन्ध में विस्तृत अन्वेषण प्रारम्भ

करने के लिए मुख्य इन्जीनियर को अनुदेश दे दिए हैं। केरल सरकार से अपर नैय्यार बाँध परियोजना की रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं की संख्या

1368. **श्री ए० नीललोहितदासन नाडार :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आवास और निर्माण मन्त्रालय द्वारा कितनी आवास योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) क्या भारत सरकार के पास और अधिक आवास योजनाएं शुरू करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनको कब शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। यह मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए "सामान्यपूल" स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए ही उत्तरदायी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जोधपुर में पेयजल की कमी

1369. **श्री अशोक गहलोत :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर नगर तथा जोधपुर, बाड़मेर पाली जिलों में जहां लोग पेयजल की जबरदस्त कमी का सामना कर रहे हैं; पेय जल की गम्भीर समस्या होने के बारे में रिपोर्ट मिली है;

(ख) क्या सरकार जोधपुर नगर की छः लाख की विशाल जनसंख्या और सीमावर्ती नगर होने के कारण इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राजस्थान नहर से पानी उठाकर जोधपुर शहर को जल की सप्लाई करने की एक योजना पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और उन अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार जोधपुर शहर को पानी सप्लाई करने के लिए कार्यान्वित करना चाहती है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या से अवगत है। 1980-81 में राजस्थान को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की पूर्ति का प्रबन्ध करने के लिए 935 लाख रुपए तक की अग्रिम योजना उपलब्ध कराई गई।

(ख) तथा (ग) पेयजल की पूर्ति राज्य का एक विषय है और योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई व कार्यान्वित की जाती हैं। इसलिए जोधपुर इत्यादि शहर के लिए पेयजल पूर्ति की उपयुक्त योजनाएं राज्य सरकार द्वारा बनाई/व निष्पादित की जानी है। विश्व बैंक भी राजस्थान जलपूर्ति और मल निकास परियोजना को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें जोधपुर में जल में बढ़ोत्तरी तथा सुधार व पानी वितरण की सुविधाएं शामिल हैं।

किराए पर उठाने के लिए शहरी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण

1370. श्री ओस्कर फर्नांडीस : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानान्तरण आदि पर जाने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किराए पर उठाए जाने हेतु, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का शहरी क्षेत्रों में गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास की जबर्दस्त कमी को किस तरह से दूर करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ सरकार सामान्य पूल आवास की एक योजना चलाती है।

(ख) आवास राज्य का विषय है। आवास सहित विकास गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं में प्रावधान किया जाता है, परन्तु राज्य सरकारें आवास योजनाओं को बनाती हैं और उनका कार्यान्वयन करती हैं, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना की नीति निर्देशनों के अधीन तथा उनकी आवश्यकताओं व प्राथमिकता के अनुसार होती है। जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा आवास तथा नगर विकास निगम से भी आवास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

राज्यों में नागरिक पूर्ति निगमों पर पर्यवेक्षण

1371. श्री के०टी० कोसलराम : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा राज्यों के उन विभिन्न नागरिक पूर्ति निगमों पर किस तरह का पर्यवेक्षण किया का रहा है जो गेहूं, चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं, खास तौर पर जब केन्द्रीय रक्ष्य भंडार से गेहूं, चावल और चीनी की राज्यों को सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में नागरिक पूर्ति निगमों को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम का कार्यान्वियन भी सौंपा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र द्वारा राज्य नागरिक पूर्ति निगमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे प्रभावी रूप से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सकें तथा अन्य कार्य शुरू न करें ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजमोहन महन्ती) : (क) व (ग) नागरिक पूर्ति निगम अलग-अलग राज्य सरकारों के अभिकरण हैं, और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं की वसूली तथा सप्लाई करने का कार्य सौंपा गया है । चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन तथा उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, अतः यह राज्य सरकारों का काम है कि वे इस प्रयोजन के लिए अपने द्वारा नामित किए गए विभिन्न अभिकरणों, जिनमें नागरिक पूर्ति निगम भी शामिल हैं, पर यथोचित नियंत्रण तथा निगरानी रखें, ताकि आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण हो सके तथा उन्हें सौंपे गए अन्य कार्य पूरे हो सकें । अतः इस मंत्रालय द्वारा राज्य नागरिक पूर्ति निगमों पर सीधे कोई निगरानी नहीं रखी जाती है । तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की समीक्षा करते समय इन निगमों के कार्यों के बारे में भी चर्चा होती है तथा उनका मूल्यांकन भी किया जाता है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

चावल की थोक बिक्री पर लेवी लगाया जाना

1372. श्री चिन्तामणि जैना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को, अपने राज्यों में चावल की थोक बिक्री पर लेवी लगाने की सलाह दी है; यदि हाँ, तो इस पर विभिन्न राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इस तरह के थोक विक्रेताओं की कितनी संख्या है और चालू वर्ष के दौरान उनसे चावल की कितनी मात्रा लेवी के रूप में प्राप्त होगी और अब तक

राज्यवार कितना चावल एकत्रित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) और (ख) जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा सलाह दी गई है, प्रमुख धान उत्पादक राज्य सरकारों ने चावल मिल मालिकों और थोक व्यापारियों/व्यापारियों पर लेवी लागू की है लेकिन उड़ीसा सरकार अनौपचारिक लेवी की प्रणाली अपना रही है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा थोक व्यापारियों पर लगाई लेवी की दर 35 से 90 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है।

विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों द्वारा थोक व्यापारियों/व्यापारियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। क्योंकि देश में थोक व्यापारियों/व्यापारियों की संख्या बहुत ही अधिक है और घटती बढ़ती रहती है इसलिए केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकारें मिल मालिकों और थोक व्यापारियों से प्राप्त कुल लेवी के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचना भेजती हैं और न कि अलग-अलग। 1981-82 के विपणन मौसम के दौरान 26.11.1981 तक मिल-मालिकों और थोक व्यापारियों से राज्यवार प्राप्त लेवी चावल की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

राज्य	प्राप्त लेवी चावल की मात्रा
आंध्र प्रदेश	75
हरियाणा	134
मध्य प्रदेश	16
उड़ीसा	17
पंजाब	456
राजस्थान	2
तमिलनाडु	3
उत्तर प्रदेश	59
जोड़	762

क्योंकि थोक व्यापारियों से लेवी के रूप में इकट्ठी की जाने वाले चावल की मात्रा उनकी समूचे मौसम के दौरान खरीदी जाने वाली मात्रा पर निर्भर करती है इसलिए चालू मौसम के दौरान उनसे इकट्ठी की जाने वाली कुल लेवी की मात्रा अब बताना सम्भव नहीं है।

अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ द्वारा आवश्यक वस्तुओं का व्यापार बंद करने की धमकी

1373. **श्री रशीद मसूद :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 नवम्बर, 1981 के "स्टेट्समैन" में अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ द्वारा, सरकारी तौर पर आवश्यक मानी जाने वाली वस्तुओं का व्यापार बंद करने की दी गई धमकी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां ।

(ख) यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों को विधेयक में दिए गए और पिछले सत्र में विधेयक पर विचार करते समय सदन में भी पर्याप्त रूप से स्पष्ट किए गए मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लागू किया जायेगा ।

पर्यावरण की स्थिति के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अध्ययन

1374. **श्री आर०पी० गायकवाड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ के उस अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत की कुल भूमि में से 50 प्रतिशत जल तथा वायु क्षारण से गम्भीर रूप से प्रभावित है और देश को पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से 60 लाख टन पादव-पोषक पदार्थ की हानि और 60 लाख टन उपजाऊ मिट्टी की हानि हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत को, 1900-1965 के बीच अपने जंगलों का आधार क्षेत्र खो दिया था, आगामी 40 वर्षों में वनों का पूरी तरह सफाया हो जाने का खतरा है यदि 15-20 मिलियन हैक्टार प्रतिवर्ष कटाई की दर से वनों की वार्षिक कटाई अबाध रूप से चलती रही;

(ग) यदि इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो क्या पर्यावरण स्थितियों पर इस निरन्तर आघात से गत तीस वर्षों में कृषि के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि समाप्त नहीं हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार अन्य प्रयोजनों में उपयोग किए जाने से वन क्षेत्रों को होने वाली क्षति के बारे में जागरूप है। 1952-80 के बीच 433 लाख हैक्टार वन-क्षेत्र गैर-वानिकी कार्यों के लिए प्रयोग किया गया था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, जिसके द्वारा वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों के लिए प्रयोग में लाने पर नियंत्रण लगा दिया गया है, के बनने के पश्चात् वनों का पूरी तरह सफाया हो जाने का खतरा नहीं रहा।

(ग) कृषि के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर निरन्तर रूप से पड़ने वाले आघात के प्रतिकूल प्रभाव का अभी ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) पारिस्थितिक प्रणाली के सम्भावित खतरे और इसके फलस्वरूप कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का सामना करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से ही केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत भूमि के कटाव और उसके अपकर्षण की रोकथाम करने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 234 00 लाख हैक्टार क्षेत्र का सुधार करने के लिए 1979-80 तक 664 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई थी। छठी योजना के दौरान 434 करोड़ रुपए के परिव्यय से 65 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार बाघ, मगरमच्छ इत्यादि जैविक नस्लों के संरक्षण और परिरक्षण के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हाल ही में केन्द्रीय पर्यावरण विभाग ने संक्रान्तिक पारिस्थितिक प्रणालियों (विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में) का पता लगाने और समेकित रूप से पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए परियोजनाओं की परिचालन रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय पारिस्थितिक विकास बोर्ड की भी स्थापना की है।

मुख्तियारनामे के जरिए संपत्ति का अन्तरण

1375. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूखण्डों और फ्लैटों के अनेक आवंटियों ने अपनी अपनी सम्पत्तियों को मुख्तियारनामे के जरिए अवैध रूप से अंतरित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस तरह के कितने दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया है और कितने भूखण्ड पुनः वापस ले लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों को दण्ड न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही हैत था सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा

1377. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है और क्या इसके कार्यक्रम की भी पुनरीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या होंगी ; और

(घ) क्या इन समस्याओं का जिन्होंने उपर्युक्त कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा पैदा की है, हल खोजा गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) अक्तूबर 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है। इस समय, वास्तव में यही कार्यक्रम चल रहा है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन तथा पुनरीक्षा पहले ही की जा चुकी है। परिणामस्वरूप, इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित, पुनर्जीवित तथा पुनःनामित किया गया है। अब मजदूरी के भुगतान के लिए खाद्यान्नों के अतिरिक्त नकद धनराशि भी दी जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को स्थायित्व सुलभ करने हेतु निधियां भी सुलभ की गई हैं। अब यह भी अनिवार्य है कि प्रत्येक विकास खण्ड के सम्बन्ध में कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली अनेक परियोजनाओं को पहले ही तैयार कर लिया जाए। कार्यक्रम के परिव्यय को अब केन्द्र तथा राज्यों की बीच बराबर-बराबर आधार पर बांटा जाना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत को खाद्य सहायता

1378. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता समिति ने भारत को खाद्य सहायता की मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई कुल खाद्य सहायता कितनी है;

(ग) खाद्य सहायता भारत को कब तक सप्लाई की जाएगी; और

(घ) क्या यह सहायता सूखा और अकाल पीड़ित राज्यों में वितरित की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां। खाद्य सहायता नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी समिति, जो कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की शासी निकाय हैं, ने 19-29 अक्तूबर, 1981 के दौरान रोम में हुए अपने 12वें सत्र में भारत को खाद्य सहायता की मंजूरी दी है।

(ख) कुल सहायता में 131 लाख अमरीकी डालर (11.8 करोड़ रुपए) का प्रावधान है।

(ग) भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सहमति प्रदान की जाने वाली प्रचालनों की मसौदा योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता प्रचालनों की उक्त योजना पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् शुरू होगी।

(घ) जी नहीं। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में नये बाशिंदों को प्रोत्साहन देने के लिए इस सहायता की व्यवस्था की गई है और इससे राजस्थान नहर से सिंचित इस नये क्षेत्र में बन्दोबस्त की गति में तेजी आने की आशा है। पांच वर्षों की अवधि में 190,000 हैक्टार भूमि का सुधार करके खेती करने वाले 30 हजार परिवारों को बन्दोबस्त के आरम्भिक 18 महीनों के दौरान इस परियोजना से लाभ मिलने की आशा है।

खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य

1379. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 में खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानतः 1298·7 लाख टन हुआ है जो कि चालू वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से 50 लाख टन से भी अधिक कम है;

(ख) यदि हां, तो कम उत्पादन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) 1981-82 में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) खरीफ और रबी मौसमों के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा के कुछ भागों में सूखा तथा रबी मौसम के दौरान पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बेमौसमी भारी वर्षा और ओलावृष्टि इस कमी के मुख्य कारण थे।

(ग) 1981-82 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाये जाने वाले मुख्य कदम निम्नलिखित हैं, (1) धान्यों और कदन्नों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना, (2) उर्वरकों का पर्याप्त एवं संतुलित उपयोग करना, (3) सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, (4) आवश्यकता पर आधारित वनस्पति संरक्षण के उपाय करना, (5) अच्छी किस्म के बीजों के वितरण में वृद्धि करना, (6) मृदा एवं जल संरक्षण उपायों व बारानी खेती के उन्नत तरीकों पर अधिक बल देना। (7) कृषकों और विस्तार कर्मचारियों को नई उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देना। (8) प्रशिक्षण एवं दौरों की हाल ही में पुनर्गठित विस्तार प्रणाली के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करना, और अनुसन्धान कार्यों को तेज करना।

त्यौहारों के अवसर पर चीनी का अतिरिक्त कोटा जारी किया जाना

1380. **श्री चित्त गहाटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने त्यौहारों के अवसर पर फैक्ट्रियों से, खुली बिक्री के लिए चीनी की कुछ अतिरिक्त मात्रा जारी की थी; और

(ख) यदि हां, तो चीनी की मात्रा क्या थी, और इसे कार्डधारियों को वितरित करने के लिए उचित दर दुकानों को क्यों नहीं दिया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) : सितम्बर और अक्तूबर, 1981 के त्यौहार के महीनों के लिए खुले बाजार में बिक्री के लिए क्रमशः 2.25 लाख मीटरी टन और 2.90 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गई थी (आयातित चीनी सहित जिसकी खुले बाजार में बिक्री के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा टेण्डर आमंत्रित किए गए थे) जबकि पिछले तीन महीनों अर्थात् जून से अगस्त, 1981 में 1.70 से 1.80 लाख मीटरी टन के रेंज में मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की गई थी। आंशिक नियंत्रण की नीति के अन्तर्गत सामान्यतया बाजार में चल रहे मूल्यों पर खुले बाजार में बिक्री के लिए मुक्त बिक्री की चीनी फैक्ट्रियों को निर्मुक्त की जाती है। अतः फैक्ट्रियों से निर्धारित मूल्यों पर मुक्त बिक्री की चीनी वसूल नहीं की गई थी और लेवी चीनी की भांति निर्धारित मूल्यों पर कार्डधारियों को देने के लिए उचित दर की दुकानों को सुलभ नहीं की गई थी।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक बड़ी शर्मनाक घटना का जिक्र आया है कि लखनऊ में एक औरत को नंगा किया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही लिखा है। मैं इस पर कार्यवाही कर रहा हूं। मुझे तथ्य मालूम कर लेने दीजिए। यह राज्य-विषय है, फिर भी मैं पता कर रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी कलक्टरी आफिस में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दीजिए, मैं पता कर लूंगा । पहले बागपत के मसले में हमने किया था ।

श्री राम विलास पासवान : दूसरी बात यह है कि जहाँ तक देवली कांड की बात है, प्रधान मन्त्री जी वहाँ पर गई थीं, वहां के लोग बहुत ही भयभीत हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद भी भयभीत रहेंगे तो ठीक कैसे किया जायेगा ? इसीलिए तो वे वहाँ पर गई थीं ।

श्री राम विलास पासवान : उनके वहाँ जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : होगा, आप बैठिए ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में अभी जो कुछ हुआ है वह बागपत की घटना के बाद लगातार ऐसी शर्मनाक घटनायें होती जा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको भेज रहा हूं, वैसे तो यह स्टेट सब्जैक्ट है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अंबला) : अध्यक्ष जी, जैसा कि पिछले सप्ताह में कहा था, मण्डल कमीशन के बारे में गृह मन्त्री जी से बातचीत करके उस पर चर्चा की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप आइये मेरे पास ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, आज के अखबार में छपा है कि कर्नाटक में चार हरिजनों को जला कर मार डाला गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अखबार की खबरों से ही सारी बात नहीं चला करती है । हर बात एक तरीके से चलती है ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : जब भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य हो रहे हैं, समाचार पत्रों में गम्भीर समाचार प्रकाशित हुए हैं कि सोवियत नेता भारत आ रहे हैं। सोवियत संघ के उप प्रधान मंत्री श्री वासिली कुजनेत्सोव यहाँ आए हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि वे सोवियत संघ के दबाव में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो चलता रहता है ।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैंने रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि के संबंध में

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी । मैं नहीं जानता उसका क्या हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : हमने तीन दिन पहले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की है ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : वह रेलगाड़ियों में डकैतियों के संबंध में था ।

अध्यक्ष महोदय : आप दे सकते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था, बिहार की एक खान में मजदूर मरे हैं, अखबार में भी आपने यह पढ़ा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे । मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा ।

डा० बंसत कुमार पंडित : पशुओं में पोंकनी (पशु-प्लेग) नामक रोग फैलने के संबंध में मैंने एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर 'काल अंटेशन' डिस्कस नहीं होते हैं । यह ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा करने का समय और मंच नहीं है । आप मेरे कक्ष में आइये । आप आकर मुझे इसके महत्व के बारे में बताएं तब मैं इसका पता लगाऊंगा और निर्णय लूंगा । मेरे पास ध्यानाकर्षण की 180 सूचनाएं आई हैं । मुझे एक पर निर्णय लेना है जैसा कि मैंने पहले किया था ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

त्रिपुरा वन विकास और बागान निगम लिमिटेड अगरतला के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

( ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) त्रिपुरा वन विकास और बागान निगम लिमिटेड अगरतला के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) त्रिपुरा वन विकास और बागान निगम लिमिटेड अगरतला का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 2962/81]

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1980 81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं श्री जेड० आर० अन्सारी की तरफ से केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-2963/81]

आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत असम सरकार की अधिसूचना तथा चालू सत्र के प्रथम दिन इसे सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं श्री पी० वेंकटसुब्बया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 द्वारा यथा संशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 17 नवम्बर, 1981 की असम सरकार की अधिसूचना संख्या पी०एल०ए० 583/81/106 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा विद्युत् प्रदाय अधिनियम, 1948 के अधीन गठित असम राज्य विद्युत् बोर्ड के अन्तर्गत अन्य सेवाओं सहित विद्युत् के उत्पादन, प्रदाय और वितरण से संबंधित कतिपय सेवाओं को आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 के प्रयोजनार्थ असम राज्य में आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है।

(2) अधिनियम को अपेक्षा के अनुसार चालू सत्र के प्रथम दिन उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०-2964/81]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 511 (ङ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 3 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 427 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दो) चीनी (1980-81 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश, 1981 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 516 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 2965/81]

(2) (एक) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 2966/81]

आयकर अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा सम्पदा शुल्क (संशोधन) नियम, 1981

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं श्री मगनभाई बरोट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "हरिजन आश्रम ट्रस्ट, अहमदाबाद" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1981-82 तक के लिए छूट के बारे में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3059 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 2967/81]

(2) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 85 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की

एक प्रति जो दिनांक 17 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 801 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 2968/81]

भारत और बंगला देश के बीच तार, टेलेक्स और टेलीफोन सेवाओं की 1 दिसम्बर, 1981 से प्रभावी पुनरीक्षित दरों का विवरण।

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : मैं श्री कार्तिक उरांव की ओर से भारत और बंगलादेश के बीच तार, टेलेक्स और टेलीफोन सेवाओं की पुनरीक्षित दरों के बारे में, जो 1 दिसम्बर, 1981 से प्रभावी होंगी, एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2986/81]

अफ्रीकी विकास निधि विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अफ्रीकी विकास निधि करार को क्रियान्वित करने और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अफ्रीकी विकास निधि करार को क्रियान्वित करने और उससे सम्बन्धित विषयों वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) सौर ऊर्जा के विकास के लिए और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा के विकास कार्य को बड़े उत्साह से हाथ में लिया है और सौर ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित करने और इसके भण्डारण में लगभग सफलता प्राप्त कर ली है। सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाले कुकरों, हीटरों, ड्रायरों और शीत भण्डारण के उपाय खोज निकाले हैं। सरकार को सौर ऊर्जा से रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन चलाने में भी सफलता मिली है। मुझे यह कहना है कि इस क्षेत्र में एक क्रान्ति आने वाली है परन्तु इसकी प्रौद्योगिकी में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों और कृषकों की सहायता की जा सके। भूनने की क्रिया के बिना पकाने का काम पूर्ण नहीं होता। अत: सरकार को सौर ऊर्जा से सब्जियों तथा अन्य चीजों को भूनने के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना चाहिए।

इस समय विद्युत की लागत बहुत अधिक है और कृषि कार्यों के लिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना बहुत कठिन होता जा रहा है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार ने सौर पम्प सेट का आविष्कार करने में भारी सफलता प्राप्त की है। परन्तु यह केवल उन्हीं कुओं में लाभदायक है जिनकी गहराई 8 मीटर है। इतनी गहराई के कुओं वाले क्षेत्र हमारे देश में बहुत ही कम हैं और यदि हमें डीजल इंजन के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलने वाले इंजन लगाने पड़ें तो हमें एक ऐसे पम्प का आविष्कार करना होगा जो 150 मीटर तक की गहराई से कुओं से पानी उठा सकें।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने प्रौद्योगिकी विभाग को इन क्षेत्रों में अनुसन्धान करने के निदेश दे।

(दो) आगामी अर्धकुम्भ मेले को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए इलाहाबाद में एक दूरदर्शन केन्द्र खोलने की मांग

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय की ओर नियम 377 के तहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं:

अगले वर्ष 1981 में प्रयाग इलाहाबाद में अर्धकुम्भ मेला जनवरी एवं फरवरी में होने वाला है, जिसमें लगभग 50 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों जिसमें बालक तथा वृद्ध हैं, आने की सम्भावना है।

इलाहाबाद का अतीत में देश की राजनीति, शिक्षा तथा धार्मिक क्षेत्र में बड़ा महत्व रहा है तथा आज भी है। इलाहाबाद स्थित स्वराज्य भवन एवं आनन्द भवन से ही देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, किन्तु आज इलाहाबाद उपेक्षित होता जा रहा है।

इलाहाबाद अभी टी० वी० मानचित्र पर नहीं है । अर्धकुम्भ मेला में यदि टी०वी० का प्रबन्ध इलाहाबाद में कर दिया जाए तथा माघ मेला स्थल में जगह-जगह टेलीविजन सेट लगा दिए जायें तो सुदूर अंचलों से आने वालों को काफी जानकारी शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि एवं परिवार नियोजन आदि प्रोग्रामों के बारे में मिल सकती है, जो जनहित में होगा ।

दिल्ली से इलाहाबाद के लिए नियमित वायुसेवा भी नहीं है । सप्ताह में मात्र तीन दिन है, उसे भी पूरे सप्ताह करना अति लोक महत्व का प्रश्न है ।

(तीन) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही क्षेत्र में कालीन उद्योग में संकट

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान नियम 377 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं :

उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर भदोही क्षेत्र कालीन उद्योग का प्रमुख केन्द्र है । लगभग पाँच लाख लोगों को इस उद्योग में रोजगार मिलता है । उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन इस उद्योग से होता है । जर्मनी कालीन का मुख्य बाजार है । जर्मन मुद्रा के अवमूल्यन के कारण कालीन के छोटे निर्यातकर्त्ताओं तथा कालीन निर्माताओं के कालीन की बिक्री रुक गई है । कीमत नहीं मिल रही है । कालीन उद्योग संकट में है । इसे संकट से उबारने के लिए सरकार छोटे निर्यातकर्त्ताओं तथा कालीन निर्माताओं का माल खरीदने की व्यवस्था करे और बुनकरों को सीधे-साधन की व्यवस्था कर के उनसे कालीन का निर्माण कराकर उनका माल स्वयं खरीदने के केन्द्र स्थापित करे ।

(चार) रत्नगिरी स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण दूरी को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री बापूसाहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : रत्नगिरि में जो रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है वह गत कई वर्षों से प्रसारण करता आ रहा है । इस रेडियो स्टेशन की स्थापना जब की गई थी तो यह रत्नगिरि ठाणे और सिन्धु दुर्ग को मिलाकर पूरे कोंकण क्षेत्र के लिए लगाया गया था । स्टेशन की वर्तमान प्रसारण दूरी (रेन्ज) इतना सीमित है कि कार्यक्रमों को 30 किलोमीटर से बाहर के क्षेत्र में नहीं सुना जा सकता है । जिस उद्देश्य को लेकर यह स्टेशन स्थापित किया गया था उसमें यह असफल रहा है । इसकी प्रसारण दूरी में वृद्धि करने के लिए ठाणे, सिन्धु दुर्ग और रत्नगिरि के रेडियो लाइसेन्सधारी बार-बार मांग करते रहे हैं ।

अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे रत्नगिरि स्थित रेडियो स्टेशन अपर्याप्तता पर ध्यान दें और उसकी प्रसारण-दूरी में वृद्धि करें जिससे कि रेडियो सुनने वालों को लाभ मिले और इस प्रकार कोंकण क्षेत्र की मांग पूरी हो ।

(पांच) नाशी जीवों और सूखा के कारण फसलों को हुई हानि के लिए किसानों को मुआवजा देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : पश्चिम-बंगाल राज्य के मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा, हावड़ा, वीरभूमि, 24 परगना, हुगली और अन्य जिलों में हाल के सूखे की लहर और 'टुन्गरो विषाणु' के आक्रमण से फसलों को हुई भारी हानि के कारण बड़ी संख्या में अमन के खेतीहरों को विपुल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम-बंगाल में भारी पैमाने पर फैले वायरल के आक्रमण और सूखे की स्थिति के कारण 700.000 हैक्टेयर से भी अधिक 'अमन' की फसल नष्ट हो गई है।

इस वर्ष पश्चिम-बंगाल में 42 लाख हैक्टेयर से भी अधिक भूमि पर अमन की खेती की गई थी जिसमें से 200.000 हैक्टेयर भूमि की फसल तो विषाणु के आक्रमण से नष्ट हो गई थी और 500.000 हैक्टेयर सूखे से। पश्चिम-बंगाल सरकार के कृषि विभाग ने जो प्रारम्भिक अनुमान लगाया था, सूखे द्वारा हुई हानि उससे कहीं अधिक हो सकती है।

'अमन' की फसल के मौसम के दौरान जो खेतिहर प्रभावित हुए हैं, पश्चिम-बंगाल सरकार ने उन्हें 5.5 करोड़ रुपए निवेश-ग्रहण के रूप में देने का फैसला किया है। आगामी खरीफ की फसल के दौरान होने वाले 'टुन्गरो विषाणु" के आक्रमण का कैसे मुकाबला किया जाए, इस बारे में किसानों को शिक्षा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाने के लिए राज्य सरकार के अधीन एक विशेष कक्ष खोला गया है। राज्य सरकार ने रबी की फसल के दौरान छोटी सिंचाई के लिए जल-उपकर को 50 प्रतिशत तक घटाने का भी निर्णय किया है।

परन्तु यह सब पर्याप्त नहीं है, और राज्य सरकार के प्रयत्न भी संतोषजनक नहीं हैं। किसानों को उनके उत्पादन में हुए घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए आपातस्थिति के स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह स्वच्छ मन और राजनीतिक इच्छा से आगे आए और स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता प्रदान करे। मैं मांग करता हूं कि 'काम के बदले अनाज' और 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर चालू करने के लिए तुरन्त पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न और धन प्रदान किया जाए।

(छः) बिन्नी गारमेंट फैक्टरी, बंगलौर का प्रबन्ध इसके कर्मचारियों द्वारा अपने हाथ में लिए जाने हेतु केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : सौ वर्ष से भी पुरानी कम्पनी बिन्नी लिमिटेड ने लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व बंगलौर में अपनी एक निर्यातोन्मुख बिन्नी पोशाक फैक्टरी स्थापित की थी, परन्तु जुलाई, 1975 में इसे बन्द कर दिया और फिर तीन मास पश्चात, मजदूरी में 35 प्रतिशत कटौती करके तथा मजदूरों पर कार्य की कड़ी शर्तें थोपकर इसे फिर

चालू कर दिया। दोबारा खुलने के बाद इसके माल की बिक्री का कार्य पहले मैसर्स शॉ वालास ने किया और उसके बाद मैसर्स मदुरा कोट्स ने।

लागत सूत्र पर मतभेदों के कारण बिन्नी के प्रबन्धक मैसर्स मदुरा कोट्स के साथ अनुबन्ध का नवीनीकरण नहीं कर सके अतः उन्होंने 400 श्रमिकों को, जिनमें अधिकांश आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों की स्त्रियाँ थीं, रोजगार देने वाली इस इकाई को बन्द करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे बन्द करने के जो तथाकथित कारण बताए हैं वे हैं 'ऊंचे वेतन' और कम उत्पादकता। परन्तु वास्तव में सब कुछ मिलाकर एक मजदूर को शुरू में 115 रुपए मासिक (जो कि चार वर्ष पश्चात 190 रुपए तक पहुंच जाता है) से लेकर 12 वर्ष की सेवा के पश्चात एक कुशल कर्मचारी को 294 रुपए मासिक तक वेतन दिया जाता है और वह भी 1979 में की गई मजदूरी में वृद्धि के बाद। प्रबन्धकों ने उत्पादन, कुशलता आदि में अपनी कमियों और असफलताओं को ढक दिया है।

बिन्नी पोशाक श्रमिक संघ ने फैक्टरी को फिर से चालू करने की मांग करते हुए, केवल उत्पादन कार्य को चलाने के लिए एक श्रमिक-सहकारिता गठित करने की पेशकश की। जब प्रबन्धकों ने कोई उत्तर नहीं दिया अथवा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो श्रमिकों ने एक 'महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति' गठित करने का निर्णय लिया और यह मांग की कि कुछ वर्षों के लिए फैक्टरी उनको सौंप दी जाए। प्रबन्धकों ने छटनी किए हुए श्रमिकों को फैक्टरी सौंपने के बजाय इसे बन्द रखना ही अधिक अच्छा समझा।

इसके पश्चात मजदूरों ने सारी फैक्टरी को ही अर्थात मशीनें, भवन और भूमि को, सहकारी समिति को बेचने की मांग की। जब प्रबन्धकों ने इस तथ्य के बावजूद भी कि वे इसकी कई सम्पत्तियों को बेचने के लिए राज्य सरकार से अनुमति माँग रहे थे, ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो श्रमिकों ने माँग की फैक्टरी से लगता हुआ एक बेकार खाली पड़ा हुआ भूमि का टुकड़ा ही उन्हें बेच दिया जाए जिससे कि समिति एक नया शैड खड़ा करके फैक्टरी को फिर से बना सके। प्रबन्धक इसके लिए भी तैयार नहीं हैं।

4 जून, 1981 से जब फैक्टरी को बन्द किया गया था तब से श्रमिकों को छटनी की क्षतिपूर्ति और उपदान आदि के रूप में जितने रुपए मिले उन सभी को उन्होंने प्रारम्भिक शेयर पूंजी के रूप में अपनी गरीबी और बेकारी के बावजूद, बैंक में जमा करा दिया है।

श्रमिक संघ के प्रतिनिधि, केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री, राज्य के मुख्य मन्त्री और श्रम-मन्त्री, राज्य के श्रम-विभाग के अधिकारियों और बिन्नी लिमिटेड को वित्त प्रदान करने वाली आई०डी०बी०आई० तथा बिन्नी लिमिटेड के सरकार द्वारा नामनिर्देशित चेयरमैन से भी मिल चुके हैं। महिला कर्मचारियों ने विधान-सौध, मुख्य मन्त्री निवास तथा कम्पनी के प्रधान-कार्यालय के सामने धरना भी दिया है और इसके अतिरिक्त अपनी यह माँग मनवाने के लिए दस किलो मीटर लम्बी पद यात्रा भी की कि एक बन्द पड़ी हुई निर्माण-इकाई को फिर से खोलने और चालू करने के लिए एक सहकारी उपक्रम की स्थापना के रचनात्मक कदम द्वारा उन्हें स्वयं अपना पुनर्वास करने का अवसर प्रदान किया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप करे और बन्द पड़ी हुई इकाई को मजदूरों को दिलवाएं जिससे वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

(सात) पश्चिम बंगाल को गेहूं और चावल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई

श्रीमती गीता मुखर्जी (बांकुरा) : कलकत्ता शहर समेत, पश्चिम-बंगाल के कानूनी राशन (एस० आर०) वाले क्षेत्रों में, पिछले कुछ सप्ताह से चावल और गेहूं का तीन किलो का पूरा कोटा राशन की दुकानों पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। कानूनी राशन वाले क्षेत्रों में अधिकांश राशन की दुकानों पर गेहूं और चावल की कमी है। कुछ जिलों में, गांवों में, संशोधित राशन की दुकानों पर इन वस्तुओं की पूर्ति बिल्कुल नहीं की जा रही है। कुछ अन्य जिलों में यह बहुत ही कम है।

भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न की पूर्ति करने में भी पूर्णतया असफल रहा है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम-बंगाल को प्रति-मास 2 लाख 8500 टन खाद्यान्न का जो आवंटन किया गया है वह वास्तव में किसी भी मास वहां नहीं पहुंच पाया है, कभी-कभी तो एक मास में आधी मात्रा भी नहीं पहुंच पाई है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसके परिणामस्वरूप और बंगाल जैसे कमी वाले राज्य में राशन की पूर्ति की असफलता के कारण, पश्चिम-बंगाल के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं जिससे गरीबों को बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

नागरिक पूर्ति मन्त्री महोदय को तुरन्त इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि वहां तेजी से पूर्ति की जा सके और स्थिति में सुधार हो।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा समेकित ग्रामीण विकास की वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और अन्य ग्रामीण-शिल्पों और ग्रामीण क्षेत्र के अन्य सहयोगी आर्थिक क्रियाकलापों की उन्नति के लिए उधार देने के लिए और उनसे सम्बद्ध और उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से एक बैंक की स्थापना करने वाले विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,—

"अन्तर्गत" के पश्चात "बागवानी" अंत:स्थापित किया जाए । (14)

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 8,—

"कुक्कुट पालन" के पश्चात "बागबानी" अंत:स्थापित किया जाए । (15)

प्रो० एन०जी० रंगा : महोदय मेरे लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही अपनी बात कह चुका हूं ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार कर रहे हैं और इसलिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : यद्यपि विधि विभाग ने इसे स्पष्ट करने के उद्देश्य से मुझे सलाह दी है कि 'कृषि' शब्द में 'बागबानी' सम्मिलित है, मैं अपने माननीय मित्र प्रो० रंगा का संशोधन स्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 8,—

"अंतर्गत" के पश्चात "बागवानी" अंत:स्थापित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 15 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 10,—

"मुंबई" के स्थान पर "कलकत्ता" प्रतिस्थापित किया जाये । (17)

पृष्ठ 5, पंक्ति 10,—

"या" के पश्चात् "देश के पूर्वी क्षेत्र में" अन्त:स्थापित किया जाये । (18)

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय, इसमें यह उपबंध है कि मुख्यालय बम्बई या किसी अन्य जगह पर होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार निर्धारित करेगी। हमारा विचार यह है कि चूंकि रिजर्व बैंक और सभी केन्द्रीय शीर्ष संस्थान बम्बई में हैं, तो इसका मुख्यालय भी वहीं रखना उचित होगा। तथापि, खण्ड में मुख्यालय परिवर्तन की मनाही नहीं है। अतः मैं संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सुधीर गिरि द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 और 18 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन (संख्या 17 और 18) सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ छः,—

पंक्ति 1 और 2 का लोप किया जाए। (22)

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, इस धारा में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष के आदेशों का पालन करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में अध्यक्ष को कोई शक्तियाँ या कार्य दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो वह क्या निर्देश दे सकता है ? जब तक बोर्ड अध्यक्ष को शक्तियाँ नहीं देता है, तब तक अध्यक्ष निर्देश कैसे दे सकता है ? वे उपबंध और खंड कौन से हैं, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष को शक्तियाँ दी गई हैं ? वह निर्देश दे सकता है, बशर्ते कि बोर्ड ने उसे कोई ऐसी शक्तियाँ सौंपी हों। अब धारा 5, के उपखंड 3 में यह कहा गया है :

> "प्रबन्ध निदेशक को राष्ट्रीय बैंक के कार्यकलापों और कारबार के साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध की शक्तियां होंगी और वह उन सब शक्तियों का प्रयोग तथा वे सब कार्य और बातें भी करेगा जिनका राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या जिन्हें राष्ट्रीय बैंक कर सकता है।"

कतिपय विनियमों के अधीन, जिन्हें अभी बनाया जाएगा, प्रबन्ध निदेशक कार्य करेगा। बहुत अच्छा है परन्तु निर्देशों का क्या होगा ? कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, मेरे विचार से, एक ऐसा समय आ सक ा है जब अध्यक्ष निर्देशों का यह कहते हुए विरोध कर सकता है कि उसे उनका पालन करने का आदेश नहीं है क्योंकि वह यह कह सकता है कि आपको मुझे निर्देश देने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि विधेयक में यह शक्ति नहीं दे दी जाती है।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, माननीय सदस्य, श्री डागा, कल्पना की उड़ान भर रहे हैं। वास्तव में, इन सभी संस्थानों में एक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक है। अनेक पुनर्संगठित संस्थानों, अनेक बैंकों में एक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक भी है। हमने इसमें यह उपबन्ध किया है कि एक अध्यक्ष होगा और, यदि आवश्यक हुआ तो एक प्रबन्ध निदेशक — कोई जरूरी नहीं है कि प्रबन्ध निदेशक अवश्य होगा। वास्तव में, यदि हम उसे नियुक्त नहीं करते हैं तो वे उसे नियुक्त करेंगे; कार्यकारी को अधिकार है कि वह प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करे, या प्रबन्ध निदेशक नियुक्त न करे। परन्तु यदि एक प्रबन्ध निदेशक है तो कार्यकारी को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या प्रबंध निदेशक के अलावा एक अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है। इसलिए, कार्यकारी के पास ये अधिकार हैं। कुल मिलाकर यह धारा यह कहती है कि अध्यक्ष निर्देश देगा। यदि प्रबन्ध निदेशक उन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। अतः, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि ऐसी बात होगी।

श्री मूल चन्द डागा : एक वाक्य। आसमान नहीं गिर पड़ेगा। कृपया मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। प्रश्न यह है :

पृष्ठ छ,—

पंक्ति 1 और 2 का लोप किया जाए। (22)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन संख्या 9 पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हाँ, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, —

पंक्ति 15 से 1 ' का लोप किया जाय। (9)

पृष्ठ 6, पंक्ति 12-13,--

"दो व्यक्ति सहकारी बैंकों के कार्यकरण का अनुभव रखने वाले" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—"सहकारी बैंकों के कार्यकरण का अनुभव रखने वाले दो गैर-सरकारी व्यक्ति"। (25)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परूलेकर, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री बापू साहिब परूलेकर : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 8, —

"ग्रामीण अर्थव्यवस्था" के पश्चात् "ग्रामीण बागबानी" अंतःस्थापित किया जाये। (16)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप बोलेंगे ? मैं नहीं समझता कि आप बोलेंगे। हर बात बहुत स्पष्ट है। मेरा विचार है सरकार जवाब देगी। श्री परुलेकर, आप बोल सकते हैं।

श्री बापू साहिब परूलेकर : यह संशोधन मेरे द्वारा पेश किए गए संशोधन का व्यावहारिक रूप से आनुषंगी है। स्वयं शीर्षक कृषि विकास और ग्रामीण विकास में भेदभाव पैदा करता है। खण्ड 6 में, जब बोर्ड के गठन के प्रश्न का उल्लेख किया गया है, तो (ख) में आपने न तो कोई कृषि और न ही कोई बागबानी विशेषज्ञ सम्मिलित किया है। इसमें केवल "ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प, ग्रामीण और कुटीर उद्योग के विशेषज्ञों" आदि का उल्लेख किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कृषि या बागबानी विशेषज्ञ को इस बैंक के निदेशक होने के अयोग्य समझते हैं। इसलिए, मेरा संशोधन "ग्रामीण बागबानी" में विशेषज्ञ को सम्मिलित करने का है। अन्यथा इसका मतलब यह होगा कि वह कृषि में विशेषज्ञ हो सकता है परन्तु वह इस विशिष्ट खण्ड के अन्तर्गत निदेशक बनने योग्य नहीं है। इसलिए, मैंने कृषि या बागबानी सम्मिलित करने का अनुरोध किया है। निःसन्देह, यह मेरे संशोधन में सम्मिलित नहीं है। मैंने अपने संशोधन में केवल "बागबानी" कहा है। कृपया विचार करें कि क्या "कृषि या बागबानी विशेषज्ञ" को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि उसे सम्मिलित न करने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

श्री आर० वेंकटरामन : पहले प्रोफेसर साहब की बात का जवाब दे दूं। हमारे विचार से "विशेषज्ञ" शब्द में न केवल कृषि में लगे लोग सम्मिलित हैं, बल्कि कृषि से

सम्बन्धित सभी लोग सम्मिलित हैं। उन्हें केवल कृषि में ही नहीं, अपितु कृषि अर्थव्यवस्था अर्थात् ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदि में भी अवश्य कुशल होना चाहिए। अतः, वास्तव में, इसमें बागबानी विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ आदि सम्मिलित होंगे।

जहाँ तक श्री डागा के मुद्दे का सम्बन्ध है, वह राज्य सरकार के नाम-निर्देशित व्यक्ति को, और केन्द्रीय सरकार के नाम-निर्देशित व्यक्ति को प्रबन्ध मंडल में नहीं चाहते हैं। परन्तु वास्तव में, यह बैंक रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के संयुक्त प्रयत्न और सहयोग से स्थापित किया गया है। हम उन निदेशकों को कैसे छोड़ सकते हैं ? एक और बात यह कही गई है कि सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक गैर-कर्मचारी होने चाहिएं। सभी सहकारी बैंक गैर-कर्मचारी हैं। वास्तव में, राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष गैर-कर्मचारी ही हैं। किसी कर्मचारी का प्रश्न ही नहीं है। यदि वह समझते हैं कि सहकारी समिति का रजिस्ट्रार वहाँ होगा, तो वह सहकारी बैंक का प्रतिनिधि नहीं होगा; वह एक कर्मचारी होगा। अतः, संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मूल चन्द डागा और श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 9, 16 और 25 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन (संख्या 9, 16 और 25) सभा में मतदान के लिए रखे गए और

अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 6,—

"या रिजर्व बैंक का निदेशक या अधिकारी है" के स्थान पर "या रिजर्व बैंक का अधिकारी है" प्रतिस्थापित किया जाय। (2)

इस संशोधन में मुद्दा यह है कि रिजर्व बैंक गैर-कर्मचारियों को निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है; और यदि उन निदेशकों को कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो उन्हें पारिश्रमिक या मानदेय देना होगा। विधेयक में, जैसा कि इसे बनाया गया है, कोई भी निदेशक मानदेय या पारिश्रमिक नहीं ले सकता है। यह केवल कर्मचारियों पर ही लागू हो सकता है और गैर-कर्मचारियों पर नहीं। मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 6,—

"या रिजर्व बैंक का निदेशक या अधिकारी है" **के स्थान पर** "या रिजर्व बैंक का अधिकारी है" **प्रतिस्थापित किया जाय।** (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 8 से 11 तक कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 12

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 35 **के पश्चात्** निम्नलिखित अंत:स्थापित **किया जाये :—**

"परन्तु यह कि ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों का कम से कम पचास प्रतिशत होगी।" (19)

वास्तविकता यह है कि निर्णय बोर्ड के सदस्यों द्वारा लिया जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। यदि गणपूर्ति नहीं हो पाती तो दो या तीन सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अत: मैंने यह संशोधन सरकार पर यह प्रभाव डालने के लिए प्रस्तुत किया है कि बैठक के लिए गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों का कम से कम पचास प्रतिशत होनी चाहिए।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : खण्ड 60 में हमने इन बैठकों की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम बनाने हेतु उपबन्ध किया है। तब इसमें गणपूर्ति का प्रावधान किया जाएगा सरकार जो भी आवश्यक समझेगी उसका उपबन्ध किया जाएगा। वास्तव में जब नियमों को सभा पटल पर रखा जाएगा तो माननीय सदस्यों को उनमें परिवर्तन करने का अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 19 को मतदान हेतू प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन (संख्या 19) सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मै प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट 9, पंक्ति 3,—

"व्यक्तियों से" के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"जिन्हें कृषि या कृषि उधार या सहकारिता या हस्तशिल्पों तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों का विशेष ज्ञान हो।" (2०)

विधेयक के पृष्ठ 9 पंक्ति 3 में निम्न बात कही गई है :

"बोर्ड पूर्णतः निदेशकों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या भागतः निदेशकों से और भागतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी ऐसी अन्य समितियाँ गठित कर सकता है।"

वे किस प्रकार के व्यक्ति होंगे ? अतः मैंने कहा है कि उन व्यक्तियों की कुछ योग्यताएं होनी चाहिए क्योंकि उसमें कहा गया है "अन्य व्यक्ति"। मैंने उल्लेख किया है कि ये व्यक्ति किस प्रकार के होंगे। आखिर यह एक अमान्य किस्म का खण्ड है। बोर्ड को निदेशकों से या पूर्णतः निदेशकों से या भागतः निदेशकों से और भागतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी ऐसी अन्य समितियाँ गठित करनी चाहिए। विचार यह है कि उसको योग्य होना चाहिए। उन व्यक्तियों को कृषि, ग्रामीण ऋण तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : यह संशोधन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति के बारे में सोचना भी असम्भव है जबकि वे एक विशेषज्ञ समिति में इंजीनियर की नियुक्ति करेंगे। वस्तुतः यह कहना कि उन्हें विशेषज्ञ होना चाहिए। इस विधान में और जटिलता पैदा करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 13 के संशोधन संख्या 26 को मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन (संख्या 26) मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक से जोड़ दिया गया।

खण्ड 14

उपाध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 10 और 27। श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 18,—

"अन्य" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाय। (10)

पृष्ठ 9, पंक्ति 17-18,—

"उतने निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्ति" के स्थान पर "पन्द्रह से अनधिक सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

बोर्ड कुछ निदेशकों तथा अन्य व्यक्तियों की एक सलाहकार परिषद गठित करेगा। अब उसमें कितने सदस्य होने चाहिए ? उसमें 15 व्यक्ति होने चाहिए या असंख्य व्यक्ति ? "सलाहकार परिषद में अमुक संख्या में निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्ति होने चाहिए" का उल्लेख किया गया है। परन्तु संख्या का कोई जिक्र नहीं किया गया। तब तो सलाहकार परिषद में 30, 40 या कोई भी संख्या हो सकती है। इसको 15 तक सीमित रखना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : यह सलाहकार परिषद है निदेशक-बोर्ड नहीं। इसका स्वरूप अवश्य ही एक सलाहकार परिषद का होना चाहिए। इसमें हमें जितने सम्भव हो उतने व्यक्ति रखने चाहिए। यदि हम संख्या को सीमित कर दें तो हम विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 14 पर दिए गए संशोधन संख्या 10 तथा 27 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन (संख्या 10 और 27) मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 15 से 19 तक कोई संशोधन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 से 19 तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 से 19 तक विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 20, श्री मूलचन्द डागा। संशोधन संख्या 11।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इस संशोधन को पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 21। श्री सुधीर गिरि। संशोधन संख्या 20।

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14,—

पंक्ति 23 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"(5) उपधारा (2), (3) और (4) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय बैंक बटाईदारों के अभिलेखों, निहित भूमि के प्राप्तकर्ताओं के दस्तावेजों के प्रति ऐसे उधार और अग्रिम भी दे सकेगा जो मांग पर या पच्चीस मास से अनधिक की नियत अवधि के अवसान पर प्रतिसंदेह है :

परन्तु यह कि राष्ट्रीय बैंक विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं स्थापित करेगा।" (20)

विधेयक का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान, सीमान्त किसान तथा बटाईदार और निहित भूमि प्राप्तकर्ता सभी कृषि की प्रगति में सहायक होते हैं। इस विधेयक में बटाईदारों या उनके लिए जिनको राज्यों में भूमि प्रदान की गई कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैंने यह संशोधन वित्त मन्त्री को यह बात समझाने के लिए प्रस्तुत किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए खोली गई बैंक की शाखाओं के माध्यम से बटाईदारों तथा निहित भूमि प्राप्तकर्त्ताओं को भी ऋण दिया जा सके। मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करें और विधेयक में उचित संशोधन करें।

श्री आर० वेंकटरामन : यह संशोधन आवश्यक नहीं है क्योंकि बटाईदार तथा काश्तकार भी कृषक ही माने जाते हैं और उनको पहले ही इसके अन्तर्गत लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि के द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 20 को सभा के मतदान हेतू प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन (संख्या 20) मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 से 30 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 31

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 17, पंक्ति 30,—

"धारा 25, धारा 30 और धारा 32" के स्थान पर "इस अध्याय या अध्याय 7" प्रतिस्थापित किया जाय। (3)

यह इस अर्थ में एक अनौपचारिक संशोधन है कि इसके अन्तर्गत न केवल धारा 25, 30 और 32 के अन्तर्गत कमीशन संदेय हैं अपितु अध्याय छः और सात के अन्तर्गत आने वाली सभी बातों के सम्बन्ध में भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

पृष्ठ 17, पंक्ति 30,—

"धारा 25, धारा 30 और धारा 32" के स्थान पर "इस अध्याय या अध्याय 7" प्रतिस्थापित किया जाय। (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि खण्ड 31, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 32 से 41 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 42

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 4 एक सरकारी संशोधन है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इसको पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या कहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि माननीय

मंत्री ने पहले ही अपने संशोधन को प्रस्तुत कर दिया है ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 20, पंक्ति 10,—

"के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग)" का लोप किया जाय । (4)

यह परिवर्तन केवल इस उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में लम्बी अवधि संकाय निधि की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया गया है जिसको खण्ड 25 के उपखण्ड (1) (क) (1) (ख) तथा (1) (ग) के अन्तर्गत दिए गए निवेश-ऋण को समर्थन देने के लिए उक्त खण्डों में परिभाषिक किया गया है । वास्तव में यह केवल एक लिपिकीय परिवर्तन है और इसमें कोई और नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 20, पंक्ति 10,—

"के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग)" का लोप किया जाय । (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 43 से 47 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 43

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 21,—

पंक्ति 18 से 22 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय**—

"48. (1) राष्ट्रीय बैंक के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी ।" (13)

राष्ट्रीय बैंक में पूंजी केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा बराबर अनुपात में लगाई जाएगी । अत: हमारा हिस्सा 50 प्रतिशत बैठता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाए ।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे मित्र ने बाद के उप-खण्ड पर ध्यान नहीं दिया है । मैं उनका ध्यान उसी खण्ड के उप-खण्ड (6) की ओर दिलाना चाहता हूं :

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय बैंकों के लेखाओं की परीक्षा करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिए किसी भी समय नियुक्त कर सकेगी। ऐसी परीक्षा और रिपोर्ट के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई कम भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय बैंक द्वारा संदेय होगा।"

अतः मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 49 से 62 तक और प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

दूसरी अनुसूची

संशोधन किए गए

पृष्ठ 37,—

पंक्ति 13 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

(iii) उपधारा (6) में, जहां कहीं भी "प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों" और "प्रादेशिक ग्रामीण बैंक" पद आते हैं, उनके स्थान पर क्रमशः "प्राथमिक सहकारी बैंकों से भिन्न सहकारी बैंक" और "प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न सहकारी बैंक" पद प्रतिस्थापित किए जाएं।' (5)

पृष्ठ 37, पंक्ति 24—

"और विकास" का लोप किया जाये। (6)

पृष्ठ 37,—

पंक्ति 34 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"भाग 4

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 का संशोधन।

(1961 का 47)

संशोधन

धारा 2 के खण्ड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात :—

'(थ) "केन्द्रीय सहकारी बैंक", "सहकारी सोसाइटी" और "राज्य सहकारी बैंक" पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में है;

(द) "प्राथमिक सहकारी बैंक" और "प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी" पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के भाग 5 में हैं।" (7)

पृष्ठ 38, पंक्ति 1,—

"भाग 4" के स्थान पर "भाग 5" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

(श्री आर० वेंकटरामन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरे वाचन में आप कोई बात दोहरायें नहीं। आप प्रारम्भ की स्थिति में न पहुंच जायें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। वास्तव में आपको मुझे शिक्षित करना चाहिए। केवल नयी बातें, जो पहले न उठायी गई हों, का उल्लेख किया जा सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पीछे मंशा यह है कि देहात के लोगों को खास तौर से कमजोर तबके के लोगों को, चाहे वह हरिजन हों, पिछड़ी जाति के लोग हों या ऊंची जाति के भी जो गरीब हों, ऐसे लोगों को मदद की जाय। इस तरह की मदद की बात यह पहले भी करते रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक कायम है, इनका बीस सूत्री कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य के लिए है और भी तरह तरह से ये देहातों में काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि इसका नतीजा क्या निकला ? क्या आप ने कभी इस बात का अनुमान लगाया, लेखा जोखा लिया कि देहात के इन गरीबों को जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, इनमें कितने प्रतिशत लोगों को इससे लाभ हुआ।

रिजर्व बैंक की बुलेटिन से यह पता चलता है कि 7 प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। क्या आप ने पता लगाया कि इस सात प्रतिशत में से कितने प्रतिशत इन लोगों की जेब में गया जिनके लिए आप यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बना रहे हैं ?

यह आप को देश की जनता को बताना चाहिए ताकि वह समझे कि आप क्या कर रहे हैं ? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो देखते हैं कि भैंस खरीदने के लिए आप कर्ज देते हैं लेकिन वह मिलता नहीं है, छोटे छोटे दस्तकारों को कर्ज देने की बात आप करते हैं लेकिन वह लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जब वह पैसा देते हैं तब तो उन्हें किसी न किसी रूप में कुछ पैसा मिल जाता है नहीं तो वे बेचारे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है । मैंने बहुत बार अपने क्षेत्र के दर्जनों बैंकों के बारे में लिखा है कि वहाँ ऐसी बात हुई है, लोगों को कर्ज नहीं मिलता । सवाल भी यहाँ उठाए गए लेकिन उसका कोई उत्साहवर्द्धक नतीजा आज तक नहीं देखने को मिला ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जो बैंक आप बना रहे हैं वह बनाइए । आपने कहा कि रिजर्व बैंक से अलग करने से हम ज्यादा लाभ पहुंचा सकेंगे । यह हमें आगे देखना है कि रिजर्व बैंक से अलग करने से ज्यादा लाभ पहुंचता है या नहीं लेकिन जो कर्मचारी इसमें काम करते हैं और दूसरे बैंकों में काम करते हैं उनकी स्थिति की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए । अभी मेरे पास पटना से निकलने वाले "आज" का 4 नवम्बर का यह अंक है, यह बहुत ही प्रतिष्ठित दैनिक "आज" अखबार है, इसने पटना के बारे में लिखा है—भारतीय स्टेट बैंक में अनियमितताओं का बोलबाला । यानी जिन कर्मचारियों को प्रोमोशन मिलना चाहिए उनको तो प्रोमोशन दिया नहीं जाता और किसी न किसी पैरवी के बल पर जो जूनियर हैं उनको प्रोमोशन दे दिया जाता है । इस तरह की बातें यहाँ भी हो सकती हैं । तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं हों और कर्मचारियों की कठिनाइयों की तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिए ।

आखिरी बात मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । भ्रष्टाचार आज सर्वग्राही और सर्वव्यापक हो गया है । उसके बारे में हम लोग जितनी बार भी यहाँ बोलते हैं वह और भी बढ़ता जाता है, आप उसका कुछ निदान नहीं निकाल पाते । बैंकों में सब जगह भ्रष्टाचार है जिसकी चर्चा मैंने की थी कि गरीबों को कर्ज नहीं मिलता । लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इसी तरह का एक संगठन नाफेड का है जिसको राव साहब चलाते हैं । उसके अध्यक्ष कोई संसद सदस्य हैं । लेकिन वहाँ करोड़ों रुपए का गोलमाल है । वहाँ के कर्मचारियों ने इसके खिलाफ 65 दिनों तक आन्दोलन चलाया । उनकी माँग है कि इस गोलमाल को बन्द किया जाय । अगर जरूरत पड़े तो अध्यक्ष को बदल दें । कोई जरूरी नहीं है कि सब अध्यक्ष संसद सदस्य ही रहें । विस्तार के साथ 21 नवम्बर के ब्लिट्ज में यह बात छपी हुई है । इस प्रकार भ्रष्टाचार आज सर्वव्यापी हो गया है । अगर आप सचमुच में कमजोर वर्ग के लोगों की मदद देहातों में करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा तमाम लोगों के सहयोग से और उनकी मदद करनी होगी । अभी तक उनको ठीक मदद नहीं मिल पा रही है । आप बैंक खोलिए या 20 सूत्री कार्यक्रम चलाइए उनको उसका कोई लाभ नहीं मिलता । उन पर तो गोलियाँ चल रही हैं, उनको

सो-काल्ड नक्सलाइट कह कर दबाया जा रहा है। मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ नौबतपुर में दो आदमियों को गोली से मार दिया गया यह कह कर कि ये नक्सलाइट हैं। वे माँगते हैं कर्जा, वे माँगते हैं जमीन तो उनको नक्सलाइट कहकर मार दिया जाता है। अगर यह स्थिति रहेगी तो जो आपका उद्देश्य है, बैंक का निर्माण करने का, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार इस सदन के सामने इसकी तस्वीर पेश करे कि अब तक कितने कमजोर वर्गों को, कितने हरिजनों को इसके द्वारा मदद पहुंच सकी है।

अध्यक्ष जी, यह जो मैंने कहा वह आउट आफ कांटेक्स्ट तो नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : नक्सलवादी आपके सदस्य नहीं बनायेंगे क्योंकि आप बहुत वृद्ध हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप उनसे राजनैतिक क्षेत्र में लड़ाई लड़े। किसी को दबायें नहीं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बताया जाता है कि देश समाजवादी सिद्धान्तों के लिए वचनबद्ध है और हमें आशा थी कि वर्तमान राजनैतिक दल अर्थात कांग्रेस (ई) के शासन के दौरान समाजवाद की मंजिल की दिशा में कुछ प्रभावशाली कदम उठाए जाएंगे लेकिन अभी तक हमें समाजवाद की इस मंजिल का कोई भी निशान नहीं मिला है। इन सब बातों के बजाय, इस कानून को इस सभा में पुनःस्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा देना है। इस कानून का उद्देश्य शिल्पियों तथा छोटे किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना भी है।

इस बारे में दो विचारधारायें हैं। एक विचारधारा यह है कि ग्रामीण विकास संस्थागत परिवर्तनों द्वारा ही हो सकता है और दूसरी विचारधारा यह है कि कृषि विकास तथा देशवासियों का विकास बुनियादी परिवर्तनों द्वारा ही सम्भव है। 'संस्थागत परिवर्तनों' से मेरा तात्पर्य है खेती के लिए ट्रैक्टरों आदि का प्रयोग और 'बुनियादी परिवर्तनों' से मेरा तात्पर्य कुछ लोगों के पास एकत्र हो गई भूमि को लोगों के बीच बाँटने से है। लेकिन ऐसे उपाय किए बिना ही सरकार छोटे तथा अन्य सम्पन्न कृषकों के लिए ऋण की व्यवस्था करने जा रही है। मेरा यह दृढ़ विचार है कि बुनियादी परिवर्तनों अर्थात बड़े जमींदारों से अतिरिक्त भूमि लेकर गाँवों के भूमिहीन किसानों के बीच बांटे बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास और ग्रामीण विकास नहीं ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समाजवाद अचानक नहीं आ सकता। हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन संस्थागत परिवर्तनों पर अधिक बल दिए बिना ही बुनियादी परिवर्तन लाए जाएं।

मैं यहाँ एक यह बात कहना चाहता हूं कि यह एक शिखर बैंक होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं या समितियों को ऋण प्रदान करेगा। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी ऋण समितियों में बड़े-बड़े निहित स्वार्थी तत्व हैं। वे भूमिहीन लोगों परती भूमि वाले किसानों तथा बटाईदारों को कोई ऋण नहीं देते। अतः मैंने यह संशोधन दिया है कि इस बैंक को उन लोगों को वित्तीय सहायता तथा ऋण देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखायें खोलनी चाहिए जिनकी संख्या सबसे अधिक है। 70 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अतः यदि सरकार सचमुच गरीब लोगों का विकास तथा उत्थान चाहती है तो उसे ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे बटाईदार तथा जमीन प्राप्त करने वाले बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें।

क्षेत्रीय असंतुलन भी है। एक दिन हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि देश का पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के पूर्वी भाग पर अधिक बल दिया जाए। उन्हें अधिक ऋण सुविधायें दी जानी चाहिए ताकि ग्रामीण अपना विकास स्वयं कर सकें।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बिल की थर्ड रीडिंग में अपने कुछ विचार रखने का मौका दिया है, इसलिए मैं अपने विचार बहुत संक्षेप में और बिल पास होने के वक्त जो कहे जा सकते हैं, उतना मैं कह सकूंगा।

मैं वित्त मंत्री जी आपका इस सदन में स्वागत करता हूं कि आपने इस कानून को पास करवाया। यह कृषि आयोग की सिफारिश पर आधारित कानून, कृषि आयोग ने 1976 में अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी, कृषि और इम्पोर्ट्स तथा किसानों को गांवों में विकास के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए है। कृषि आयोग ने 24 इन्तरिम रिपोर्ट्स दी थी और आज दस साल के बाद एक कमीशन की महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर सूर्य की किरण को देखा है और अब इस कानून को आज यहाँ पास करवा रहे हैं। मुझे इससे बड़ी खुशी है और मैं समझता हूं कि देश के गाँवों में बसने वालों, 80 फीसदी लोगों को जो गाँवों में खेती, पशुपालन और उद्योगों का धन्धा करते हैं, को इस कानून से एक संतोष मिलेगा। एक नई दिशा बनी है कि समुचित गांव के विकास के दृष्टिकोण को साधनों की दृष्टि से सम्पन्न बनाने के लिए यह कानून हर तरह से उनकी मदद करेगा।

समय समय पर, जैसा कि आपने प्रारम्भ में अपने भाषण में कहा है कि 1971 तक गांवों में और पशुपालन के धन्धों का विकास करने के लिए ज्यादातर गांवों के लोगों को प्राइवेट लोगों से कर्जा लेना पड़ता था और ऊंचे-ऊंचे ब्याज पर लेना पड़ता था। जैसा कि आपने बताया कि 1971 तक 31 प्रतिशत कर्ज की व्यवस्था गांवों के बैंकों से और सरकारी समितियों की वजह से होने लगी है, यह कितना सही है इसके आंकड़े तो आप आंकलित

करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में समय समय पर जो कुछ भी कदम उठाए गए क्रेडिट की व्यवस्था के लिए, जिसमें रिजर्व बैंक ने भी अपनी क्रेडिट ब्रान्चेज के जरिए, सहकारिता के माध्यम से काफी विकास किया। फाइनेंसिस एजेंसी के जरिए से भी कुछ बड़े कामों के लिए कर्जे की व्यवस्था और लोन की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ कृषि आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर कुछ रुरल कमीशन ब्रान्चलिंग बैंकों के खोलने की व्यवस्था की गई। मेरे ख्याल से अब गांवों के अन्दर 1971 से काफी ज्यादा मात्रा में कर्जा सरकारी बैंकों के जरिए और सरकारी समितियों की एजेंसीज के जरिए से दिया जाने लगा है। कृषि मंत्री जो सदन में मौजूद हैं कृषि आयोग की रिपोर्ट में करीब 2,233 रिकमेंडेशन्स हैं और मैं उन रिमेंडेशन्स पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि बहुत गहराई से अध्ययन करके जल्दी कार्यवाही करने की जरूरत है। आज देश के अन्दर जबरदस्त क्राइसिस खड़ा हो रहा है और हर तरह के उत्पादन की शीतलता नजर आने लगी है। खाद्यन्न भी आज बाहर से मंगाना पड़ रहा है, चीनी बाहर से मंगानी पड़ रही है, आयल-सीडस बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, कई तरह की कृषि की चीजें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। इसलिए कृषि आयोग की सिफारिशों की तरफ सरकार का, खास तौर से वित्त मन्त्री जी आपका, ध्यान जाना चाहिए क्योंकि आपका भी इसमें बड़ा भारी रोल होता है, खास तौर से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेन्जेज केन्द्रीय मन्त्रालयों में करने होंगे, राज्य सरकार के मन्त्रालयों में करने होंगे तथा कुछ अन्य व्यवस्थायें करनी होंगी। मैंने समय समय पर सदन का ध्यान उन सिफारिशों की तरफ दिलाया है और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि आयोग की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार कर के कुछ निश्चय लिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दस साल के बाद एक सिफारिश को कार्यान्वित किया जाय, ऐसी स्थिति में देश को बहुत भारी घाटा होगा।

बैंक से सम्बन्धित सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए मैं आपको दोबारा बधाई देता हूं और आप की सरकार तथा सदन की विभिन्न पार्टियों के सदस्यों का ध्यान उन सिफारिशों की तरफ फिर से दिलाता हूं, जिन पर आज सरकार के कार्यालय में डस्ट छा रही है, उनको तुरन्त कार्यान्वित करने की सलाह देता हूं।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : पिछले दशक के दौरान ग्राम्य क्षेत्रों को ऋण देने के मामले में तेजी से हुई प्रगति के बारे में मैं दो अथवा तीन बातों का जिक्र करूंगा। उदाहरणार्थ, बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले 1969 में वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण क्षेत्रों सम्बन्धी ऋणों के लेखे केवल एक लाख तीन हजार रुपये के ही थे। 1979 के अन्त में ये ऋण के लेखे 75,48,000 लाख रुपए के थे। 1969 में 45 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे जबकि 1979 के अंत में ऋण की यह राशि 2459 करोड़ रुपए की थी। अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि 1969 में ग्रामीण क्षेत्रों में 22 प्रतिशत शाखायें थीं, 1981 में ये शाखायें 48 प्रतिशत हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि कमजोर वर्ग को उठाने सम्बन्धी सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम विभेदी ब्याज दर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने योजना को शाखाओं द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में चालू कर दिया है। व्यवहारिक दृष्टि से 72.7 प्रतिशत ऋण विभेदी ब्याज दर कार्यक्रम के अन्तगत दिए जाते हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 43.6 प्रतिशत ऋण दिए गए हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने पर्याप्त काय नहीं किया है अथवा यह कि हमने कुछ भी नहीं किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दूसरी किश्त शुरू करने जा रहा है जिसके द्वारा हम समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर कृषकों, छोटे किसानों तथा सीमांत किसानों की सहायता करने जा रहे हैं। माननीय मित्र जी गिरि ने कहा है कि बटाईदारों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मैंने विधेयक पेश करने के समय भी कहा था कि बटाईदार 'कृषकों' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं और इसके फलस्वरूप वे ऋण सुविधाओं के हकदार होंगे। पश्चिम बंगाल की एक विशेष समस्या है जो भिन्न है और इसके अन्तर्गत नहीं आयी है। समस्या यह है कि बटाईदारों का जमीन पर कोई हक नहीं और उनके पास जमानत देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे मामलों में भी सरकार ने बैंकों को यह निदेश दिए हैं कि 1000 रुपए तक के ऋण, उत्पादन सम्बन्धी कार्यों के लिए बिना जमानत तथा केवल उन द्वारा दिए गए वचनपत्रों के आधार पर ही, दिए जायें। अतः मैं आशा रखता हूं कि यह ऐसे क्षेत्रों के लोगों तक भी पहुंचेगा।

सभा ने मुझे जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं सभा का आभारी हूं। मैं समझता हूं कि जो सुझाव दिए गए हैं अथवा जो आलोचना की गई है उसका उद्देश्य ग्रामीण ऋणों की स्थिति में सुधार लाना ही है। बैंक चलाते समय मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा दो बजकर दस मिनट पर फिर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 8 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : राव बीरेन्द्र सिंह ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

यह अधिनियम 1978 में पारित किया गया था, और उसके पश्चात सरकार ने गन्ना उत्पादकों और श्रमिकों के हित में तथा चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए कुछ मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था। ये मिलें तब से चल रही हैं परन्तु हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके पूर्ण स्वस्थ होने के लिए तीन वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है। सरकार को गन्ना-उत्पादकों की बकाया राशि और श्रमिकों की बकाया राशि के भुगतान के लिए भारी धन-राशि लगानी पड़ी है। हम चाहते हैं कि सरकार अभी और तीन वर्ष तक इन मिलों पर अपना नियन्त्रण बनाए रखे। इसीलिए हम इस सभा में इस संशोधन को लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि समस्त सदन इस लाभकारी विधेयक का समर्थन करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए।"

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय द्वारा अभी-अभी पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इसका इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि यह एक ऐसा कदम है जिसके बारे में कुछ न होने से कुछ होना अच्छा है' जैसा कहा जा सकता है।

चीनी सभी के दैनिक जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तु है। चीनी और मिठास पर्यायवाची शब्द हैं। परन्तु आजकल इसकी कीमत ऊंची होने के कारण, गरीब उपभोक्ता के लिए यह कुछ कड़वी हो गई है ।...

राव बीरेन्द्र सिंह : अब नहीं है ।

श्री जायनल अबेदिन : ऐसी स्थिति में सरकार का यह भारी कर्त्तव्य हो जाता है कि कुछ ऐसा प्रबन्ध करे जिससे गरीब उपभोक्ताओं को चीनी उचित मूल्य पर प्रदान की जा सके। चर्चाधीन मिलों को सभी प्रकार की सुविधाएं और छूट दी गई थीं परन्तु जैसा कि मन्त्री महोदय द्वारा अभी दिए गए वक्तव्य से पता चलता है इन मिलों ने उपभोक्ताओं के हितों की परवाह नहीं की।

सरकार ने इन मिलों में धन निवेशित किया है। अतः इस धन की वसूली करने और इन मिलों को फिर से रुग्ण होने से बचाने का प्रश्न है। परन्तु प्रश्न यह है :

क्या प्रबन्ध को हाथ में लेने की अवधि में तीन वर्ष की इस वृद्धि से इस बात की कोई गारन्टी है कि इससे प्रबन्ध हाथ में लेने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा ?

यदि नहीं होता है तो सरकार क्या करने जा रही है ?

सरकार चीनी का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करती रही है। आखिर क्यों ? ऐसा सरकार ने बड़े चीनी मिल मालिकों के प्रति सहानुभूतिवश किया है। सरकार द्वारा अपनाई गई इस नीति को बदला जाना चाहिए और तभी देश इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो सकता है।

केवल कुछ मिलों का प्रबन्ध हाथ में ले लेने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि देश को चीनी के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो सरकार को सभी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इसी वर्ष चीनी का सुरक्षित भण्डार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष हमें अच्छी फसल होने की आशा है। यदि सरकार चाहती है कि चीनी सस्ती हो तो सुरक्षित भण्डार अवश्य बनाए जाने चाहिए।

कोई भी यह नहीं जानता कि चीनी मिलों के गौण उत्पाद जाते कहाँ हैं। ये उप-उत्पाद किसी भी प्रकार से खेतीहरों अथवा खेतीदर मजदूरों की सहायता नहीं करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को इस सम्बन्ध में एक व्यापक नीति बनानी चाहिए।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार चीनी की खुले बाजार में कीमत और लेवी चीनी की कीमत की असमानता को कम करने पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह सदन को यह आश्वासन दें कि इन मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की अवधि बढ़ाए जाने से इन मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल (अहमदनगर) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सरकार और लोगों ने कुछ वर्षों के अनुभव से यह देखा है कि तीन वर्ष की अवधि बहुत ही थोड़ी है और सरकार ऐसी रुग्ण मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकती है। अतः अवधि को और तीन वर्ष तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में मैं इस तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस प्रकार की रुग्ण मिलों की रुग्णता के मूल कारणों का पता लगाया जाए और इन कारणों को समूल दूर करने के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। रुग्ण मिलों में निजी स्वामित्व वाली

मिलें और सहकारी क्षेत्र में चलाई जाने वाली मिलें भी सम्मिलित हैं। जहां तक महाराष्ट्र के अनुभव का सम्बन्ध है राज्य को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र। इन तीनों क्षेत्रों से समान मात्रा में गन्ना नहीं आता है, क्योंकि वसूली के प्रतिशत में असमानता के कारण उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल सकता है, अतः महाराष्ट्र में रुग्ण मिलों की संख्या में वृद्धि होने का यह भी एक कारण है। महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों द्वारा लगातार यह मांग की जाती रही है कि मामले के इस पहलू पर ध्यान दिया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए।

साथ ही मैं यह निवेदन भी करूंगा कि सुधारी हुई मशीनों द्वारा दिया गया लाभ और विधेयक के तकनीकी पहलू पर भी भारत सरकार विचार कर रही है और यह एक अच्छा उपाय है, यह न केवल क्षमता में सुधार करने वाला कल्याणकारी कदम है, अपितु इसकी सम्पूर्ण क्षमता के उपयोग करने में भी सहायक है जिससे कि मिलों को अच्छा लाभ मिले और उनका उत्पादन बढ़े। परन्तु इस सिद्धान्त को उन मिलों पर लागू नहीं किया जा रहा है जो कि हाल ही में शुरू हुई है और जिन्होंने पुरानी मशीनें खरीदी हैं और यदि हम इन मिलो के साथ न्याय नहीं करते हैं तो कृषकों और गन्ना-उत्पादकों को न्याय मिलना कठिन होगा। अतः रुग्ण मिलों के पहलू का अध्ययन करते समय इन दो पहलुओं पर भी विचार किया जाए।

सरकार की यह सुनिश्चित करने की एक अच्छी नीति है कि मिल मालिकों का अधिक नियंत्रण न हो और सार्वजनिक-निधि की कीमत पर वे अपने उद्योग को स्वस्थ न बनाएं तथा सरकार द्वारा किए गए सुधारों का लाभ न प्राप्त करें। अतः इस उद्योग के समुत्थान हेतु सरकार द्वारा निवेश किए गए धन की वसूली करने की सरकार की नीति बुद्धिमत्ता पूर्ण है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : मान्यवर, इस विधेयक की मूल आत्मा राष्ट्रीयकरण से है। सरकार के नियंत्रण में चीज लायी जाय जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह के नियन्त्रण में है। इसका मूल अर्थ यही है। राष्ट्रीयकरण एक दर्शन, सिद्धान्त और नीति और व्यवहार और अमल भी है। दर्शन और सिद्धान्त यह है कि एक बड़ी सम्पत्ति के साधन एक व्यक्ति अथवा कतिपय व्यक्तियों के समूह कार्टेल, सिंडीकेट, ट्रस्ट अथवा कम्पनी के हाथ में रहे या सम्पूर्ण समाज के। हम दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक रूप से मानते हैं कि पैदावार एवं सम्पत्ति के बड़े साधन समाज के हाथों में, स्वामित्व में रहें। जो भी अर्जन हो वह समाज के सामूहिक नेतृत्व एवं संचालन में हो। उससे लाभ हो, प्रगति हो, विकास हो तो समस्त समाज उसका उपभोग करे और सुख का अनुभव करे। यदि दुर्भाग्य से उसमें घाटा हो जाय तो सारा समाज उसको वहन करे। इस सिद्धान्त से समझौता नहीं हो सकता। एक समाजवाद की ओर देश और समाज को ले जाता है और दूसरा पूंजीवाद को मजबूत करता है। केवल चीनी मिलों का प्रश्न नहीं है बल्कि देश के जो 100 एकाधिकारी पूंजी-

पतियों के खानदान हैं। हमारे देश में जो 100 एकाधिकारी पूंजीपतियों के खानदान हैं, यह नियम सबसे पहले उन पर लागू होना चाहिए, जिनके हाथ में देश की दो-तिहाई दौलत पिछले 35, 36 बरसों में एकत्र हो गई है। इन सब में जो 20 बड़े खानदान हैं, वह अपने 100 में भी दो-तिहाई धन के मालिक हो चुके हैं, इसमें सबसे बड़े टाटा और बिड़ला हैं। टाटा पहले नम्बर 1 पर थे, बिड़ला नम्बर 2 पर थे लेकिन आज पिछले 25 सालों में सरकार का बरद्-हस्त उन पर होने के नाते बिड़ला का स्थान नम्बर 1 पर पहुंच गया है और टाटा नम्बर 2 पर पहुंच गए हैं।

पूंजीवाद, पूंजीवादी सरकार और पूंजीवादी विकास पथ एवं पूंजीवादी नीतियों का यह अनिवार्य परिणाम है कि देश की सारी सम्पत्ति कुछ चन्द घरानों में, कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में एकत्रित होती जा रही है। यह क्रम आजादी के बाद से आज तक हम देख रहे हैं। यदि यही क्रम चलता रहा तो अंजाम भी वही होगा जो अब तक हुआ है और इसके भयावह तथा हृदय-विदारक परिणाम भी हमारे देश में होंगे जैसे पश्चिमी योरुप या अमेरिका, जापान के उन्नत देशों में हुए हैं। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना और ऐसी किसी सत्ता के खिलाफ जो इस व्यवस्था और विकास पद्धति की रक्षक हो, उसके खिलाफ बगावत करना आज सबसे बड़ा युगधर्म है।

हमारा विचार चीनी मिलों के बारे में भी यही है, जिसके सम्बन्ध में एक छोटा, नन्हा-सा विधेयक हमारे मन्त्री महोदय ने पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, माननीय सदस्यों से और भारत की विशाल जनता से यही बलपूर्वक कहूंगा कि अगर देश में स्वस्थ जनवाद कायम रखना है, उसे विकसित करना है तो पूंजीवादी प्रभाव के नाग-पाश से मुक्त करना होगा, वरना हमारा प्रजातन्त्र और उसके अभिनय प्रयोग केवलमात्र धोखा और पूंजीवाद की चेरी और दास बनकर रह जायेंगे जैसे कि पश्चिमी उन्नत पूंजीवादी देशों में हो चुका है।

इसीलिए कम्युनिस्ट एवं सोशलिस्ट विचार के लोगों ने तो सदैव संसद एवं विधान-सभाओं के भीतर और बाहर हर प्रकार की आवाज उठाई है। प्रगतिशील और जनवादी विचार के कांग्रेसजनों का स्वर भी इसमें हमेशा मिलता रहा है, यह बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय था। यह प्रभाव कितना भयंकर है, इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यहां बैठने वाले श्री जार्ज फर्नान्डीस जब उद्योग मन्त्री थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने दल में इस प्रगतिवादिता का आकलन कैसे करते हैं ?

श्री झारखण्डे राय : मुझे सन् और मास याद नहीं है, लेकिन 1977 या 1 78 में इन्होंने स्वीकारोक्ति की थी कि हमारे विभाग की कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जो पूंजी-पतियों से छिपी हो। बिड़ला का प्रभाव हमारे विभाग पर इतना जबर्दस्त है कि हमारी गुप्त से गुप्त फाइल भी उनको पता लग जाती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उनको उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था।

श्री झारखण्डे राय : उनमें और आप में कोई अन्तर नहीं है। पूंजी का जो ग्रिप है हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीति की सत्ता पर, मैं उनकी बात कर रहा हूं।

चीनी मिलें सबसे ज्यादा बिहार और यू० पी० में हैं। आप उत्तर प्रदेश को ही लें। मैं उत्तरप्रदेश की विधान-सभा में 16 बरस रहा हूं। 1969-70 में जब कांग्रेस पहली बार टूटी मोरारजी और इंदिराजी के नेतृत्व में तो इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का जलसा बम्बई में हुआ था। उसमें पं० कमलापति त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव था कि चीनी मिलों का सारे भारत में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और वह प्रस्ताव सर्वसम्मत पास हुआ था, यह रिकार्ड की बात है, लेकिन वह बात आज तक क्यों नहीं अमल में लायी गई, क्या मन्त्री जी और कांग्रेस-जन इसका जवाब दे सकते हैं ? देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की डेलीगेटिड लेजिसलेशन कमेटी ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया कि उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया। लेकिन आज तक उसका आदर नहीं किया गया। वह प्रस्ताव वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। क्या यह कथनी और करनी का अन्तर नहीं है ?

उत्तर प्रदेश में पूर्वान्चल सब से जाग्रत और संगठित क्षेत्र है और सब से गरीब क्षेत्र भी है। वह अंग्रेजों का विद्रोही था और तमाम गलत सत्ता का शाश्वत विद्रोही रहा है। गोरखपुर और वाराणसी मण्डल कांग्रेस-जन सम्मेलनों में सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया है।

जब उत्तरप्रदेश में चौधरी चरण सिंह एस० वी० डी० की सरकार के मुख्य मंत्री थे -- उसमें मैं फूड मिनिस्टर -- तब तो नहीं, लेकिन जब कांग्रेस और बी० के० डी० की मिली-जुली सरकार बनी, जिसके मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह थे, उस वक्त सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसमें बाबू गेंदासिंह, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, श्री वीरेन्द्र वर्मा और श्री पृथ्वीनाथ सेठ थे, ताकि वह इस विषय पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे। वह रिपोर्ट सरकार के पास आई, जिसमें कहा गया था कि चीनी मिलों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेकिन वह रिपोर्ट भी ठंडे घर में, कोल्ड स्टोरेज में, रखी हुई है---वहीं पड़ी पड़ी सड़ रही है, दम तोड़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सही विधेयक की बात कीजिए; आपने विधेयक पर नहीं बोला है। मैं तो केवल याद दिला रहा हूं।

श्री झारखण्डे राय : मैं इस विधेयक से सम्बन्धित मूल बातों की ओर आपका ध्यान

आकृष्ट करना चाहता हूं। कौन इस बिल का विरोध करेगा ? लेकिन यह कितना हाफ-हार्टिड मेजर है। 34 साल की आजादी के बाद इस तरह के विधेयक से— इस चींटी की चाल से, कच्छप-गति से क्या होगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या आप चाहते हैं कि इस बिल को वापस ले लें ?

श्री झारखंडे राय : मेरा यह मतलब नहीं हैं।

बाद में जब श्री नारायण दत्त तिवारी, जो आज यहां हैं, मुख्य मन्त्री थे, तो उन्होंने उन प्रस्तावों के बारे में कहा कि अगर भारत सरकार चाहे, तो वह उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दे। भारत सरकार ने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार अधिकृत है वह चाहे तो कर ले। एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंकी जा रही थी, जबकि केन्द्र और प्रदेश में सत्ता एक ही पार्टी की थी। क्या यह बहानेबाजी है या भारत की अबोध जनता को मूर्ख बनाना है।

इस पूंजीवादी धृतराष्ट्र-पकड़ से— आप विद्वान हैं, आप जानते हैं कि यह महाभारत में मशहूर है —मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि हिन्दुस्तान में जितने एकाधिकारी पूंजीपति हैं, चाहे वे किसी क्षेत्र में हों, उनकी पूंजी को सरकार अपने हाथ में ले, इन उद्योगों का संचालन लोक-कल्याणकारी दृष्टिकोण से करे, ताकि कच्चा माल पैदा करने वालों को उचित दाम मिलें, मजदूरों तथा कर्मचारियों को उचित मजदूरी और बोनस मिले और तैयार माल सस्ते दाम पर जनता को मुहैया किया जा सके। इसलिए मै चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इन बुनियादी बातों पर ध्यान दें और इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायें।

उपाध्यक्ष महोदय, न जाने क्यों, आप इमपेशेंट हो रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस विषय में अधिक रुचि नहीं है। सेंट्रल हाल में यहां से ज्यादा हाजिरी है। समय की कोई कमी नहीं है।

इस सदन में जनता पार्टी की सरकार के राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह, ने स्पष्ट ऐलान किया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। उसी धारा में खड़े होकर नानाजी देशमुख ने, जो जनता पार्टी के बहुत बडे स्तम्भ थे, बाहर कहा कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। उसी धारा में खड़े होकर बालासाहब देवरस ने स्पष्ट घोषणा की थी कि राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकारें बदल गईं, हुक्मरान पुराने की जगह नए हो गए, लेकिन रास्ता, पथ, तरीका और डगर वही है।

एक माननीय सदस्य : नतीजा भी वही होगा।

श्री झारखंडे राय : वही हो रहा है।

मैं एक बात कहूं कि चीनी मिलों के मालिक हिन्दुस्तान के पूंजीपति लुटेरों ने सब

से बड़ी शैतानी की है। ये तिहरा मुनाफा कमाते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वेस्ट बंगाल में कितनी जूट मिलों को नेशनलाइज कर लिया है यह बताइए।

श्री झारखण्डे राय : वेस्ट बंगाल की बात वहाँ जाकर ज्योति बसु से पूछिए। हमसे आप नहीं पूछ सकते। यह डाइवर्शनरी जवाब है। इससे काम नहीं चलेगा। इससे आत्म सन्तोष आप भले ही कर सकते हैं। लेकिन यह पूछना पाछना आपका काम है। मेरी सरकार होती तो मैं बताता। मैं कोई गलती करूं तो मुझसे आप पूछिए, मेरे लड़के से आप क्या पूछेंगे या मेरे स्वर्गीय पिता जी से क्या पूछेंगे ? यह सब तरीका अपने को बचाने का होता है। मैं यह कह रहा हूं कि तिहरी लूट ये करते हैं। कच्चा माल सस्ते से सस्ता किसानों से खरीदते हैं, मजदूरों को मजदूरी मारते हैं, कम देते हैं, बोनस चुराते हैं और जब चीनी तैयार होती है तो जितना सम्भव है मंहगी से मंहगी चीनी बेचते हैं। तिहरी लूट उनकी सब से ज्यादा चलती है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। वह बड़ा झंझटी होता है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि रेट आफ प्रफिट हिन्दुस्तान में चीनी मिल मालिकों का जितना है उतना रेट आफ प्राफिट और किसी का नहीं है। हमारे सामने माननीय सदस्य बैठे हैं, वह तो परम विद्वान हैं, इन चीजों के माहिर हैं, वह बता सकते हैं कि रेट आफ प्राफिट गल्ले के व्यापारियों के बाद अगर भारत में किसी का है सबसे अधिक तो वह चीनी मिलों के मालिकों का है। इसलिए इनका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए।

अन्त में मैं मन्त्री से कहूंगा कि मन्त्री जी, आखिर हकीकत क्या है ? जो सरकार 77 के पहले हिन्दुस्तान में थी उस सरकार में इतना दम और खम था कि एक करोड़ जबरिया नसबन्दी करा सकती थी और कराया, इसी सदन में उसके आंकड़े राजनारायण जी ने पेश किए थे जो उस समय स्वास्थ्य मन्त्री थे कि एक करोड़ जबरिया नसबन्दी करायी गई। तो एक करोड़ जबरिया नसबन्दी करायी जा सकती है लेकिन सौ खानदान जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं उनकी गर्दन नहीं मरोड़ी जा सकती है ? यह क्या है ? चीनी मिल मालिक तो बहुत छोटे पूंजीपति हैं, बड़े खानदानों के मुकाबिले उनकी क्या बिसात है ? इंदिरा जी ने एक बात एक बार कही थी। वह शब्द मुझे याद हैं जैसे स्टील पर लिखे हुए शब्द होते हैं, एमरजेंसी के जमाने में किसी सिलसिले में उन्होंने कहा था कि—

राजनैतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उस राजनैतिक शक्ति की बात अब यहां कही जा रही है।

मैं वही बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के मामले में आप की पोलिटिकल विल पावर नहीं है। सत्ता और शक्ति की कमी नहीं है। ये देश के मुट्ठी भर पूंजीपति, इनको देश की जनता का आशीर्वाद लेकर कलम की एक नोंक से समाप्त कर दें तो कोई चूं कर सकता है ? है किसी में दम ? लेकिन पोलिटिकल बिल पावर आप के अन्दर नहीं है, खुद करना नहीं चाहते हैं, आपका निहित स्वार्थ उसमें है। आखिरी बात कह कर खत्म करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों की पकड़, हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों का

हस्तक्षेप हिन्दुस्तान की राजनीति में कितना जबर्दस्त है ? कौन ऐसा चुनाव हुआ है जब इनके धन ने और इनके पैसे ने उसमें दखल नहीं दिया है ? जब राष्ट्रपति गिरि और नीलम संजीव रेड्डी का निर्णायक चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए हुआ था जब सारा हिन्दुस्तान लोक सभा से लेकर गांव गांव तक बंट गया था उस समय भारत के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने क्या करोड़ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया था ? जब मोरार जी और इन्दिरा जी की लड़ाई हुई थी उस समय क्या बिरला ने करोडों रुपए खर्च नहीं किए थे ? 1971 की निर्णायक लड़ाई में जिसमें इन्दिरा-वेव चली थी जिसने बड़े बड़े खुर्राट पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया था क्या उसमें इनका दखल नहीं था ? उसके बाद जो 1977 का युगान्तरकारी चुनाव हुआ क्या उसमें इनके पैसों ने दखल नहीं दिया था और अभी जो 1980 का चुनाव हुआ क्या उसमें उसने दखल नहीं दिया था ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र और जनवाद को इनकी चेरी और गुलाम बना कर रखना चाहते हैं तो बनाए रखिए। चाहे चीनी मिल मालिक हों, चाहे जूट मिल मालिक हों, चाहे लोहे की मिलों के टाटा जैसे मालिक हों या किसी भी कंसर्न के हों, उनको बनाकर रखिए और प्रजातंत्र, समाजवाद और जनवाद की माला फेरते रहिए। दुनिया को धोखा देते रहिए और अपने को आत्म प्रवंचित करते रहिए। लेकिन अगर स्वस्थ जनवाद हिन्दुस्तान में कायम करना है, बढ़ाना है और बड़े दम-खम के साथ जो कहा जाता है कि हम अभिनव प्रयोग कर रहे हैं मानव जाति का तो सही बात है हम भी मानते हैं कि इस तरह की डैमोक्रैसी दुनिया में और कहीं भी नहीं है, इसको यदि सफलता की मंजिल तक ले जाना है, सचमुच में स्वस्थ जनवाद बनाना है, कायम करना है, उसको विकसित करना है और एक अभिनव प्रयोग सारे संसार के सामने पेश करना है -- चाहे वह कम्युनिस्ट दुनिया हो, चाहे तीसरी दुनिया हो और चाहे पूंजीवादी दुनिया हो तो उसके लिए आवश्यक है कि इन बड़े बड़े मगरमच्छी घड़ियालों को, इन मौत के सौदागरों को, इन खून के व्यापारियों को खत्म कर दिया जाए। तभी स्वस्थ जनवाद उभरेगा जिसमें आप भी जिन्दा रहेंगे और हम भी जिन्दा रहेंगे। जनता का प्यार जिनको मिलेगा वे आयेंगे, उनकी सरकार बनेगी और उनकी नीतियां सामने आयेंगी। मैं चाहता हूं कि इन 36-37 सालों के बाद अब पूंजीवाद को—चार चार सरकारें देख लेने के बाद—दफन किया जाए। अगर वह दफन हो जाएगा तो यह जो छोटी छोटी मछलियां हैं—चीनी मिल वाले—ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे।

अंत में मैं इस बिल का विरोध तो नहीं करना चाहता लेकिन इसका समर्थन करने का मन भी नहीं करता है क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए वह तो वह करती नहीं है और ऐसा लगता है जैसे खिलौने देकर बच्चे को बहलाना चाहती है। इसलिए समझ नहीं पाता मैं इस बिल का समर्थन करूं, विरोध करूं या क्या करूं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसकी सीधी मंशा यह है कि जो चीनी मिलें 1978 के ऐक्ट के द्वारा ले ली गई थीं उनको अधिग्रहण को तीन साल के लिए और बढ़ाया

जाए। इस सम्बन्ध में झारखंडे राय जी ने जो कुछ कहा है उससे थोड़ी हद तक मैं भी सहमत हूं क्योंकि जो रुग्ण मिलें हैं, जो तीन साल में ठीक नहीं हुई हैं और आगामी तीन सालों में भी ठीक होने वाली नहीं हैं उनके ऊपर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसकी रिकवरी किस प्रकार से हो पाएगी ? जब वह ठीक हो जायेंगी तो आप उन मिलों को मालिकान को सौंप देंगे और मुझे इसमें शक है कि वे इस पैसे को वापिस करेंगे। यदि आप उनसे यह पैसा लेने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में जाकर या किन्हीं दूसरे मेजर्स से आब्सट्रक्शन क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं यह ज्यादा अच्छा होता कि एक टैम्पोरेरी मेजर के बजाए आप इन रुग्ण मिलों को स्थायी रूप से सरकारी कन्ट्रोल में लेने की बात करते।

इसके अतिरिक्त यह जो शुगर इण्डस्ट्री है इसमें आप कोई यूनिफार्म पालिसी नहीं अपना पा रहे हैं। इसमें एक तरफ तो कोआपरेटिव्ज हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट मिलें हैं और तीसरी तरफ सरकारी मिलें हैं। अच्छा होता कि एक यूनिफार्म पालिसी अपनाने के लिए आप इस शुगर इण्डस्ट्री को नेशनलाइज कर लेते। जैसा कि सभी जानते हैं आज इस शुगर इण्डस्ट्री में एक विशस सर्किल क्रिएट हो गया है जिसके कारण सरकार की मंशा ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है।

जितनी प्राइवेट शुगर मिलें हैं उनमें पहली बात तो यह है कि वे केन ग्रोअर्स को समय से पैसा नहीं देते। आपने यद्यपि यह नियम बना रखा है कि मिल के गेट पर 14 दिन के अन्दर किसान का पेमेंट कर दिया जाएगा लेकिन शायद ही कोई मिल ऐसा करती हो। दूसरी बात यह है कि वे ठीक से गन्ने की तोल नहीं करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के एक मन्त्री ने मिल के एक कांटे पर जाकर चेकिंग की थी तो उन्होंने पाया कि एक क्विंटल की जगह पर केवल 10 किलो की तौल जा रही थी। इस तरह से जो बेचारा गरीब केन-ग्रोअर है वह मिल मालिकों के प्रेशर के आगे सकम कर जाता है।

तीसरी बात यह है कि जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं वे जिस ऐरिया में गन्ना पैदा होता है, उस ऐरिया में अपने लाभ को नहीं लगाते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के हेड आफिस बम्बई और कलकत्ते में खोले गए हैं। शुगर इण्डस्ट्री से जो उनको लाभ होता है उसको वे दूसरी इण्डस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही शुगर फैक्टरी में जो शीरा वगैरह होता है उसको वे प्राफिट में जोड़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उनका सारा इन्टेंशन ही दूषित है, ठीक नहीं है।

दूसरा निवेदन यह है जैसा कि आप वक्त-वक्त पर कहते हैं कि ये दिक्कतें आ रही हैं और प्राइस को यूनिफार्म करने में दिक्कत आती है, तो क्यों नहीं आप केन-डेवलपमेंट को कान्करेंट लिस्ट में ले आते हैं, ताकि आप यहां से पालिसी को तय कर सकें और स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्पलीमेंट करें। इस बात से उधर के मित्रों को एतराज हो सकता है और ये कह सकते हैं कि स्टेट्स की आप पावर को कम कर रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में यह एक अच्छा तरीका है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

इसके साथ-साथ आप केन-इण्डस्ट्रीज को माड्रनाइज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इसका माड्रनाइजेशन बहुत जरूरी है। इस में प्रोफिट तो है, लेकिन प्राफिट ही प्राफिट कमाया जा रहा है लेकिन इसको नए सिरे से माड्रनाइज करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मिल को आप टेक-ओवर करते हैं, तो प्रान्तों की सरकारों से कहते हैं कि एक आफिसर दे दीजिए और उनके पास जो आफिसर रद्दी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं कर सकता है, उसको मिल में डैप्यूट कर देते हैं। हम यह चाहते हैं कि आपके पास इण्डस्ट्रीज काफी बढ़ गई है, तो क्यों नहीं आप एक अच्छा कैडर इस काम के लिए बनाते हैं, जिसको अच्छी मैनेजमेंटशिप का ज्ञान हो और इस बात के लिए कमिटेड हो, उसको इस काम पर लगाया जा सके। मैं समझता हूं कि जहां पर इस बिल की मंशा का सब लोग स्वागत करेंगे, वहीं पर इस विषय पर जो शंकायें हैं, उनको दूर करने के लिए मन्त्री जी को कारगर कदम उठाना चाहिए। आप किसान हैं, यदि आप ही ऐसा नहीं कर सके और जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, तो वह भी नहीं करेगा। जहां तक राय साहब का सवाल है, जैसी कि उन्होंने हमारी पोलिटिकल बिल पर शंका प्रकट की है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह हमारी पोलिटिकल बिल थी कि आप 1971 में आपकी पार्टी हमारा पल्ला पकड़कर के यहाँ पर सदन में आई और अब फिर अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए आपको इन्दिरा वाली पोलिटिकल बिल के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक माननीय मन्त्री जी सदन में लाए हैं, इसको समर्थन देना मैं अपना एक कर्तव्य समझ रहा हूं। लेकिन माननीय मंत्री ने यह एक प्रकार का जाल सामने लाकर बिछा दिया है, जिसमें कि फंसना हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार की मजबूरी हो गई है। जो करना चाहिए, वह यह सरकार नहीं करना चाहती है, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से और तमाम दलों के लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, जनता के विभिन्न अंगों के द्वारा, इस बात की मांग की गई है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है और मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात पर, जब वे अपना जवाब दें, प्रकाश डालें।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण न होना यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बन गया है। जहाँ तक इसमें मिल-मालिकों का सवाल है, यह मिल-मालिक शोषण की प्रक्रिया में पूरे तरीके से जुटे हुए हैं। देश की जनता का शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और इसके साथ साथ सरकार का भी शोषण कर रहे हैं, लेकिन अपना शोषण आप इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सरकार देश की जनता के द्वारा बनती है। जो धन वे ले रहे हैं, वह देश के खजाने से जा रहा है, देश के बैंकों से जा रहा है। सरकार का किसी एक व्यक्ति विशेष या सरकार में जो 10-20 लोग रहते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से नुकसान कोई नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे देश और जनता का नुकसान हो

रहा है, इसलिए उनका भी नुकसान हो रहा है । वजह यह है कि पैसा देश के खजाने से लिया जाता है और उसकी लूट की जाती है और उसका जो प्रतिफल निकलता है, वह नहीं के बराबर होता है ।

इन कारखानों का अधिग्रहण कब किया जाता है, जब कारखाने पें मजदूरों का पैसा बकाया रह जाता है, जब किसानों का पैसा नहीं दिया जाता है, जब उत्पादन घट जाता है, जब मशीनों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है, जब कारखाने के ऊपर तमाम कर्जा लद जाता है—ये सब परिस्थितियां हैं जब सरकार उस कारखाने का अधिग्रहण कुछ वर्षों के लिए कर देती है । जब सरकार सब परिस्थितियां ठीक कर देती है, यानी मजदूरों का बकाया दे दिया जाता है, किसानों का बकाया दे दिया जाता है, मिलों का आधुनिकीकरण कर दिया जाता है, कर्जा जो बैंकों से लिया गया होता है, वह चुका दिया जाता है तब सरकार उसे फिर पूंजीपतियों को वापिस कर देती है । इसका मतलब यह है कि पूंजीपतियों को ही हर तरीके से सुविधा देने के लिए सरकार का इरादा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के मेजर्स क्यों लाते हैं ? इसको किसी भी कीमत पर पुनः वापस नहीं करना चाहिए । जब एक बार उनसे ले लिया गया, तो वह सरकारी नियन्त्रण में रहना चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं होता है, इससे देश की जनता पर और अधिक बोझा पड़ता है, देश की जनता के शोषण की तो प्रक्रिया चल रही है वह तीव्र होती है, देश के खजाने का पैसा पूंजीपतियों की जेब में जाता है । इसलिए ऐसी व्यवस्था बन्द कर के जिस चीनी मिल का आप अधिग्रहण कर रहे हैं, उसे हमेशा के लिए सरकारी नियन्त्रण में रखिए ।

उदाहरण के लिए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से गोरखपुर और देवरिया जिलों में, चीनी की बहुत सी मिलें हैं । इनमें से ज्यादातर मिलें पहले से पूंजीपतियों की थीं, लेकिन कुछ मिलों में जब इस प्रकार की समस्या पैदा हुई, जिनको मैंने पहले बतलाया है, उन चीनी मिलों का सरकार ने कुछ वर्षों के लिए अधिग्रहण कर लिया । जैसे मेरे यहां एक "घुघली चीनी मिल" है, उसकी स्थिति यह है कि आज से तीन साल पहले किसानों और मजदूरों ने बहुत बड़ा आन्दोलन किया, क्योंकि उस मिल की तरफ उनका बहुत पैसा बकाया था और वह उद्योगपति, जिसका वह कारखाना था, उनका पैसा नहीं दे रहा था । मिल भी पुरानी हो गई थी, खराब हालत में थी । सरकार ने उस मिल को ले लिया । सभी किसानों और मजदूरों का पैसा दिया गया, लेकिन उस मिल की स्थिति अन्ततः पूरी तरह से सुधर नहीं सकी । आज फिर यह हालत हो गई है कि वहां पर किसानों और मजदूरों का बहुत अधिक मात्रा में पैसा बकाया है, सरकार दे नहीं पा रही है । वहां पर जो रिसीवर बैठाया गया है, ज्यादातर यह होता है कि हर रिसीवर भ्रष्टाचार में लगा रहता है, कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए सामान खरीदा जाता है उसमें पैसा लूटा जाता है, एप्वाइन्टमेन्ट्स में पक्षपात और भ्रष्टाचार किया जाता है—ये सारी चीजें वहां होती हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : किस की मिल है ? किस ने टेक-ओवर किया हुआ है ?

श्री हरिकेश बहादुर : केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में नहीं है, प्रदेश सरकार के नियन्त्रण में है. लेकिन सरकार के नियन्त्रण में है ।

हमारे यहां देवरिया में एक चीनी मिल है जो केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है, उस के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ फैक्टस इकट्ठे कर रहा हूं और बाद में मन्त्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से मिल कर बतलाऊंगा कि वहां पर क्या गड़बड़ हैं । दिक्कत यह है कि अभी अगर कुछ बतलाऊंगा तो दूसरे लोग आकर कह सकते हैं कि वह ठीक नहीं है, लेकिन इस के लिए आप को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा । लेकिन इस समय जो मैं बतला रहा हूं वह केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण की मिलों पर भी लागू होता है । घुघली मिल पर किसानों और मजदूरों का काफी पैसा बकाया है और मिल का भी पूरी तरह से आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है । वहां मजदूर और किसान फिर से आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी है और मैं भी उनकी मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि अगर उन को उनका बकाया पैसा नहीं दिया जायगा तो उन का काम कैसे चलेगा, किसान अपनी खेती-बाड़ी का काम कैसे करेगे । इस लिए मेरा निवेदन है कि जिन पुरानी मिलों को ले लिया जाता हैं उनका फौरन हमेशा के लिये अधिग्रहण कर लेना चाहिए, एक प्रकार से उनका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए ।

आखिरी बात—यदि किसानों का शोषण इसी तरह से होता रहा तो जो किसान अपना गन्ना लाकर मिलों को देते हैं, उन चीनी मिलों की उत्पादन की समस्या का समाधन कभी नहीं हो सकेगा । इस लिए सरकार को यह देखना चाहिए कि किसानों को उन के गन्ने का उचित मूल्य दिया जाय । उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गन्ने का पैसा घटा दियां गया है, यदि इसी तरह से चलता रहा तो किसान को हतोत्साहित होना पड़ेगा, उस का गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ेगा, और अन्ततः उस का चीनी के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा । इस लिए मेरा अनुरोध है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाय और जिन मिलों की तरफ, कम से कम जो सरकारी नियन्त्रण में हैं, उन मिलों में जिन किसानों का पैसा बकाया है उसका तत्काल भुगतान कराया जाय, साथ साथ मजदूरों की बकाया धनराशि का भुगतान कराया जाय, जिनको पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेंगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम 1978 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया हैं, उस की मंशा यही है कि आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए और मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं । यह एक मामूली सा संशोधन है, जिस को मान लेना चाहिए ।

हमारे देश के प्रमुख उद्योगों में चीनी उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष कर बिहार और उत्तर प्रदेश में यह उद्योग काफी विस्तृत है और यदि मैं यह कहूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार चीनी उद्योग की जननी रहीं हैं, तो इस में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

1930 के दशक में हमारे देश में जितना चीनी का उत्पादन होता था, उस का 21 पर सेन्ट उत्तर प्रदेश में और 40 पर सेन्ट बिहार में होता था। कुल मिला कर 1930 के दशक में सम्पूर्ण देश में जो चीनी का उत्पादन होता था, उस का लगभग 70 प्रतिशत हमारे बिहार और उत्तर में चीनी का उत्पादन होता था परन्तु आज स्थिति हमारी यह हो गई है कि 1959 से 1970 और 1969 से 1980 के बीच में चीनी मिलों की संख्या 215 से 303 लगभग बढ़ गई लेकिन गन्ने की पिराई 215 लाख टन से घट कर 1·33 लाख टन हो गई है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन अखबारों में जो देखने को मिलता है जहाँ तहां जो मैगजीन में पढ़ती हूं, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हमारे देश में 113 से 130 तक ऐसी चीनी की मिलें हैं, जिनका उत्पादन उनकी क्षमता से काफी नीचे हैं ऐसी मिलें बिहार में 28 और उत्तर प्रदेश में 37 हैं और उन में जितनी उनकी क्षमता है, उस से काफी नीचे उन का उत्पादन है। हमारे मन्त्री महोदय खुद किसान हैं और वे किसानों की व्यथा को अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि जो खुद किसान है वह जानता है कि किसानों की क्या क्या कठिनाईयां होती हैं। तकरीबन दो वर्ष पहले जो चीनी का उत्पादन हुआ था, वह काफी हुआ था। 1975-76 में जब हमारी सरकार थी, उस समय काफी अनुशासन आ गया था और उस समय से उत्पादन की क्षमता बढ़ने लगी जिसका प्रभाव कुछ दिनों तक और रहा और दो वर्ष पहले हमारे यहां अभूतपूर्व चीनी का उत्पादन हुआ, तकरीबन 64·6 लाख टन। 1975 में 9.77 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ जिससे 440 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमने अर्जित की थी। चीनी उद्योग को हमारे देश में गौरव प्राप्त हो सकता है और इस के लिए हमारे मन्त्री महोदय प्रयत्नशील हैं और यदि ये इसी तरह से प्रयत्न करते गए, चेष्टा करते गए, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश में चीनी के उद्योग को गौरव प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जो स्थिति है, उसमें 100 करोड़ रुपए की चीनी हमें आयात करनी पड़ रही है और हमारी चीनी की जो आवश्यकता है वह बढ़ती आबादी के अनुपात में पूरा नहीं कर पा रहे है। लोगों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और उसके अनुसार हम चीनी आम जनता में उन की आवश्यकता के अनुसार नही पहुंचा सकते हैं। हमारी सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है लेकिन कहाँ तक लोगों को चीनी मिल सकती है और चीनी के उद्योग में लगे हुए हमारे जो किसान भाई हैं उन को कहां तक लाभ पहुंचा सकते हैं, यह देखने की बात है। 300 करोड़ रुपए की क्षति हमारे देश में प्रत्येक वर्ष इस कारण हो रही है कि जितनी क्षमता मिलों की है, उतना वे उत्पादन नहीं कर रही हैं। इस के अलावा 45 करोड़ रुपए जो हमें

एक्साइज लेवी और अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त हो सकता था, उस का भी घाटा उठाना पड़ता है। अगर ये चीजें ठीक हो जायें, तो इस से हमारे देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।

मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहती हूं कि वे तो कृषि क्षेत्र के रहने वाले हैं और उन्हें ग्रास रूट लेवल से खेती की अच्छी तरह से जानकारी है और इससे उनका सीधा लगाव है। जब तक हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुदृण नहीं होगी तब तक प्रभावी ढंग से हमारे चीनी उद्योग भी नहीं बढ़ेंगे। यह बात मन्त्री महोदय जानते हैं क्योंकि उन्हें कृषकों की पीड़ा का पता है।

मैं बिहार के खास कर के उत्तरी बिहार के बारे में कहना चाहती हूं। वहाँ पर जो चीनी उद्योग है उनको आधुनिक ढग से, तकनीकी डंग से आगे बढ़ाने में हमारे लोग लगे हुए हैं लेकिन उनको न सिंचाई की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। इससे हमारा इकौनोमिक ग्रोथ सफर करता है और फिर ग्रामों की अर्थ व्यवस्था भी आगे नहीं बढ़ पाती है।

आजकल हमारी खेती प्रकृति पर निर्भर करती है। कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ता है। इनकी चपेट में हमारे किसान परेशान रहते हैं और वे अपनी खेती का विकास नही कर सकते हैं। इसलिए एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज को हमें बड़ी द्रुत गति से बढ़ाना चाहिए जिससे कि ग्रामीण अपना विकास करने में सक्षम हो सकें। और अर्थ व्यवस्था को हम रास्ते पर ला सकें।

हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते है। जब तक हमारे गाँवों का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। हमारे यहां गरीबी बढ़ रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान समय में उत्पादन बढ़ाने के सिवाय दूसरा हमारे पास कोई जरिया नहीं है।

मन्त्री महोदय ने जो संशोधन प्रतिस्थापित किया है उसका मैं समर्थन करती हूं और मन्त्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद भी देती हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं चीनी उद्योग में लगे हुए किसानों और चीनी उद्योग की तरफ ध्यान देने के लिए उनसे आग्रह करती हूं। अगर इस तरफ पूरा ध्यान दिया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ जाएगी और जो रीजनल इम्बेलेंस है उसको दूर करने में भी हम बहुत हद तक सक्षम हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूं।

**श्री एन० सेलवाराजू (तिरुचिरापल्ली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कणगम की ओर से चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ टिप्पणियाँ करना चाहता हूं।

**तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

प्रारम्भ में ही मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस धारणा को मानकर चल रही है कि सभी चीनी मिलें केवल उत्तर भारत में स्थित हैं और वे देश की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हेतु चीनी का उत्पादन करती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में भी चीनी मिलें हैं और इन चीनी मिलों में पर्याप्त मात्रा में चीनी का उत्पादन होता है। इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि तमिलनाडु में भी गन्ने की काफी खेती होती है। मुझे यह सब इसलिए विवश होकर कहना पड रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार को उत्तर और दक्षिण में गन्ने की अलग-अलग दरें होने से कोई सरोकार नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार सम्पूण देश के लिए गन्ने का एक समान मूल्य निर्धारित करे। गन्ना उत्पादको के साथ सरकार तभी न्याय कर सकेगी।

देश में 303 चीनी के कारखाने हैं, इनमें से 138 कारखाने या मिलें संयुक्त स्टाक कम्पनियाँ हैं, 137 मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं और 28 सरकारी क्षेत्र में हैं। सहकारी क्षेत्र की मिलों का प्रबन्ध बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया जा रहा है। इसकी पुष्टि इसी तथ्य से हो जाती है कि चीनी उत्पादन का 52 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र की मिलें करती हैं। सहकारी क्षेत्र की चीनी गिलें यह बात भी सुनिश्चित करती हैं कि गन्ना उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलें और उनको सही समय पर भुगतान किया जाए। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के प्रति गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। मैं मांग करता हूं कि भविष्य में चीनी मिलों को स्थापित करने का लाइसेंस केवल सहकारी क्षेत्र को ही दिया जाए। यदि यह व्यावहारिक न हो तो नई मिलें या कारखाने सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाएं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चीनी मिल लगाने का नया लाइसेंस निजी क्षेत्र को न दिया जाए। मैं अपनी बात की प्रमाणिकता इस तथ्य से सिद्ध करूंगा। मेरे जिले में कोठार चीनी मिल मालिकों ने उत्पादकों को 190 रुपए प्रति टन के हिसाब से भुगतान किया है जबकि केन्द्रीय सहायता से चल रही सरकारी क्षेत्र की अन्य चीनी मिलों ने 201 रुपए प्रति टन के हिसाब से पैसे दिए हैं। निजी क्षेत्र की मिल ने प्रति टन 10 रुपए कम का भुगतान किया है। इन परिस्थितियों में, मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहूंगा कि नई चीनी मिलों के लाइसेंस या तो सहकारी क्षेत्र को दिए जाएं अथवा सरकारी क्षेत्र को।

जिस प्रकार रुग्ण कपड़ा मिलों का सरकार अधिग्रहण कर रही है उसी प्रकार रुग्ण चीनी मिलों का भी सरकार को अधिग्रहण करना चाहिए। यदि सभी मामलों में ऐसा सम्भव न हो, तो राज्य सरकारों को ऐसी रुग्ण वस्त्र/चीनी मिलों को अपने हाथ में लेने का अधिकार प्रदान किया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पट्टावंठाले चीनी मिल को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। यह केन्द्र सरकार की सहायता से चलाई जा रही है। हाल ही में लोगों द्वारा यह शंका व्यक्त की गई है कि इसे पुनः संभवतः इसके पुराने मालिकों को लौटा दिया जाएगा। मैं मांग करता हूं कि इसका प्रबन्ध राज्य सरकार अपने हाथ में रखे और इसे इसके पुराने मालिकों को न लौटाएं।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि चीनी उत्पादन का 65 प्रतिशत लेवी चीनी क्षेत्र को आबंटित किया जाता है और 35 प्रतिशत मुक्त चीनी क्षेत्र को। चीनी पर से नियंत्रण हटाने तथा मुक्त चीनी क्षेत्र को अधिक चीनी आबंटित करने की मांग निरन्तर की जाती रही है। चीनी का 35 प्रतिशत उत्पादन करके भी वे चीनी के बाजार मूल्य में हेरफेर कर लेते हैं और कुछ क्षेत्रों में वे चीनी 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। उन्हें उपभोक्ताओं की खाल उतारने में अथवा उन्हें लूटने में कोई दुख नहीं होता। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह चीनी मिल मालिकों के दबाब में न आएं। वास्तव में मुक्त चीनी का कोटा घटाने की आवश्यकता है।

केन्द्र ने कीमत 130 रुपए प्रति टन निर्धारित की है। उत्पादकों को पिछले वर्ष यही कीमत दी गई थी। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस वर्ष उत्पादन लागत कई गुणा बढ़ गई है। विद्युत, उर्वरक, मजदूरी आदि सभी की दरों में वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार इन बढ़ती हुई कीमतों से भिज्ञ है जिनके कारण केन्द्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में जल्दी-जल्दी वृद्धि हुई है कृषकों का भी जीवन लागत सूचकांक यही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने का पूर्ण औचित्य है। गन्ना उत्पादक अपने किसी द्वीप में नहीं रह रहे हैं। आदानों के मूल्यों में वृद्धि तथा जीवन लागत में वृद्धि का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। वास्तव में गन्ना उत्पादकों को इस वर्ष पिछले वर्ष के मूल्य देना उनके साथ अन्याय है। माननीय मन्त्री महोदय को, जो स्वयं एक कृषक हैं, कृषि क्षेत्र के अपने ही लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। उन्हें गन्ना की कीमतों में सामान्य मूल्य सूचकांक के अनुसार वृद्धि करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में गन्ना उत्पादन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने राज्य का दौरा किया और गन्ना उत्पादकों से मुलाकात की। गहन अध्ययन तथा सम्पूर्ण समस्या की व्यापक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात समिति ने 210 रुपए प्रति टन की सिफारिश की है। यह प्रतिवेदन कुछ समय पहले दिया गया है। कटाई का मौसम आरम्भ हो गया है और तमिलनाडु सरकार ने अभी गन्ने की कीमत निर्धारित नहीं की है। यह सर्व विदित है कि आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम सरकार को किसानों के हितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। यह कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि किसान तमिलनाडु सरकार के दुश्मन हैं। राज्य सरकार सोचती है यदि किसानों को लाभकारी मूल्य दिए गए तो उनका हाथ सरकार के ऊपर रहेगा। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम सरकार ने अब तक गन्ने के मूल्यों की घोषणा इसलिए नहीं की, क्योंकि यदि गन्ना उत्पादक मारे जाते हैं तो सरकार पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता। पिछले वर्ष 8.5 वसूली के लिए सरकार ने 175 रुपए प्रति टन के मूल्य की घोषणा की थी। कम से कम वही मूल्य अब घोषित किया जा सकता है। राज्य सरकार इस मूल्य की घोषणा करने में भी हिचकिचा रही है। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे

और तमिलनाडु के गन्ना उत्पादकों की रक्षा करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि अधिक मूल्य संभव न हो तो कम से कम पिछले वर्ष की कीमत ही उन्हें दी जाए।

यंजाबूर, उलन्डूरपेट तथा पेरामबालोर स्थित तीन चीनी मिलों का प्रबन्ध तमिलनाडु चीनी निगम के हाथ में है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन तीनों चीनी मिलों के प्रबन्धक मण्डल में सभी निदेशक नौकरशाह तथा चीनी उद्योग के प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

उन गन्ना उत्पादकों का, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर इन मिलों के अंशधारी बने थे, तथा अन्य उत्पादकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने मेरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि वे अपने क्षेत्रों में मिल लगवाने के लिए बड़े उत्सुक थे। मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा यह सुनिश्चित करे कि उन गन्ना उत्पादकों का जो कि चीनी मिलों के अंशधारी हैं इन चीनी मिलों के प्रबन्ध बोर्ड में प्रतिनिधित्व हो।

आलंगनल्लूर, मदुरई जिलों में चीनी मिलें राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सहायता से चलाई जा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गन्ना उत्पादकों से प्रति वर्ष 15 रु० प्रति एकड़ के हिसाब से लिए जाते हैं और यह राशि उत्पादकों को कभी नहीं लौटाई जाती। केन्द्र सरकारों को राज्य सरकारों को यह निदेश देना चाहिए कि इस प्रकार के अनधिकृत तरीके से एकत्रित की गई सारी राशि लौटा दी जाए।

क्योंकि उन्हें धान का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उत्पादकों ने गन्ने जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाना प्रारम्भ कर दिया। यदि किसानों को गन्ने जैसी वाणिज्यिक फसलों का भी लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो हमारे देश में किसानों की कोई मुक्ति नहीं है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को गन्ने के लाभकारी मूल्य मिलें अन्यथा किसान गुजारा करने में समर्थ नहीं होंगे। यदि उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए भी कष्ट भोगना पड़े तो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। मुझे विश्वास है कि हमारे कृषि मन्त्री उनके साथ न्याय करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने स्थान पर बैठता हूं।

श्री चित्त बसु (बसीरहाट) : महोदय, मैं विचाराधीन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। परन्तु ऐसा करते हुए सभा को यह जानकारी होनी चाहिए कि जब तक सरकार चीनी सम्बन्धी नीति को स्पष्ट और मजबूत नहीं बना देती, विशेष रूप से उस विषय के सम्बन्ध में जिस पर यह विधेयक लाया जा रहा है, तब तक इस कार्य में बाधा पड़ने की सम्भावनाएं हैं।

यहां मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही में केन्द्रीय उद्योग मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि यदि उन रुग्ण एककों को, जिन्हें किसी एक या दूसरे कानून के अन्तर्गत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है, जीवनक्षम नहीं

बनाया जा सकेगा तो उन्हें उनके पुराने मालिकों को दे दिया जाएगा। रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में भारत सरकार की यह नीति है। मैं महसूस करता हूं कि मन्त्री महोदय को उद्योग मन्त्री के इस वक्तव्य की पृष्ठभूमि में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए।

इन आठ मिलों को सरकार ने इस विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने अधिकार में लिया था। अब सरकार इस अवधि को तीन वर्ष और बढ़ाना चाहती है। यदि इन तीन वर्षों में भी इन रुग्ण इकाइयों को जीवनक्षम न बनाया जा सका तो उस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या स्थिति होगी ? यदि उद्योग मन्त्री का वक्तव्य ठीक है तो यदि ये मिलें तीन वर्ष में जीवनक्षम नहीं बन पायीं तो उन्हें उनके पुराने मालिकों को वापस दिए जाने की सम्भावना है।

अत: यदि सरकार ने इन आठ मिलों के प्रबन्ध और स्वामित्व को स्थायी रूप से अपने अधिकार में ले लिया होता तो मुझे खुशी होती। इस अधिनियम की यह आधारभूत कमजोरी या कमी है। इस अधिनियम का समर्थन करते हुए भी मैं यह नहीं चाहूंगा कि ये आठ मिलें उनके उन पुराने मालिकों के पास पुन: वापिस जाएं जिनकी बेवकूफी के कारण वे रुग्ण हुई थी। यह केवल इन आठ मिलों को लेने का ही प्रश्न नहीं है; यह भारत सरकार की समूची चीनी नीति से सम्बन्धित है। इसलिए, यद्यपि मैं सभी मामलों पर चर्चा करना नहीं चाहता परन्तु कुछ निश्चित बातों पर चर्चा की ही जानी चाहिए तथा वे माननीय मन्त्री को बताई जानी चाहिए।

उदाहरण के लिए चीनी उद्योग में कीमत निर्धारण के प्रश्न को ले लीजिए। शीरा चीनी मिलों का सह-उत्पाद है। कारखानादार मूल्य की गणना करते समय हमें उन वस्तुओं तथा उनकी बिक्री से होने वाले लाभ को भी हिसाब में शामिल करना चाहिए जो कि शीरे से बनाई जाती हैं, जैसे कि औद्योगिक तथा अन्य प्रकार की एलकोहल। अब सरकार द्वारा चीनी का कारखाना-बाह्य मूल्य निर्धारित करते समय इन्हें हिसाब में नहीं लिया जाता। यह एक मुख्य कारण है जिससे उपभोक्ताओं को चीनी सस्ती नहीं मिलती तथा मिल मालिकों का लाभ बढ़ता ही जाता है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री को सदन को यह बता देना चाहिए कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए वह कोई प्रस्ताव या कानूनी उपाय प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे कि चीनी के मूल्य में वृद्धि करके जो लाभ कमाया जाता है वह लाभ भी चीनी का कारखाना बाह्य मूल्य निर्धारित करते समय हिसाब में लिया जाए।

अब चीनी के मूल्य का प्रश्न आता है आज ही सुबह माननीय मन्त्री ने अपने एक उत्तर में इस बात से सहमति प्रकट की थी कि चीनी वर्ष 1980-81 में कुल 60-39 लाख टन चीनी उपलब्ध थी। और उसी प्रश्न से यह भी सपष्ट है कि चीनी का उपभोग 52 से 53 लाख टन है। अत: जहां तक इस वर्ष चीनी की उपलब्ध होने वाली मात्रा का और चीनी की खपत का सम्बन्ध है इस वर्ष चीनी फालतू बचेगी। परन्तु इसके मूल्य बढ़ रहे हैं।

परन्तु मैं माननीय सदस्य से केवल यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि लेवी की चीनी का कोटा बढ़ाया जाए ताकि लोक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके तथा बाजार में इसके मूल्य क्यों इतना कम किया जा सके कि वह लोगों की क्रय क्षमता के अन्दर हो। वह इस साधारण सी बात के लिए सभा को आश्वासन दे सकते हैं।

मेरा अगला प्रश्न गन्ने के न्यूनतम मूल्य के सम्बन्ध में है। आज उन्होंने वक्तव्य दिया है कि सरकार गन्ने के मूल्य को बढ़ाने का विचार नहीं रखती। और उन्हीं के शब्दों में उन्होंने यह कहा है "जी हाँ, जहां तक 8.5 प्रतिशत की वसूली का सम्बन्ध है, गन्ने का मूल्य अपरिवर्तित रहेगा।" और मैं समझता हूं कि उनका विचार भी इसे अपरिवर्तित रखने का ही है।

आपको ज्ञात है कि गन्ने की खेती में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं, वह इससे मना नहीं कर सकते, तथा उत्तर प्रदेश व बिहार के विभिन्न भागों में गन्ने के मूल्य में वृद्धि कराने के लिए एक आंदोलन भी चल रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आने वाली चीनी मौसम में गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है।

अन्त में, राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आता है। इस विषय पर बोलकर श्री झारखण्डे जैसे मेरे विभिन्न मित्रों ने मेरा काम हल्का कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आपके दल की सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने एक बार चीनी उद्योग को अपने अधिकार में लेने या चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का वचन दिया था। अब आप अपने वचन से क्यों हट रहे हैं ? वस्तुतः माननीय मन्त्री ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, "पश्चिमी बंगाल की सरकार क्यों नहीं कर रही है ?" मैं समझता हूं कि उनको सांविधिक बाध्यताओं का अच्छी तरह ज्ञान है। क्या कोई राज्य सरकार किसी बड़े व्यापार गृह को अपने अधिकार में ले सकती है ? नहीं ले सकती अतः वह अपनी आदत के अनुसार हमें अपमानित करने तथा हमारे बीच भ्रान्ति उत्पन्न करने के प्रश्न करने के अवसर से नहीं चूकते। मैं उनसे यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या वह देश के संविधान को बदलने के लिए सहमत होंगे जिससे कि राज्य सरकारों को सभी राज्यों में बड़े उद्योगों को अपने अधिकार में लेने के लिए अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं। मेरा तात्पर्य केवल पश्चिमी बंगाल से ही नहीं है। मैं आपके राज्य के लिए भी कह रहा हूं। क्या आप सहमत हैं ? आप सहमत नहीं हो सकते। इसीलिए, मैं यह प्रश्न नहीं उठाता। परन्तु जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है इसके राष्ट्रीयकरण के लिए भारत सरकार ने वचन दिया हुआ है। आप इस वचन से पीछे क्यों हट रहे हैं ? इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है अतः मैं इस विषय पर विस्तृत चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें देश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ताकि

चीनी उद्योग का और आधुनिकीकरण किया जा सके तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिए जा सकें तथा इस ग्रामीण उद्योग को विकसित किया जा सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक में—

'पुस्तक में 'तीन वर्ष' शब्दों के स्थान पर शब्द 'छः वर्ष' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

मैं यह जानना चाहता था कि 3 साल के दरम्यान में कितनी पूंजी का सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो चुका है और उसके बाद आज उनकी आर्थिक हालत कैसी है और कितना धन आपने इससे कमाया है, या अभी भी हम लोग घाटे में हैं ?

सवाल यह है कि 3 साल की जगह 6 साल कर दिया जाए, यह 3 साल का पीरियड क्यों मांगा गया है ?

मैं यह कहना चाहता था कि सार्वजनिक जितने उद्योग हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज, उसमें केवल 5,10 परसेंट के अलावा ऐसे उद्योगों में आज घाटा होता है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने एक नीति निर्धारित कर ली है, लेकिन कांग्रेस की नीति, मिक्स्ड इकनामी, हम यह नहीं चाहते कि सारे उद्योगों का सरकारीकरण कर लिया जाए, सब जगह सरकारी आदमी बैठ जाएं तो हमको घाटा ही घाटा होता रहे। आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है, दिल्ली में जो परिवहन चलते हैं, उसमें आज करोड़ों रुपए का घाटा है।

माननीय मन्त्री जी एक छोटा सा बिल लाए हैं, उन्होंने उसमें अपनी छोटी सी इंट्रोडक्टरी स्पीच दी है। मैं यह जानना चाहता था कि पिछले 3 साल में कितनी पूंजी लगा दी है और 3 वर्ष और क्यों चाहते हैं ? क्या उन्होंने टाइम फिक्स कर लिया है कि उन दिनों में यह मिलें सक्षम हो जाएंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी ? मैं यह मानता हूं कि शुगर का हजारों, करोड़ों रुपया अभी तक काश्तकारों के बकाया हैं। जिन्होंने शुगर के पैसे देने हैं, उसके लिए कानून बन चुका है, कि उनका चालान किया जाएगा, उनका प्रासीक्यूशन किया जाएगा। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि आज तक किनका प्रासीक्यूशन किया गया और किनका चालान किया गया और किन को सजा हुई ?

एक्ट बना हुआ है, आज भी यू०पी० और बिहार में कई मिलों ने पेमेंट ग्रोअर्स को नहीं किया है। कानून बन गया है कि उसका पेमेंट करवाया जाए और अगर नहीं किया तो उसका चालान करवाया जाये। आप बताइए कि इसका क्या कारण है ?

हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि जो मिलें चलती हैं, उसमें भी हमारे मजदूरों को भागीदार होना चाहिए, उनका भी एक हिस्सा मैनेजमेंट में होना चाहिए।

सरकार ने जिन मिलों का अधिग्रहण कर लिया है, क्या उनमें मजदूरों को भागी-

दार बना दिया गया है ? कृषि मन्त्री बताएं कि वह तीन साल का पीरियड क्यों मांग रहे हैं और क्या तीन साल के बाद वह फिर अवधि को बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छोटा सा संशोधन लाया गया है, इसके कारणों और उद्देश्यों का मंत्री महोदय ने कहीं जिक्र नहीं किया है । इसके पीछे सरकार की धारणा क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल पढ़कर देख लीजिए । उसमें लिखा हुआ है ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : इसमें नहीं लिखा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) : हम क्यों पढ़ें ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : श्री डागा ने भी पूछा है कि सरकार ने जिन आठ शूगर मिलों का अधिग्रहण किया है, उनसे कितना लाभ हुआ है, अगर नहीं हुआ है, तो फिर तीन वर्ष और क्यों बढ़ा रहे हैं । बढ़ाने के पीछे क्या राज है ? अगर उनसे लाभ हो रहा हो, तो सरकार उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लेती ? क्या वह इस अवधि को बढ़ाकर अधिकारी वृन्द के हितों को सुरक्षित करना चाहती है, जो वहां कावस के रूप में बैठे हुए हैं और घाटे का बिजिनेस चला रहे हैं ? देश में जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, वे प्रायः सब घाटे में चल रही है । लेकिन बिहार में टाटा की इंडस्ट्रीज भी हैं, टेलकों और कई अन्य इन्डस्ट्रीज हैं । वे गवर्नमेंट की तुलना में कम वेतन नहीं देती हैं । इसके बावजूद वे लाभ में क्यों चलती हैं ? इसका कारण यह है कि सरकार अपने ब्यूरोक्रेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जो उन उद्योगों को अपना प्राईवेट इन्टरप्राइज समझकर चलाते हैं । अगर सरकार बराबर ध्यान दे, निरीक्षण करे और अधिकारियों पर जिम्मेदारी फिक्स करे, तो उन सार्वजनिक उद्योगों में भी लाभ हो सकता है । लेकिन सरकार की लापरवाही ही एक जबरदस्त कारण है, जिससे घाटा हो रहा है ।

चीनी का उद्योग आज देश में एक सिक इन्डस्ट्री के रूप में चल रहा है । चीनी मिलों की जो क्षमता है, उसके अनुसार काम करके वे देश की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकती है । लेकिन सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं देती और लगातार दाम बढ़ाती जा रही है । आज सारे देश में चीनी का मसला पैदा हो गया है और सब तरफ सरकार की नीति की आलोचना हो रही है । चीनी 15 रुपए और 18 रुपए किलो भी बिकती रही है । इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेदार है । ड्युअल प्राइस पालिसी के अन्तर्गत लेवी शूगर और ओपन मार्केट के दामों में ढाई तीन रुपए का डिफरेन्स रहता है, जिससे भ्रष्टाचार की बड़ी गुंजाइश रहती है । यही कारण है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब चीनी ब्लैक में चली जाती है । इसमें अधिकारी-वृन्द में, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक, भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा है । अगर ड्युअल प्राइस पालिसी को समाप्त कर दिया जाए और लेवी शूगर तथा ओपन मार्केट की शूगर के दाम एक रखे जाएं, या केवल पचास साठ पेस का डिफरेन्स हो, तो चीनी की मंहगाई और सारा भ्रष्टाचार समाप्त

किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार जान-बूझकर भ्रष्टाचारियों को अवसर देती है और अफसरों को भ्रष्ट बनाती है। इसलिए सरकार ही इस बारे में पूरी तरह दोषी है।

जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और खाद, डीजल तथा पम्पिंग सेट आदि बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उचित दाम नहीं मिलते हैं। शूगर मिलों के बोर्डों में किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि कितनी लागत इसमें आई है, कितना लाभ हुआ है और उसके हिसाब से किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। सरकार को इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अगर सरकार इस तरह से करती है तो यह किसानों के लिए भी लाभकारी होगा।

सारे देश में यह चीनी का जो उद्योग है यह बहुत ही लाभदायक है। इससे किसानों को भी फायदा होता है और देश की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है। इसीलिए इसमें सरकार को पूरी दक्षता बरतनी चाहिए। इस तरह से मिलों में जो किसानों को कम दाम दिया जाता है उसको दूर करना चाहिए और ड्युअल पालिसी को खत्म करना चाहिए। यह 6 वर्ष जो बढ़ा रहे हैं इसके पीछे जो राजनीति है उसे माननीय मन्त्री जी कृपा करके बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

श्री चित्त बसु : उन्होंने सार्वजनिक रूप से वचन दिया था कि वह हमें 1.30 रुपए की दर से चीनी देंगे। अब वह हमें यह बताएं कि वह किस तरह दे सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। परन्तु यह हमारे लिए इस बात का प्रयास करने का उचित अवसर है कि माननीय मन्त्री महोदय और सरकार यह समझ जाए कि उनके अन्यथा दयनीय कार्यनिष्पादन को सुधारने के प्रयास में क्या कारण ठीक रहेगा।

मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री प्राक्कलन समिति के उस प्रतिवेदन को पढ़ें जो चीनी एवं चीनी उद्योग के प्रबन्ध के सम्बन्ध में केवल कुछ माह पूर्व ही प्रकाशित हुआ है। इस मामले का तथ्य यह है कि विशेषकर उत्तरी भारत के चीनी कारखानों में पुराने अप्रचलित तथा घिसे-पिटे उपकरण हैं। इनका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। यदि ऋण या अन्य किसी माध्यम से धन उपलब्ध कराने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, यदि चीनी उद्योग, विशेषकर उत्तर भारत में, अपना आधुनिकीकरण कर सकें और पेराई क्षमता 2000 टन के स्तर तक लाई जा सके, यदि वे कदम उठाए जाएं, तो रुग्णता के सम्बन्ध में उठ रही समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

जैसाकि श्री चित्त बसु ने चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में कुछ कहा, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री हमें उत्तर देंगे ताकि जन साधारण को यह पता लग सके कि चीनी के सम्बन्ध में इस घोर कुप्रबन्ध के क्या कारण हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसकी व्याख्या करना मैं कठिन समझता हूं, यह है कि चीनी का उत्पादन तो पर्याप्त बढ़ गया है, जैसाकि उन्होंने स्वयं संसद में एक उत्तर में कहा था, परन्तु चीनी का मूल्य भी बढ़ गया है। पिछले मौसम में चीनी का उत्पादन इससे पहले के मौसम से 25 प्रतिशत के लगभग अधिक हुआ था। फिर भी चीनी का मूल्य इससे पहले के मौसम से 50 प्रतिशत के लगभग अधिक है।

मैं एक बात जानता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में, यहाँ तक कि जनता पार्टी के शासन काल के बेदतरीन अंत में भी, जब चौधरी चरणसिंह प्रधान मन्त्री थे, चीनी का मूल्य 3.00 रुपए प्रति किलो से अधिक नहीं था।

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं, नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जुलाई, 1979 की बात कर रहा हूं। चीनी का मूल्य 3.00 रुपए प्रति किलो था। हर कोई जानता है। बस बाहर जाकर जनसाधारण से बात करने की जरूरत है।

राव बीरेन्द्र सिंह : तब आपने दोहरी मूल्य नीति पुनः क्यों अपनाई थी ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उस पर आ रहा हूं।

उस समय, चीनी का उत्पादन लगभग 38 लाख टन या 39 लाख टन था। अब चीनी का उत्पादन बढ़ गया है। परन्तु खुले बाजार में चीनी का मूल्य लगभग 6.00 रुपए प्रति किलो है। उचित दर की दुकानों पर बेची जाने वाली चीनी के मूल्य से यह लगभग दुगुना है। यदि आप निर्गम मूल्य को देखें तो यह उससे लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। चीनी का मूल्य अब 50 प्रतिशत अधिक है जबकि उत्पादन भी अधिक है। यह एक नई किस्म का अर्थशास्त्र है कि जब उत्पादन बढ़ता है तो मूल्य भी बढ़ता है। अर्थशास्त्र का नियम है कि जब उत्पादन अधिक होता है तो मूल्य कम होते हैं। परन्तु इन्दिरा कांग्रेस के शासनाधीन, अर्थशास्त्र बिल्कुल उल्टा हो गया है—उत्पादन बढ़ रहा है और मूल्य भी बढ़ रहा है।

माननीय मन्त्री कहते हैं, "हम किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं।" अब, जनता शासन काल के दौरान, उर्वरक का मूल्य 74.00 रुपए प्रति बोरा था। आज, यह 125.00 रुपए प्रति बोरा है। परन्तु आप इसे 125.00 रुपए प्रति बोरी की दर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको कमीशन आदि देनी पड़ेगी। तभी आपको यह मिलेगा। यदि आप बिना किसी देर के उर्वरक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका सामान्य मूल्य 160.00 रुपए प्रति बोरी है। इस तरह जब कृषि सामग्री इतनी सस्ती थी तो जनता सरकार किसानों को पर्याप्त मूल्य दे रही थी।

हो यह रहा था कि चीनी प्रबन्धक उनके प्रति सहानुभूति रखते थे और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने किसानों से खरीदने से इन्कार कर दिया। हमारे सत्ता में आने से पूर्व वे चीनी के उत्पादन में 200 प्रतिशत लाभ कमा रहे थे।

परन्तु हमारे शासन काल में, हमने दोहरी मूल्य प्रणाली और लेवी चीनी और गैर-लेवी चीनी के अन्तर को समाप्त कर दिया और इसलिए 77 से पूर्व चीनी प्रबन्धकों द्वारा कमाया जाने वाला 200 प्रतिशत लाभ घटकर लगभग 15-20 प्रतिशत रह गया, जो लाभ की सामान्य दर है। स्वभावतया, वे बहुत दुखी हुए और उन्हें इनमें अच्छे मित्र मिल गए और उन्होंने इनसे सांठ-गाँठ कर ली। और उन्होंने क्या किया, उसका उल्लेख करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : गन्ने के मूल्य गिर गए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गन्ने के मूल्य कैसे गिरे ? कहां गिरे ?

प्रो० एन० जी० रंगा : हर जगह।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता शासन काल के दौरान, उर्वरक के सस्ते मूल्य, डीजल के स्थिर मूल्य तथा सारी कृषि सामग्री के सस्ते मूल्य को ध्यान में रखते हुए चीनी की उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए 12/- रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त था और इसलिए जो संकट उत्पन्न हुआ वह चीनी मिलों के प्रबन्धकों की शरारत के कारण था। निःसंदेह मेरा विचार है कि यदि हमें पुनः यह कार्य करना होता तो हम सुरक्षित भंडार नीति अपनाते।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगले चुनाव के दौरान।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : निश्चय ही। अगले चुनावों में। वही जीता हुआ माना जाता है जो अन्त में जीते।

जो भी हो, हमारी सुरक्षित भंडार नीति होनी चाहिए। तथापि, आज मैं कहता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपकी पार्टी जीतती है तो आप कम से कम मंत्री तो बन जाएंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं। आप मेरा मूल्यांकन कम क्यों करते हैं ? मैं प्रधान मन्त्री बनूंगा। जब हम कल्पना करते हैं तो ऊंची कल्पना क्यों नहीं करनी चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि आप दक्षिण भारत के हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सही समय है जब सत्ता उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चली जाए। उत्तर भारत ने सरकार में बड़ी अव्यवस्था फैला दी है।

इसलिए मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार

करना चाहिए और चीनी उद्योग के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उनका उचित हक मिले। यदि बाजार में चीनी का मूल्य 6/- रुपए प्रति किलो है, तो इसका लाभ भला वापस किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए ? किसानों को क्या मूल्य मिल रहा है ? पहले के 3/- रुपए की तुलना में 2८/- रुपए प्रति क्विंटल।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्हें 3/- रुपए कभी नहीं मिला। जनता शासन काल में उन्हें 12/- रुपए मिला है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : फिर भी, गणित कोई कठिन बात नहीं है।

इसलिए, यह पहली बात है। अब उचित समय है कि जब कि उन्हें दोहरी मूल्य प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए और बिक्री पर से नियंत्रण हटा लेना चाहिए और खुले बाजार में पूरी चीनी की बिक्री की अनुमति दे देनी चाहिए।

मेरा सुझाव है कि सरकार चीनी कारखानों से सारी चीनी ८/- रुपए प्रति किलो की दर से खरीद ले और फिर दोहरी मूल्य प्रणाली रखने के बजाय उसे स्वयं अपने माध्यम से बेचने की व्यवस्था करे। वर्तमान व्यवस्था भारी धोखेधड़ी के लिए जिम्मेदार है। चीनी कारखानों द्वारा खातों में यह दिखाया जाता है कि उन्होंने उत्पादन का दो-तिहाई भाग सरकार को दे दिया है। परन्तु राशन की दुकानों का रिकार्ड कहता है कि केवल एक-तिहाई उत्पादन उन तक पहुंचा है। चीनी के परिवहन में क्या हुआ ? वह कहां चली गई ? यह गायब कैसे हो गई ? क्या वह छिपा दी गई ? इससे चीनी की तस्करी और विदेशों को आयात आदि को प्रोत्साहन मिलता है।

चीनी कारखाने से आप पैकिंग करने की सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। गन्ने का रस निकालने के बाद खोई को रूपान्तरित करके डिब्बे आदि बनाने में प्रयुक्त कर सकते हैं। शीरे से संश्लिस्ट रबर का उत्पादन हो सकता है। मुझे पता है वे शराब बनाएंगे। उनके राज्य में शराब सरे आम मिल जाती है। निःसंदेह, आज के विश्व की दुख-तकलीफों को भूलने के लिए सम्भवतः यह आवश्यक है।

यदि आप रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो अनेक उद्योग ऐसे हैं जो चीनी उद्योग के साथ-साथ पनप सकते हैं, परन्तु सरकार ने चीनी उद्योग के विविधीकरण द्वारा इन सह उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रोत्साहन योजनाएं तैयार नहीं की हैं और उन्हें इन पर भी विचार करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो इस प्रकार के विधेयक अनावश्यक बन जाएंगे।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो तीन चार मिनट का समय दिया है, उसमें मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं।

दिसम्बर, 1978 में भी इसके टेक ओवर करने का बिल आया था, उस समय भी काफी बहस हुई थी और उस समय के इस विभाग के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि चीनी उद्योग भारी संकट में है और किसान का भारी बकाया बाकी है और मिल मालिक बकाया नहीं दे सकते हैं इस लिए हम टेकओवर का बिल ला रहे हैं। कांग्रेस (आई) सरकार ने जब यह अधिकार लिया है, जो खेत में गन्ना जलाया गया था तथा जो बकाया था, वह बकाया तो पूरा कर लिया लेकिन 20 रुपए क्विन्टल किसी राज में दाम नहीं दिए गए। इस लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि किसानो को ज्यादा से ज्यादा दाम दें और बाकी जो बकाया हो, वह पूरा कर लें। उन्होंने आर्टिफिशियल प्राइस कन्ट्रोल कर दिया, जो चीनी थी उसको बाजार में खुला कर दिया और इतने कम दाम पर चीनी बेची कि उससे न किसानों को फायदा हुआ, न चीनी मिल मालिकों को फायदा हुआ और जब निर्यात करने की कोशिश की तो उससे भी कोई फायदा नही हुआ तथा ड्युल प्राइस पालिसी को दोहराया।

(व्यवधान) मैं यह बात मानने के लिए तैयार हूं कि यह रुरल इन्डस्ट्री है। यह ग्रामीण विकास के लिए जो चीनी उद्योग है, वह बिल्कुल भारी काम करती है। इस समय गए साल जो गन्ने के दाम किसानों को मिले, उससे किसी भी हालत में पिछले साल से कम दाम न मिलें। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने 15.50 रुपए क्विन्टल के दाम की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने 13 रु0 का फैसला किया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम दाम पर जो गरीब लोगों को चीनी देना चाहते हैं, वह बिल्कुल दें, लेकिन जो ज्यादा चीनी खाने वाले हैं, जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके लिए फ्री सेल की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा दाम मिल सकें।

मैं एक बात सिक मिल के बारे में कहना चाहता हूं। पैसे का घोटाला होने के कारण जो मिल सिक हो जाए, उस को खाली एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, वह तो नैशनलाइज होनी चाहिए, लेकिन उस के अलावा जिन्होंने मिस-एप्रोप्रिएशन किया है, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने महाराष्ट्र का दौरा किया है, जगह जगह पर रिआर्गेनिजेशन आफ जौन बनाने चाहिए ताकि सिक मिल और न बढ़े। इसके साथ रिआर्गेनिजेशन करने से जहां गन्ने से ज्यादा रिकवरी हो, वहां तो लैवी शुगर के दाम कम हो जाएं और जहां रिकवरी कम हो, वहां लैवी शुगर के दाम बढ़ जाएं, इस वजह से भी किसानों को कम दाम मिलता है। इस लिए मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि वहां भी उनको ठीक दाम मिलना चाहिए।

ड्यूल प्राइस पालिसी वैसे तो सही पालिसी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ज्यादा उपभोग करता है उसको टैक्स ज्यादा देना चाहिए। जहां तक फ्री सेल का सवाल है इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नफा इसमें होता है, वह सारा किसान के

पास जाना चाहिए । सरकार मिल को मॉड्रनाइज करने के लिए 14-14 करोड़ रुपया मिल में लगाती है,जितना उससे मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं है । इस लिए इसको वापिस करने का सवाल नहीं होना चाहिए । होता क्या है कि नफा जो होता है, वह दूसरी इन्डस्ट्रीज में लगाते रहते है और चीनी मिल घाटे में चलती रहती है । हमारी पालिसी यह होनी चाहिए कि जो मिसएप्रोप्रिएशन करेगा, जो पैसे का घोटाला करेगा या डाइवार्सिपाई आफ फण्ड करेगा, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फ्री सेल का जितना मुनाफा मिल को मिलता है, उसका पूरा पैसा किसानों को मिलना चाहिए । जो पुरानी मिलें हैं उन को मोड़ननाईजेशन के नाम पर 20 रुपए क्विन्टल दे रहे हैं, लेकिन जब लेवी का दाम तय करते हैं तो वीयर एण्ड टीयर, मूवेबिल एण्ड इममूवेबिल चार्जेज का भी हिसाब लगाते हैं । इस लिए मैं यह माँग करता हूं कि लेवी चीनी का जो लाभ है वह किसानों की तरफ जाय और किसानों को गन्ने का जो भी दाम दिया जाय वह ठीक दिया जाय ।

इस साल गन्ना ज्यादा है, इस लिए इस साल भाव गिरा कर मिल मालिक उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा । राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए. किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने की यदि मिल मालिक कोशिश करता है तो उसको न उठाने दिया जाय । किसान को पिछले तीन सालों में गन्ने के भावों में जो नुकसान हुआ है, उसके मुकाबले में पिछले साल उसे जो भाव दिया गया उसके लिए मैं सरकार को धन्यबाद देता हूं । अगले साल 70 लाख टन चीनी होगी, इस साल प्लांटेशन ज्यादा होगा लेकिन यदि इस साल किसानों को कम दाम दिए गए तो अप्रैल मार्च में जब किसान गन्ने की फसल बोएगा, तो उसका प्रभाव इस फसल पर पड़ेगा, किसान गन्ना कम बोएगा, इस तरह से अगले सालों में चीनी का उत्पादन कम हो जाएगा और चीनी के उत्पादन की जो हमारी आशा है वह पूरी नहीं हो पाएगी । इस तरह से उपभोक्ता को चीनी का ज्यादा दाम देना पड़ेगा । बफर स्टाक इस साल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अगले साल चीनी बफर स्टाक के लिए नही मिलेगी । इस का एक ही तरीका है कि किसानों को ठीक दाम मिलें । मैं यह भी मांग करता हूं कि एग्रीकल्च ल प्राइज कमीशन की प्राइसेज को कानूनी रूप दिया जाय, ताकि उसको कोई कम न कर सके,इस इस आधार पर कि ज्यादा दाम देने से इन्फलेशन बढता है, कोई किसानों के दाम को रोक न सके ।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय का धन्यवाद देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा इस विधेयक को दिए गए व्यापक समर्थन के लिए उनका बहुत आभारी हूं ।

(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए)

इस विधेयक का उद्देश्य 1978 में पारित किए गए रुग्ण मिलों के अधिग्रहण संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत सिद्धान्तों के अधीन रुग्ण मिलों की अस्थायी अधिग्रहण की अवधि को 3 से बढ़ाकर 6 वर्ष करने तक सीमित है। माननीय सदस्यों ने विभिन्न अन्य मामलों पर भी चर्चा की है, हालांकि वे महत्वपूर्ण थे – क्योंकि वे सरकार द्वारा पालन की जा रही चीनी नीति से सम्बद्ध हैं। मैंने उन बातों को नोट कर लिया है।

इस विधेयक का समर्थन करने वाले सभी मित्रों ने एक प्रमुख बात यह कही है कि इन मिलों की अधिग्रहण—अवधि को अस्थायी तौर पर बढ़ाने के बजाय उनका स्थायी रूप से अधिग्रहण कर लेना अधिक ठीक रहेगा। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति का पालन कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा और व्यापक प्रश्न है कि भारत में कौन से प्रमुख उद्योगों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए और गैर-सरकारी उद्योग को कहाँ तक चलने दिया जाना चाहिए। इस छोटे से उपाय पर चर्चा करते समय मैं इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। परन्तु जहाँ तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, यह उद्योग एक तरह से राष्ट्रीयकृत ही है, क्योंकि देश की 50 प्रतिशत से अधिक चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। हमने पहले ही एक नीति अपनाई हुई है कि अभी नए लाइसेंस सहकारी समितियों—केवल गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों—को ही दिए जाएंगे। श्री विखे पाटिल जानते हैं कि केवल महाराष्ट्र में अभी हाल में 10 लाइसेंस दिए गए हैं। 3 लाइसेंस हरियाणा में दिए गए हैं। एक या दो मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 5 नए लाइसेंस दिए गए हैं—ये सभी सहकारी क्षेत्र को दिए गए हैं।

हमने यह भी निश्चित किया है कि गैर-सरकारी मिलों की क्षमता के विस्तार पर भी पाबन्दी होगी। क्षमता बढ़ाने की अनुमति से पूर्व उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी जैसे, विस्तार की अनुमति दिए जाने से पहले मिल के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। इसलिए, मुझे विश्वास है, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस उद्योग को राज्य के अधीन चलाने से यह अच्छा होगा कि इस कृषि उद्योग का स्वामित्व स्वयं किसानों के हाथों में ही रहे, क्योंकि ऐसा होने से किसान गन्ने के उत्पादन से होने वाले लाभों के अतिरिक्त उसके संसाधित किए जाने से होने वाले लाभों में भी हिस्सा पा सकेंगे। हम इसी नीति का पालन कर रहे हैं। इस अधिग्रहण से किसानों और मजदूरों को लाभ पहुंचा है। जब इन मिलों का अधिग्रहण किया गया था तब उन मिलों पर बहुत बड़ी राशि बकाया थी। वर्ष 1978-1981 के लिए यह लगभग 38.53 करोड़ रुपए थी। उसमें से 38 करोड़ से अधिक राशि का सरकार ने भुगतान कर दिया है और अब केवल 51,000 रुपए के लगभग बाकी रह गए हैं। वह भी कुछ न्यायिक आदेशों के कारण। वर्ष 1979 और उससे पहले की बकाया राशि के 50.77 लाख रुपयों में से अधिकांशतः सारी का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 1980-81 के केवल 57,000 रुपए शेष रह गए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार द्वारा इन मिलों का अधिग्रहण करने से ही मजदूरों की बकाया राशि और गन्ना उत्पादकों को पूरी बकाया राशि का भुगतान करना संभव हो सका है

और अधिग्रहण की अवधि बढ़ाने के पीछे यही उद्देश्य है क्योंकि हम अभी तक केवल पिछले बकाया का ही भुगतान कर सके हैं। हम कोई महत्वपूर्ण मरम्मत नहीं करा सके हैं। अगले तीन वर्षों में जब आप हमें इन मिलों को रखने की अनुमति देंगे तो हम मशीनों की हालत सुधारने और उनके आधुनिकीकरण पर कुछ धन व्यय कर सकेंगे ताकि इन मिलों को वापस सौंप देने के बाद ये पुनः रुग्ण न हो जाएं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने लगभग 13.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है और उसमें से हमें बहुत थोड़ी, अर्थात् 4 करोड़ से थोड़ी अधिक, राशि की वसूली हुई है। वित्तीय स्थिति यह है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि यदि सरकार अपने कार्यों के प्रति गम्भीर है तो उसे चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। मुझे आशा है कि वे सन्तुष्ट हो गए होंगे कि जहाँ तक चीनी उद्योग का संबंध है हम चीनी मिलों को उत्पादकों और किसानों द्वारा चलाए जाने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कृपया इस पर विचार करे कि इन मिलों को उनके मालिकों को वापस देने के बजाय क्या उत्पादकों की सहकारी समितियों को नहीं दिया जा सकता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे, परन्तु फिलहाल इस बारे में हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस समय इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य इन आठ उपक्रमों को अगले और तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकार के अधीन रखना है। इस विधेयक का केवल यही प्रयोजन है कि इन 8 उपक्रमों को तीन वर्ष की और अवधि के लिए सरकार के नियन्त्रण में रखा जाए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि मिलों को रुग्ण न होने दिया जाए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। यही हमारी नीति है। इसलिए ही हमने इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की है। हम मिलों को नोटिस जारी कर रहे हैं कि यदि वे गन्ने की पिराई के समय कार्य आरम्भ नहीं करतीं अथवा मिलें बन्द हो जाती हैं अथवा गन्ना उत्पादकों को 14 दिनों के अन्दर बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करतीं, तो सरकार उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी। यह कार्यवाही केवल किसानों और कर्मकारों के हितों में है क्योंकि यदि मिलें बन्द हो जाती हैं तो वे लोग बेकार हो जाते हैं।

कुछ मित्रों ने सुझाव दिया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने का दायित्व लेना चाहिए कि मिलों का आधुनिकीकरण अवश्य किया जाए। हम इस दायित्व को स्वीकार करते हैं और इसलिए ही हमने अब प्रति क्विंटल 5 रुपए का उप-कर लगाया है। इस प्रकार हम प्रति वर्ष 25 से 30 करोड़ रुपए एकत्रित कर सकेंगे जिसे हम विकास और अनुसन्धान पर तथा बीमार मिलों के आधुनीकरण के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने पर

व्यय करेंगे। श्रीमती कृष्णा साही तथा कुछ अन्य मित्रों ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि यदि देश में गन्ना उद्योग का विकास सहकारी क्षेत्र में किया जाए तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों का सुगमता से विकास किया जा सकता है। हमने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा है जहाँ अधिकांश मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। मैंने अभी हाल में श्री वी० के० पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र का और वहाँ पर सहकारी मिलों का दौरा किया है। उनके पिताजी इस क्षेत्र में अग्रणी थे और मैंने देखा है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों का, उन सैकड़ों गाँवों का जहाँ कि चीनी मिलें स्थापित की गई हैं, समूचा नक्शा ही बदल गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि उप-उत्पादों का सही उपयोग किया जाए और इस प्रकार से मिलों द्वारा अर्जित लाभ को, अर्थात् शीरे जैसे उप-उत्पादों से हुए लाभ को, मिलों की उन्नति के लिए फिर मिलों में ही लगा दिया जाए और उनका हिसाब रखा जाए। किन्तु इस विषय पर मैं अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि यह विषय कृषि मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। यह विषय पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय का है और हम देखेंगे कि हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं। यदि मिलों द्वारा अर्जित अपने सभी लाभ का सही हिसाब-किताब रखा जाए और उसे उनके तुलन पत्रों में दिखाया जाए तो निश्चय ही किसानों को अधिक मूल्य दिए जा सकते हैं।

श्री चित्त बसु तथा कुछ अन्य मित्र शायद इस बात को समझ नहीं सके हैं कि सरकार द्वारा गन्ने का जो न्यूनतम सांविधिक मूल्य 13 रुपए निर्धारित किया गया है उसका उस मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं जो किसानों को दिया जाता है। यह केवल चीनी की उत्पादन लागत की गणना करने के लिए तथा हम जो 50 प्रतिशत लैवी की चीनी मिलों से लेते हैं, उसके मूल्य का भुगतान करने के लिए है। अतः इस कारण से किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। पिछले वर्ष भी प्रधान मन्त्री के निर्देशानुसार राज्यों में मुख्य मन्त्रियों ने किसानों को उनके गन्ने के बदले अधिक से अधिक मूल्य दिलवाने का प्रयास किया क्योंकि मिलों ने काफी लाभ कमाया था। पंजाब जैसे कुछ राज्यों में उन्हें 27 अथवा 28 रुपए प्रति क्विंटल तक मिला। यद्यपि गन्ने का सांविधिक मूल्य 13 रुपए ही है, कुछ राज्यों ने घोषणा की है कि किसानों को कम से कम 20 अथवा 21 रुपये अथवा 22 या 23 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। मुझे आशा है कि हमारी नीति सफल रहेगी जैसी कि पिछले दो वर्षों में वह सफल रही है। गन्ने की खेती का क्षेत्रफल तेजी से बढ़ा है और पहले जो डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की पार्टी की सरकार ने अव्यवस्था पैदा की थी उसे हम काफी हद तक सुधारने में सफल रहे हैं। मैं हमेशा यह सोचता रहा हूं कि वह एक साहसी राजनीतिज्ञ हैं किन्तु मैंने यह अभी नहीं सोचा था कि वह इतने निर्लज्ज भी हैं। सभी जानते हैं कि जनता पार्टी क्या थी और तब क्या हुआ था। अब वह इस सदन में जनता पार्टी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं किन्तु मुझे यह विश्वास है कि वह अन्दर ही अन्दर यह जानते हैं कि वह और उनके मित्र बुरी तरह असफल रहे थे। किन्तु मुझे हर्ष है कि कम से कम वह इस सरकार के प्रयासों में रुचि ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वह शीघ्र ही स्वयं

को विश्वास दिला सकेंगे कि किसानों, कर्मकारों तथा अन्य सभी के हित के लिए भारत में वर्तमान सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं हो सकती ।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लूंगा । मैं माननीय सदस्यों का पुन: धन्यवाद करता हूं कि हम जो यह छोटा-सा विधान सभा के सामने लाये हैं, उसका उन्होंने अच्छा समर्थन किया है और जब मैं उसे पारित करने का प्रस्ताव रखूंगा तो वे उसे पारित भी कर देंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी ।

खंड 2

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, असल में खेती करने वाले की हालत न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कल-कारखाने, उद्योग, व्यापार, और नौकरी करने वाले के मुकाबले में बहुत छोटी मानी गई है और मानी जा रही है—नफे और काम के नाते से ।

यह विधेयक पुराने तरीके से चला आ रहा था, जिसे संशोधन के लिए कृषि मन्त्री जी लाए हैं । किसान के लिए कुछ करने की इच्छा जरूर होती है, उमंग होती है, लेकिन जब समाज और शासन की जकड़ ऊपर से पड़ती है तो फिर बेचारे मन्त्री जी भी बेबस हो जाते हैं ।

सभापति महोदय, ये कानूनों के पत्ते तोड़ने के बजाए उसकी बुनियाद की जड़ में जाएं । आप देखें कि किसी कल-कारखाने की पूरी पूंजी से किसी किसान की जमीन की कीमत बढ़ी है । किसानों की काश्तकार जमीनें ली गई हैं उन पर कल कारखाने लगाए गए

हैं और आगे भी लगाए जाएंगे। उनको जमीनों का जो मुआवजा दिया गया था वह बहुत ही कम दिया गया था और अब भी कम दिया जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। सिक मिलें आपने अपने बब्जे में ले ली हैं यह तो ठीक है और कम से कम आपने एक रोग को तो मिटा दिया है और इन मिलों की बीमारी से मुक्ति दिला दी है। लेकिन जो बुनियादी चीज है उसमें आपको जाना होगा। बुनियादी अन्तर को आपको मिटाना होगा। किसान गन्ना पैदा करता है। उस गन्ने से चीनी पैदा होती है। मजदूर उसको पेरता है। अब आप देखें कि मैनेजमेंट को इसमें कितनी आमदनी होती है, लेबर को कितनी होती है और किसान जो पैदा करता है उसको कितनी होती है। जो अन्तर है इसको आपको देखना होगा और इसको मिटाना होगा। मेनेजमेंट जो है उसमें तमाम आई०ए०एस० या दूसरे बड़े-बड़े अफसर या बड़े-बड़े लोग होते हैं और वही बेशतर मुनाफा खाते हैं। यह जो अन्तर है इसको आपको मिटाना होगा। शुरू से ही जब कभी आप विरोध में थे, पक्ष या विपक्ष में थे, आप किसान की बात किया करते थे। मैं जानता हूं कि आपके दिल में किसान के प्रति दर्द है और उसी वजह से आप उसकी बात किया करते थे। लेकिन यह जो अन्तर है इसको आप मिटाने की अब कोशिश करें। नाम कोओ-प्रेटिव का होता है लेकिन मिलों का संचालन आई०ए०एस० अफसर या बड़ी बड़ी तोंद वाले करते हैं और वही मुनाफा खाते हैं। गरीब किसान को गन्ने की पूरी कीमत भी नहीं मिलती है। किसान को जो जमीन का मुआवजा दिया गया है या दिया जाता है उसको भी आपको देखना पड़ेगा।

मै यह भी चाहता हूं कि एक पैमाना आप बनाएं। हमारे देश में अरब पति और करोड़पति मिल मालिक हैं। किसी की कम्पनी 1400 करोड़ की है और किसी की 1800 करोड़ की। किसानों की पैदावार पर आधारित कारखाने जो अरब पति और करोड़पति खड़े करते हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। एक सीमा आप बांध दें कि एक करोड़ से ऊपर जिनके पास हो, उनको आप मिटाएंगे। जब कभी भी लाइसेंस दिया जाए या कोई और फायदा पहुंचाया जाए तो यह शर्त लगा दी जाए कि चाहे हिस्सेदारी के आधार पर लाइसेंस देना हो और अगर किसी का पचास प्रतिशत भी हिस्सा हो लेकिन वह करोड़पति हो जो बड़े घराने से वाबता हो और कोओप्रेटिव से भी चाहे उसका सम्बन्ध हो, उसको किसी तरीके से भी उसमें शामिल न किया जाए। एक करोड़ से ज्यादा सम्पत्ति वाले जो लोग हैं, उनके मेलजोल वालों को, उनके वाकिफकारों को अगर वे कोओप्रेटिव में शामिल होते हैं, तो उसको लाइसेंस आदि देते वक्त इस चीज को भी देखा जाना चाहिए।

हरियाणा की हालत से आप वाकिफ हैं। गन्ने की कीमत जो आप दे रहे हैं इसको लेकर लोगों में, किसानों में बड़ा असन्तोष है। आप हरियाणा के गाँव-गांव को, घर-घर को जानते हैं। रोहतक में 184 गाँवों की पंचायत अभी हुई थी और उसमें यह फैसला किया गया कि गन्ने की जो कीमत दी जा रही है वह बहुत कम है। उनकी यह मांग है कि उनको गन्ने की ठीक कीमत दिलाई जाए। आप किसान की हालत को जानते हैं। अंग्रेजों के राज्य

में जब छोटूराम जी मन्त्री थे तब भी किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी । किसान कितने दिन तक अपनी उपज को रोके रख सकता है ? अगर वह गन्ने को रोककर रखना भी चाहे तो नहीं रख सकता है । यह कहना कि जनता पार्टी के वक्त जो कीमत किसान को मिल रही थी हम उससे ज्यादा दे रहे हैं कोई दलील नहीं है । जनता पार्टी की सरकार ढाई साल में चली गई । क्यों नहीं आप भी चले जाते हैं ? क्या आप भी जाने के लिए तैयार हैं । अगर कोई गलत काम करता है तो हम भी गलत करें, यह कोई दलील नहीं है । गन्ने की कीमत किसान को पूरी मिले, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि हिम्मत करके मंत्री महोदय जरा और की छलांग मारें । उनके साथ जो माननीय सदस्य बैठे हैं मंत्री जी जब किसान के हितों को लेकर नारा देते हैं तो वे उनको हाथ पकड़कर झटका देते हैं और उनको बिठा देते हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि हाथ छुड़ाकर किसानों के लिए कुछ बड़ी बात वह कर जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा और किसान उनको हमेशा के लिए याद रखेंगे ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मैं सरकार की दोहरी मूल्य नीति, जिसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है । सम्बन्धी प्रश्न तक ही सीमित रहूंगा । मैं इस दोहरी मूल्य नीति के किसी सिद्धान्त के आधार नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुभव के आधार पर पक्ष में हूं ।

पहली सरकार के समय जब भी मैं जनता का जिक्र करता हूं तो मेरे कुछ माननीय मित्र सटपटा जाते हैं – दोहरी मूल्य नीति को त्याग दिया गया था । उनकी केवल एक ही मूल्य नीति थी । इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में किसानों ने गन्ने को जला दिया क्योंकि मूल्य बहुत गिर गए और कारखाने के लिए यह खुशी का समय था । मध्य वर्ग के लोग खुश नजर आते थे क्योंकि मूल्य गिर रहे थे । लेकिन वास्तव में मूल्यों में वृद्धि हुई । अतः इस सरकार ने दोहरी मूल्य नीति को फिर अपना कर एक ठीक काम किया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : पहली सरकार भी पुनः दोहरी मूल्य नीति अपनाने जा रही थी ।

प्रो० एन०जी० रंगा : जी हाँ । अब यह सरकार किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करते हुए चीनी का निर्यात तथा पर्याप्त मात्रा में इसे स्टोर कर रही है । इस नीति का समर्थन ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए जो एक कल्याणकारी समाज, राज्य तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता हो । यह बात सच है कि एक मूल्य नीति को चाहने वाले लोग कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते । वे उस पुरानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं जिसके उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का शोषण होता है जबकि बिचौलिए तथा उद्योगपति लाभ कमाते हैं ।

मैं चाहता हूं कि इस दोहरी मूल्य नीति को चीनी के अलावा लगभग सभी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर भी लागू किया जाना चाहिए । इस दोहरी मूल्य नीति के फलस्वरूप

शहरों में उच्च मध्य वर्ग, अमीर लोग, वेतन भोगी लोग एश्वर्यशाली जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे और इसके लिए अन्धाधुन्ध व्यय नहीं कर सकेंगे। उनके ऐश्वर्यशाली जीवन को नियंत्रित करना है और इस तरीके से ही ऐसा करना सम्भव है। यदि हम नियंत्रण लागू करें तो भ्रष्टाचार और किसानों और उपभोक्ताओं पर सरकारी शोषण बढ़ जाएगा।

इस प्रकार जो भी व्यक्ति एक साथ दो मिष्ठान चाहेगा और बंगाली किस्म की कई मिष्ठान खाना चाहेगा, जिसके अधिक चीनी की खपत होती है। तो उसे अधिक खर्च करना पड़ेगा। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि इन लोगों को मार्केट मूल्य देने के लिए क्यों बाध्य न किया जाए। आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने आम लोगों को विभिन्न अनिवार्य वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा बहुत उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करें। एक बार ऐसा हो जाए तो ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करने वाले लोग यदि चाहें तो वे अधिक व्यय भी कर सकते हैं। यदि बाजार भाव 10 रुपए से 12 रुपए तक भी जाता है, तो उन्हें अदा करने दें। अन्यथा उन्हें एक ही मिठाई से सन्तुष्ट होना चाहिए। उन्हें हमेशा **रसगुल्ला** और **संदेश** पर जोर क्यों देना चाहिए।

इसी प्रकार कपड़े और चावल की बात भी है। मेरे पास राशन के चावल हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग **बासमती** तथा अन्य किस्म के चावल चाहेंगे जो बहुत मंहगे तथा बढ़िया होते हैं। उन्हें इसके अधिक मूल्य देने दीजिए। इस सरकार की यही नीति है।

जहाँ तक चीनी का सम्बन्ध है मुझे खुशी है सरकार ठीक नीति अपना कर सफलता प्राप्त कर रही है। मुझे खुशी है कि हम आज अपने किसानों को न्यूनतम मूल्यों से अधिक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की स्थिति में हैं। यदि सरकार सहकारी कारखाने तथा किसानों के प्रबन्ध तथा स्वामित्व वाले कारखाने स्थापित करने के लिए तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करने में सफल होती है और यदि वह संकटग्रस्त कारखानों को प्रभावशाली तथा कार्यकुशल बनाने के लिए तैयार हैं तो यह गरीब ही नहीं बल्कि अमीर लोगों तथा मध्य वर्ग के लोगों के हित में भी होगा। मैं उस विपणन अर्थव्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं जिसका प्रचार मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी करना चाहते थे। वे पूछ रहे थे कि यह अर्थव्यवस्था क्या है ? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिससे केवल पूंजीपतियों की ही जेबें भर रही हैं और जिससे आम लोगों को कोई भी लाभ नहीं पहुंच रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी है और मैं इसके पक्ष में हूं, और मुझे आशा है और मुझे खुशी है कि हम इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय, जो नागरिक पूर्ति के प्रभारी मन्त्री हैं, इस बारे में प्रयत्न करेंगे और इसे अधिक से अधिक वस्तुओं के लिए लागू करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि वितरण आज की अपेक्षा अधिक सन्तोषजनक हो।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस बारे में अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं केवल अपने मित्र श्री रंगा का धन्यवाद करता हूं जो हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और एक बड़े किसान

नेता हैं। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार अपनी वर्तमान नीति को जारी रखना चाहती है क्योंकि हम कमजोर वर्गों को 3 रुपए 65 पैसे प्रति किलो की दर से सस्ती चीनी सप्लाई करना चाहते हैं और साथ-साथ हम चीनी कारखानों को सरकार को लेवी चीनी सप्लाई करने के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने की कुछ आजादी भी देना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि खुले बाजार में भी हमने चीनी के मूल्यों को नियंत्रित कर दिया है और त्यौहारों के समय दिल्ली में चीनी 6 रुपए प्रति किलो की दर से बिकती रही। इस नीति के साथ मुझे आशा है कि हम किसानों को लाभदायक मूल्य सुनिश्चित कर सकेंगे जिसके बारे में श्री मनीराम बागड़ी ने कहा है। हम साथ-साथ इस बात का ध्यानर खेंगे कि चीनी कारखानों को जो अधिकांश सहकारी क्षेत्र में हैं कोई हानि न हो और वे लाभ कमाते रहें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रामपुर रजा लाईब्रेरी (सँशोधन) विधेयक

रेल, शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री मती शीला कौल की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, रामपुर रजा लाईब्रेरी आरम्भ में 1774—1794 ईसवी के सम्बन्ध में नवाब फैजुल्ला खाँ के निजी संग्राहलय के रूप में स्थापित की गई थी और नबाव सैयद मुहम्मद शहीद खां के शासनकाल में 1851 में इसे एक पृथक विभाग का दर्जा दिया गया था। 1953 में इस लाईब्रेरी को स्वर्गीय नबाव सर सैयद रजा अली खाँ ने पब्लिक लाईब्रेरी घोषित किया। 1975 में भारत सरकार ने रामपुर रजा लाईब्रेरी अधिनियम, 1975 द्वारा इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया। इसी अधिनियम के अर्न्तगत 1975 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन भी किया गया।

रामपुर रजा लाईब्रेरी अधिनियम, 1975 की धारा 27 (1) के अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गयी है। धारा 27(3) में व्यवस्था है कि इस प्रकार बनाए गए नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। रामपुर रजा लाईब्रेरी सम्बन्धी नियम जून, 1975 को

अधि सूचित किए गए। इन नियमों की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के समक्ष भी रख दी गयी हैं। धारा 28 (1) के अन्तर्गत इस लाईब्रेरी के बोर्ड को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से विनियम बनाने की शक्ति मिली हुई है ताकि वे अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। फिर भी इस अधिनियम में विनियमों को संसद के समक्ष रखने सम्बन्धी कोई भी प्रावधान नहीं है।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपनी 7 वीं रिपोर्ट में यह इच्छा व्यक्त की है कि संसद के अधिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधीनस्थ नियमों द्वारा बनाए गए नियमों तथा विनियमों की तरह इसे भी संसद के समक्ष रखा जाए और सम्बन्धित कानूनों में इसके लिए एक प्रावधान होना चाहिए।

भारत के राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशनार्थ संगत कानूनों के अन्तर्गत नियमों एवंम् विनियमों को प्रकाशित करने के लिए उनमें इसी तरह से निरपवाद रूप से एक उपबन्ध होना चाहिए। सरकार ने अधीनस्थ विधान संबन्धी समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है, अतः अधिनियम की धारा 28 में खण्ड 4 जोड़कर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है। अधिनियम की धारा 28 के उप-खण्ड (1) में भी एक छोटा सा संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि उसमें 'केन्द्रीय सरकार' के पश्चात् "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों को अन्तः स्थापित किया जा सके। इस से अधिनस्थ विधान संबंधी समिति की अपेक्षा भी पूरी हो जाएगी। रामपुर रजा लाईब्रेरी में (संशोधन) विधेयक, 1979 अब 1980 28-3-1979 को राज्य सभा में पुनः स्थापित किया गया था। विधेयक में सम्मिलित किए गए संशोधन अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर रजा लाईब्रेरी अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 का राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सुधीर कुमार गिरि।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं सर्वप्रथम विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन के उत्तर में है, यह कानून रामपुर रजा लाइब्रेरी के प्रबन्धकों द्वारा बनाए गए विनियमों के ऊपर संसद के प्राधिकार को सुनिश्चित करने में काफी हद तक सहायता देगा।

इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार को सम्बन्धित लाइब्रेरी के कुछ तथ्यों और कुछ पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूं। इस लाइब्रेरी में 17वीं शताब्दी

की बहुत ही पुरानी पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। ये पांडुलिपियाँ उर्दू, अरबी, हिन्दी तथा अन्य कई भाषाओं में हैं। सभी पांडुलिपियाँ बहुत ही सावधानी से परिरक्षित की गई हैं। मेरा ऐसा विचार है जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं जानता हूं कि कुछ अरबी पांडुलिपियाँ नाशटालिक और शेखेसटा शैली की हैं, इस नाशटालिक और शेखेसटा शैली की तुलना आजकल की आशुलिपि से की जा सकती है। नाशटालिक और शेखेसटा शैली की अरबी पांडुलिपियों को समझने वाले विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है, इन विशेषज्ञों की संख्या बड़ी शीघ्रता से कम होती जा रही है, अतः मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि नाशटालिक और शेखेसटा शैली की इन अरबी पांडुलिपियों को समझने वाले और इसकी परिरक्षा कर सकने वाले विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है, तथा पांडुलिपियों की परिरक्षा की जानी चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ियाँ इन पांडुलिपियों का अध्ययन करने और उन्हें समुचित रूप से समझने में पीछे न रहें।

हमारे देश में बहुत से विदेशी आते हैं और जिनकी सांस्कृतिक पहलू में रुचि होती है वे रामपुर रजा लाइब्रेरी में भी जाते हैं। वे वहाँ अनुसन्धान करने भी जाते हैं और उनको वहाँ आवास मिलने में भारी कठिनाई होती है क्योंकि लाइब्रेरी शहर से दूर स्थित है। महोदय, मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वहाँ कुछ होस्टल आवास की व्यवस्था की जाए ताकि अनुसन्धान अथवा अपनी जिज्ञासा शान्त करने के लिए जाने वाले विदेशियों और अन्य विद्वानों को आवास प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

जब मुख्य अधिनियम—राजा रामपुर पुस्तकालय अधिनियम 1975 दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था तो सम्बन्धित मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वे देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी हुई पाँडुलिपियों को एकत्र करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से इन पाँडुलिपियों को एकत्र करने का कहाँ तक प्रयत्न किया है इसकी जानकारी इस सभा तथा देश को देनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों से इन पाँडुलिपियों को एकत्र करने से पुस्तकालय संग्रह और अधिक सम्पन्न होगा।

पुस्तकालय प्रबन्ध पांडुलिपियों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहा है। परन्तु जहाँ तक मेरी जानकारी है सुरक्षित रखने के उपायों में और अधिक सुधार किया जा सकता है एक दिन हमने समाचार पत्र में पढ़ा था कि कुछ कीमती पांडुलिपियों की तस्करी करके देश के बाहर ले जाया जा रहा है। मुझे यह नहीं मालूम कि इस पुस्तकालय से भी किसी पांडुलिपि की तस्करी करके बाहर ले जाया जा चुका है या नहीं। मुझे इस सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। परन्तु मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि 17वीं शताब्दी की इस प्रकार की मूल्यवान पांडुलिपियाँ किसी भी प्रकार से तस्करी करके बाहर न ले जायी जा सकें।

इस पुस्तकालय में हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वृत्त पुस्तिका सुरक्षित रखी गई है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में बहुत ही सहायक है तथा सरकार को इस

वृत्त पुस्तिका को बनाए रखने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि यह संगीतज्ञों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी।

आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति बनानी चाहिए जिससे विद्वानों, अनुसंधानकर्त्ताओं तथा उन लोगों को जो कि देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में विशेष रुचि रखते हैं, सहायता मिल सके। हमारा समाज स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। यदि सांस्कृतिक पहलु को बहुत ही संगठित तरीके से सुरक्षित रखा जाए तो गतिशील समाज के लिए यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह न केवल पुस्तकालय के प्रबन्ध को अपने हाथ में लें बल्कि, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी हुई पांडुलिपियों तथा सांस्कृतिक अवशेषों को एकत्र करने का भी पूरा प्रयत्न करे। मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जब यह बिल ऐक्ट बना था उस समय के जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने यह बात कही थी :

> "रामपुर राजा पुस्तकालय में अरबी, फारसी, तथा उर्दू की सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपियाँ, तथा कला के दृष्टिकोण से अत्यधिक कीमती मुगल तथा ईरानी लघु चित्रों का संग्रह है। चित्रों और पांडुलिपियों के अतिरिक्त, इस पुस्तकालय में, पुस्तकों तथा सामयिकों के रूप में प्राचीन छपी हुई सामग्री का विपुल संग्रह है।"

हमारे उप शिक्षा मन्त्री जी नये आए हैं इसलिए मैं उनसे कुछ अधिक कहना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात ही उनसे पूछना चाहूंगा। इस सदन में हर साल एनुअल रिपोर्ट पेश करने का प्राविजन है, हर साल सदन की मेज पर एनुअल रिपोर्ट पेश होनी चाहिए तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन-कौन से साल में आपने एनुअल रिपोर्टें पेश की हैं ? ऐक्ट में दिया हुआ है :

> "21(4)···कि सरकार उनकी प्राप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।"

मैंने लाइब्रेरी में जाकर जांच की कि कोई सालना रिपोर्ट वहां पर आती है या नहीं तो मुझे बताया गया कि उनके पास केवल एक पुरानी रिपोर्ट आई हुई है। शायद मन्त्री जी के पास बाकी रिपोर्टें होंगी जिनको वे इस सदन में रखेंगे। पुरानी रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है उससे ऐसा मालूम होता है कि वहां पर स्कालर्स बहुत ही कम आते हैं। आप इतना रुपया वहां पर खर्च करते हैं फिर कम स्कालर आने का क्या कारण है ? सिर्फ 48 स्कालर्स रिसर्च करने के लिए आए—एक साल में या दो साल में, यह समय भी उसमें नहीं दिया हुआ है। मैं समझता हूं इस लाइब्रेरी को साइंटिफिक ढंग से मेनटेन भी नहीं किया जाता है और न विद्वान लोगों को लाइब्रेरी में रखा गया है। वहां पर कुल 28 स्थान हैं और अधिकतर

पैसा प्रशासन पर ही खर्च किया जा रहा है। वहां पर कोई होस्टल भी नहीं है जहां पर कि स्टूडेंट्स आकर ठहर सकें और स्टडी कर सकें। आपने जिसे नेशनल लाइब्रेरी घोषित किया हो उसको साइंटिफिक ढंग से मेनटेन किया जाना चाहिए। वहां पर तो पूरा कैटलाग भी नहीं है। साइंटिफिक ढंग से सूची भी नहीं बनाई गई है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं यह अच्छा होगा कि मन्त्री जी वहां पर जाएं और देखें कि किस प्रकार से इस लाइब्रेरी में सुधार किया जा सकता है। रिपोर्ट में 1087 अदर यूजर्स दिखलाए गए हैं। पता नहीं वहां पर कौन से अखबार आते हैं। आज आप इसमें संशोधन लाए हैं लेकिन आप जानते हैं कि आज पार्लमेन्ट पर अगर कोई हावी है तो वह है एग्जीक्यूटिव। रूल्स ऐंड रेग्युलेशन्स जो बनाए जाते हैं वह भी इस सदन के सामने नहीं रखे जाते हैं। 15 साल के बाद जब नींद खुली तो हमारे उपमंत्री जी से कह दिया गया कि उनको यहां पर रख दो। लेकिन आप देखें कि जो पहली लोकसभा थी उसका ही यह निर्णय था कि जो-जो भी रूल्स ऐंड रेग्युलेशन्स और बाई-लाज निकलें उनको सदन की मेज पर रखा जाए। मैं आपको वह सुनाना चाहूंगा। मैं उसको कोट कर रहा हूं। मैं समझता हूं उस समय हमारे उपमंत्री जी भी इस सदन के सदस्य नहीं होंगे। वह इस प्रकार से है :

> "समिति ने कहा है कि मई 1955 में अधीनस्थ विधान समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन (प्रथम लोक सभा) के पैरा 37 में सरकार पर इस बात के लिए जोर दिया था कि सभी ऐसे भावी विधेयकों में जिनमें नियम, विनियम आदि बनाने के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन करने का प्रस्ताव किया जाये, सभा पटल पर रखने तथा रूपभेद करने का उचित उपबन्ध किया जाए।"

यह फर्स्ट लोकसभा ने कहा था कि आप रुल्ज रेगुलेशंज रखिए, लेकिन आपने नहीं रखे। इसके लिए आपके यहां कौन ऐक्शन लेता है ? हम बार बार अपनी रिकमेंडेशन्ज करते हैं फर्स्ट लोक-सभा ने किया, थर्ड लोकसभा ने किया, आज आकर मन्त्री जी कहने लगे—मन्त्री जी बड़े होशियार हैं—कहने लगे कि 6ठी लोक सभा ने रिकमेण्डेशन की थी, इस लिए हम जल्दी ले कर आए हैं। मन्त्री जी, आप जरा अपने डिपार्टमेंट से पूछिए कि कब रिकमेण्डेशन आई थी ? आप के यहां इन बातों को पूछने वाला कोई है ? एक्ट बन गया, काम चलने लग गया, बिना रुल्ज-रेगुलेशन के गाड़ी चलने लगी। हम ने आप को यह पावर्स नहीं दी थी। आज देश में एक खतरनाक हालत यह हो रही है कि हम बिना कोई रुल्ज-रेगुलेशन्ज बनाए काम चलाने लग गए हैं और हम भी सब को एक्जामिन नहीं कर पाते हैं। एक्जीक्यूटिव एजेन्सीज अपनी मर्जी के रूल्ज बना लेती हैं, लेकिन हम ने आप को ऐसा अधिकार नहीं दिया था कि आप जो चाहें कानून बना लें। आज सुबह जिस बिल पर बहस कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुन लिया, क्योंकि बित्तमन्त्री जी जवाब दे रहे हैं और मैं जानता था कि वह मेरी अमैण्डमेन्ट नहीं मानेंगे।

फर्स्ट लोक सभा ने कहा था—पहली लोक सभा ने कहा था कि उनको सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि हम उनको पढ़ सकें उनका अध्ययन कर सकें तथा

यह पता लगा सकें कि वे अधिनियम के अनुरूप है या नहीं परन्तु कोई परवाह नही करता। कोई केयर नहीं करता है। आज आप ने यहां आकर कह दिया कि 6ठी लोक सभा ने रिकमेण्ड किया था, मैं पूछता हूं यह भी 1978 में हुआ था, तीन साल तक क्यों सोए रहे, आज ही यह बिल क्यों आया, इससे पहले क्यों नहीं आया···

एक माननीय सदस्य : इन से पूछो ?

श्री मूल चन्द डागा : कौन पूछ सकता है ? हां, चेयरमेन साहब पूछ सकते हैं, प्रिसाईडिंग आफिसर पूछ सकता है क्योंकि इस वक्त ये स्पीकर हैं। हमारी एक्जीक्यूटिव एजेन्सीज को कानून में रूल्ज तथा रेगुलेशन्ज बनाने की पावर दी गई है—वे बनाते हैं, या नहीं बनाते हैं. कौन पूछेगा ? रूल्ज तथा रेगुलेशन्ज के लिए नियम 234 में लिखा है —ये बहुत पुराने हैं।

जब कोई नियम, विनियम, उपनियम, उपकानून आदि संविधान के अन्तर्गत या संसद के द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकार को प्रत्यायोजित किए गए विधान कार्य के अन्तर्गत बनाए जाते हैं तथा सभा पटल पर रखे जाते हैं तो हम नियम 34 के अन्तर्गत आपत्ति उठा सकते हैं।

एक्ट पास हो जाता है, रूल्ज तथा रेगुलेशन्ज बनाए जाते हैं—मन्त्री जी आप मुझे इतना बतला दीजिए कि कौन-कौन से रेगुलेशन्ज बना लिए हैं और कब तक उन को यहां रख देंगे ? इस एक्ट के तेहत भी आप ने जो बना लिए हैं, उन को भी यहां रख दो···

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : छोड़ो, इनको।

श्री मूलचन्द डागा : चौधरी सुन्दर सिंह कहते हैं कि छोड़ो। चलिए मैं दूसरी बात को लेता हूं आप लाइब्रेरी को जो एमाउन्ट देते हैं वह इतनी मीगर है कि उसमें कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की नेशनल इन्स्टीचूशन को सिर्फ तीन लाख रुपया दिया जाय, इसमें वे क्या करते होंगे, लाइब्रेरी को चलाने के लिए लाइब्रेरियन भी नहीं मिलता होगा। जो थोडा-बहुत पढ़ा-लिखा होता है उसी को रख लेते हैं, वही लाइब्रेरियन बन जाता है। इस काम के लिए कोई स्कालर रखा जाना चाहिए जो संस्था में इन्टरेस्ट ले, दुनिया भर के अखबारों को इकट्ठा करे। हर साल यह मालूम होना चाहिए कि वहां क्या रिसर्च हुई है, कितने थीसिज आए हैं, रिसर्च के लिए कितने रिसर्च-स्कालर्स आए हैं और किस-किस ने थीसिज दी हैं। आप मंत्री जी हमें यह भी बतलायें कि जो रिसर्च स्कालर्स आयेंगे उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है ? जो स्कालर्स थीसिज देते हैं उसके प्रीजर्व करने की क्या व्यवस्था है ?

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सभापति महोदय पर निर्भर है कि वे इनसे कहें कि ठीक से रूल और रेगुलेशन्स बना कर सदन में आएं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस संशोधन करने वाले विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं, भले ही यह विलम्ब से लाया गया है। यह विधेयक अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप लाया गया है। अन्यथा देश में पुस्तकालय की प्रगति का कार्य लगभग मृत प्रायः है।

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि लाइब्रेरी समस्याओं पर यह एक आंशिक उपक्रम है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह विशेषज्ञों, विद्वानों तथा पुस्तकालयों से सम्बन्धित व्यक्तियों की बैठक बुलाकर देश में ग्रंथालय अभियान के बारे में राष्ट्रीय नीति निर्धारित करे। यह छोटा है परन्तु महत्वपूर्ण ग्रंथालय है। इसमें अरबी साहित्य, उर्दू साहित्य तथा संगीत शास्त्र के महान ग्रंथ हैं। परन्तु इसका दर्जा क्या है। हमारे पास पांडुलिपियों की विवरणिका तक नहीं है। वास्तविक राष्ट्रीय पुस्तकालय अभियान के लिए विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तक सूचियां उपलब्ध होनी चाहिए। आप बंगलौर अथवा किसी भी स्थान पर स्थित होते हुए भी यह पता लगा सकते हैं कि किस ग्रंथालय में कौनसी पांडुलिपि है। परन्तु दुर्भाग्य से आज हम कुछ भी नहीं जानते। जब मैं अपनी पी० एच० डी० कर रहा था, तब मुझे ज्योतिष-शास्त्र की पांडुलिपियों के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। देश में सभी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की समेकित सूची नहीं है। विभिन्न प्रकार के शोधकर्त्ताओं को ग्रंथालयों का उपयोग करना होता है। ढाई लाख रुपए का वार्षिक अनुदान ही पर्याप्त नहीं है। सम्पूर्ण विश्व में ग्रंथालय आन्दोलन बहुत आगे बढ़ गया है तथा वहां पर मूल्यवान पांडुलिपियां उस तरीके से सुरक्षित नहीं रखी जाती जैसे कि आजकल हमारे देश में रखी जाती हैं। वहां पर माइक्रो-फिल्में तैयार की जाती हैं जिससे कि उनको और क्षति न हो। मूल पांडुलिपियों को राष्ट्रीय अभिलेखागार में ले जाया जाता है तथा उसका लाभ पूरे देश के लिए उपलब्ध है। हमारे यहां सरकार की उदासीनता चिन्ता का विषय है। मैं सरकार से अनुनय करता हूं कि वह इसे समझें। भले ही यह संशोधन करने वाला विधेयक एक माध्यम है जिसके द्वारा देश में ग्रंथालयों के विकास की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, हमारे मित्र के समान उत्साही मंत्री महोदय को सार्वजनिक ग्रंथालयों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कराने के लिए कुछ और कार्यवाही करनी चाहिए। ग्रन्थालयों के बारे में सरकार की राष्ट्रीय नीति घोषित की जानी चाहिए तथा ग्रंथालयों के रखरखाव के लिए अनुदान देते समय अधिक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए। ग्रंथालय का भवन अति प्राचीन है। यह ग्रामीण क्षेत्र में है। भवन अपने आप में एक स्मारक है। कुछ समय बाद ढाई लाख रुपए का अनुदान भवन की मरम्मत के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए इन मूल्यवान सम्पत्तियों की सम्भाल के विषय में हमें उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि खण्डशः विधान लाने की

बजाय एक व्यापक विधेयक सभा में लायें। यह कार्य बहुत समय पूर्व किया जाना चाहिए था। मुझे प्रसन्नता है कि अब आप इसे लाए हैं। अन्यथा यह कार्य अभी भी अछूता रह जाता। इन ग्रंथालयों के लिए खण्डशः प्रयत्न स्वागत योग्य नहीं हैं और इसलिए सभी केन्द्रीय सरकार के ग्रंथालयों, अभिलेखागारों तथा प्राचीन सम्पत्तियों के विनियमन के लिए एक ऐसा व्यापक विधेयक लाया जाए जिसे विशेषज्ञों तथा पुस्तकालय विज्ञान के जाने माने लोगों की सलाह से तैयार किया गया हो। ग्रंथालय अभियान से मेरा पिछले सोलह सत्तरह वर्ष से सम्बन्ध रहा है। मेरा रायल ऐशियाई सोसाईटी बम्बई से भी सम्बन्ध रहा है। मैं जानता हूं कि हमारे पुस्तकालय, धन के अभाव में तथा इस महत्वपूर्ण विषय पर अनुसन्धान और हमारे देश की सांस्कृतिक परम्परा पर सरकार द्वारा विचार न किए जाने के कारण, किस प्रकार हानि उठा रहे हैं।

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : मान्यवर, इस संशोधन विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता के बाद सामन्तवाद का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में पूर्ण और मूल रूप में समाप्त हो गया परन्तु देहाती क्षेत्रों में सामन्तवाद के अवशेष अभी समाज तन्त्र पर जमे हैं, हावी हैं और पूर्ववत् प्रभावी हैं। उन्हें पूरी तरह समाप्त करना आज के क्रान्ति पुत्र का कर्त्तव्य है। इन सामन्ती अवशेषों का मेल-जोल और सांठ-गांठ भारत के पूंजीपति वर्ग से है और वे शासन और सत्ता दोनों पर कब्जा जमाए हुए हैं।

इन भूतपूर्व बड़े सामन्तों और राजा-महाराजाओं ने अपने उत्कर्ष युग में कुछ जन-कल्याणकारी कार्य भी किए हैं जैसे सिंचाई के लिए तालाब, गहरे कुएं, पियाऊ, धर्मशालायें, सड़कें आदि-आदि। उनकी अवस्था ध्वस्त-प्रायः है और अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में वे सांस ले जी रहे हैं। इन्हीं समाजोपयोगी कार्यों में लाइब्रेरियों की स्थापना भी है। पुरातन काल से मध्य-युगीन काल तक भारत के राजा-महाराजाओं और बादशाहों ने बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जगह जगह कायम की थीं और उनका रख-रखाव भी वे करते थे लेकिन जब सामन्तवाद पुराने रूप में नहीं रहा, तो उनका रख-रखाव, उनके मेन्टीनेन्स का मामला भी बिगड़ गया और वे इतनी उपेक्षित, इतनी तिरस्कृत हो चुकी हैं कि बहुतों का पता भी नहीं है कि वे कभी रही हैं या नहीं। इसलिए आज सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि उन लाइब्रेरियों को जो सारे देश में बिखरी हुई हैं, जो छोटे-बड़े पुस्तकालय हैं, उनको वह अपने हाथ में ले और उनका संचालन केन्द्रीय स्तर पर हो। इसके लिए राज्य सरकारों से भी सहयोग लिया जाए।

अभी हमारे पूर्व-वक्ता महोदय ने लाइब्रेरी साइन्स के ऊपर बहुत सी बातें कही हैं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। यह संशोधन विधेयक इस दृष्टिकोण से भी लाया गया है कि इनके ऊपर भारत सरकार का, इस संसद का भी नियंत्रण रहे। यह एक स्वागत योग्य बात है।

रामपुर रजा लाइब्रेरी किसी जमाने में हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी लाइब्रेरी मानी जाती थी। जब वहां के नवाब थे, वहां पर विशेष कर उर्दू, अरबी और फारसी के बहुत ही दुर्लभ ग्रन्थ, पांडुलिपि रखी गई थीं, जो बहुत खराब हो गई हैं और खराब होती जा रही हैं। उनका सुधार करने में, जो भी प्रयास अभी तक किया गया है, वह कम है। मेरा सुझाव यह है और मैं भी इस राय का हूं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा था, कि पूरे देश की लाइब्रेरियों के संचालन, नियंत्रण और रख-रखाव के लिए एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाना चाहिए। एक पीसमील सोल्यूशन, एक आंशिक समाधान अब इतने बड़े महान् देश के लिए जंचता नहीं है और न इससे कोई लाभ हो पाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने में पूरा एक सम्पूर्ण विधेयक लाया जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में, चिंतन क्षेत्र में देश के सभी छोटे-बड़े, प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन सभी पुस्तकालय आ सकें और उनकी व्यवस्था हो सके।

यहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अब तो उनकी संख्या भी कम होती जा रही है, उन्हें याद होगा कि उस जमाने से देहातों में, गाँवों में एक छोटा-सा पुस्तकालय कायम करना एक बहुत बड़ी क्रान्ति और देशद्रोह का काम समझा जाता था। अगर किसी गांव में कोई पुस्तकालय कायम हो जाता था तो सी० आई० डी० की नजर उस पर पहुंच जाती थी और उस पुस्तकालय के चलाने वालों के चारों तरफ लगातार खुफिया लोग घूमते रहते थे। अब वह बात नहीं है। वह बात समाप्त हो गयी है। लड़ाई का दौर बदल गया है, संघर्ष का रास्ता बदल गया है। पुरानी मान्यताएं समाप्त हो चुकी हैं, नयी मान्यताएं बनी नहीं हैं। यह संक्रमण काल है। इसमें अव्यवस्था, अराजकता सब चीजें हैं। वे शिक्षा जगत् में भी हैं, लाइब्रेरी प्रशासन में भी है।

इसलिए आखिर में मैं यह कहूंगा कि एक बहुत बड़ा विधेयक लाया जाए जो कि पूरे क्षेत्र को संभाल सके। तब देश का शिक्षा जगत् भी कल्याणकारी हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े पुस्तकालय का इससे भला होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए यह साधारण विधेयक लाया गया है। परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि इसे लाये जाने में इतना समय लग गया है। सिफारिशें बहुत पहले की गई थीं। सरकार द्वारा विधेयक पुरः स्थापित किए जाने के बाद भी बहुत देरी से हमारे पास आया है। वर्तमान विधेयक के बारे में भी हम देखते हैं कि इसे राज्य सभा में 28 मार्च, 1979 को पुरः स्थापित किया गया था। इस साधारण से विधेयक को पारित करने में लगभग एक वर्ष लग गया और इसे 20 नवम्बर, 1980 को पारित किया गया। उसके बाद भी एक वर्ष व्यतीत हो गया। आज इसे लोक सभा में रखा गया है। सरकार के पास इस विधेयक को लाने के लिए कोई समय नहीं है तथा ऐसा लगता है कि उसे अपने कार्य को व्यवस्थित करने के लिए प्राथमिकता की सूझ-बूझ नहीं

है । दुख का विषय है कि सभा की एक समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति पर इतना अधिक समय लगता है तथा इसको इतनी कम प्राथमिकता दी जाती है ।

फिर भी, श्रीमान, इस ग्रंथालय में विद्यमान स्थिति के बारे में मुझे इस समय बहुत सी बातों का उल्लेख करना है। यह पुस्तकालय भारत में उर्दू का सबसे बड़ा पुस्तकालय है । ऐशिया में यह दूसरे स्थान पर है । ऐसी हालत में हम इसके महत्व को समझ सकते हैं । मन्त्री महोदय ने स्वयं इस पुस्तकालय के बारे में सभा को जानकारी दी है । इसमें लगभग 40,000 पुस्तकें तथा लगभग 15,000 पांडुलिपियां अरबी, फारसी, उर्दू और हिन्दी की हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक ओर तो यह हमारे पास उर्दू का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जो कि भारत का सबसे बड़ा उर्दू का पुस्तकालय है तथा दूसरी ओर भारत के सबसे बड़े उर्दू के पुस्तकालय में केवल 17 कर्मचारी हैं । पिछले महीने अर्थात अक्तूबर तक पुस्तकालय का कोई अध्यक्ष नहीं था । इस समय मुझे उस मास की स्थिति ज्ञात नहीं है । इसलिए मेरा सभा के समक्ष निवेदन है कि सरकार के उच्च विचारों के विपरीत उन उच्च भावनाओं के विपरीत जिनके आधार पर इस सभा द्वारा 1975 का अधिनियम पारित हुआ था, इन सभी बातों के विपरीत पुस्तकालय आज उपेक्षा के संकट का सामना कर रहा है । अतः मैं केवल इसलिए खड़ा हुआ हूं कि सरकार से आग्रह करूं कि उनकी श्रेष्ठ भावनाएं वास्तविक रूप देने के लिए इस बारे में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाए ।

श्रीमान, आप पुस्तकालय जाकर देखें तो आप पाएंगे कि इसके भवन की देख भाल भी अच्छी तरह नहीं की जाती है । इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । इस पुस्तकालय के विकास के लिए शायद ही कोई योजना हो । यदि मैं भूल नहीं कर रहा तो वहाँ पर स्थित सभी पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्म बनाने की योजना थी । ये अत्यन्त मूल्यवान हैं । परन्तु दुख की बात है कि कठिनता से 15,000 पांडुलिपियों में से सौ एक पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्म बनाई जा सकी । इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इस पुस्तकालय पर, जिसमें अरबी, उर्दू तथा हिन्दी की श्रेष्ठतम पांडुलिपियाँ है, मंत्रालय अधिक ध्यान दे ।

पहले यह, विचार था कि सभी पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्म बनाई जाए तथा उन्हें अग्नि-रोधक अलमारियों में रखा जाये । इसलिए मेरा सुझाव है कि पुस्तकालय में ही माइक्रोफिल्म यूनिट स्थापित की जानी चाहिए । कृपया इन अमूल्य पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्म बनाने के लिए रामपुर से दिल्ली लाएं । हम जानते हैं कि रास्ते में इन पांडुलिपियों की क्या हालत हो सकती है । अतः पुस्तकालय में ही माइक्रोफिल्म यूनिट स्थापित करें ।

पुस्तकालय को अनुसंधान के एक सक्रिय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए । इसलिए मैं एक समुचित होस्टल की माँग भी करता हूं ताकि शोधछात्र लोग इस पुस्तकालय से पूरा लाभ उठा सकें ।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । फिर भी, विधेयक समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति तक सीमित है । हमने इस अवसर पर सभा तथा मन्त्री महोदय को इस पुस्तकालय के महत्वपूर्ण पहलू बताएं हैं । मन्त्री महोदय शीघ्र कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं । मैं इस बारे में जानता हूं क्योंकि रेलवे मन्त्रालय का भी वह कार्य देखते हैं तथा मैं भी रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य हूं तथा मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि किस शीघ्रता से वह कार्य करते हैं, बशर्ते कि वह किसी विशेष कार्य को हाथ में ले लें ।

अब वह शिक्षा मंत्रालय का काम भी देख रहे हैं ।

इसलिए मैंने इस पुस्तकालय सम्बन्धी कुछ पहलुओं को तुरन्त कार्यवाही करने के लिए यहां रखा है तथा मुझे उम्मीद है कि शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

धन्यवाद ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह लाइब्रेरी जिसके बारे में यह विधेयक आया है हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है । सरकार जो कदम उठा रही है उसका मैं स्वागत करता हूं । सरकार अच्छा काम बहुत कम करती है लेकिन कभी-कभी करती है तो उसका स्वागत करना पड़ता है । विरोध के लिए विरोध करना कोई मतलब नहीं रखता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस लाइब्रेरी के सम्बन्ध में जो आज आप कर रहे हैं इसको बहुत पहले किया जाना चाहिए था । यह एक कमी रही है जिसको आप आज दूर कर रहे हैं । यह बिल बहुत पहले आया था लेकिन इस पर सरकार पहले डिस्कशन नहीं करवा सकी ।

मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण पुस्तकालय की सुरक्षा और विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही सीमित है । उस पुस्तकालय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उसका और अधिक विकास करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उनकी संख्या को बढ़ाया जाए । इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और उस पुस्तकालय का सदुपयोग भी ठीक ढंग से हो सकेगा ।

इस पुस्तकालय का अनुसंधान कार्यों के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जा सकता है । सरकार को चाहिए कि उसे इस लायक बनाए ताकि जो विद्यार्थी हैं और अन्य लोग हैं और जो अनुसंधान कार्यों में रुचि रखते हैं, वे इस कार्य को ठीक ढंग से कर सकें । जो वहां पुरानी पांडुलिपियां हैं, मैनस्क्रिप्ट इत्यादि रखे हुए हैं उनकी सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध करना भी आवश्यक है । ये जो मैनस्क्रिप्ट हैं उनकी सुरक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि ये हमारे देश के सांस्कृतिक विकास की एक धरोहर हैं । साथ ही उनकी सुरक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि अनुसंधान कार्यों के लिए वे बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । इसलिए

मैं चाहता हूं कि विशेष रूप से इस पुस्तकालय के लिए योजना बनाई जाए और इसको विकसित करने के लिए जो धनराशि आवश्यक है, उसका प्रबन्ध किया जाए ।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, रामपुर रजा लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान सभा ने सर्वसम्मति से जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं ।

यह पुस्तकालय भारतीय परम्परा की खोज, उसे ग्रहण करने और समझाने के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्ञान और जानकारी का एक स्रोत है । इसलिए, इस पुस्तकालय के रख-रखाव सरकार की चिन्ता को भली-भांति समझा जा सकता है ।

रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम को इस सम्मानित सभा ने 1975 में पारित किया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया गया था ।

जहां तक पुस्तकालय की बहुमूल्य सामग्री का सम्बन्ध है, इसमें अरबी, फारसी, उर्दू और हिन्दी भाषाओं की लगभग 40,000 पुस्तकें, लगभग 15,000 पांडुलिपियां और 300 चित्र हैं । मूल भावना यह है कि विद्वानों को अपने अनुसंधान कार्य में अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस पुस्तकालय का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और समग्र भारत की विपुल विरासत को सुरक्षित रखा जा सके ।

माननीय सदस्य श्री सुधीर गिरि ने बताया है कि जहां तक 'नशताली और शेकसता' का सम्बन्ध है उनके विशेषज्ञ ही नहीं हैं । इनके विशेषज्ञ हैं और देश भर में संस्कृति विभाग द्वारा पाण्डुलिपियों को एकत्र करने का सर्वेक्षण-कार्य भी चल रहा है । यह एक स्वागत-योग्य सुझाव है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों से भी पाण्डुलिपियां एकत्र करनी चाहिए ।

मुख्य मुद्दा यह है कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों को भी सभा पटल पर रखा जाए । उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए धारा 28 में एक छोटा-सा खण्ड जोड़ा जा रहा है जिससे कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की उस सिफारिश को पूरा किया जा सके जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

जहां तक धन जुटाने के बारे में अन्य भाग का सम्बन्ध है, इस योजना अवधि में 15 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं, 1980-81 में बोर्ड ने 2 लाख रुपए व्यय किए हैं और वर्ष 1981-82 के लिए 4.5 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यह सही है कि हमें वहां आने वाले विद्वानों को आवास सुविधाएं प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए । और यह सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है कि पुस्तकालय भवन को किस प्रकार नया रूप दिया जा सकता है और इसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है । आजकल पुस्तकालय अहमद मंजिल नामक भवन में स्थित है । उससे सटा हुआ ही रंग-महल नाम का भवन है । बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं और बातचीत

चल रही है और यदि इसका अधिग्रहण भी कर लिया जाता है और यदि बोर्ड उचित प्रस्ताव भेजता है तो सरकार इसके पुनर्निर्माण तथा होस्टल आवास भोजन तथा आवास सुविधाओं आदि की आवश्यकताओं पर ध्यान देगी।

मेरे माननीय मित्र श्री डागा का कहना है कि प्रतिवेदनों को सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इस वर्ष मार्च में सभी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए थे।

श्री मूलचन्द डागा : किस वर्ष के प्रतिवेदन रखे गए हैं ? मैंने पुस्तकालय से पूछताछ की थी। गत तीन वर्ष के प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। क्या वह मुझे वह तारीख बता सकते हैं जब ये प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए थे ?

श्री मल्लिकार्जुन : 28 मार्च, 1981 को लेखा परीक्षित लेखों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया था.....

श्री रवीन्द्र शर्मा (बम्बई-उत्तर) : किस वर्ष के ?

श्री मल्लिकार्जुन : यदि यह मार्च, 1981 में रखा गया है तो स्वाभाविक है कि, यदि कोई भूल नहीं हुई है तो यह 1979 से आगे के हैं। निस्संदेह इस संशोधन विधेयक को पारित करने में समय लगा है। फिर भी, सरकार आवश्यक विधेयकों को पास करने की प्राथमिकता प्रदान करती है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री सुधीर गिरि : मैंने यह बताया था कि 'शिकसता' और 'नस्तालिक' में विद्वानों या विशेषज्ञों की संख्या घट रही है। अतः मैंने यह सुझाव दिया था सरकार को कुछ अन्य विद्वानों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे कि वे इन दोनों शैलियों में विशेषज्ञ बन सके।

श्री मल्किार्जुन : यह बात स्वयं विद्वानों पर निर्भर करती है कि वे विद्यमान विशेषज्ञों से सीखने में रुचि लें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह

"कि रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1980" के स्थान पर

"1981" प्रतिस्थापित किया जाय। (2)

(श्री मल्किार्जुन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"इक्तीसवें" के स्थान पर

"बत्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाय। (1)

(श्री मल्लिकार्जुन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मल्लिकार्जुन : मै प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोशित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पटना की खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, मौलवी खुदा बख्श के पिता स्वर्गीय मौलवी मुहम्मद बख्श खान की अरबी और फारसी पांडुलिपियों और पुस्तकों के विशाल और मूल्यवान संग्रह करके बनाई गई थी। 1891 में, मौलवी खुदा बख्श ने तत्कालीन बंगाल सरकार (अब बिहार सरकार) को पुस्तकालय के प्रबन्ध हेतु न्यासी नियुक्त करते हुए न्यायनामा लिखा।

दिसम्बर, 1969 में भारत सरकार ने इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया। देखिए खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 इसी अधिनियम के अधीन भारत सरकार ने पुस्तकालय का प्रशासन चलाने और उसके कार्य प्रबन्ध हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड का गठन भी किया। बिहार के राज्यपाल बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वियन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गयी है। अधिनियम की धारा 27(3) में यह उपबन्ध है कि इस प्रकार बनाए गए नियम ससद के प्रत्येक सदन में सभा पटल पर रखे जायेंगे। खुदा बक्श ओरिटंल पब्लिक पुस्तकालय पटना से सम्बन्धित आवश्यक नियम जुलाई, 1970 में अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों की प्रतिलिपियां संसद के दोनों सदनों के सभापटलों पर रखी जा चुकी हैं।

इस विधेयक के माध्यम से धारा 27(3) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम की धारा 28(1) के अन्तर्गत बोर्ड को यह शक्ति दी गयी है कि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से विनियम बना सकते हैं। अतः वर्तमान अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं, जिसके अन्तर्गत विनियमों को संसद में रखे जाने की व्यवस्था हो।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपने 7वें प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की है कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत संसद के सम्बद्ध अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत अधीनस्थ संकायों द्वारा बनाए गए विनियम भी संसद में सभापटल पर रखे जाने चाहिए और सम्बद्ध कानूनों में इस बारे में उपबन्ध किया जाना चाहिए। सरकार ने अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। अतः इस अधिनियम की धारा 28 में खण्ड 4 जोड़ कर इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस खण्ड से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तदनुसार खुदा बक्श ओरिटल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1979, 28 मार्च, 1979 को राज्य सभा में पुरः स्थापित किया गया था। इस विधेयक के माध्यम से किए जा रहे संशोधन अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की इस सिफारिश के अनुरूप हैं कि विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत बनाए गए विनियम भी

प्रकाशित किए जायें और उन्हें संसद में सभापटल पर रखा जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि खुदा बक्श ओरिंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तमलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के विषय में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पटना में खुदा बक्श ओरिंटल लाइब्रेरी का राष्ट्रीय महत्व है। इस पुस्तकालय में फारसी, अरबी, उर्दू और हिन्दी भाषाओं में बहुमूल्य पांडुलिपियाँ और पुस्तकें उपलब्ध हैं। अत: मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूं कि इन पाँडुलिपियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए तथा मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि इन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग किया जाए। समूचे देश में अनेक बहुमूल्य पांडुलिपियां बिखरी पड़ी हैं। सरकार को इन्हें एकत्रित कर और सुरक्षित रखने की ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, अनेक ऐसी पांडुलिपियाँ विदेशों में पहुंच जाती हैं और इसे रोकने के सम्बन्ध में भी सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। महोदय, खुदा बक्श पुस्तकालय में स्थान सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। जब तक मुख्य पुस्तकालय के साथ ही कोई एक छात्रावास नहीं बनाया जाता, विश्व के विभिन्न भागों से आने वाले विद्वान/छात्र इसका उचित उपयोग नहीं कर सकते। इस समय इसके भवन की जो स्थिति है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के खण्ड 5 में यह उपबन्ध है कि बिहार के राज्यपाल इस पुस्तकालय के पदेन अध्यक्ष होंगे। मेरा यह सुझाव है कि किसी विशिष्ठ विद्वान को इस पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया जाए।

मेरा आखिरी सुझाव यह है कि पुस्तकालय के कार्य चालन में कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को सम्बद्ध किया जाए क्योंकि कर्मचारी वहां लम्बे अरसे से कार्य करने आ रहे हैं और उन्हें काफी अच्छा और बहुमूल्य अनुभव है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। इन सब बातों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब मंत्री महोदय ने जवाब दिया तो उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हमारी गलती हुई है। कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि यह आप आज क्यों लाए हैं? 25 साल के बाद आज यह अमेंडमेंट लेकर वह आ रहे हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक नया विधेयक है।

श्री मूलचन्द डागा : इसके अंदर सवाल यह था कि फर्स्ट लोक सभा ने यह रेकमेंडेशन की थी कि जो ऐक्ट के नीचे रूल्स रेगुलेशंस, बाइ-लाज और नोटिफिकेशंस निकलें उनको गजट में शाया किया जाय और सदन की मेज पर रखा जाय। 1955 में जब

ऐक्ट बना था उस समय यह बात कही गई। उसके बाद मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को लेटर लिखा। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सारे डिपार्टमेंट्स को कह दिया है कि जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह निकलें क्योंकि उनके पीछे सांविधिक शक्ति है अतः उन्हें सभापटल पर रखा जाना चाहिए। मगर ये सारे रेगुलेशंस बन गए और उनको इन्होंने सदन की मेज पर नहीं रखा। इस तरह हमारे अधिकारों का हनन किया। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ने रूल्स बना दिए और उसके अनुसार काम करने लग गए जब कि इनका ऐक्ट कहता है इस बात के लिए।

इस अधिनियम में यह व्यवस्था है :—

"आपको कार्य-निष्पादन में बोर्ड निर्देशों से बाध्य होगा और अपनी इच्छानुसार नियम और विनियम बनायेगा।"

अभी तक उन्होंने उसे सभा पटल पर नहीं रखा है। अब आज सातवीं लोक सभा में यह बात आई है। मैं कह रहा हूं कि पहली लोक सभा ने यह रेकमेंडेशन की थी, उसके बाद से आप ने डिपार्टमेंट में किसी को दोषी ठहराया कि अभी तक वह इसको काम में क्यों नहीं लाए, इसके अनुसार उन्होंने अमल क्यों नहीं किया ?

अब इस लाइब्रेरी के क्या फक्शंस हैं, क्या काम यह कर रही है, इसके बारे में मुझे एक रिपोर्ट मिली है 1979 की। उसमें उन्होंने बताया है कि इसके अन्दर केवल एक काम किया गया :

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लेंडिंग अनुभाग में 226 सदस्य हैं। 226 किताबें मेम्बर्स को दी गई। यह साल भर का काम है। अब कितना रुपया खर्च हुआ वह देखें तो 6 लाख रुपया खर्च किया गया और काम यह किया कि इतने आदमियों को किताबें दी गईं। इन्होंने बस इतना ही कार्य किया है। न तो कोई रिसर्च स्कालर आया न इसका कोई और उपयोग किया न इसका कोई डेवलपमेंट किया। इसके अलावा सदन की मेज पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं रखी। वह कहते हैं कि रखी लेकिन आज भी मै लाइब्रेरी में पूछकर आया हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। और यह एक अनिवार्य उपबन्ध है कि उन्हें इसे सभा पटल पर रखना चाहिए। इस तरह खुदा बक्श लाइब्रेरी का विकास करना तो दूर रहा इसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जो ऐक्ट की कम्पलायेंस होनी चाहिए थी वह भी नहीं हुई है और इसके लिए जब बार बार कहा गया, कोई सात आठ बार लिखा तब इन्होंने उसको कम्पलाई किया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, ब्यूरोक्रेसी है वही हमारी पावर्स को न ले ले। ये रूल्स हमारे सामने आने चाहिए, जब तक हम उनको एग्जामिन न कर लें तब तक वह उससे काम न लें। हमने पावर जो दी है वह इसलिए दी है कि इस अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत वे नियम और विनियम बना सकते हैं तथा तब हम उनकी जांच करने और यह सुनिश्चित करने की स्थिति में होंगे कि क्या प्रत्यायोजित शक्तियों का सही प्रयोग हुआ अथवा दुरुपयोग

हुआ है । और इस प्रकार यह बिल आप लेकर यहां पर आए है । इस लाइब्रेरी का विकास नहीं हुआ है । देश में अगर ऐसी संस्थाओं का विकास होगा तो उससे देश का चरित्र ऊंचा होगा और देश के लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी । लेकिन दु:ख की बात यह है कि लाइब्रेरीज की ओर कोई ध्यान नहीं देता है । अब हमारे नए शिक्षा मन्त्री जी आए हैं, शायद वे वहां पर जाकर देखें कि क्या काम वहाँ पर हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात होगी ।

आधे घंटे की चर्चा

पक्षियों के शिकार पर प्रतिबन्ध

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन पक्षियों के शिकार पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में 23 नवम्बर, 1981 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर से उत्पन्न बातों पर बहस आरम्भ करेगा ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ (बड़ोदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दी है । इस देश में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं और इनका सरक्षण करना हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । चूंकि 23 नवम्बर, 1981 को दिए गए मेरे प्रश्न संख्या 2 के उत्तर सन्तोषजनक नहीं थे, अत: मैंने इस पर चर्चा का अनुरोध किया है ।

जो उत्तर दिए गए थे उन से कोई भी यह समझ सकता है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस विषय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वन्य जीवन की लुप्त होने वाली किसमों के संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है । मेरे विचार से वन्य जीवन की लुप्त होने वाली किसमों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुख्य रूप से दो कारण हैं ।

पहले हम अप्रत्यक्ष कारणों को लें । वन्य जीवन अधिकांशत: वनों में होता है । देश के विभिन्न भागों में स्थित वनों को औद्योगिक विकास तथा अन्य अनेक कारणों से काटा जा रहा है । मैं आपको एक उदाहरण दूंगा । देश के उत्तरी भाग में, विशेष रूप से हिमालय पहाड़ में अनेक आकर्षक पक्षी हैं । वहां पर चीड़ नाम के वृक्ष होते हैं । इनमें से राल निकाली जाती है जिसका उपयोग तारपीन और कास्मेटिक बनाने के लिए किया जाता है । इस देश में लगभग 400 हजार टन तारपीन का निर्माण किया जाता है और इसके लिए काफी राल की आवश्यकता होती है और इसके लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि तारपीन निर्माण के लिए इन पेड़ों से कितना राल निकाला जाएगा । इसमें कोई बुरी बात नहीं किन्तु विभिन्न छोटे-छोटे देश के यहाँ, जिनके यहाँ इतनी अधिक फालतू भूमि नहीं होती,

जितनी हमारे यहां है, यह विनियम है कि जब कभी भी एक पेड़ गिराया जाता है तो पांच नये पौधे लगाये जाते हैं। केवल यही नहीं, यदि एक वृक्ष बिना अनुमति के गिराया जाता है तो उसके लिये सख्त सजा दी जाती है। हम अपने यहाँ उसी प्रकार के कड़े कानून क्यों नहीं बनाते ताकि हमारे यहाँ वन्य जीवन आगामी वर्षों तक बना रहे; न केवल यही बल्कि आने वाले वर्षों में उसमें और वृद्धि हो।

भारत में अन्य वन्य जीवन की लुप्त होने वाली किसमों में वन्य हाथी का भी उदाहरण दिया जा सकता है। वन्य हाथी की यह आदत होती है कि जब मैदानों में गर्मी हो जाती है तो वह ठंडे प्रदेशों की ओर चला जाता है और जब पहाड़ों में शीत होती है तो वह मैदानों में आ जाता है। इन हाथियों के विहार स्थलों को मानव लाभ के लिये औद्योगिक विकास करने के लिए इस सीमा तक तोड़ दिया गया है कि हाथियों के झुंड पृथक-पृथक पड़ गए हैं। अतः उनकी जनसंख्या वृद्धि रुक गई है। यदि उनके इन हितों की रक्षा न की गई तो भारतीय हाथी कुछ ही वर्षों में लुप्त हो जाएगा।

इस प्रकार वनों के अनावश्यक रूप से काटे जाने के परिणामस्वरूप अन्य जीवों और पक्षियों की किसमों को भी ऐसा ही खतरा उत्पन्न हो गया है। अनेक पक्षी, जो कि केवल भारत में ही पाए जाते हैं, शीघ्र लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि वे मानव की आदत नहीं अपना सके जो प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों में खुशहाल रहना सीख गया है और अपनी संख्या दुगनी तिगनी वृद्धि कर सका है। अतः जब तक पक्षियों को उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, वे जिन्दा नहीं रह सकते हैं।

कुछ समय पहले बम्बई पत्तन में, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वन्य जीव-जन्तुओं के 17 करेट पकड़े गए थे। मैं उन अधिकारियों की अपने कार्य के प्रति सजगता के कारण सराहना करता हूं। ये जीव-जन्तु ऐसे थे जिनके पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है।

एक माननीय सदस्य : उनके नाम क्या थे ?

श्री आर० पी० गायकवाड : उनमें शेर, चीते, गैण्डे, दरियाई घोड़े और कुछ अन्य हिरण और बारहसिंगे थे। हमारे सहयोगी श्री के० पी० सिंह देव, उस समय उपस्थित थे जब करेटों का पता लगा और उन्हें खोला गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने जाने के बावजूद भी कदाचार फैला हुआ है। इसलिए और अधिक कड़े उपाय करने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी विरासत—जिसे मैं विरासत कहूंगा—हमारे हाथों से न निकल जाए। तदनुसार यह खुदा बक्श विधेयक जिसे मैं हमारी विरासत कहता हूं—हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह उस समय हुआ जब बाहरी लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को मान्यता प्रदान करना आरम्भ की तब हमें इस तथ्य की सुधि आई कि हमारे पास विश्व को देने के लिए उससे भी अधिक है जो उसके पास विद्यमान है, और मेरे विचार में वन्य जीवन न केवल हमारे

देश के भले के लिए अपितु विश्व के सभी देशों के भले के लिए महत्वपूर्ण है। अन्यथा प्रकृति उसका सृजन ही क्यों करती ?

कुछ समय पहले, मैंने वन्य जीवन समिति के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा था। मेरे प्रश्न में समिति का उल्लेख किया गया है। मैं ऐसा इसलिए आवश्यक समझता हूं क्योंकि इसमें कई सुविज्ञ लोग हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे लुप्त होते वन्य जीवन को कोई हानि न हो विशेष रूप से उन जातियों को जो बड़ी तीव्रता से लुप्त हो रही हैं तथा इन लुप्त होती जातियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए ताकि बाद में हो हल्ला न मचाया जाए, इस समिति को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। आपको इसकी सिफारिशों के प्रकाश में एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए तथा इसे हमारे अनभिज्ञ लोगों के ध्यान में लाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरा भतीजा स्कूल में पढ़ता है। उसके पिता बहुत ही सुविज्ञ प्रकृतिवेत्ता हैं। इससे पुत्र को भी स्वाभाविक रूप से कुछ ज्ञान हो गया है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो उसकी एक परीक्षा ली गई जिसमें उसे कई पक्षियों के नाम लिखने थे जो उसने अपनी जानकारी के अनुसार लिख दिए। उसमें कुछ नाम ऐसे भी थे जो पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए थे। अध्यापक ने उसे फेल कर दिया क्योंकि उसे उन नामों की जानकारी नहीं थी जो बच्चे ने लिखे थे। अध्यापक इस देश का औसत शिक्षित व्यक्ति होता है। कम से कम उसे बच्चे द्वारा लिखित नामों का पता लगाने का कष्ट करना चाहिए था।

अत: मेरे यह कहने का अभिप्राय है कि हम अपनी विरासत को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, यही है। हम तभी रुचि लेते हैं जब अन्य लोग हमारी अच्छी बातों को मान्यता देने लगते हैं। वन्य जीवन ही क्यों ? यहाँ तक कि कला के संबंध में भी जब उसे हमारे देश से बाहर ले जाया गया तब हमारे लोगों को अचानक इस बात का अहसास हुआ कि हमारे यहां महान कला मौजूद है और उसे सम्भाल कर रखा जाना चाहिए। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, यह अच्छा ही हुआ कि वे सब बाहर गई क्योंकि उन्हें यह तो पता चला कि उनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि उसी प्रकार वन्य जीवन हमारे देश से सदा के लिए बाहर नहीं जाएगा।

जिन लोगों की इसमें रुचि है तथा जिन्होंने इससे कुछ लाभ कमाए बिना कई वर्ष इसमें लगा दिए हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा कार्यक्रमों में उन्हें सुना जाना चाहिए। उन्हें पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिएं क्योंकि मेरे विचार में सरकार कई मामलों को नहीं देख सकती। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी इनमें रुचि है तथा जो सुविज्ञ हैं और हम उन्हें ऐसा मानते भी हैं। उन लोगों का ऐसी परियोजनाओं में उपयोग किया जाना चाहिए। न केवल इतना बल्कि कई न्यास भी हैं। कई राज्यों में पक्षी संरक्षित क्षेत्र हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र बड़ौदा में शहर से बाहर पांच मील की दूरी पर एक पक्षी संरक्षित क्षेत्र है। सरकार इसका अधिग्रहण करने का प्रयत्न कर रही है। क्यों ? इसकी देखभाल एक न्यास कई वर्षों से कर रहा है। उसे ही देखभाल क्यों नहीं करने दी जाती ? इसका

उत्तरदायित्व लेने की क्या आवश्यकता है, जब पहले ही कोई इसे अच्छी तरह से देख रहा है ? उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। न केवल इतना बल्कि सरकार द्वारा इन न्यासों तथा व्यक्तियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का प्रचार करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार के प्रोत्साहनों से और इन कार्यक्रमों से हमारे देश में वन्य जीवन के पुनः जीवित होने की कुछ आशा है।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय, मुझे कुछ जानकारी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात श्री रामावतार शास्त्री को बता दीजिए। अब मंत्री जी श्री गायकवाड़ के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद चार अन्य माननीय सदस्य स्पष्टीकरण मांगेंगे और मन्त्री जी उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं श्री गायकवाड़ का वन्य जीवन संरक्षण के महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार, संसद तथा जनता का ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। सरकार को उस उपेक्षा की जानकारी है जिसके कारण वन्य जीवन की हमारी समृद्ध विरासत को, जो कि भारत को भगवान की देन है, पिछले कई वर्षों में विशेषकर अंग्रेजी विदेशी शासन के दौरान, नुकसान पहुंचा है। उन्हें हमारे वन्य जीवन की सभी किस्में लुप्त हो जाने की कोई चिन्ता नहीं थी। उन्होंने अन्धाधुन्ध शिकार किया और बड़ी-बड़ी पार्टियों का आयोजन किया। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया है।

जैसा कि आप जानते हैं, स्वयं प्रधान मन्त्री को इसकी बड़ी चिन्ता है और उन्होंने भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की अध्यक्षा बनना स्वीकार कर लिया है। एक प्रधान मन्त्री के लिए इसमें इतनी रुचि लेना और वन्य जीवन कार्यों के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है जिससे हमें प्रसन्न और सन्तुष्ट होना चाहिए। उन्होंने हमारे अनुरोध पर 'प्राजेक्ट टाइगर' की अध्यक्षा बनना भी स्वीकार कर लिया है। इससे वन्य जीवन के हिमायतियों को बहुत ही प्रोत्साहन और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड ने पहले ही तीन समितियों का गठन कर रखा है। एक के अध्यक्ष डा० सलीम अली हैं। यह समिति हमारे पक्षियों विशेषकर दुर्लभ किस्म के पक्षियों का संरक्षण करने के उपायों को खोजने की आवश्यकता की ओर ध्यान दे रही है।

इस प्रश्न विशेष का सम्बन्ध संभवतः दो किस्मों के पक्षियों से है जिनमें एक तीतर तथा दूसरा बटेर है। माननीय सदस्य ने भारतीय हाथी जैसे अन्य वन्य जीवन का भी उल्लेख किया था। मैं उनके दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं। हाथी को पहले ही पूरा संरक्षण दिया जाता है। बाघ को भी पूरा संरक्षण दिया जाता है। उन्हें हमारे वन्य जीवन अधिनियम की पहली अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। परन्तु तीतर और बटेर के विषय में ऐसा नहीं है। इनकी ओर हम अब ध्यान दे रहे हैं।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : मनुष्य ने तो सभी स्थितियों में जीवित रहना और साँस लेना सीख लिया है परन्तु वन्य जीवन के लिए ऐसा संभव नहीं हो सका है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह सब संरक्षण और परिरक्षण के अन्तर्गत आता है। मेरी जानकारी के अनुसार भारत में बटेर की 22 किस्में और तीतर की 8 किस्में हैं। परन्तु इनमें से कम से कम तीतर की एक किस्म 'असम बमकू तीतर' को अनुसूची एक में रखकर संरक्षण दिया जाता है। इसे मारने, इसका शिकार करने अथवा इसे पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। कोयल की एक किस्म—'पर्वतीय कोयल' के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है इसे भी पूर्ण संरक्षण दिया जाता है।

ये पक्षी देश के सभी राज्यों में मिलते हैं। कुछ राज्य अन्य राज्यों से आगे निकल गए हैं, जैसे मेरा राज्य हरियाणा। यहाँ काले तीतर पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। काला तीतर हरियाणा का 'राज्य पक्षी' है। यह एक बहुत ही सुन्दर पक्षी है और वहां भी यह लुप्त होता जा रहा है। मुझे आशा है अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। परन्तु यह राज्यों के सहयोग पर निर्भर करता है क्योंकि शिकार तथा शिकार मौसम का लाइसेन्स राज्यों द्वारा अपने कानूनों के अन्तर्गत दिया जाता है। संसद ने 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था जो बहुत ही कडा अधिनियम है। इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध करने पर न्यूनतम 6 महीने से लेकर 6 साल तक के कारावास देने का उपबन्ध है। इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने का कार्य राज्यों के वन्य जीवन विभागों का है। कुछ राज्यों में वन्य जीवन विभाग हैं जब कि कुछ अन्य राज्यों में वन्य जीवन और वनों को देखने वाला एक ही विभाग है। परन्तु हमारी इस बात में रुचि है कि वन अधिकारियों को वन्य जीवन, संरक्षण और प्रबन्ध का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। हम अपने चिड़ियाघरों की बेहतर देखभाल और अपने प्राणी उद्यानों की अवस्था में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन सभी कदमों का माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से संसद के समक्ष उल्लेख किया गया है।

माननीय सदस्य महोदय ने कुछ क्रेटों के एक विशेष मामले का भी उल्लेख किया है जिसमें वन्य जीव थे और जिसका बम्बई पत्तन पर पता चला। हमारे ध्यान में आने के तत्काल बाद हमने इस बारे में कार्यवाही की। हमने सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लिखा और मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने सहयोगी राजस्व के प्रभारी वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वह कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो तथा सीमा शुल्क अधिकारियों को अधिक सतर्क रहने के लिए कहा जाए और ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही की जाए।

माननीय सदस्य यह भी जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने पशुओं, पक्षियों अथवा मगर आदि की खालों के निर्यात की अनुमति नहीं दी है। सरकार पर दबाव डाला जाता है कि कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए की खालों का बहुत बड़ा स्टाक है।

अतीत में सरकार ने समग-समय पर इन खालों के निर्यात की अनुमति दी परन्तु हमारा अनुभव यह रहा कि हर बार स्टाक समाप्त हो जाने के पश्चात् और स्टाक इकट्ठा हो गया क्योंकि फिर से अन्धाधुन्ध पशुओं और पक्षियों को मारा जाने लगा, उनका शिकार किया जाने लगा और खालों को एकत्र किया जाने लगा। अपनी युवावस्था में मैं स्वयं शिकार का शौकीन था परन्तु 1957 में मैं जब पंजाब में मंत्री बना और वन्य जीवन संरक्षण मेरे प्रभार में आया, उसी दिन से मैंने चान्दमारी, शिकार खेलना एकदम बन्द कर दिया। पहला वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम मेरे द्वारा तैयार किया गया जिसे पंजाब विधान सभा ने पारित किया। यह 1957 की बात है और भारत में जितने भी ये अधिनियम पारित किए गए हैं यहाँ तक कि संसद द्वारा भी वे सब उस अधिनियम की नकल हैं जो मैंने 1957 में पंजाब विधान सभा में प्रस्तुत किया था। वह भी एक कड़ा अधिनियम था। हमने वन विभाग, पुलिस तथा वन्य जीवन विभाग के अधिकारियों को पंजाब में राजदूतों की कारों की तलाशी लेने की अनुमति भी दे रखी थी। हमने प्रति बन्दूक अधिकतम 10 पक्षी मारने की सीमा निर्धारित कर दी थी। इनमें से कुछ बातों का कभी-कभी पालन नहीं किया जाता है और कभी-कभी कुछ शिथिलता आ जाती है, परन्तु मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इन बातों पर मेरे स्तर पर निगरानी रखी जाती है और हम उन पर कार्यवाही करते हैं। माननीय सदस्य जब वन्य जीवन को और संरक्षण प्रदान करने के लिए सुझाव देते हैं तो कोई कारण नहीं कि मैं उनके प्रति आभार व्यक्त न करूं।

जैसा कि मैंने कहा है, वन्य जीवन को सबसे अधिक खतरा चोरी से शिकार करने, बिना लाइसेन्स उनकी हत्या करने अथवा उन्हें पकड़ने से होता है। यह एक दुःखद बात है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि वन्य जीवन संरक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी अथवा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग के अधिकारी, पुलिस अथवा वन अथवा वन्य जीवन विभाग के अधिकारी सबसे बड़े अपराधी हैं। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में क्या किया जाए परन्तु हम प्रयत्न करेंगे और यदि राज्यों में, वन विभागों में अथवा वन्य जीवन संगठनों में ऐसे कोई अधिकारी मिलते हैं तो उन्हें एक उदाहरण बनाया जाएगा।

वन्य जीवन को एक दूसरा बड़ा खतरा पक्षियों को पकड़ने से है। मेरे विचार में लाइसेन्सधारी व्यक्तियों द्वारा मौसम में हत्या करने अथवा चोरी से शिकार करने से वन्य जीवन को इतना खतरा नहीं है जितना पकड़ने से है। कुछ आदिवासी तथा कमजोर वर्गों के अन्य लोग इन पक्षियों को पकड़ कर अपनी जीविका कमाते हैं। यदि पक्षियों को बचाना है तो पक्षियों को पकड़ने पर सम्पूर्ण भारत में प्रतिबन्ध लगाना होगा। एक ही दिन में जालों द्वारा सैंकड़ों पक्षी पकड़े जा सकते हैं जबकि बन्दूक से एक पक्षी मारना भी कठिन होता है और पक्षी के बचने के पूरे अवसर होते हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह देश के आम आदमियों तक पहुंचेगी। हमारी

जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग पूर्णतया शाकाहारी है जो पशुओं और पक्षियों से स्नेह करता है और जीवन लेने के विरुद्ध है। वे पहले से ही पशुओं और पक्षियों के मित्र हैं। परन्तु अन्य लोग भी, यद्यपि वे मांसाहारी हैं इस बात को महसूस करेंगे कि अगर वन्य जीवन का संरक्षण नहीं किया जाता तो उनका सारा आनन्द समाप्त हो जाएगा। वे शिकार नहीं कर सकेंगे। अतः यह उन शिकारियों के लिए, जो इस खेल को पसन्द करते हैं, एक बड़ी ही चिन्ताजनक बात है।

वन्य जीवन को एक खतरा फसल संरक्षण लाइसेन्स बड़ी संख्या में देना भी है। गांवों में चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अधिकांश लोग फसल संरक्षण के नाम पर ही लाइसेंस प्राप्त करते रहे हैं। जिला प्राधिकारी पिछले चालीस अथवा पचास वर्षों में बहुत ही बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी करते हैं। वे शिकारी अथवा शिकारी के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते रहे हैं जो शहरों से दूर-दराज के गांवों में जाते हैं और उनके पास फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस शुदा बन्दूकें होती हैं। उन्हें उन स्थानों का पता होता है जहां पशु-पक्षी मिलते हैं और वे शिकारियों को वहाँ ले जाते हैं। वे दिन की समाप्ति पर मिलने वाले थोड़े से धन के लोभ में बड़ी तबाही मचाते हैं। ऐसे पशु-पक्षी बहुत ही कम रह गए हैं जिनसे फसलों की रक्षा करने की आवश्यकता है। हिरणों की कई किस्में लुप्त हो गई हैं। बनैला शूकर या सूअर कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बुलबुल बहुत कम रह गई हैं। पक्षी तो आमतौर पर किसानों के मित्र होते हैं। कौओं और तोतों को छोड़कर शेष फसलों को हानि नहीं पहुंचाते। परन्तु आमतौर पर सभी वन्य पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े-मकोड़ों को खा कर किसानों की सहायता करते हैं। अतः मैं यह आग्रह या अनुरोध करता हूं कि हिरणों तथा अन्य वन्य पक्षियों और जन्तुओं को मारकर उनके मांस को बेचकर अपनी जीविका कमाने वाले जिन गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों को अंधाधुन्ध लाइसेंस दिए गए हैं उन लाइसेंसों को वापस लेने के लिए राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी चाहिए।

हमारे राष्ट्रीय वन्य जीवन को भारी नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें कुछ और काम करना चाहिए। यह ठीक है कि वन्य जीवन और इसका संरक्षण उनके प्राकृतिक वास को बनाए रखने पर निर्भर है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं हमने पहले संसद में एक अधिनियम पारित किया था जिसके द्वारा हम अपने सभी वनों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम वन क्षेत्र का ह्रास नहीं होने देना चाहते। राज्य सरकारों को भी वन काटने और उस भूमि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। हम अपने मृत प्रायः वनों को पुनरुज्जीवित करने के लिए भी बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं। हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं और हमें आशा है कि हम अपना वन क्षेत्र को बढ़ाने में सफल होंगे जो इस समय हमारे कुल भूमि क्षेत्र का 22 प्रतिशत है। हम इसे 30 प्रतिशत तक करने का विचार कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से, श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सरकार द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण और सुरक्षा में ली जा रही दिलचस्पी से, मुझे आशा है कि

माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे कि काफी कुछ किया जा रहा है मैं पुन: कहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा वन्य जीवन के प्रति व्यक्त चिन्ता के लिए मैं उनका आभारी हूं । इससे हमारे दृष्टिकोण के उद्देश्य को सफलता मिलेगी । भारत में वन्य जीवन सप्ताह मनाया जा रहा था । यदि संसद इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करती है तो उस पर लोगों का भी ध्यान जाएगा ।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : आज के संदर्भ में वन्य जीवन संरक्षण एक सामाजिक आवश्यकता है । एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका में कम से कम 75 लाख पक्षी पकड़े जाते हैं । इनमें से 40 प्रतिशत पक्षी लाने ले जाने में रास्ते में ही मर जाते हैं । भारत में अब तक 88 परिवारों के पक्षियों की 1,060 किस्मों का पता लगाया जा चुका है । भारत पक्षियों के 60 परिवारों की 289 किस्मों के लगभग 18.5 लाख पक्षियों का प्रतिवर्ष निर्यात करता है । यह पक्षियों का सबसे बड़ा निर्यात कर्त्ता है । इनमें से अधिकांश पक्षी जापान और यूरोपीय देशों को भेजे जाते हैं । सबसे अधिक संख्या में पक्षियों की मृत्यु तब होती है, जब शिकारी पक्षियों को निर्यात कर्ता को भेजते हैं । इसका कारण यह है कि बिचौलिए विभिन्न जन्तुओं की आवश्यकताओं से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं ।

माननीय मन्त्री ने वन्य जीवन के लिए प्रधान मन्त्री और उनकी चिन्ता का उल्लेख किया । मैं उनके पिता के कथन की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं । जवाहर लाल नेहरू ने 16 सितम्बर, 1956 को एक पुस्तिका का प्राक्कथन इन टिप्पणियों के साथ आरम्भ किया था :

> "यदि हमारे पास देखने और खेलने के लिए ये शानदार पशु तथा पक्षी न होते तो हमारा जीवन बहुत नीरस और रंगहीन हो जाता । इसलिए, अब हमारा वन्य जीवन जो कुछ शेष है उसके संरक्षण के लिए हमें यथा संभव पशु-पक्षी विहारों को प्रोत्साहन देना चाहिए ।"

30 जुलाई, 1955 को नेहरू ने एक प्रसिद्ध प्रकृतिविद् को यह उत्तर दिया :

> "मुझे भेजे गए आपके पत्र और सुन्दर पुस्तक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह एक अच्छी कृति है । मुझे यह देखकर खुशी है कि भारत में वन्य पक्षियों में अधिकाधिक रुचि ली जा रही है और अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है । मैं भी इसमें रुचि रखता हूं, परन्तु मुझसे अधिक मेरी बेटी पक्षियों में रुचि लेती है । हम दोनों इस पुस्तक का लाभ उठाएंगे ।"

अपने जवानी के दिनों के विषय में उन्होंने कहा है :

> "मैं शिकार करने जैसे मन बहलाव में लग गया परन्तु मुझे इसके प्रति कोई विशेष अभिरुचि नहीं थी । मुझे बाहर जाना व जंगल पसंद थे और मैंने शिकार करने पर ध्यान नहीं दिया । वास्तव में, मेरी प्रतिष्ठा रक्तपात हीन व्यक्ति के रूप में थी,

पर काश्मीर में मैं एक रीछ को तुक्के से मारने में सफल हो गया था। निरीह जीव मेरे पैरों पर गिर गया। उसे घातक घाव लगे थे। उसने अपनी आंसू भरी बड़ी-बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। तब से वे आँखें प्राय: मेरा पीछा करती रहीं।"

20 फरवरी, 1964 को नेहरू ने भारत के वन्य जीवन पर एक पुस्तक में प्राक्कथन लिखा था। अन्तिम पैराग्राफ – सम्भवत: वन्य जीवन पर उनके द्वारा लिखे या कहे गए ये अन्तिम शब्द थे :

"मैं लेखक से सहमत हूं कि बन्दूक से मारने के बजाय कैमरे से चित्र खींचना अधिक रोमांचकारी और कठिन है और मैं चाहता हूं कि अधिकाधिक साहसिक युवक कैमरे के पक्ष में बन्दूक का त्याग कर दें। हमें अपने वनों और उनमें निवास करने वाले वन्य जीवन के संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए।"

मैंने ये उद्धरण यह बताने के लिए दिए हैं कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू तथा वर्तमान प्रधान मन्त्री अपने युवावस्था में वन्य जीवन के प्रति कितनी रुचि रखते थे।

अब भारत सहित विश्व में वन्य प्राणियों की अनेक किस्में विलुप्त हो गई हैं और यदि हमने शीघ्र ही कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए तो ये सभी किस्में विलुप्त हो जाएंगी। ये संदर्भ में, क्या मैं जान सकता हूं कि एक पूल बनाने के बाद, भारत के वन्य जीवन के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? क्या मैं माननीय मन्त्री से यह भी जान सकता हूं कि क्या वे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर अधिकतम दंड की अवधि कम-से-कम पाँच वर्ष कर देंगे ? चूंकि कर्नाटक में काफी पशु-पक्षी विहार हैं, उन विहारों के संरक्षण के लिए कर्नाटक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ? मेरे चुनाव क्षेत्र मंगलौर के विषय में, मंगलौर हिरण पार्क के संरक्षण के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पक्षियों की दुनिया का हाल तो मैं नहीं जानता। पक्षियों की दुनिया बहुत ही सुन्दर और शानदार है। मेरे ख्याल से हमारे जीवन से भी उनका जीवन सुखद और सुन्दर है, ऐसा मेरा अनुमान है। इधर थोड़ी मेरी भी दिलचस्पी चिड़ियों से हो गई है क्योंकि मेरे घर में तोता पला हुआ है, जिसको सुग्गा भी कहते हैं और उसको जो सिखलाइए वही बोलता है। उसका नाम मीठू है और वही बोलता भी है। मेरी बेटी का नाम गुड्डी है वह भी बोलता है, और डाक्टर चचा, जिनके साथ मैं रहता हूं जो एम०एल०ए० हैं उनको वह डाक्टर चाचा कहता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जानवर भी हैं जिन्हें जो सिखाइए वही करेंगे। पता नहीं इनके मारने पर बंदिश है कि नहीं। मैं हिन्दुस्तान की बात कर रहा हूं, रूस की नहीं। तो तोता है, कबूतर है। कबूतर तो हमारे देश में शांति का प्रतीक माना जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : कबूतर नहीं, फाख्ता।

श्री रामावतार शास्त्री : फाख्ता नहीं कबूतर, मैं कबूतर की बात कर रहा हूं। कबूतर मौके पर उड़ाते भी हैं। खुद कभी-कभी हमने देखा कि जो वर्तमान प्रधान मन्त्री हैं, उन्होंने लाल किले से कबूतर उड़ाए भी, शायद 26 जनवरी या 15 अगस्त को। तो कबूतर को भी लोग मारकर खाते हैं, इस तरह के भी पक्षी हैं। इन पक्षियों की रक्षा के लिए सरकार कुछ करती है या नहीं ?

वैसे तो जंगली जानवरों की बात सरकार ज्यादा करती है और करना भी चाहिए। मैं इस सिलसिले में यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकारें जो इस दिशा में काम कर रही हैं, क्या आप उनको पर्याप्त समझते हैं, अगर नहीं तो फिर उनको अपनी तरफ से आपने कोई ठोस हिदायतें दी हैं या नहीं ? क्या आप इस स्थिति में हैं कि यह बतला सकें कि जिन पक्षियों का नाम आपने लिया है, हमारे देश में उनकी संख्या कितनी है ? मैं सब पक्षियों की बात नहीं कर रहा हूं। इसके साथ ही जंगली जानवर भी हमारे देश में कितने बच गए हैं, शेर, चीता, बाघ इत्यादि, जिस शक्ल में भी हों ?

आपने यह भी कहा कि इसके लिए हम सजा देते हैं 6 महीने से 6 साल तक। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी किसी को सजा हुई है ? कभी ऐसा मौका आया है कि जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ? अगर की गई है तो ऐसे कितने लोग हैं ?

अगर आप बताने की स्थिति में हों तो बताइए, नहीं तो बाद में बताइए कि इस जुल्म में, इस अपराध में इतने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, तब आप जंगली जानवरों, चिड़ियाओं व पक्षियों की हत्या न करने की भावना लोगों में पैदा कर सकते हैं।

श्री हरीश चन्द्र रावत (अलमोड़ा) : एन्वायरमेंट पर जो तिवारी कमेटी बैठी थी, उसने बर्ड सैंक्चुअरी और टाइगर प्रोजेक्ट बनाने की सिफारिश की थी, उस पर कितना काम हुआ है और कहां-कहाँ के लिए उस कमेटी ने सिफारिश की थी ? उसने कुछ जगहों को एलोकेट भी किया था, उनके बारे में बताने की कृपा करें ?

दूसरी बात बर्डज से संबंधित नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ से सम्बन्धित है। जहाँ जहां आपके टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे लगे हुए एरियाज में हिमालय टाइगर निकल आते हैं और वह लोगों की गाय को मारकर खा जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए लोगों को 15, 20 रुपए का कम्पैन्सेशन भी दिया जाता है जो कि बहुत कम है। इससे परिणाम यह हो रहा है कि लोगों में आतंक हो रहा है। जब शेरों की संख्या बढ़ रही है तो वह गायों को खायेंगे ही खायेंगे क्योंकि यह सरलता से उनको मिल जाती हैं। जहां तक गीर का जंगल है गुजरात में, वहां लोगों की गाय-भैंस को शेर मारते थे, तो वहाँ के लोगों ने शेर को विष दिया, जिससे बहुत सारे शेर मर गए। इस प्रकार की पोजीशन और जगह भी टाइगर प्रोजेक्ट्स में है। जो कार्बेट नेशनल पार्क, राम नगर का प्रोजेक्ट है वहां और ऐसी ही पोजीशन नैनीताल में भी पैदा होने जा रही है। वहाँ बहुत सारे जानवर मर गए हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि जो कम्पेन्सेशन है क्या इसकी रेशियो को आप बढ़ायेंगे ताकि जिसके जानवरों को शेर वगैरह मारें, उनको प्रापर कम्पेन्सेशन मिल सके ? क्योंकि इसका भी डायरेक्ट, इन-डायरेक्ट सम्बन्ध उससे हैं।

जो आपके फारेस्ट हैं, यह किस तरह से प्रीजर्व किए जाएं, किस तरह से बढ़ाए जाएं. यह तो लम्बा सवाल है और इसके लिए लम्बी बहस की जरूरत है, लेकिन सीधा प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि लाइफ प्रोडेक्शस एक्ट और फारेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में आप किस तरह से प्रावीजन करना चाहते हैं जिससे जो इन-डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है, उनको दूर किया जा सके ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल, 1972 जो पास हुआ है, उसके बाद सेक्शन 51 से 54 में आपने कितने ओफेन्सेज में कम्पाउन्ड कर लिया, कितने लोगों को सजा दी, एक तो यह डेटा आप दीजिए ।

स्टेट्स को रूल्ज बनाने की पावर्ज दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस स्टेट ने रूल बना लिए हैं ? क्या रूल्ज बने हैं या नहीं, या यह कानून अलमारी में पड़ा दम तोड़ रहा है ? मैं जानना चाहता हू कि इस कानून का अनुपालन कैसे हो रहा है।

सऊदी अरब का एक प्रिंस जैसलमेर के दि ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड का शिकार करने के लिए आया था । वह बाज लेकर आया था । न जाने उसने कितना शिकार किया । उस समय हम लोग एसेम्बली में थे । हम लोग बार-बार कहते थे कि उसका शिकार करना मना है और स्टेट ने मना किया है । क्या सेन्टर ने उसकी इजाजत दे दी थी ? तेल की भूख या पैसों के लोभ के कारण किसने यह इजाजत दी थी ? उससे हमें कितना नुकसान हुआ ? इसको लेकर हमारे यहां एजीटेशन हुआ ।

मन्त्री महोदय इस प्रश्न को बहुत गम्भीरता से लेते हैं। उन्होंने हरियाणा में मन्त्री के रूप में इस बारे में काम किया है । उन्हें यह सारा इतिहास बताने की जरूरत नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने आफेन्सिज में सजा हुई और कितनों में कम्पाउण्ड कर लिया, इस बारे में रूल्ज कब बने हैं, जैसलमेर में दि ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड के शिकार के लिए सऊदी अरब के प्रिन्स को कैसे इजाजत दी गई, किसने इजाजत दी और इसके लिए कौन कुसूरवार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० वसन्त कुमार पंडित की विशेष मामले के तौर पर अनुमति दे रहा हूं । डा० वसन्त कुमार पंडित ।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : आप कृपया हमें यह बताएं कि क्या 1972 के इस अधिनियम की अनुसूची को पिछले दस सालों में पुनरीक्षा की गई है । मेरी जानकारी के अनुसार, विश्व वन्य जीवन निधि और प्राकृतिक इतिहास समिति और डा० फतेह अली जैसे विभिन्न व्यक्तियों ने अनुसूची की पुनरीक्षा करने के सुझाव दिए थे ।

कुछ दुर्लभ किस्मों को जो पिछले दस वर्षों में विलुप्त होती जा रही हैं, इसमें सम्मिलित किया जाना है। यदि हां, तो क्या सरकार संशोधित अनुसूची देगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का मैं संक्षिप्त उत्तर दूंगा। भारत बहुत भाग्यशाली है। सभ्यता के आरम्भ से ही भारत ने ऐसा रुख अपनाया, जिस पर वह गर्व कर सकता है। हमारी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उस समय जब वन्य जीवन के विलुप्त होने का खतरा नहीं था, तब भी हमारे सभी ऋषियों ने हमारे वन्य जीवन के संरक्षण का उपदेश दिया और उसका प्रचार किया। सभी जीवों का संरक्षण। भारत में महात्मा बुद्ध, महावीर से लेकर बाद में महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू और फिर हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री, महा पुरुषों, महात्माओं, ऋषियों, पैगम्बरों ने, हमारे धर्म ने, हमारी संस्कृति ने तथा हमारे समाज ने सदा ही यह रास्ता दिखाया है। वास्तव में यह भारत के लिए बहुत दुःखद बात होगी, यदि भारत समस्त विश्व को यह रास्ता नहीं दिखाता है कि वन्य जीवन हमारे पुराणों, गौरव ग्रन्थों और धर्म में कहाँ तक रचा-बसा हुआ है। यह हमारे देवी-देवताओं से काफी सम्बद्ध है। आज हम शेर के संरक्षण की बात सोच रहे हैं। शताब्दियों से शेर दुर्गा देवी का वाहन है। आज हम हाथी के संरक्षण की बात करते हैं। प्राचीन समय से हाथी श्रद्धा का पात्र रहा है। भगवान गणेश का सिर एक हाथी का है। इस प्रकार हमने वन्य जीवन को पवित्रता दी है। मोर देवी सरस्वती का वाहन है। यही बात हमारी वनस्पति और जन्तुओं के साथ भी है। कमल लक्ष्मी के पैरों के नीचे है। चूहा तक—चूहा भगवान गणेश का वाहन है। पंडित त्रिपाठी इन बातों के बारे में अधिक जानते होंगे।

जय-पक्षी, गरुड़ और इस जाति के कुछ अन्य पक्षी अभी भी खतरे में हैं। गरुड़ विष्णु जी का वाहन है और उल्लू भी किसी देवी या देवता से सम्बद्ध है। अमावस्या पर कौवों तक की रक्षा की जाती है। भारत की संस्कृति और धर्म इतने महान हैं, जिसका वह गर्व कर सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं और जिसके लिए हम चिंतित हैं वह हमारे खून में है। हमें आशा है कि भारत के लोग हमारे पूर्वजों, हमारे धर्म प्रवर्त्तकों और हमारे महान् राष्ट्रीय नेताओं के मार्ग पर चलते रहेंगे।

जो कदम हमने उठाए हैं, माननीय सदस्य उनसे सन्तुष्ट नहीं हैं। श्री शास्त्री जी ने भी पूछा था कि क्या हम संतुष्ट हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, जब तक कि प्रत्येक किस्म के पेड़-पौधे, पशु-पक्षी आदि की रक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती और उनको लोप होने से नहीं बचाया जाता। भारत इस सन्दर्भ में अपने प्रयासों में कमी नही आने देगा और हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के सहयोग से उन पर अधिकाधिक ध्यान देना होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : पक्षियों के निर्यात के विषय में आपके विचार क्या हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वर्तमान निर्यात नीति पक्षियों की संख्या में कमी करने की है।

अब संख्या सीमित कर दी गई है। अब प्रतिवर्ष केवल कुछ किस्मों के पक्षियों के निर्यात की अनुमति दी जाती है। हम इस पर आगे रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। अब केवल 12 सामान्य किस्म के पक्षियों के निर्यात की अनुमति है। पहले हम इस विषय में काफी उदार थे। अब संख्या भी कम कर दी गई है।

एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या तिवारी समिति ने वन्य जीवन के लिए नए विहारों की सिफारिश की है। समिति ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है। नए विहारों के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है। देश में हमारे पास शेर के लिए पहले ही 11 रक्षित क्षेत्र हैं। श्री गायकवाड़, जिन्होंने लोगों को निजी पशु-पक्षी विहार बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रश्न उठाया था, इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। हम इस विचार का स्वागत करते हैं और यदि आवश्यकता हुई और लोग वन्य जीवन—चाहे पक्षी हों या पशु—की रक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं, तो हम इस अधिनियम के उपबंधों को निजी विहारों पर भी लागू कर देंगे।

मैं इस सम्बन्ध में किए गए अपराधों और दिए गए दंड के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिस पर आधे घंटे की चर्चा में विचार करने का पूर्वाभास नहीं किया जा सकता था। परन्तु जैसा कि मैंने पहले संसद में बताया था और हमारे विभाग ने भी विस्तार से बताया था, शेरों की संख्या बढ़ रही है।

श्री मूलचन्द डागा : मुआवजे के प्रश्न पर आपको क्या कहना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मुआवजे का प्रश्न उठाया गया है। यह एक वैध मामला है। हमें उचित मुआवजा देना चाहिए ताकि लोग दुर्लभ जंगली पशुओं को नष्ट न करें जो उनके लिए भी अधिक हानिकारक हैं। हमें इस मामले पर विचार करना चाहिए और यह राज्य सरकारों पर निर्भर है। हमें इस पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करना होगा ताकि पशु मालिकों को पर्याप्त मुआवजा मिल सके।

अनुसूची पर हमने पुनर्विचार नहीं किया है, परन्तु जब कभी आवश्यक हुआ ऐसा किया जाएगा। हमने "गोडावन" का शिकार करने की कोई अनुमति नहीं दी है। हाँ, राजकुमार भारत में किसी स्थान पर जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि राजस्थान के लोग उठ खड़े हुए थे और देश में हो-हल्ला मचा था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या भारत में राजकुमार हैं ? कोई भी राजकुमार नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्होंने अपने दौरे के दौरान किसी भी गोडावन का शिकार नहीं किया था जैसा कि श्री डागा का विचार है। हमारे लोग उसे पूरा संरक्षण दे रहे हैं। लोगों के कई कबीले हैं, जैसे बिश्नोई, जो अपनी भूमि पर न केवल हिरण बल्कि मोर तथा अन्य

पक्षियों का भी शिकार नहीं करने देते हैं। उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आप ऐसे भी गांव पाएंगे जहां के लोग आपको बत्तखों का शिकार करने तक के लिए भी बन्दूक लेकर गांव में घुसने नहीं देंगे। केवल जन साधारण के सहयोग से ही हम अपने वन्य जीवन की रक्षा कर सकेंगे।

6.26 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा, मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1981/10 अग्रहायण, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

1981 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।